(केवल विभागीय उपयोग हेतु)
भाग-5

मध्यप्रदेश पुलिस

दिशा

परिपत्रों का संकलन
(अवधि : जुलाई 2019 से मार्च 2022)

महिला सुरक्षा शाखा
पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

महिला थाना छतरपुर
जिला - छतरपुर (म.प्र.)

महिला थाना सिवनी
जिला - सिवनी

ऊर्जामहिला डेस्क
थाना देहात जिण्ड

(केवल विभागीय उपयोग हेतु)

भाग-5

मध्यप्रदेश पुलिस

दिशा

परिपत्रों का संकलन

(अवधि : जुलाई 2019 से मार्च 2022)

महिला सुरक्षा शाखा

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्र.
1	बलात्कार के प्रकरणों में डी.एन.ए. परीक्षण कराये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (Mechanism) का निर्धारण। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18803	1-3
2	पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सचिव, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को प्रेषित करने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/157494	4
3	महिला संबंधी अपराधों में देरी से पंजीयन के विश्लेषण के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18804	5-7
4	The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/164168-13	8-13
5	Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act-2019 के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18805	14-16
6	तीन माह से अधिक अवधि से लम्बित महिला संबंधी अपराधों के निराकरण विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18806	17-20
7	वारंटी/फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दिशा-निर्देश। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18807	21-27
8	यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान का प्रकटन न करने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/16809	28-29
9	महिला संबंधी अपराधों में पर्यवेक्षण रिपोर्ट सीसीटीएनएस पर अपलोड करने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/17223	30-31
10	यौन अपराधों में पीड़ित को विधिक सहायता प्रदाय करने के विषय में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/16895	32-33
11	महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पंजीयन की दैनिक सूचना (DSR) महिला अपराध शाखा को भेजने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18808	34-35
12	आकस्मिक मृत्यु/उपचार हेतु भर्ती व्यक्ति की सूचना तत्काल संबंधित जिला/थाना को तत्परता से दिये जाने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/17176	36-37
13	लैंगिक हिंसा पीड़ित की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की वीडियोग्राफी के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/17489	38-40

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्र.
14	आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार बलात्कार के अपराधों का 60 दिवस के अंदर निराकरण। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18809	41-52
15	विनिर्दिष्ट श्रेणी के अपराधों की एफ.आई.आर. लिखने एवं विवेचना करने हेतु थानों में महिला पुलिस अधिकारी की पदस्थापना करने के संबंध में। Link-https://www.mppolice.gov.in/en/node/17411	53-55
16	मानसिक/शारीरिक दिव्यांग महिला पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके निवास/विकल्प के स्थान पर लेख किये जाने हेतु। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18810	56
17	धारा 498-(ए) भादवि के अपराध का समय सीमा में पंजीयन, अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के संबंध में। Link-https://www.mppolice.gov.in/en/node/17550	57-61
18	गुम नाबालिग बच्चों से संबंधित प्रकरणों में मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई की सहायता लेने हेतु। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18811	62
19	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 के तहत कार्यवाही किये जाने बावत्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18815	63-73
20	पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18812	74-75
21	आपराधिक प्रकरणों में विधिक परामर्श/विधिक संवीक्षा(स्क्रूटनी) के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18825	76-85
22	महिलाओं के विरूद्ध विर्निदिष्ट श्रेणी के अपराधों की प्रथम सूचना महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखे जाने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18813	86-87
23	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के परिपालन करने के संबंध में। Link-https://www.mppolice.gov.in/en/node/18689	88
24	महिलाओं के विरूद्ध घटित वाले अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18814	89-96
25	कोविड-19 महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पंजीयन एवं विवेचना के दौरान कार्यवाही हेतु विशेष "मानक संचालन प्रक्रिया" (एसओपी) के संबंध में। Link-https://www.mppolice.gov.in/en/node/18705	97-103
26	महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण परिपत्र में आंशिक संशोधन। https://www.mppolice.gov.in/en/node/189777	104-107

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्र.
27	छेड़छाड़ संबंधी अपराधों का गंभीरतापूर्वक अनुसंधान एवं दोषमुक्ति होने पर उपयुक्त प्रकरणों में अपील कराये जाने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18978	108-111
28	पीड़ित/फरियादी को आरोप-पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क प्रदाय करने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18988	112-114
29	महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई(AHTU) के कार्यों के निर्वहन के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/18994	115-117
30	महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU) में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षकों के कार्यों के निर्वहन के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/19044	118-120
31	महिला संबंधी अपराध (मर्ग) जांच में अपराध पंजीयन करने के संबंध में दिशा-निर्देश। https://www.mppolice.gov.in/en/node/19113	121-134
32	महिला थानों को महिला अपराधों के विशेषज्ञ थानों के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/19115	135-136
33	महिला संबंधी प्रकरणों में समय सीमा में अपराध पंजीयन। https://www.mppolice.gov.in/en/node/19116	137-139
34	वारंटी/फरार आरोपियों अथवा वांछित/साक्षी की गिरफ्तारी/न्यायालय उपस्थित कराने हेतु चैक लिस्ट। https://mppolice.gov.in/en/node/19572	140-145
35	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 7(4) के परिपालन करने के संबंध में। https://mppolice.gov.in/en/node/20769	146-148
36	आदतन अपराधियों की इतिहासवृत्त (History Sheet), गैंग हिस्ट्रीशीट (Gang History Sheet) एवं यौन अपाधियों के डोजयर (Dossier) तैयार करने के संबंध में। https://mppolice.gov.in/en/node/21819	149-201
37	महिला एवं बच्चों पर घटित अपराधों की विवेचना पर सतत् निगाह रखने हेतु महिला प्रकोष्ठ को निर्देशित किये जाने विषयक्। https://mppolice.gov.in/en/node/21852	202-203
38	अल्पायु पीड़िता की आयु निर्धारण प्रक्रिया विषयक्। https://mppolice.gov.in/en/node/21902	204
39	महिला अपराधों की विवेचना महिला उप निरीक्षकों द्वारा किये जाने के संबंध में।	205-209
40	अपराध पंजीकरण में विलम्ब करने के संबंध में।	210

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्र.
41	बलात्संग के प्रकरण में चिकित्सीय परीक्षण एवं डी.एन.ए. परीक्षण कराये जाने विषयक्। https://mppolice.gov.in/en/node/22984	211-228
42	गुम इंसान के प्रकरणों में जांच जारी रखने की सीमा के संबंध में।	229-231
43	धारा 498-(ए) भादवि के प्रकरणों में पीड़िता के निवास स्थल के थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध करने विषयक्। https://www.mppolice.gov.in/en/node/23718	232-242
44	नाबालिग बालिकाओं के अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में सूचनाकर्ता को अधिकार पत्र प्रदाय करने के संबंध में। https://www.mppolice.gov.in/en/node/23974	243-244
45	प्रदेश में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) के कर्त्तव्य। https://www.mppolice.gov.in/en/node/24567	245-249

महिला अपराध अनुसंधान को दृष्टिगत रखते हुये अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के महत्वपूर्ण परिपत्र

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्रं.
1	पत्रकारों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके विरुद्ध चले रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुरावलोकन विषयक्।	250-254
2	आपराधिक प्रकरणों में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) बावत्।	255-261
3	गंभीर अपराधों में खात्मा/खारजी भेजने के संदर्भ में निर्देश हेतु।	262-263
4	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित केस डायरी PDF File अथवा Electronic Format में Convert कर उचित माध्यम से प्रस्तुत करने विषयक्।	264-266
5	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का पुलिस अभिरक्षा में अनिवार्यतः चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में।	267-270

अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान

क्र.	परिपत्र	पृष्ठ क्रं.
1	यौन अपराध पीड़िता के अधिकार।	271
2	यौन अपराध में 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के अधिकार।	273

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No41/ अति.ग.नि. / महिलाअपराध / P.A./41-E/ Dt. 16 /07/2019

परिपत्र

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल
एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)
मध्यप्रदेश।

विषयः– बलात्कार के प्रकरणों में डी.एन.ए परीक्षण कराये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (Mechanism) का निर्धारण।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा एमसीआरसी नं.38165 / 2018 में पारित निर्णय दि.02 / 04 / 2019 के पालन में धारा 376 भादवि के प्रकरणों में डी.एन.ए परीक्षण कराने के लिये निम्न प्रक्रिया(Mechanism) आदेशित की जाती है–

क्र	जिम्मेदारी अधिकारी	की जाने वाली कार्यवाही	अधिकतम समय–सीमा
01	महिला पुलिस अधिकारी	एफ.आई.आर लेख किया जाना।	अविलंब
02	विवेचना अधिकारी	1.एम.एल.सी फार्म भरना, पीड़िता को एम.एल.सी हेतु भेजना । (ii) अस्पताल से ही सूचना आने पर अस्पताल जाकर उपरोक्त कार्यवाही करना।	अविलंब / प्रथम उपलब्ध अवसर पर
		2.(i) मेडिकल जांच में डॉक्टर द्वारा जप्त किये गये सेम्पल जैसे वैजाइनल स्लाईड, कपडे, प्यूबिक हेयर, स्वैब आदि का मेडिकल परीक्षण उपरांत चिकित्सालय से संग्रह, थाना लाना, जप्ती बनाना, मालखाना सुरक्षित रखना।	एम.एल.सी रिपोर्ट के साथ ही हमराह गये स्टॉफ द्वारा ही वापसी में लाया जाकर थाने में पेश किया जावेगा।
		(ii) पीड़िता महिला के गर्भवती पाये जाने पर गर्भपात उपरांत भ्रूण / डिलीवरी उपरांत शिशु / माता–शिशु की मृत्यु होने पर इसका डी.एन.ए सैम्पल संग्रह करना।	गर्भपात / डिलीवरी के तुरंत बाद उपरोक्त क्रमांक 2.(i) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
		3.सेम्पल परीक्षण हेतु ड्राफ्ट तैयार कर आवश्यक दस्तावेज के साथ बायोलॉजिकल / सीरोलॉजिकल / डी.एन.ए.परीक्षण हेतु आर.एफ.एस.एल / एफ.एस.एल सैम्पल जमा कराना।	03 दिवस

		4.एफ.एस.एल / आर.एफ.एस.एल से रिपोर्ट प्राप्त करना, वापस प्राप्त सैम्पल सुरक्षित रखना; शुक्राणु की उपस्थिति की धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वापस प्राप्त शेष सेम्पल आवश्यक ड्राफ्ट बनवाकर पु.अ. से अनुमति लेकर डी.एन.ए परीक्षण हेतु भेजना।	07 दिवस
		5. यदि पीड़ित महिला के सैम्पल सीधे ही डी.एन.ए लैब डी.एन.ए परीक्षण के लिये भेजे जाने है, तो सैम्पल प्राप्त कर, आवश्यक ड्राफ्ट बनवाया जाना, पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेना और डी.एन.ए लैब भेजा जाना।	03 दिवस
		6.आरोपी के गिरफ्तार होने पर आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराना; डी.एन.ए परीक्षण हेतु सैम्पल जैसे आरोपी का रक्त, सीमन स्लाड, प्यूबिक हेयर, कपडे आदि प्राप्त करना, सैम्पल डी.एन.ए लेब परीक्षण हेतु आवश्यक ड्राफ्ट बनवाकर पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर भिजवाना।	03 दिवस
		7.डी.एन.ए परीक्षण उपरांत डी.एन.ए लैब से सूचना प्राप्त होने पर रिपोर्ट प्राप्त करना, डायरी सलग्न करना, रोजनामचा एव जरायम रजिस्टर में दर्ज करना, चालान पेश हो चुकने की स्थिति मे रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायालय के चालान प्रपत्रों में लगवाना और पैरवी कर रहे अभियोजक को सूचित करना।	07 दिवस
	विवेचना अधिकारी (महिला पुलिस अधिकारी / महिला अधिकारी)	8 धारा 161 जाफौ के अतर्गत पीड़िता महिला का कथन	यथाशीघ्र / प्रथम उपलब्ध अवसर पर
03	थाना प्रभारी	01 विवेचक द्वारा की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा करना एव सुधारात्मक उपाय करना, विवेचक को समय–समय पर आवश्यक निर्देश, सलाह एवं सहायता करना। 02 विवेचक द्वारा लापरवाही किये जाने पर प्रतिवेदन भिजवाना।	उपरोक्तानुसार समय–समय पर समय–सीमा का पालन करते हुये यथाशीघ्र

04	नगर पुलिस अधीक्षक /उप पुलिस अधीक्षक /अनु.अधिकारी पुलिस	विवेचना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण; लापरवाही होने पर जिला पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	प्रत्येक 15 दिवस में न्यूनतम एक बार; यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
05	अति0 पुलिस अधीक्षक /जिलापुलिस अधीक्षक	01.समीक्षा ; प्राप्त प्रतिवेदन का निराकरण ;आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों /पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजना।	01 माह
		02.दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।	03 माह

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया एवं आदेश बाध्यकारी है। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जांच कर विभागीय कार्यवाही की जावे। आदेश की प्रति सभी थानों को भेजी जावे और सभी विवेचकों को नोट कराई जावे।

6/2/19.

(वी.के.सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:- ।

(1) अति0पुलिस महानिदेशक(तक,सेवाए)/अअवि./अजाक/रेल पुमु, भोपाल।
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक(रेल सहित) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(3) निदेशक, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(5) समस्त पुमनि/उमनि/समनि(महिला अपराध शाखा)भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर की ओर, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6/2/19.

पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र / पुमु / म0अप0 / W-11 / 4934 / 19 भोपाल दिनांक 24 / 07 / 2019

प्रति

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर) भोपाल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर
(2) समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
(3) पुलिस अधीक्षक रेल–भोपाल,इंदौर, जबलपुर

विषय –पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को प्रेषित करने विषयक।

संदर्भ –(1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / महिला अपराध / परिपत्र / W-2 / 3880 / 19 दि 29.06.2019
(2) लोकसभा पत्र क्रमांक / फाईल न / 15019 / 2018-SC/ST-W Date 24th JUNE,2019

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पात्र पीड़ितो के विषय मे प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न केवल तत्काल पीड़ित / सूचनाकर्ता / पीड़ित के संरक्षक या आश्रित और संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को दी जाना है अपितु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रति पृथक से प्रेषित की जाना है। कृपया अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करावे।

2 यदि पंजीबद्ध प्रकरणो मे किसी प्रकरण मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह प्रतिलिपि दी जाना रह गई हो तो अब तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

3 इसके अतिरिक्त पीड़ित / पीड़ित के संरक्षक / पीड़ित के आश्रित को मेडिकल जाँच रिपोर्ट / शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रति भी दी जावे ताकि वे जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकर के लिये आवेदन कर सके।

4 पीड़ित / आश्रित / संरक्षक को पीड़ित प्रतिकर योजना मे प्रतिकर के लिये आवेदन देने मे संबंधित थाना प्रभारी एवं विवेचक द्वारा आवश्यक मदद की जावे।

5 लोकसभा प्रश्न मे उल्लेखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश की प्रति भी सुलभ संदर्भ के लिये उपलब्ध है। आदेश मे संदर्भित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है की प्रति भी संलग्न है। दिनांक 25 / 06 / 2019 को हुई विडियो कान्फ्रेंस मे भी इस विषय मे आप सभी को निर्देश दिये गये है। इसके कार्यवृत्त भी आपको पत्र क्रमांक दिनांक 27 / 06 / 2019 भेजे जा चुके है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अन्देष भगतम)
अति पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अति पुलिस महानिदेशक अ0अ0चि0 / अजाक / रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल।
2 अति0पुलिस महानिदेशक एस सी आर बी को परिपत्र की प्रति म0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3 अति पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन इंदौर
4 समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक (रेल जोन सहित)।
5 समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज म0प्र0।
6 समस्त पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन म0प्र0।
7 डी0डी0पी0 / स मं नि (महिला अपराध शाखा) पु मु भोपाल।
8 समस्त उपखण्ड प्रभारी महिला अपराध पु मु भोपाल।
9 उपखण्ड डब्ल्यू-1 को गार्ड फाईल स्मरण हेतु।

अति पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

Most Urgent / गोपनीय

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No./अति म नि / महिला अपराध / परिपत्र / नि स /128 /2019 Dt. 29/07/2019

परिपत्र

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)रेंज भोपाल।
(2) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर म.प्र.।
(3) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक(रेल सहित) मध्यप्रदेश।

विषय:– महिला संबधी अपराधों में देरी से पंजीयन का विश्लेषण के संबंध में ।

संदर्भ:– पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र / File New No 36/अति म नि / महिला अपराध / P.A. /36 - A/2019 Dt 10/01/2019

महिला संबधी अपराधों में उपरोक्त पत्र के क्रम में जिलो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर देरी से कायमी–आंकडो का संकलन एवं विश्लेषण करने पर पाया गया कि वर्ष 2018 में कुल 44094 अपराधों में से 11,419 अपराध (लगभग 25 प्रतिशत) एक दिन या उससे अधिक देरी से कायम किये गये इसमें से 8,830 प्रकरणों में पीडित फरियादी के ही देरी से रिपोर्ट करना बताया गया है। अपराध पंजीयन की पुलिस की जिम्मेदारी उस समय प्रारंभ होती है जब पुलिस को सीधे पीडित या अस्पताल या अन्य किसी भी माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त हो जावे और पुलिस के द्वारा आवेदन जॉच, मेडिकल साक्ष्य जॉच या मर्ग जॉच या 'परामर्श' या शून्य पर कायमी आदि के कारण किसी भी प्रकार की प्रकिया अपनाये जाने से देरी हुई हो अथवा फरियादी / सूचनापत्र की लिखित / मौखिक सूचना पर अपराध कायम करने के स्थान पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही हो।

(2) 700 प्रकरणों मे देरी का कारण 'आवेदन जॉच', 502 प्रकरण एम.एल.सी. जॉच और 776, प्रकरणो मे अन्य कारण बताये गये हैं। 485 प्रकरण 'शून्य' पर अन्य जिलों / थानों पर कायम होकर आने से देरी से कायम हुये। इस प्रकार 2463 मामले (लगभग 5 प्रतिशत) पुलिस के द्वारा जॉच प्रकिया आदि के कारण देरी से कायम हुये।

(3) महिलाओ के विरूद्ध अपराधों में धारा 498–ए में आवेदन जॉच या 'परामर्श' प्रकिया तथा धारा 304–बी के मामलों में मर्ग जॉच के कारण प्रकरण प्राय: काफी समय बाद पंजीयन होते हैं। वर्ष 2018 मे पूरे प्रदेश में 4129 मामले धारा 498–ए मे तथा 536

मामले 304–बी तथा 6565 प्रकरण धारा 363, 366 भादवि के पंजीयन हुये। अतः ऑकडों का पुनः सटीक विश्लेषण की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षकगण अपने–अपने जिलों से भेजी गई जानकारी का अध्ययन करें और "असामान्य" स्थिति नोटिस कर सुधारात्मक उपाय करावें।

(4) पुलिस को सूचना प्राप्त होने के बाद अपराध पंजीयन में लगने वाले समय में कमी लाने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय मामलों में प्रकरण के संज्ञेय होने या न होने की मामलो के पंजीयन पूर्व जॉच के लिये 15 दिन की अधिकतम समय–सीमा निर्धारित की है।

(5) कई प्रकरणों मे महिलाओं के द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि पारिवारिक विवाद/घरेलू प्रताडना की शिकायत पर "परामर्श" के बहाने थानो मे कई–कई माह तक प्रकरण कायम नहीं होते है। इसी प्रकार DSR के अध्ययन से प्रकट है कि महिला की मृत्यु पर कुछ मामलों में मर्ग कायम होने के बाद कई–कई माह बाद धारा 304–बी या हत्या का प्रकरण कायम होता है।

(6) अतः आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों में समय सीमा का मापदंड निर्धारित किया जावे और इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जावे।

प्रस्तावित है कि निम्नानुसार समय सीमा तय की जावे–

(i) मर्ग जांचें – 15 दिवस

(ii) मृत्यु पूर्व कथन मे संज्ञेय अपराध बताने पर – 07 दिवस

(iii) परिवार परामर्श – 30 दिवस

(iv) मेडीकल जांच/सान्हा जांच/आवेदन जांच – 15 दिवस

(v) शून्य पर प्रकरण पु.अ. कार्यालय/अ.पु.अ./अ.अ.पु./थाने मे प्राप्त होने पर – 01 दिवस

(vi) शून्य पर प्रकरण अन्य जिलों/थानों को भेजना – 01 दिवस

(vii) यदि इस प्रकार की कोई और परिस्थिति हो, जिसका वर्णन ऊपर नही किया गया हो – 07 दिवस

(viii) धारा 156(3) मे न्यायालय का आदेश मिलने पर – 01 दिवस

(ix) यदि उपरोक्त समय सीमा में युक्तियुक्त कारण से निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो– तो अ.अ.पु./न.पु.अ./उ.पु.अ. एवं अ.पु.अ. की अनुशंसा पर जिला पु.अ. द्वारा अतिरिक्त 07 दिवस दिये जा सकते है।

(x) यदि तथापि निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो तो – रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक की अनुशंसा पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा और अतिरिक्त 07 दिवस दिये जा सकते है।

(7) अतः सभी पर्यवेक्षण अधिकारी(नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/अति0पुलिस अधीक्षक), जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक,

जोनल पुलिस महानिरीक्षक प्रकरणों के समय पर कायमी की स्थिति की लगातार समीक्षा करें और उपयुक्त प्रकरणों में देरी से कायमी के लिये निरन्तर जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही करें।

(8) **उपरोक्त बिन्दु कमांक 06** के विषय में 01 माह में सुझावों से अवगत करावे। यदि इस विषय पर कोई न्यायालय निर्णय, एवं विभागीय निर्देश पूर्व से ही हो, तो उसे भी संलग्न करें ताकि "मानकीकरण" किया जा सके और अधीनस्थों को विभागीय नीति की स्पष्ट जानकारी हो सके।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

29/7/15

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
(2) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
(3) पु.म नि / उ.म.नि. / स.म नि.(महिला अपराध) जबलपुर, भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर कीं ओर सूचनार्थ ।
(4) प्रभारी डब्ल्यू–01, रिकार्ड संधारण हेतु।

29/7/15

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
Tel 0755-2443568 (office)/ Fax 0755-2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W-2/75 / 19 4985 / 2019 भोपाल दिनांक - 21 / 08 / 19

प्रति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल, इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
एवं पुलिस अधीक्षक रेल
मध्य प्रदेश

विषय - The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act 2019 के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक।

---00---

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि भारत शासन द्वारा The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act 2019 दिनांक 06.08.19 को पारित किया गया है। जिसके अंतर्गत बच्चो के विरूद्ध लगातार बढते यौन अपराधो के दृष्टिगत् भारत शासन द्वारा और अधिक संवेदनशील होते हुये लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के दाण्डिक प्रावधानो को कठोर से कठोरतम करते हुये हाल ही मे लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 मे संशोधन किया गया है।

उक्त अधिनियम की प्रति आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। अतः The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act 2019 के प्रावधान के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W-2/74/ 4985 / 2019 भोपाल दिनांक 21 / 08 / 2019

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(1) अति0 पुलिस महानिदेशक (अअवि) / अजाक / रेल म.प्र.।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक (SCRB) कृपया परिपत्र म.प्र. पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं CCTNS Software मे अधिनियम सम्मिलित करने हेतु।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(5) पुमनि / उमनि / समनि (महिला अपराध) भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर।
(6) सहायक (महिला अपराध) / उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) पुमु / परिपत्र की गार्ड फाइल।
(7) समस्त खण्ड प्रभारी महिला अपराध पुमु म.प्र.।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—19 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 44] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/ श्रावण 15, 1941 (शक)
No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 06th August, 2019/Shravana 15, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 5th August, 2019, and is hereby published for general information:—

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES (AMENDMENT) ACT, 2019

No. 25 OF 2019

[*5th August*, 2019.]

An Act further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

32 of 2012.

Amendment of section 2.

2. In the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,—

(*a*) in sub-section (*1*), after clause (*d*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*da*) "child pornography" means any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, and image created, adapted, or modified, but appear to depict a child;';

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2694] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2019/श्रावण 25, 1941
No. 2694] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2019/SHRAVANA 25, 1941

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(सीडब्ल्यू-I अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

का.आ. 2957(अ).—यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (2) में यथानिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि घोषित करती है।

[फा. सं. 30/2/2018-सीडब्ल्यू-I]

आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(CW-I Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

S.O. 2957(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019 (25 of 2019), the Central Government hereby appoints the 16th August, 2019 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 30/2/2018-CW-II]

AASTHA SAXENA KHATWANI, Jt. Secy.

1219 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(*b*) in sub-section (2), for the words, brackets and figures "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000", the words, brackets and figures "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015" shall be substituted. 56 of 2000 2 of 2016

Amendment of section 4.

3. In the principal Act, section 4 shall be renumbered as section 4(*1*) thereof and—

(*a*) in sub-section (*1*) as so renumbered, for the words "seven years", the words "ten years" shall be substituted;

(*b*) after sub-section (*1*), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(*2*) Whoever commits penetrative sexual assault on a child below sixteen years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine.

(*3*) The fine imposed under sub-section (*1*) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.".

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act,—

(*I*) in clause (*j*),—

(*A*) in sub-clause (*i*), the word "or" occurring at the end shall be omitted;

(*B*) in sub-clause (*iii*), the word "or" occurring at the end shall be omitted;

(*C*) after sub-clause (*iii*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*iv*) causes death of the child, or";

(*II*) in clause (*s*), for the words "communal or sectarian violence", the words "communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations" shall be substituted.

Substitution of new section for section 6.

5. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Punishment for aggravated penetrative sexual assault.

"6. (*1*) Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine, or with death.

(*2*) The fine imposed under sub-section (*1*) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.".

Amendment of section 9.

6. In section 9 of the principal Act,—

(*i*) in clause (*s*), for the words "communal or sectarian violance", the words "communal or sectarian violence or during any natural calamity or in any similar situations" shall be substituted;

(*ii*) after clause (*u*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*v*) whoever persuades, induces, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance, to a child with the intent that such child attains early sexual maturity;".

Substitution of new section for section 14.

7. For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Punishment for using child for pornographic purposes.

"14. (*1*) Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years and shall also be liable to fine, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which shall not be less than seven years and also be liable to fine.

(2) Whoever using a child or children for pornographic purposes under sub-section (*1*), commits an offence referred to in section 3 or section 5 or section 7 or section 9 by directly participating in such pornographic acts, shall be punished for the said offences also under section 4, section 6, section 8 and section 10, respectively, in addition to the punishment provided in sub-section (*1*).".

Substitution of new section for section 15.

8. For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Punishment for storage of pornographic material involving child

"15. (*1*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child, but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority, as may be prescribed, with an intention to share or transmit child pornography, shall be liable to fine not less than five thousand rupees, and in the event of second or subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees.

(*2*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting, as may be prescribed, or for use as evidence in court, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

(*3*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than three years which may extend to five years, or with fine, or with both, and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment of either description which shall not be less than five years which may extend to seven years and shall also be liable to fine.".

Amendment of section 34.

56 of 2000.
2 of 2016.

9. In section 34 of the principal Act, for the words, brackets and figures "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000", the words, brackets and figures "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015" shall be substituted.

Amendment of section 42.

45 of 1860.
21 of 2000.

10. In section 42 of the principal Act, for the figures, letter and words "376E or section 509 of the Indian Penal Code", the figures, letters and words "376E, section 509 of the Indian Penal Code or section 67B of the Information Technology Act, 2000" shall be substituted.

Amendment of section 45.

11. In section 45 of the principal Act, in sub-section (2), clause (*a*) shall be re-lettered as clause (*ab*) thereof and before clause (*ab*) as so re-lettered, the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*a*) the manner of deleting or destroying or reporting about pornographic material in any form involving a child to the designated authority under sub-section (*1*) of section 15;

(aa) the manner of reporting about pornographic material in any form involving a child under sub-section (2) of section 15;".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

MGIPMRND—2468GI(S3)—06-09-2019.

E-mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
Tel 0755–2443568 (office)/Fax 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W-2 / 74 / 19 /2019 भोपाल, दिनांक – / 08 / 19

प्रति

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर), भोपाल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
एवं पुलिस अधीक्षक, रेल
मध्य प्रदेश

विषय – Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act-2019 के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक।

——00——

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि संसद द्वारा Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act-2019 दिनांक 31.07.19 को पारित किया जाकर कानून के तौर पर अधिसूचित हो चुका है।

उक्त अधिनियम की प्रति आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। कृपया इसका अध्ययन करें और अपने–अपने क्षेत्राधिकार मे तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W-2/74/ 332 /2019 भोपाल दिनांक 27/08/2019

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) अति0 पुलिस महानिदेशक (अअवि)/अजाक/रेल म.प्र.।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक (SCRB) कृपया परिपत्र म.प्र. पुलिस की वैबसाइट पर अपलोड करने एवं CCTNS Software मे अधिनियम सम्मिलित कर अवगत कराने हेतु।
(3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(5) पुमनि / उमनि / समनि (महिला अपराध) भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
(6) समनि (महिला अपराध)/उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) पु.मु. म0प्र0।
(7) समस्त खण्ड प्रभारी, महिला अपराध पुमु म.प्र.।
(8) उपखण्ड डब्ल्यू–1 को गार्ड फाइल मे संधारण हेतु।

26/8/19

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—19 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 39] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2019/ श्रावण 9, 1941 (शक)

No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2019/SHRAVANA 9, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 31st July, 2019/Shravana 9, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st July, 2019, and is hereby published for general information:—

THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ACT, 2019

No. 20 of 2019

[31*st July*, 2019.]

An Act to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019.

(*2*) It shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(*3*) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of September, 2018.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*r*) of sub-section (*1*) of section 2 of the Information Technology Act, 2000; 21 of 2000.

(*b*) "Magistrate" means a Judicial Magistrate of the first class exercising jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, 1973, in the area where the married Muslim woman resides; and 2 of 1974.

(*c*) "*talaq*" means *talaq-e-biddat* or any other similar form of *talaq* having the effect of instantaneous and irrevocable divorce pronounced by a Muslim husband.

CHAPTER II

DECLARATION OF TALAQ TO BE VOID AND ILLEGAL

Talaq to be void and illegal

3. Any pronouncement of *talaq* by a Muslim husband upon his wife, by words, either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever, shall be *void* and illegal.

Punishment for pronouncing *talaq*

4. Any Muslim husband who pronounces *talaq* referred to in section 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

CHAPTER III

PROTECTION OF RIGHTS OF MARRIED MUSLIM WOMEN

Subsistence allowance

5. Without prejudice to the generality of the provisions contained in any other law for the time being in force, a married Muslim woman upon whom *talaq* is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance, for her and dependent children, as may be determined by the Magistrate.

Custody of minor children

6. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a married Muslim woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of pronouncement of *talaq* by her husband, in such manner as may be determined by the Magistrate.

Offence to be cognizable, compoundable, etc.

7. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973,— 2 of 1974.

(*a*) an offence punishable under this Act shall be cognizable, if information relating to the commission of the offence is given to an officer in charge of a police station by the married Muslim woman upon whom *talaq* is pronounced or any person related to her by blood or marriage;

(*b*) an offence punishable under this Act shall be compoundable, at the instance of the married Muslim woman upon whom *talaq* is pronounced with the permission of the Magistrate, on such terms and conditions as he may determine;

(*c*) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail unless the Magistrate, on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom *talaq* is pronounced, is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person.

Repeal and savings

8. (*1*) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 is hereby repealed. Ord. 4 of 2019.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019, shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act. Ord. 4 of 2019.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

MGIPMRND—2272GI(S3)—31-07-2019

//पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल//

क्रमांक पु0मु0/अमनि/म0अप0/W-9/19/5866 दिनांक: 3 /10/19

प्रति,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः– तीन माह से अधिक अवधि से लंबित महिला संबंधी अपराधों के निराकरण विषयक्।

परिपत्र

महिला संबंधी अपराधो की समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित गंभीर अपराधो { महिला अपराधो की श्रेणी एवं अन्य विषय जिनका अनुश्रवण महिला अपराध शाखा मे होता है, (सूची संलग्न) } मे से कॉफी प्रकरण लंबे समय से विवेचना मे लंबित बताये जा रहे है। इनमें से कई प्रकरणो मे अनुसंधान अधिकारियो द्वारा तत्परता से अनुसंधान नही करने तथा पर्यवेक्षणकर्ता राजपत्रित अधिकारियो एवं पुलिस अधीक्षको द्वारा उचित पर्यवेक्षण एवं समीक्षा के आभाव की संभवना से इंकार नही किया जा सकता है।

बालिकाओं के साथ लैंगिक हमलो के प्रकरणों में दो माह में विवेचना पूर्ण करने का वैधानिक प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्र फाईल नं 14 /अमनि/म.अप./निस/14/18 दिनांक 17.07.2018 एवं क्रमांक फाईल न 1/पु.मु./अमनि/म.अप/निस/परिपत्र/45/19/दिनांक 07.03.2019 द्वारा बलात्कार के सभी प्रकरणो मे दो माह में विवेचनापूर्ण करने के निर्देश है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक माह में विवेचना पूर्ण करने के निर्देश है। यद्यपि अन्य मामलो मे कोई स्पष्ट निर्धारित समय–सीमा नहीं है किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि प्रकरण अनिश्चित काल के लिए विवेचना मे रखे जावेंगे। विधि की अपेक्षा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण होने की है। समय–समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा पर्यवेक्षक जोन पुलिस महानिरीक्षक/रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षको को विवेचना मे लंबित प्रकरणों के परिपत्रो में निर्धारित समय सीमा/शीघ्र से शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये जाते रहे है तथा उनसे नियमित समीक्षा की अपेक्षा भी की जाती रही है।

विवेचना मे लंबे समय तक प्रकरण लंबित रहने से साक्ष्य प्रभावित/समाप्त होता है आरोपी को गैर–न्यायिक प्रक्रिया से लाभ मिलता है और पीडितो मे पुलिस के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है। अतः आवश्यक है विवेचनाधीन प्रकरणो का तत्परता से विवेचनापूर्ण कर न्यायालय से निराकरण कराया जाये।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निर्देशित किया जाता है कि:–

(1) किसी कानून न्यायालय निर्णय/निर्देश, पु.मु. आदेश/परिपत्र/निर्देश/ में तीन माह से कम की समय सीमा निर्धारित ना होने पर सामान्यतया तीन माह मे विवेचना पूर्ण कर ली जावे।

(2) अतः वर्तमान मे तीन माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणो को लक्ष्य निर्धारित कर निराकृत किया जाये और लापरवाही करने वाले अधिकारियो को दण्डित किया जाये।

(3) इस परिपत्र के माध्यम से स्थायी निर्देश जारी किये जाते है कि क 01 के अधीन रहते हुए महिला संबंधी प्रत्येक प्रकरण को तीन माह मे विवेचना पूर्ण ना होने पर आगे विवेचना जारी रखने के लिये विवेचक थाना प्रभारी द्वारा प्रथमतया प्रत्येक प्रकरण पृथक–2 जिला पुलिस अधीक्षक से आदेश प्राप्त किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक एक बार मे अधिक से अधिक 01 माह एवं अधिकतम तीन बार (तीन अतिरिक्त माह) तक के लिये अनुमति दे सकेंगे। 06 माह से अधिक विवेचना लंबित रखने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक एक बार मे अधिकतम दो माह और कुल

अधिकतम तीन बार (06 माह तक) विवेचना जारी रखने की अनुमति दे सकेंगे। इसके बाद यानि कि एक वर्ष से अधिक विवेचना जारी रखने के लिये जोनल महानिरीक्षक एक बार मे तीन अतिरिक्त माह के लिये अनुमति दे सकेंगे।

(4) प्रत्येक अधिकारी प्रकरण की विवेचना की समीक्षा करते हुये पर्यवेक्षण निर्देश जारी करते हुये स्वयं पूर्ण,सकारण (speaking) आदेश जारी करेंगे। अधीनस्थ अधिकारी आदेश की प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेंगे। प्रत्येक आदेश मे विवेचना पूर्ण करने की नई समय–सीमा निर्धारित होगी।

(5) उपरोक्त निर्देश धारा 173(8) द.प्र.स के अधीन व लंबित विवेचना पर भी लागू होंगे। जिन प्रकरणो मे आरोपी के विरुद्ध गिरफतारी योग्य साक्ष्य होने से और उसकी गिरफतारी की अपेक्षा होते हुए भी उसकी गिरफतारी न होने से चालान पेश करते हुए मान. विचारण न्यायालय से धारा 299 द.प्र.स के अंतर्गत उसकी अनुपस्थिति मे विचारण ग्राहय किया जाने के निवेदन के साथ चालान पेश किया जा रहा है। ऐसे प्रकरणो मे भी यह परिपत्र लागू होगा । यदि ऐसे आरोपी से कोई जप्ती होनी है अथवा साक्ष्य के तौर पर उसका मेडीकल परीक्षण कराया जाना है। तो भी विवेचना लंबित ही मानी जावेगी।

अतः लंबित प्रकरणो के निराकरण हेतु प्रथम पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को लक्ष्य देवे एवं लक्ष्य पूर्ति हेतु समय–सीमा निर्धारित करे। निर्धारित समय–सीमा मे लक्ष्य पूर्ति न कर पाने के प्रकरणो मे जिम्मेदारी निर्धारित कर उपयुक्त प्रकरणो मे विभागीय जांच आदेशित करावे। परिपत्र की प्रति प्रत्येक ए.एस.पी. डी.एस.पी. सी.एस.पी. एस.डी.ओ.पी एवं थाना प्रभारी का प्रेषित की जाकर पावती जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रिकार्ड मे संधारित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(वी0के0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / पु0मु0 / अमनि / म0अप0 / 5806 / 19 दिनांक 03 / 10 / 19

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता / अ.अ.वि / अजाक / रेल) मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पु.मु. भोपाल, परिपत्र म.प्र. पुलिस की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज मध्यप्रदेश।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल रेंज शहर / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इंदौर, समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश (रेल सहित) उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने हेतु।
5. पुमनि / उमनि / समनि महिला अपराध समस्त महिला अपराध जोन, अपने–अपने क्षेत्राधिकार के जिलो मे उपरोक्तानुसार समय–सीमा मे कार्यवाही करावे तथा लंबित अपराधो की सीसीटीएनएस से जानकारी बनाकर मासिक सूची प्रस्तुत करे।
6. DDP / समनि–1 / समनि–2 , महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल (म0अ0)।
7. निज सहायक अमनि महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल (म0अ0)।
8. समस्त खण्ड प्रभारी महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल (म0अ0)।
9. परिपत्र नस्ती उपखंड W-1 की ओर गार्ड फाईल मे संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश भोपाल

महिलाओं / बालिकाओं पर घटित अपराधों की श्रेणियाँ जिनका महिला अपराध शाखा में अनुश्रवण होता है

क्र	अपराध शीर्ष
1	बलात्संग सहित हत्या (376,302 भा द वि)
2	महिला की हत्या
3	सामूहिक बलात्संग (376–घ भा द वि)
4	बलात्संग (376 क,ख,ग,ड भा द वि)
5	बलात्संग का प्रयास (376,511 भा द वि)
6	अपहरण एव व्यपहरण (केवल महिला / बालिका) (363,364,366,भा द वि)
7	विदेश से महिला का आयात करना (366बी भा द वि)
8	दहेज हत्या (304बी भा द वि)
9	दहेज प्रताडना (498ए भा द वि)
10	शीलभग (354 क,ख,ग,घ भा द वि)
11	लज्जा भग करना (509 भा द वि)
12	आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करना (305, 306 भा.द.वि) (केवल महिला एव बालिका के प्रकरण)
13	कन्या भ्रूण हत्या (312 से 318 भा द वि)
14	मानव दुर्व्यापार (370,371,372,373 भा द वि) (महिला पुरूष सभी के प्रकरण)
15	ऐसिड अटैक (केवल महिला) (326ए, 326बी भा द वि)
	विविध अधिनियम
16	लैगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 (बालिका बालक दोनो के प्रकरण)
17	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
18	सती (निवारण) अधिनियम 1961
19	अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
20	घरेलू हिसा अधिनियम 2005
21	बाल विवाह अधिनियम 1929
22	मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो का सरक्षण अधिनियम 2019
23	स्त्री अशिष्ट रूपण(प्रतिषेध) अधिनियम 1986
24	गर्भाधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिग चयन प्रतिशेध) अधिनियम 1994
25	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971
26	किशोर न्याय(बालको की देखरेख) सरक्षण अधिनियम 2015
27	महिलाओ मर्ग जाच प्रकरण
28	महिलाओ के गुम इसान प्रकरण
	अन्य विषय
29	उल्लेखित समस्त श्रेणियो मे पजीबद्ध अपराधो की विवेचना मे सहायक तकनीकी ससाधनो की योजना / व्यवस्था / पत्राचार / अभिमत
30	महिला आवेदक द्वारा किसी भी प्रकरण मे - स्वय उपस्थित होकर पुलिस मुख्यालय मे प्रस्तुत महानिदेशक महोदय को प्रस्तुत शासन को प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही

	राष्ट्रीय एव राज्य महिला आयोग द्वारा सज्ञान में लिये गये मामले
32	राष्ट्रीय एव राज्य मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सज्ञान मे लिये गये ऐसे मामले जो महानिदेशक महोदय द्वारा अनुश्रवण हेतु महिला अपराध शाखा को पृष्ठांकित किये जाते है।
33	उपरोक्त विषयों से सबधित माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एव अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय / आदेश / पत्राचार
34	भारत सरकार के गृह मत्रालय(महिला सुरक्षा प्रभाग) एव महिला एव बाल विकास विभाग, राज्य सरकार के महिला तथा बाल विकास विभाग से पत्राचार
35	उपरोक्त समस्त श्रेणियो के अपराधों, सूचनाओ की D.S.R. का अध्ययन, विश्लेषण एव अनुश्रवण
36	उपरोक्त समस्त श्रेणियो के अपराधो के ट्रॉयल की प्रगति की समीक्षा, समन्स / वारण्ट तामीली की समीक्षा, धारा 125 द.प्र.स. के अन्तर्गत न्यायालयो से जारी समन्स / वारण्ट नोटिस की तामीली की समीक्षा
37	पीडित प्रतिकर योजना का जिला / थाना स्तर पर भूमिका के निर्वहन की समीक्षा, महिला पीडितो को विधिक सहायता
38	परामर्श केन्द्र महिला हेल्प लाईन, महिला डेस्क, महिला सेल, महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहीयॉ, जागरूकता एव प्रचार प्रसार, स्पेशल (परामर्श) सेल, निर्भया मोबाईल, शक्ति / मैत्री मोबाईल।

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

कमांक / File No / अति म नि / महिलाअपराध / P.A./ 178 / 19 Dt. 17/10/2019

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर म.प्र.

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित) मध्यप्रदेश।

विषयः– वारंटी / फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दिशा–निर्देश।

अक्सर कई प्रकरणों में देखा जा रहा है कि गंभीर प्रकरणों में विवेचना अधिकारियों द्वारा वारंटी / फरार आरोपियों के संबंध में यह लेख किया जाता है कि तलाश के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं अथवा पुरस्कार की उद्घोषणा कराई गई है। किसी भी प्रकरण में फरार अभियुक्त की तलाश के लिये अनुसंधान के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त की पतारसी के संबंध में क्या–क्या प्रयास किये जाने चाहिये इस हेतु मुख्यालय स्तर पर 01 से लेकर 71 प्रश्नों की एक "चैकलिस्ट" तैयार की गई है। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने तीन कॉलम "हां" "नहीं" तथा "लागू नहीं" दिये गये है। उपरोक्त चैकलिस्ट में प्रकरण में की गई कार्यवाही अनुसार कोष्टक में "सही" का चिन्ह अंकित किया जाना है। वर्णित चैकलिस्ट अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षण अधिकारी / थाना प्रभारी / विवेचकों को भेजी जावे एवं उनसे लिखित राय भी प्राप्त की जावे। विशेषकर जघन्य अपराधों में विवेचक / थाना प्रभारी द्वारा वारंटी / फरार अपराधियों के संबंध में संलग्न चैकलिस्ट अनुसार क्या प्रकरण में ये प्रयास किये गये थे उक्त संबंध में टीप प्राप्त की जावे।

वर्णित चैकलिस्ट के संबंध में यदि आपके कोई सुझाव / अन्य कोई टीप दी जानी हो तो अतिशीघ्र पुलिस मुख्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

प्रतिलिपिः–कृपया वर्णित संलग्न गिरफ्तारी हेतु तैयार की गई चैकलिस्ट में सुझाव / टीप देने हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) पु मु भोपाल।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक अ अ वि / गुप्तवार्ता / अजाक / रेल / पु मु भोपाल म.प्र.।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक भोपाल इंदौर ग्वालियर, चम्बल होशंगाबाद म.प्र.
(4) जोनल पुलिस महानिरीक्षक सागर जबलपुर रीवा, शहडोल, उज्जैन, बालाघाट म.प्र.।
(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(6) पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) जबलपुर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर म.प्र.।
(7) सहा0 पुलिस महानिरीक्षक I एवं II / उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) पु मु भोपाल।

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी / गिरफ्तारी वारंट की तामीली के संबंध में प्रयासों की सूची

आरोपी / वारंट्री / फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिये विवेचक / वारंट तामील करने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की चैक लिस्ट

स.क	आपके द्वारा की गई कार्यवाही	हाँ	नहीं	लागू नहीं
1	क्या अभी तक की विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी योग्य साक्ष्य है ?			
2	क्या अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है ?			
3	क्या आरोपी से किसी वस्तु की जप्ती की जाना है।			
4	क्या आरोपी को थाने में थाना प्रभारी / विवेचक के समक्ष उपस्थिती हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में, धारा 91 / 160 द.प्र.स. का नोटिस जारी किया गया ?			
5	क्या उक्त नोटिस तामील किया गया ?			
6	क्या तामील करने हेतु नोटिस वर्तमान / स्थायी आवास / मूल निवास पर चस्पा किया गया ?			
7	क्या नियोक्ता / वरिष्ठ अधिकारियो को नोटिस की प्रति भेजी गई?			
8	क्या अभियुक्त / वारंटी की पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्ञात करने के लिए वंशवृक्ष (family tree) बनाकर परिवार के सभी सदस्यो से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई ?			
9	क्या अभियुक्त / वारंटी के उन पारिवारिक सदस्यों / निकट संबंधियों की जानकारी ली गई ?			
10	क्या ऐसे संबंधियो के ज्ञात निवास स्थानो पर जाकर अभियुक्त की तलाश की गई ?			
11	क्या वांछित की पत्नी एवं बच्चों के कार्यस्थल / स्कूल से पता किया गया ?			
12	क्या आरोपी का नाम निगरानी सूची, हिस्ट्रीशीट बदमाश, माफी A/B/C श्रेणी या गुण्डा सूची में है ?			
13	यदि हाँ तो इसकी निगरानी / जॉच पडताल का दायित्व किस बीट अधिकारी / स्टाफ का है । उसने कब-कब चैक किया ? क्या कभी उपस्थित पाया ? यदि हाँ तो उससे जानकारी ली या नहीं ?			
14	यदि कभी उपस्थित नही पाया, तो क्या उस अधिकारी / स्टाफ ने थाना प्रभारी को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत			

	की ? क्या थाना प्रभारी ने सबंधित नस्ती मे गत अवधि मे कोई टीप दर्ज की है ?			
15	अगर अनुपस्थित था, तो क्या पूर्व मे तत्समय चलन तहरीर / B.C. Roll (Bad Character Roll) जारी किया गया था ?			
16	क्या मोबाईल न की कैफ (Customer application form) से जानकारी लिया गया ?			
17	क्या वांछित का मोबाईल न की सीडीआर लेकर पूर्व की Most frequented location पता किया गया।			
18	वर्तमान मे यदि मोबाईल फोन का उपयोग हो रहा है तो live location पता किया गया है ? (वांछित, परिजन एवं साक्षियों के मोबाइल फोन नम्बरों का)			
19	क्या मोबाईल न की सीडीआर लेकर सबसे ज्यादा बात करने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की गयी है ?			
20	क्या वांछित के पत्नि / पति / सगे सम्बन्धी / मित्रों / संरक्षक / गाइड / हितैषी आदि जिनके ऊपर आश्रय / संरक्षण / बचाव / सिफारिश करने का संदेह हो, के कॉल डिटेल को मॉनिटर किया गया ?			
21	क्या स्कूल / कॉलेज / कार्यस्थल के सहपाठियों / मित्रों / सहकर्मियों से जानकारी ली गई ?			
22	क्या स्कूल / कॉलेज / कार्यस्थल से जुड़े वाट्सअप ग्रुप जुन एडमिन वांछित के संबंध मे पता किया गया?			
23	क्या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वाट्सअप ग्रुप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, आदि के अकाउण्ट पता करके उनसे जानकारी ली गई? (पब्लिक डोमेन से जानकारी निकालना, सबंधित एजेन्सीज से जानकारी लेना।)			
24	क्या गाम / मोहल्ले के चौकीदार / पंच / सरपंच / कोटवार और धर्म / जाति / समाज के प्रभावी व्यक्तियो से जानकारी लिया गया?			
25	क्या उपरोक्तानुसार मित्रों, सहयोगियों, कार्यस्थल / व्यवसाय से जुड़े सहयोगियों के विषय मे जानकारी लेकर पतारसी की गई ?			
26	क्या फरियादी / सूचना दाता से भी धैर्य पूर्वक बात करके वांछित / उसके परिवार / सहयोगियों / गारण्टी लेने वालो के विषय मे जानकारी ली गई ?			
27	क्या प्रकरण के अन्य साक्षियों से उपरोक्तानुसार जानकारी ली गई ?			
28	आरोपी के विरूद्ध / आरोपी के द्वारा दायर लंबित अन्य सिविल, क्रिमिनल न्यायालयों में दर्ज मामलो की जानकारी लेकर उसकी उनमे उपस्थिति की जानकारी ली गई ?			
29	क्या प्रकरण के अन्य सह–आरोपियों या वांछित के			

	विरूद्ध अन्य प्रकरणों के सह–आरोपियों से उपरोक्तानुसार जानकारी लिया ?			
30	क्या वांछित के अन्य प्रकरणों के जमानतदारों, गारण्टरों, बॉण्ड की राशि देने वालों से जानकारी लेना तथा दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करना सुनिश्चित किया गया ?			
31	क्या वांछित के पासपोर्ट / आधारकार्ड / पेनकार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस की जानकारी लेकर अभियुक्त की तलाश किया जाना सुनिश्चित किया गया ?			
32	क्या अभियुक्त के वाहन स्वामित्व का पता लगाने के लिए रजिस्टर्ड वाहन की ट्रांसपोर्ट की वेबसाईट / आर0टी0ओ से जानकारी ली गई ?			
33	क्या अभियुक्त से सबंधित बैंको से बैंक खाते (ACCOUNT) और एटीएम कार्ड की जानकारी ली गई ?			
34	क्या एटीएम ट्राजक्शन पर नजर रखते हुए, एटीएम उपयोग की जानकारी मिलते ही एटीएम की लोकेशन ज्ञात कर अभियुक्त की तलाश की गयी ?			
35	क्या ATM का उपयोग होना पाये जाने पर सम्बधित का सीसीटीव्ही डाटा लेना सुनिश्चित किया गया ?			
36	क्या अभियुक्त के सबध मे स्थानीय वोटर लिस्ट से जहा अभियुक्त निवास करता है जानकारी ली गयी एव वोटर लिस्ट मे समान पता वाले अन्य वोटरो की जानकारी ली गई।			
37	वांछित व्यक्ति का जो ज्ञात इलाका है, अर्थात जहा वह पहले रहता था /आता–जाता था /नौकरी करता था वहा तलाश किया गया या नही ?			
38	कभी–कभी कुछ आरोपी / वांछित नौकरी / मजदूरी करने परदेश चले जाते है, [सेना / अर्धसैनिक बलो के स्टाफ अपनी यूनिट वापस चले जाते है] तो क्या यह पता किया कि उस क्षेत्र के लोग सामान्यत किस शहर की ओर जाते है ? पूर्व म किसके साथ गया था ? पूर्व मे कौन ठेकेदार ले गया था आदि			
39	यदि आरोपी जेल मे होना सभावित है तो क्या जेल विभाग को सूचित कर स्थानीय जेलो को सूचित किया गया ?			
40	यदि आरोपी जेल मे है न्यायालयो से प्रोटेक्शन वारट प्राप्त कर सबधित अपराध मे "वांछित" की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई ?			
41	क्या वांछित ने कोई लोन लिया है, तो लोन प्रदाता, गारण्टी देने वालो से जानकारी ली गई ?			
42	क्या वांछित के Revenue/Civil/Criminal प्रकरणों के वकीलो का पता कर तथा वकीलो को भरोसे मे लेकर गिरफ्तारी के प्रयास किये गये ?			

43	यदि पूर्व के प्रकरण है तो उन प्रकरणों के तत्समय के थाना प्रभारियो, विवेचकों, थाना स्टाफ, समन्स/वारंट तामील कराने वाले स्टाफ से जानकारी ली गई ?	------	------	------
44	क्या "वांछित" अभियुक्त की अपराधिक "कार्यप्रणाली" (Modus operandi) ज्ञात कर उसका विश्लेषण किया कि आरोपी को कैसे/कहाँ पकड़ सकते हैं।	------	------	------
45	कुछ आरोपी/वांछित जिनके बहुत ज्यादा आय के साधन नहीं होते, वे सस्ती धर्मशालाओं, होटल, लॉज या रेल्वे स्टेशनों पर समय गुजारते है, क्या ऐसे सम्बाधित स्थानों की सूची बनाकर वहाँ तलाश की गई ? एवं ऐसे क्षेत्रो के ऐसे सभी स्थानो के प्रबधकों को "एलर्ट" किया गया है ? [कुछ आरोपी/वांछित ऐसे रिश्तेदारों/परिचितों के यहा या उनके शहर के लॉज/धर्मशाला/आश्रय स्थल/रैनबसेरा/रेल्वे स्टेशनों पर रहते है] कुछ आरोपी धार्मिक स्थलो पर जाकर बाद मे भेस मे घूमते रहते हैं। कुछ आरोपी चौकीदारी इत्यादि की नौकरी कर लेते है जहाँ रहने की सुविधा भी हो। कुछ आरोपी/वांछित नेपाल भी चले जाते है। जिन्हें मोटर वाहन भी चलना आता हैं, वे अन्य शहर जाकर टैक्सी चलाने लगते हैं। कुछ प्रभावशाली/पहचान वाले आरोपी राजधानी में गैस्टहाउस/गेस्टहाउसो मे भी कुछ दिन ठहर जाते हैं। आतंकवादी पत्थर के आरोपियों के पूर्व मे धार्मिक स्थानो के विश्राम कक्षा मे रहने के भी उदाहरण पूर्व में आये हैं।	------	------	------
46	यदि अन्य प्रकरणो मे न्यायालयों से समन्स/वारंट जारी हुए है तो उनकी तामीली, अदम तामीली की जानकारी ली ?	------	------	------
47	यदि तामील हुए है, तो तामील करने वाले अधिकारी से पूछाँ जाये कि पूर्व मे कैसे तामीली हो सकी थी ?	------	------	------
48	क्या अभियुक्त के सबंध मे जहा भी पतारसी की गई वहा अभियुक्त की तलाश के सबंध मे तस्दीक पचनामा विधिवत साक्षियो के समक्ष तैयार किया गया ?	------	------	------
49	क्या वांछित की MAMS प्रणाली अनुसार पता साजी की गई है ? M- Means of livelihood A- Associate M- Movement S- Suspecion	------	------	------
50	क्या उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत जब आरोपी नही मिला तब माननीय न्यायालय से धारा 70 द.प्र.स के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया जाकर धारा 74 द.प्र.स. के तहत सबधित पुलिस अधिकारी से वारंट का निष्पादन	------	------	------

	कराया गया ?			
51	क्या वारंट तामीली न होने पर धारा 174 अथवा 174–ए अथवा 229–ए भादवि का अपराध दर्ज कर, परिवाद तैयार कर, न्यायालय पेश किया गया ?			
52	क्या फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेग्युलेशन पैरा 80 एव 81 के अनुरूप इनाम की घोषणा कराई गई ?			
53	क्या फोटो प्राप्त कर पम्पलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानो / सार्वजनिक परिवहन स्थानों पर चस्पा कराया गया।			
54	क्या फरार अभियुक्त के सबध मे आकाशवाणी / दूरदर्शन पर उद्घोषणा कराई गई ?			
55	क्या जिला / राज्य / अन्य राज्यो मे look out circular notice जारी कराया गया ?			
56	क्या शासकीय योजनाओं से 'वाछित' के नाम की स्थिति पता कर, सबधित शासकीय योजना के परिचालक को सूचित किया गया ? (जैसे राशन दुकान, एलपीजी गैस सहकारी समिति, किसान कार्ड, शासकीय पेंशन आदि)			
57	यदि गिरफ्तारी के लिए 'वाछित' व्यक्ति की आतकवादी घटना मे तलाश है तो क्या यूएपीए एक्ट में एन.आई.ए को सूचित किया गया ?			
58	क्या सबधित अपराध मे अपराध से बडी राशी की आय हुई और PMLA अधिनियम आकर्षित होता है तो प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली (ED) को सूचित किया गया ?			
59	यदि आरोपी के न्यायालय मे पूर्व से भी अन्य मामले चल रहे है, तो सबधित न्यायालयो को प्रथक–प्रथक सूचित किया गया।			
60	क्या किसी अन्य मामले मे 'वाछित' व्यक्ति जमानत / पैरोल पर है, तो जमानत / पैरोल निरस्त करने का आवेदन लगाया गया ?			
61	क्या आरोपी पूर्व मे भी कभी इस प्रकार फरार हुआ है और बाद मे स्वत या वारन्ट पर न्यायालय उपस्थित होकर जमानत / पैरोल कराया था ?			
62	यदि हाँ ! तो क्या यह अध्ययन किया कि वह किस प्रकार न्यायालय मे पेश हुआ ? किसने पेश कराया ? इस प्रकरण मे कौन पुलिस स्टाफ था, कौन बचाव पक्ष वकील और लोक अभियोजक था? किसने जमानत ली ? जमानत विरोध पत्र लगा था या नही ? किसने पैरोल पर छोडे जाने की अनुशसा की थी ?			

63	क्या पुलिस रेग्युलेशन पैरा क्रमांक 789 तथा 790 का पालन फरार अपराधी की तलाश में किया जाना सुनिश्चित किया गया ?	—	—	—
64	क्या द.प्र.स. की धारा 82(1) अथवा उपयुक्त धाराओं का अपराध होने पर धारा 84(4)की कार्यवाही कराई जाना तय किया गया ?	—	—	—
65	यह उद्घोषणा फरार व्यक्ति के निवास स्थान पर, जिसमे ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, चस्पा किया गया ?	—	—	—
66	साथ ही यह उद्घोषणा उसके मोहल्ले, नगर अथवा गॉव मे किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई गई ?	—	—	—
67	उद्घोषणा की प्रति संबंधित न्यायालय के पटल पर भी चस्पा की गई जो कि सहज दृश्य वाला स्थान हो ?	—	—	—
68	क्या न्यायालय के निर्देशानुसार उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान मे प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित की गई जहा ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है ? (धारा 82 द०प्र०स० के अधीन उद्घोषणा तब तक जारी रहती है जब तक की अपराधी की गिरफ्तारी न की जावे। यदि एक बार भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। अथवा उसे न्यायालय मे ले जाने लायक हो जाता है। तब द०प्र०स० की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति के रूप मे उद्घोषणा करने वाली उद्घोषणा प्रभाव हीन हो जायेगी)	—	—	—
69	क्या धारा 83 की कार्यवाही के लिए चल / अचल सम्पत्ति की जानकारी ज्ञात की गई? (पंचायत / नगरीय निकाय / सम्पत्ती रजीस्ट्रार विभाग / आयकर विभाग / जीएडी विभाग / संचालन विभाग / स्थानीय बैंक / निगमित मामलों मंत्रालय (MCA) / SEBI/LIC POST OFFICE) (धारा 83 द०प्र०स० फरार व्यक्ति की सम्पत्ती की कुर्की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय से ही कराई जावे)	—	—	—
70	क्या बिना गिरफ्तार किये आरोपी के विरुद्व चालान पेश कर दिये जाने की स्थिति मे यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त फरार हो गया है, तथा उसके तुरंत गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नही है और तब उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का, न्यायालय मे, अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षियो की, अभियुक्त की अनुपस्थिति मे, परिक्षण करने का धारा 299 द.प्र.स. मे फरारी पचनामा बनाया जाकर अभियोग पत्र के साथ न्यायालय पेश किया गया है ?	—	—	—
71	न्यायालय मे विवेचक द्वारा इस संबंध मे अपने कथन कराये जाकर न्यायालय से फरारी वारंट एवं न्यादी वारंट प्राप्त कर लिया गया है ?	—	—	—

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)

Email ID-mpcaw@mppolice.gov.in
दूरभाष 0755-2443568 (कार्यालय) / फेक्स-2550367

क्रमांक / File No./ अति.म.नि / महिला अपराध / परिपत्र / नि.स /137/ 2019 Dt.30/10/2019

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर) भोपाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर
(2) समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश
(3) समस्त पुलिस अधीक्षक रेल मध्यप्रदेश

विषय – यौन अपराधो मे पीड़िता की पहचान का प्रकटन न करने के सम्बध मे।

सन्दर्भ – पुलिस मुख्यालय का परिपत्र / फाईल न / अमनि / महिला अपराध / निस / 77 / 2013 दिनाक 28.01.2013

जैसा कि आपको विदित है कि –

(1) यौन अपराध पीड़िता का नाम, पता एव पहचान उजागर न करने के सबध मे धारा 228–ए भा.द.वि. के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। इसी प्रकार लैंगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 एव 33 तथा किशोर न्याया अधिनियम 2015 की धारा 74 भी पूरी तरह से स्पष्ट है। इसका उल्लघन दण्डनीय अपराध है।

(2) इस सबध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Cr.A.No.1265/2002 भूपेन्द्र शर्मा विरूद्व स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश Cr.A.No.565/2012 निपुन सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मे तथा माननीय उच्च न्यायालय सिक्किम गगटोक द्वारा Cr.A.No.17/17 सुभाष चन्द्र राय विरूद्व स्टेट ऑफ सिक्किम मे पारित न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य मे पीड़िता की पहचान उजागर न करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है। कृपया इन न्यायालयीन निर्णयो का स्वय भी अध्ययन करे।

(3) यह प्रावधान केवल Print और Electronic Media पर ही लागू नही अपितु सोशल मीडिया (जैसे Twitter, WhatsApp, Facebook आदि) सभी पर समान रूप से लागू होते है। छपने और प्रसारित करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फारवर्ड करना भी प्रकटन की श्रेणी मे आने से अपराध है।

(4) शासकीय पत्राचार एव सूचना के अधिकार मे दिये जाने वाली सूचनाओ के सदर्भ मे भी इन प्रावधानो का यथासभव पालन किया जाना चाहिए। शासकीय पत्राचार मे कार्यपालिक दण्डाधिकारियो, विधिक सेवा प्राधिकरण एव पर्यवेक्षण अधिकारियो को भी पहचान उजागर किया जाना यदि वैधानिक रूप से आवश्यक है तो इस आशय का उल्लेख पत्र मे करना चाहिए कि बिना न्यायालय की अनुमति के पीड़िता की पहचान उजागर नही की जावे। जिन शासकीय दस्तावेजो मे विवरण दिया जाना आवश्यक है, जैसे F.I.R. जप्ती, गिरफतारी पचनामे, धारा 161, 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत लिपिबद्ध कथन, D.S.R. पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, पूरक प्रतिवेदन, अंतिम प्रतिवेदन, जाच रिपोर्ट एव प्रकरण के अनुसधान के दौरान केस डायरी मे सलग्न वे समस्त प्रपत्र जिनमे पीड़िता के नाम का उल्लेख हो उन्हे "गोपनीय" समझा जावे। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी देते समय भी सबधित अश छुपा दिये जावे।

(5) पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी परिपत्र कमांक अ.अ.वि./जेएबी/फा.न 76/17/डी-26/18 भोपाल दिनांक 11.01.18 द्वारा भी निर्देश दिये गये है कि विधान सभा प्रश्नो के प्रारूप उत्तरों में भेजी जाने वाली जानकारी में भी इन वैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशो, विधिक प्रावधानों एव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टातों का पालन करना सुनिश्चित करावे। उचित यह भी होगा कि ऐसे प्रकरणों में आरोपी की पहचान भी यथासभव उजागर न की जावे जब तक ऐसा किया जाना लोकहित मे अत्यावश्यक न हो।

कृपया उपरोक्त परिपत्र की प्रति अधिनस्थ कार्यालयो को प्रेषित करे एव पावती प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे रखी जावे।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मगलम)
अति पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुमु भोपाल।
2. अति0पुलिस महानिदेशक,अ0अ0वि0/गुप्तवार्ता/अजाक/रेल/को फॉड-आर टी आई पु0मु0 म0प्र0
3. अति0 पुलिस महानिदेशक (रा0अ0अ0ब्यूरो) पु0मु0 भोपाल की ओर प्रति website पर upload कर लिक उपलब्ध कराने हेतु। अति0 पुलिस महानिदेशक इदौर/होशगाबाद/ग्वालियर/चबल/जोन भोपाल म0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन/रीवा/सागर/शहडोल/बालाघाट/जबलपुर जोन म0प्र0
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) जोन म0प्र0।
6. सहायक पुलिस महानिरीक्षक I एव II (महिला अपराध)पु मु
7. उप सचलाक अभियोजन(महिला अपराध)पु मु
8. समस्त खण्ड प्रभारी (महिला अपराध) शाखा पु0मु0 भोपाल।
9. खण्ड प्रभारी-1 (म0अप0) की ओर रिकार्ड सधारण हेतु।

29/10/17

अति पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय,जहांगीराबाद,भोपाल– 462008
POLICE HEAD QUARTER, JAHANGIRABAD,BHOPAL–462008
दूरभाष:0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No. / अति.म.नि. / म.अप. / परिपत्र / W-9 / 19 6194/19 दि. 4/ 11 / 2019

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज भोपाल(शहर)
एव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर म.प्र.

(2) समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश

(3) समस्त पुलिस अधीक्षक रेल मध्यप्रदेश

विषयः– पर्यवेक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भः– 1. पुलिस रेग्यूलेशन पैरा क्रं. 735, 879 / 2. पु.मु. के परिपत्र क्रं / पु.मु. / अजाक / ए–2 / 3600 / 2012 भोपाल दिनाक 27.06.2012 ।

———00———

उपरोक्त विषय में लेख है कि महिला अपराध शाखा पु.मु. भोपाल द्वारा पु.मु.के परिपत्र क्रं. / पु.मु. / अजाक / ए–2 / 3600 / 2012 भोपाल दिनाक 27.06.2012 के पालन मे महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की मानीटरिंग एव पर्यवेक्षण किया जाता है। वर्तमान में ऐसे मामलों मे महिला अपराधों में पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण(सुपरविजन) रिपोर्ट अनियमित रुप से / अत्यंत देरी से प्रेषित की जा रही है। इन प्रतिवेदनों के यदा–कदा अत्यधिक विलंब से प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करने का कोई औचित्य नही रह जाता है। प्रकरण विशेष में आवश्यकता होने पर प्रायः उपलब्ध नहीं होती है।

2. सभी गभीर मामलों मे की गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट को CCTNS में अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गई है। अतः पुलिस मुख्यालय (म.अप.शाखा) में पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों की हार्डकॉपी डाक / विशेष वाहक से न भेजते हुए पर्यवेक्षण दिनाक को ही CCTNS पर ही अपलोड की जावें , ताकि म.अप.शाखा में इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जा सके।

3. यदि किसी भी पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण रिपोर्ट CCTNS पर अपलाड नहीं की जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उनके द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया गया है।

म.अप.शाखा द्वारा उपयुक्त प्रकरणों की पर्यवेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन CCTNS पर ही किया जावेगा और अपनी टीप से भी तदनुसार जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराई जावेगी।

.....निरंतर.....

उपरोक्त परिपत्र की प्रति अधीनस्थ समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को प्रेषित की जाये तथा उनकी पावती प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रिकार्ड में रखी जावे।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

5/11/19

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रं. / File No. / अति.म.नि. / म.अप. / परिपत्र / W-9 / 19 दि. 6194/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल / अअवि / अजाक / सायबर / प्रशिक्षण म.प्र.।
2. अमनि एससीआरबी, कृपया प्रपत्र की प्रति वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त जोन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित) म.प्र आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पुलिस महानिरीक्षक(म.अप.) जबलपुर,ग्वालियर, भोपाल, इंदौर म.प्र.।
6. सहा.पुलिस.महानिरीक्षक । एवं ॥ /उप संचालक अभियोजन(म.अप.) पु.मु.भोपाल।
7. W-2 रिकॉर्ड हेतु।

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
(CRIME AGAINST WOMEN)

Email ID-mpcaw@mppolice.gov.in
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स–2550367

क्रमांक / File No. / अति म.नि. / म.अप. / W-12 / 6258 / 19 91/19 दिनांक 13/ 11 / 2019

परिपत्र

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर),भोपाल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर
(2) समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), मध्यप्रदेश

विषय – यौन शोषण से पीड़ित को विधिक सहायता प्रदाय करने के विषय में।

संदर्भ –

1 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा Delhi Domestic Working Women's vs Union of India And Others 1995 SCC(1) 14 , JT 1994(7) 183 दिये गये निर्देश दिनांक 19.10.1994।
2 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा Dilip vs State Of M.P. Cr.A. No. 1156 Of 2010 दिये गये निर्देश दिनांक 16.04.2013।
3 पु.मु. का परिपत्र क्र / फाईल न / अमनि / म.अप / 445 / 2014 दिनांक 27.07.2015 एव परिपत्र क्र / फाईल न / अमनि / म.अप / 393 / 2017 दिनांक 12.12.2017।
4 धारा 301(2) दण्ड प्रकिया संहिता एव लैंगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम, 2012 (Pocso Act) की धारा 40 एव नियम 4 (2)(f) ।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत वैधानिक प्रावधानो एव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो का सदर्भ ग्रहण करे। यौन उत्पीडन के अपराधो से पीडित को प्राथमिक कार्यवाही प्रारम होने से प्रकरण के न्यायालय मे निर्णय तक विभिन्न स्तरो पर विधिक सहायता प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। उक्त सबध मे द0प्र0स0 की धारा 301(2) एवं **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Pocso Act) की धारा 40 एवं नियम 4 (2)(f) में प्रावधान निहित है।** इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Delhi Domestic Working Women's vs Union of India And Others 1995 SCC(1) 14, JT 1994(7) 183** मे दिनांक 19 October 1994 को दिए गए निर्देशो के बिंदु क्र. 15 के उपबिंदु क्र–2 मे लेख है कि **"Legal assistance will have to be provided at the police station since the victim of sexual assault might very well be in a distressed state upon arrival at the police station, the guidance and support of a lawyer at this stage and whilst she was being questioned would be of great assistance to her."**

इसी प्रकार बिन्दु क. 15 के उपबिंदु 3 मे लेख है कि **"The police should be under a duty to inform the victim of her right to representation before any questions were asked of her and that the police report should state that the victim was so informed."**

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानो एव माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टातो के परिपेक्ष्य मे थाने मे आने पर पीडित को विधिक सहायता के अधिकार के विषय मे सूचित किया जाना तथा प्रकरण मे जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के पैनल पर उपलब्ध विधिक अधिकारी / अधिवक्ता की जानकारी उपलब्ध कराना थाना प्रभारी का दायित्व एव प्रथम सूचना रिपोर्ट एव विवेचना के समय पीडित को दी गई सहायता के बारे मे रोजनामचा एव केस डायरी मे विवरण लेख किया जाना बाध्यकारी है।

यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकाश प्रकरणो मे पीडित को विधिक सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं जिसमें यदि पीड़िता को विधिक सहायता दी गई है या उसने विधिक सहायता प्राप्त की है, मे विचारण के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय मे कानूनी सलाह के सबध में प्रति परीक्षण में प्रश्न कर उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि पीडिता को कानूनी सलाह के माध्यम से सिखाया–पढ़ाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष के विरूद्ध विपरीत धारणा बनाने का प्रयास किया जाता है।

माननीय न्यायालय के सज्ञान मे अभियोजन अधिकारी द्वारा विचारण के दौरान यह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पीडिता ने/को विधिक/अधिवक्ता की सहायता विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों/निर्णयों के परिपेक्ष्य में दिये गये निर्देशों के आधार पर ली/दी गई है और अभियोजक द्वारा न्यायालय में यह स्थापित किया जाना चाहिए कि विधिक परामर्श/सहायता प्राप्त करना पीड़िता का विधिक अधिकार है। इस अधिकार के प्रयोग पर उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विपरीत धारणा नहीं बनाई जा सकती है।

अत उक्त बिन्दु समस्त थाना प्रभारीयों, थानो के विवेचकों, पर्यवेक्षक अधिकारियो एव जिले के अभियोजन अधिकारियो के सज्ञान मे लाकर कियान्वित कराया जावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 सचालक, सचालनालय लोक अभियोजन म0प्र0 भदभदा रोड भोपाल।
2 विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु0मु0 भोपाल।
3 विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु0मु0 भोपाल।
4 अति0पुलिस महानिदेशक,अ0अ0वि0/गुप्तवार्ता/अजाक/रेल पु0मु0 म0प्र0
5 अ0म0नि.(रा0अ0अ0ब्यूरो) पु0मु0, भोपाल की ओर प्रति website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
6 अ0म0नि इदौर/होशगाबाद/ग्वालियर/चबल/भोपाल जोन म0प्र0।
7 पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन/रीवा/सागर/शहडोल/बालाघाट/जबलपुर,जोन म0प्र0
8 समस्त पुलिस महानिरीक्षक,(महिला अपराध) जोन म0प्र0।
9 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, I एवं II, उप सचलाक अभियोजन(महिला अपराध)पु मु
10 समस्त उप खण्ड प्रभारी महिला अपराध शाखा पु0मु0 भोपाल।
11 उपखण्ड डब्ल्यू–1 (म0अप0) की ओर रिकार्ड सधारण हेतु।

(अन्वेष मंगलम)
अति पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / हेल्पलाईन 1090 / DSR / 6928 / 2019 भोपाल दि. 20 / 11 / 2019

प्रति,

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक,
(सायबर सेल) भोपाल म.प्र.

(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
अअवि, अजाक, रेल एवं एस.टी.एफ,
पु.मु. भोपाल (म.प्र.)

विषयः– महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पंजीयन की दैनिक सूचना (DSR) महिला अपराध शाखा को भेजने विषयक।

पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक पुमु / अजाक / ए–2 / 3600 / 2012 भोपाल दि. 27 / 06 / 2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक / पुमु / अमनि / म.अप / ए–8 / 3739 / 12 भोपाल दिनांक 02 / 07 / 2012 के द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध / विवेचनाधीन समस्त महिला अपराधों की मॉनीटरिंग का दायित्व महिला अपराध शाखा पु.मु. भोपाल को सौंपा गया है। महिला अपराध शाखा द्वारा वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रदेश में प्रतिदिन घटित होने वाले महिला संबंधी अपराधों की DSR प्राप्त की जाकर अवलोकन / अध्ययन किया जाकर महिला संबंधी गंभीर अपराधों में आवश्यक दिशा–निर्देश जोनल पुलिस महानिरीक्षकों / जिला पुलिस अधीक्षकों को दिये जाते हैं।

महिला संबंधी अपराधों का पंजीयन अन्य शाखाओं जैसे सायबर, अ.अ.वि., अजाक, रेल, एस.टी.एफ. के अधीनस्थ थानों में भी होता है, जिसकी जानकारी महिला अपराध शाखा को वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रही है।

प्रदेश स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध पंजीबद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों की जानकारी का पूर्ण संकलन महिला अपराध शाखा में नहीं हो पाने से प्रदेश स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध पंजीबद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों की जानकारी का पूर्ण एवं वास्तविक स्थिति प्रतिबिंबित नहीं हो पाती है, जिससे समग्र रूप से विश्लेषण संभव नहीं हो पा रहा है। NCRB को भी सटीक जानकारी भेजने में अपूर्णता रहती है।

(लगातार........)

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपकी शाखाओं से सम्बद्ध सभी थानों में पंजीयन होने पर महिला संबंधी सभी अपराधों की समग्र जानकारी संकलन हेतु महिला अपराध शाखा को प्रतिदिन DSR ई–मेल ID caw-dsr@mp.police.gov.in पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। DSR प्रोफार्मा संलग्न है। निरंक होने पर भी निरंक DSR भेजी जावे। दिनांक 01/01/2019 से अभी तक जो भी महिला संबंधी अपराध पंजीबद्ध हुये हों, उनकी अब एकजाई जानकारी भेजी जावे।

संलग्नः–प्रोफार्मा।

(व्ही.के. सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक(रेल सहित) म.प्र.।

02– समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, उ.म.नि.(शहर) रेंज भोपाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर म.प्र.।

03– समस्त जिला पुलिस अधीक्षक(रेल सहित), यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके क्षेत्राधिकार के थाना में महिला संबंधी कोई अपराध पंजीबद्ध होता है और यदि उसकी विवेचना किसी अन्य राज्य/जिला/इकाई/एजेन्सी/शाखा/थाना को हस्तांतरित होती है, तब भी पंजीयन की सूचना आपको ही DSR के माध्यम से प्रस्तुत करनी है तथा प्रत्येक प्रकरण की जानकारी CCTNS में भी दर्ज की जानी है।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्र0/पुमु/म0अप0/हल्पलाईन 1090/DSR/6328/19 भोपाल, दि0 21.11.2019

1– पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध) इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं भोपाल।

2– स.म.नि.(महिला अपराध) प्रथम एवं द्वितीय, पुमु, भोपाल।

3– उप संचालक, लोक अभियोजन(महिला अपराध) पुमु, भोपाल।

4– निज सहायक(अ.म.नि.)महिला अपराध, पुमु, भोपाल।

5– उ.पु.अ.(महिला अपराध)प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, पुमु, भोपाल।

6– डब्ल्यू–01(स्थापना) महिला अपराध, पुमु, भोपाल को संबंधित नस्ती में रखने हेतु।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध शाखा)

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष 0755-2443568 / फेक्स 0755-2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / अति म नि / महिला अपराध / W-2 / 6565 / 19 भोपाल, दिनांक - 18 / 12 / 19

:: परिपत्र ::

प्रति

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर ।
(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) म0प्र0 ।

विषय - आकस्मिक मृत्यु / उपचार हेतु भर्ती व्यक्ति की सूचना तत्काल संबंधित जिला / थाना को तत्परता से दिये जाने के संबंध में।

महिलाओं पर घटित अपराधों के संदर्भ में महिला अपराध शाखा को प्राप्त डीएसआर के अवलोकन से यह प्रगट है कि राज्य / संभागीय / जिला चिकित्सालयों या मेडीकल कॉलेजों में अन्य जिलों / थानों से संबंधित प्रकरण में पीड़ित पक्ष का उपचार हेतु आने व आकस्मिक मृत्यु होने पर चिकित्सालय स्थित पुलिस चौकी द्वारा शून्य पर मर्ग कायम कर संबंधित जिले को केस डायरी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्राय पीड़ित पक्ष के इलाज हेतु भर्ती / मृत व्यक्ति की सूचना संबंधित जिले / थाना को विलंब से प्राप्त होती है। अनेक प्रकरणों में यह सूचना / डायरी 08 से 20 दिन तक विलम्ब से जिले के संबंधित थाने में पहुँचना पाया गया है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य विलुप्त हो जाते है एवं अपराध एजीयन में भी विलंब होता है।

वर्तमान में शासन द्वारा समस्त पुलिस थाना, पुलिस चौकी, कन्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय में वायरलेस सेट, लैंडलाईन फोन एवं मोबाइल फोन सी0यू0जी0 सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः सूचना का आदान-प्रदान तत्परता से प्रथम अवसर पर ना किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतः महिला संबंधी समस्त प्रकरणों में निर्देशित किया जाता है कि -

(1) चिकित्सालय के क्षेत्राधिकार का थाना प्रभारी / चौकी प्रभारी इलाज हेतु भर्ती व्यक्ति / मृतक की जानकारी अस्पताल से प्राप्त होते ही तत्परता से अधिकतम 30 मिनट में संबंधित जिला कन्ट्रोल रूम संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के रीडर एवं संबंधित थाना प्रभारी को नोट करावे और पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा-497 व पैरा-636 के पालन में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सूचना रोजनामचा में एवं संबंधित प्रतिवेदन व केस डायरी में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) सूचना प्राप्तकर्ता पुलिस अधीक्षक के रीडर एवं जिला कन्ट्रोल रूम प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त सूचना संबंधित थाना एवं थाना प्रभारी को तुरन्त ही वायरलेस सेट / मोबाइल सी0यू0जी0 पर प्रेषित की जावे। सूचना में संबंधित को निर्देशित किया जावे कि वे तत्काल संबंधित चिकित्सालय और अथवा घटनास्थल पहुँचकर घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण प्राथमिक साक्ष्य एकत्र करें और 24 घन्टे के अन्दर सूचनादाता (संबंधित चिकित्सालय के क्षेत्राधिकार के थाने) से प्रतिवेदन / केस डायरी प्राप्त कर तत्समय उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप पाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ करें।

(3) यदि प्रकरण अन्तरराज्य/अन्तरजिला का होने से पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन की वैधानिक आवश्यकता है तो यह सूचना प्राप्तकर्ता जिले के पुलिस अधीक्षक के रीडर की जिम्मेदारी है कि वह 24 घण्टे में प्रतिवेदन जिला पुलिस अधीक्षक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित थाने को डायरी प्रेषित करे, जब तक कि जिला पुलिस अधीक्षक स्वय प्रकरण को अध्ययन/विधिक राय के लिये निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक विचारण में रखने का आदेश जारी ना करे।

(4) कुछ प्रकरण अन्य राज्यो के नजदीकी मेडिकल कॉलेजो जैसे झांसी, नागपुर में भी जाते है। ऐसे प्रकरण मे नागपुर के लिये जोन पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर, झासी के लिये जोन पुलिस महानिरीक्षक चंबल/सागर, प्रयागराज (इलाहाबाद) के लिये जोन पुलिस महानिरीक्षक रीवा एव अन्य राज्य के संबंधित जिले के मेडीकल कॉलेज/चिकित्सालय मे स्थित पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार वाले एसपी/एसएसपी से समन्वय स्थापित कर अपने राज्य के संबंधित जिले के जिला कन्ट्रोल रूम को नोडल सम्पर्क पॉइण्ट बनाकर सूचना का तत्परता से आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक/अति.म.नि./महिला अपराध/W-2/6565 /19 भोपाल, दिनांक – 18/12/2019

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु0मु0, भोपाल, कृपया समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रसारण हेतु।
2. अति0 पुलिस महानिदेशक (रा0अ0सं0ब्यूरो), पु0मु0, भोपाल की ओर उक्त परिपत्र MP Police की website पर upload कर Link उपलब्ध कराने हेतु।
3. अति0पुलिस महानिदेशक, अ0अ0वि0/गुप्तवार्ता/अपराध/रेल, पु0मु0, भोपाल।
4. समस्त जोनल अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
5. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), म0प्र0।
7. डीडीपी/स0म0नि0-1/स0म0नि0-2, (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
8. समस्त उप पुलिस अधीक्षक (म0अप0) पु0मु0 भोपाल।
9. निज सहायक अ0म0नि0 (म0अप0) पु0मु0, भोपाल।
10. समस्त उपखण्ड प्रभारी (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
11. उपखण्ड डब्ल्यू-1 की ओर रिकार्ड सधारण हेतु।

18/12/19

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No 44 / अति म नि. / महिलाअपराध / परिपत्र / W-12 / 44 / 2020 Dt. 16 /01/2020

परिपत्र - 1/20

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः— लैंगिक हिंसा पीड़िता की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की वीडियोग्राफी के संबंध में।

संदर्भः— अ.अ.वि. पु.मु. का परिपत्र क्रमांक / अ.अ.वि. / समन्वय सेल / 194 / 2019 दि. 20 / 12 / 2019

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत द.प्र.स. के सुसगत प्रावधान (धारा 154 IInd provisio (b)) का अध्ययन करें। इस विषय में माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति आप सभी को पु0मु0 के पत्र क्रमांक / File No 44 / अति.म.नि. / महिलाअपराध / P.A / 44-C /2019 दिनांक 27 / 12 / 19 के द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। दिनांक 07 / 01 / 2020 की वीडियो कान्फ्रेंस बैठक में समस्त जोन अमनि / महानिरीक्षक, रेंज उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस अधीक्षक, प्रमुख शाखाओं के अ.म.नि. आदि को सम्यक निर्देश दिये जा चुके है। कृपया विधि का सम्यक पालन सुनिश्चित करें। निम्नानुसार पुनः आपके ध्यान में लाया जाता है कि –

(1) द.प्र.स. की धारा 154 (1) द्वितीय प्रोविसो की उपधारा (b) की अपेक्षानुसार लैंगिक हिंसा के प्रकरण की F.I.R. की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जावे।

(2) यदि जिले में शासकीय (पुलिस) फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफी उपकरण है, तो उनका उपयोग किया जावे। यदि उपलब्ध नहीं है, तो थानावार उपलब्धतानुसार निजी वीडियोग्राफरों का पैनल तैयार कर रखा जावे। निजी फोटोग्राफर / वीडियोग्राफर व्यक्तियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, करके थाना रिकार्ड में रखा जावे। प्रत्येक प्रकरण में **'हितो का टकराव'** (Conflict of interest) नहीं होना सुनिश्चित किया जावे। इनके पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण एवं देय राशि (प्रति घण्टा या प्रति प्रकरण, जैसा भी सम्भव हो) निर्धारित करके रखी जावे। जिला कलेक्टर ने पूर्व से यदि किसी अन्य विषय / विभाग के सन्दर्भ में कोई दर या पैनल निर्धारित किया है, तो निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर उसे भी ग्रहण किया जा सकता है।

प्रकरणों में Cr.P.C की अपेक्षानुसार वीडियोग्राफर को पीड़ित के निवास स्थान या विकल्प के स्थान पर ले जाकर वीडियोग्राफी की आवश्यकता हो सकती है। अतः इस की भी पृथक से दर निर्धारित की जा सकती है।

(3) कुछ जिलों में निर्धारित मापदण्डों के आडियो, वीडियो रिकार्डिंग सुविधायुक्त **'पूछताछ कक्ष'** पूर्व में स्थापित किये गये थे। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार उक्त उद्देश्य हेतु इनका भी उपयोग किया जा सकता है।

(4) अन्य सामग्री के समान इस C.D./D.V.D की भी फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर से उसके पेश करने पर जब्ती प्रपत्र तैयार किया जाकर विधिवत जप्ती की जावे। अन्य सामग्री के समान इसकी भी विधिवत सूचना संबंधित को दी जावे। धारा 65 (B) सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जावे। जप्तशुदा सामग्री सीलबंद की जावे। जप्ती पत्रक मे 02 स्वतंत्र साक्षी रखे। सील का नमूना पंचनामा भी बनाया जावे।

(5) निजी वीडियोग्राफर से "गोपनीयता" की undertaking प्राप्त की जाकर प्रत्येक प्रकरण भी केस डायरी मे संलग्न की जावे।

(6) प्रत्येक प्रकरण में वीडियोग्राफर का कथन भी धारा 161 जा0फौ0 के अर्न्तगत दर्ज किया जाकर केस डायरी मे संलग्न किया जावें।

(7) व्यय होने वाली राशि की मॉग/भुगतान 34–006 "फोटोग्राफी एवं खपने वाली सामग्री" मद से किया जावे। भुगतान की पावती केस डायरी में सलग्न की जावे। अतः समुचित बजट की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित कर रखी जावें।

(8) वीडियोग्राफी पूर्ण होने के तत्काल बाद इसका रिकार्ड "Read Only-Non-Rewritable C.D./D.V.D" में 3 प्रतियों में प्राप्त किया जावे। C.D./D.V.D पर नीले रंग की स्याही वाले मार्कर पैन से–

(a) अप.क्र.,धारा, थाना, जिला

(b) कथनदाता का नाम, सम्पर्क क्रमांक

(c) वीडियोग्राफर का नाम, सम्पर्क क्रमांक

(d) कथन वीडियोग्राफी दिनांक दर्ज किया जावे।

(9) इस C.D./D.V.D की एक प्रति धारा 157(1)के प्रावधान के अर्न्तगत JMFC को भेजी जाने वाली F.I.R. की प्रति के साथ सीलबंद करके भेजी जावें। द्वितीय प्रति केस डायरी में रखी जावे। तृतीय प्रति थाना के मालखाना में अग्निरोधी अलमारी (Fire proof cabinet) में ताला–चाबी में बंद रखी जावे। आरोपियों को देने हेतु भी C.D./D.V.D की आवश्यकता हो सकती है अत. तत्समय आवश्यक प्रतियां केसडायरी की प्रति से बनवाई जाकर आरोपियों को दी जावे। इसका उल्लेख केसडायरी के आखिरी पर्चा में किया जावें।

(10) मालखाना की अन्य सामग्री के समान इसका भी पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधानों के अनुरूप रिकार्ड संधारण किया जावे तथा चार्ज हस्तांतरण के समय इसका रिकार्ड रखा जावे। भ्रमण, निरीक्षण के दौरान अन्य सामग्री के समान इसका भी भौतिक सत्यापन किया जावें।

(11) पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों को कुछ Fire proof cabinet उपलब्ध कराई गई थी। आवश्यकतानुसार आगामी बजट मे भी प्रत्येक थाना हेतु मॉग की जावे। Fire proof cabinet की व्यवस्था होने तक सामान्य लोहे की अलमारी में सुरक्षित भण्डारण एवं संधारण किया जावे।

(12) मालखाना की प्रति CD पुलिस रेग्युलेशन की धारा 658 के अर्न्तगत थाना का स्थायी रिकार्ड मान्य किया जाता है। क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रकरण के अन्तिम न्यायालय से अन्तिम निराकरण तक कभी भी आ सकती है। न्यायालय के आदेशानुसार ही इसका अन्तिम निराकरण (Final Disposal) किया जावें।

(13) आरोप पत्र में इसको जब्ती माल में दर्शाया जाकर ट्रायल के दौरान इस 'प्रदर्श' (Exhibit) के तौर पर सत्यापित कराया जावे।

(14) C.D./D.V.D की न्यायालय में चलाने (Play करने) की आवश्यकता आ सकती है अतः वीडियोग्राफर के कथन में इसके साफ्टवेयर जैसे MPEG-4 या MPEG-5 या अन्य का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। C.D./D.V.D में यदि Auto play mode की Recording हो तो श्रेयस्कर होगा ताकि किसी भी Desktop/Laptop पर play हो सके। वीडियोग्राफर कथन में Operating System Software जैसे windows 10 या IoS या अन्य जिसपर C.D./D.V.D चल सकती है, का भी उल्लेख होना चाहिये, क्योंकि सम्भव है कि जब कभी play करने की आवश्यकता पड़े, तब तक तकनीकें ही बदल जावे।

(15) उक्त परिपत्र सभी अति0 पुलिस अधीक्षक, अनु.अधि.पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों, पुलिस लाइन, वरिष्ठ कार्यालयों के उप पुलिस अधीक्षक एवं इससे नीचे के अधिकारियों के संज्ञान में लाया जावे और पावती प्राप्त कर इकाई के रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावें। पुलिस अधीक्षक (अजाक), उप पुलिस अधीक्षक(अजाक) को भी नोट कराया जावे।

(16) परिपत्र की भाषा, व्याकरण या व्याख्या पर कोई अन्य मत होने पर विधि एवं न्यायालय आदेशों का सम्यक पालन किया जावे। यह निर्देश सुझावात्मक है और अपने आप में परिपूर्ण/समग्र (Exhaustive) नहीं है। अतः प्रकरण की तथ्यों, परिस्थितियों, न्यायालय आदेशों आदि के आधार पर इनमें वृद्धि (Addition)किया जा सकता है किन्तु इनकी अनदेखी (Overlook)नहीं किया जा सकता है। संदर्भित अ.अ.वि के परिपत्र द्वारा वीडियोग्राफी करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ प्रस्तावित की गई है, इनका पालन किया जावे।

16/1/20

(व्ही.के. सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण भोपाल म0प्र0।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि., प्रशिक्षण, सायबर, रेल, एसटीएफ, अजाक म.प्र.।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक(योजना), कृपया आवश्यक बजट व्यवस्था हेतु।
(4) अति0 पुलिस महानिदेशक(प्रबंध), कृपया आवश्यक क्रय कार्यवाही हेतु।
(5) अति0 पुलिस महानिदेशक(SCRB) म.प्र.पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(6) अति0 पुलिस महानिदेशक(तकनीकी सेवायें) कृपया फोटोग्राफी सैक्शन से आवश्यक Template तैयार कराने हेतु।
(7) समस्त जोन अमनि/महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु ।
(8) समस्त रेंज उमनि म.प्र., पालन कराने हेतु।
(9) समस्त पुमनि/उमनि/समनि महिला अपराध भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर म.प्र.।
(10) स.मनि I II एवं III/उप सचालक अभियोजन(म.अ) पु.मु भोपाल।
(11) प्रभारी W-1 (म.अप.)रिकार्ड नस्ती सधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No14 / परिपत्र / अ म नि / महिलाअपराध / W-12/195/2020 दि 17/01/2020

परिपत्र 2/2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर मध्यप्रदेश।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः— आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार बलात्कार के अपराधों का 60 दिवस के के अंदर निराकरण।

संदर्भः— पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक / File No14 / परिपत्र / अ म नि महिला अपराध /14/2018 दिनांक 17/07/2018

दण्ड प्रक्रिया संशोधन अध्यादेश 2018 में बलात्कार संबंधी प्रकरणों में 60 दिवस में विवेचना पूर्ण कर धारा 173 Cr.p.c. में अपेक्षित पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इसी संदर्भ में बलात्कार के प्रकरणों का 60 दिवस में निराकरण हेतु संदर्भित पत्र के साथ प्रारूप मॉडल एक्शन प्लान SOP संलग्न कर भेजी गई थी और सुझाव चाहे गये थे। प्राप्त सुझावों एवं अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुनरीक्षित SOP (Action Plan) संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त SOP सभी अति0 पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों, पुलिस लाइन, वरिष्ठ कार्यालयों के उप पुलिस अधीक्षक एवं इससे नीचे के अधिकारियों के संज्ञान में लाया जावे और पावती प्राप्त कर इकाई के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावे। इसे सभी विवेचकों को उपलब्ध कराया जावे। यह परिपत्र अपने आप में समग्र / सम्पूर्ण (Exhaustive) न होकर केवल सुझावात्मक है। परिपत्र की भाषा, व्याकरण एवं व्याख्या में भिन्न मत होने पर विधिक प्रावधान एवं न्यायालय निर्णयों का पालन किया जावे।

प्रकरणों की तथ्यों एवं परिस्थितियों, न्यायालय आदेश / निर्णय से प्राप्त अनुभवों से समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जावे ताकि अगले संस्करण में इसे पुनः परिमार्जित किया जा सके।

संलग्न— मॉडल एक्शन प्लान (SOP) पृष्ठ क्र.1 से 8 तक
एवं महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान पृष्ठ 01 से 03 तक
(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

17/1/2020
(अन्वेष मंगलम)
अति पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01— अति पुलिस महानिदेशक अ अ वि अजाक, रेल, प्रशिक्षण, सायबर सेल, एसटीएफ, रा अ अ ब्यूरो शिकायत भोपाल म0प्र0।
02— अ म नि प्रशिक्षण पुमु भोपाल, कृपया सभी प्रशिक्षण शालाओं को प्रसारित करने हेतु ।
03— अति पुलिस महानिदेशक रा अ अ ब्यूरो कृपया मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
04— समस्त जोन अमनि / पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
05— समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
06— समस्त पुमनि / उमनि / समनि महिला अपराध भोपाल, इंदौर ग्वालियर जबलपुर म प्र ।
07— स म नि I, II एवं III / उप संचालक अभियोजन(म अ) पु मु भोपाल।
08— प्रभारी W-1 (म अप)रिकार्ड नस्ती सधारण हेतु।

अति पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किये संशोधनों की अपेक्षा अनुसार महिलाओं के विरुद्ध विधि में निर्दिष्ट अपराधों का 60 दिवस के अंदर निराकरण हेतु मॉडल एक्शन प्लान

क्र	की जाने वाली कार्यवाही	कार्यवाही समय (FIR लिखने के बाद दिनांक से समय की गणना होगी)
(1)	सूचना प्राप्त होते ही तत्काल महिला पुलिस अधिकारी अथवा उसके न होने पर निकटस्थ उपलब्ध महिला अधिकारी को थाना में उपस्थित कराना और उसके द्वारा/ उसकी उपस्थिति में कार्यवाही प्रारंभ करना। FIR की प्रति पीड़ित को तुरन्त निःशुल्क दिया जाना ।	तुरंत
(2)	दिव्यांग पीड़ित की स्थिति में पीड़ित के निवास या विकल्प के स्थान पर जाकर FIR दर्ज करना।	तुरंत
(3)	प्रकरण की FIR लिखने की विडियोग्राफी करना तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (B) का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।	तुरंत
(4)	महिला पुलिस अधिकारी/महिला अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख करना। यदि किसी कारण से तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट नही लिखी जा/ लिखी जा पा रही है। और प्रकरण को जांच में रखा गया/रखना पड रहा है, तो माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना।	तुरंत
(5)	पीड़ित को उसके विधिक अधिकारों के विषय में अवगत कराना; कानूनी सलाह के पैनल पर उपलब्ध अधिवक्ताओं की जानकारी देना। पीड़ित राहत योजना (Victim Compensation Scheme) के विषय में बताना।	तुरंत
(6)	सूचना प्राप्त होते ही तुरंत घटनास्थल रवाना होना। [यह आवश्यक नही कि FIR दर्ज होवे/थाने पर FIR की प्रति प्राप्त होने का इंतजार किया जावे। दूसरे अधिकारी तुरन्त मौके पर जा सकते है और घटना स्थल सुरक्षित कर सकते है]	प्रथम दिन
(7)	घटनास्थल का निरीक्षण कर उसको सुरक्षित (कार्डनऑफ) करना, घटना का मानचित्र तैयार करना एवं घटना स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना; एक से अधिक घटना स्थल होने पर सभी घटना स्थलों के विषय में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना। विडियोग्राफी होने पर विडियोग्राफर से धारा 65 (B) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।	घटना स्थल के निरीक्षण के समय ही
(8)	प्रकरण की विवेचना महिला पुलिस अधिकारी को सौपना ।	तुरंत
(9)	FSL टीम को सूचना कर घटनास्थल पर बुलाना एवं घटनास्थल पर मौजूद समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करने हेतु निर्देशित करना। जप्त सामग्री का FSL परीक्षण आवश्यक होने पर	यथासम्भव पुलिस अधिकारी के द्वारा घटना स्थल निरीक्षण के समय ही;शीघ्र से

10

	आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सामग्रीFSL भिजवाना।	शीघ्र
(10)	पीड़िता को महिला स्टाफ के साथ तुरन्त मेडीकल परीक्षण हेतु भेजना; आवश्यकतानुसार पीड़िता को राहत एवं पुर्नवास हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/कराना। पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखना। बाल पीड़िता होने पर थाना के Child Welfare officer और SJPU की मदद लेना। [पीड़ित/अवयस्क पीड़ित की स्थिति में उसके संरक्षक की सहमति से ही मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। संरक्षक विहीन अवयस्क की स्थिति में Child Welfare Committee से आदेश लेना है।]	सूचना प्राप्ति के घन्टे के अंदर (प्रथम दिन)
(11)	धारा 164(5ए) द.प्र.स. के अर्न्तगत कथन दर्ज कराने के लिये पीड़ित को न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना/कराना। यदि किसी कारण (जैसे घायल होने के कारण कथन देने की स्थिति में ही न होना) न्यायालय में कथन कराने में विलम्ब हो रहा हो, तो विलम्ब के कारणों से माननीय न्यायालय को यथासमय अवगत कराया जाना है। तथा केसडायरी में उल्लेख किया जाना। [कथन के समय पुलिस को न्यायालय में नहीं रहना चाहिये ताकि भय/दबाव के आरोप की स्थिति न कही जा सके।]	तुरंत (यथा सम्भव प्रथम दिन अथवा मेडिकल परीक्षण के तुरन्त बाद/मेडिकल परीक्षण मे समय लग रहा हो, तो उससे पहले ही/यदि पीड़ित गंभीर आहत डाक्टर द्वारा कथन दर्ज करने के योग्य घोषित करते ही)
(12)	दूरभाष, CUG/वायरलेस सेट से सर्वसंबंधित को सूचना देना।	प्रथम दिन
(13)	सर्व संबंधित को पुलिस रेग्युलेशन के अनुसार स्पेशल रिपोर्ट भेजना।	प्रथम दिन
(14)	संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी को FIR की प्रति भेजना। बाल पीड़ित/बाल आरोपी के प्रकरण में CWC/J.J.B को J.J. Act के प्रावधानों के अनुसार सूचित करना	01-02 दिन
(15)	पीड़िता यदि नाबालिग है, तो धारा 94 J.J.Act 2015 के प्रावधानों के अनुसार आयु के दस्तावेज जब्त करना एवं कथन लेना। संदर्भित स्कूल दस्तावेज अथवा जन्म संबंधी अन्य दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो मेडिकल परीक्षण कराकर आयु निर्धारित करवाना। [बोन ऑसिफिक्केशन टेस्ट/दन्त परीक्षण] यदि आयु संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध न हो, तो शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना और इसे विवेचना में समाहित करना।	प्रथम दिन/यथा समय

(16)	POCSO एक्ट का प्रकरण होने से उसके प्रावधानों का [illegible]शित करना व यदि प्रकरण 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से संबंधित है तो दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में निर्देशित प्रावधानों को भी समावेश करना।	
[illegible]	12 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित होने पर प्रकरण म.प्र. की "चिन्हित अपराध योजना" अंतर्गत "चिन्हित" करना, अन्य प्रकरणों में तथ्यों/परिस्थितियो के अनुसार "चिन्हित" करना	प्रथम दिन/यथा समय
(18)	अवयस्क पीड़ित के माता-पिता का कथन लेना और कथन में प्रमाण पत्र में लेख "आयु" का "आधार" स्पष्ट करने वाले तथ्यों का समावेश करना	01-07 दिन
(19)	आयु संबंधी दस्तावेजों में यदि अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग जन्मतिथि प्रगट हो रही है या काट-छॉट है तो दस्तावेजों के विषय में स्थिति स्पष्ट कराना। संबंधित स्कूल/ग्राम पंचायत-नगरीय निकाय जहॉं प्रथम प्रवेश जन्म दर्ज हुआ है, के सक्षम प्राधिकारी के कथन लेना।	01-07 दिन
(20)	SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अर्न्तगत अपराध होने पर पुलिस अधीक्षक को सूचित कर अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति कराना और उन्हें विवेचना सौंपना और विवेचक के आने तक "मौके" (Place/time) पर समस्त अपेक्षित कार्यवाही करना।	प्रथम दिन/यथा समय
(21)	पीड़ित का अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। [यदि उपलब्ध न हो तो शीघ्र प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास किया जावे] आरोपी के SC/ST का न होने की जानकारी लेना।	प्रथम दिन/यथा समय
(22)	यदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रावधानों का भी प्रकरण है तो संबंधित धारा की अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही करना।	प्रथम दिन/यथा समय
(23)	मेडीकल परीक्षण उपरांत अस्पताल से प्राप्त (आर्टिकल) जप्त करना; DNA परीक्षण से सम्बंधित जप्त आर्टीकल की "चेन आफ कस्टडी" एवं कोल्ड चेन मेन्टेन रखना और FSL माल भेजते समय आवश्यक दस्तावेज उन्हें भेजना। DNA संबंधी SOP के अनुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करना।	01 से 03 दिन तक (अस्पताल से सामग्री प्राप्त होते ही तुरंत)
(24)	मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करना, मेडिकल रिपोर्ट "टाइपशुदा" न होने पर टाइपशुदा की मॉंग करना, आवश्यकतानुसार Query करना। [मेडिकल ऑफिसर का पूरा नाम पदस्थापना, मोबाइल नंबर का उल्लेख कराये । मेडिकल बोर्ड होने पर सभी सदस्यों की उपरोक्तानुसार जानकारी लेवे।]	01-07 दिन

3

(25)	पीड़ित एवं साक्षियों के कथन लेख करना, अनुपलब्ध साक्षियों को धारा 160 का नोटिस जारी कर बुलाना एवं धारा 161 के अंतर्गत पीड़ित व साक्षियों के कथन लेख करना।[महिला साक्षी को थाना न बुलावे। उसके निवास या विकल्प के स्थान पर जाकर कथन लेवें] यदि पीड़ित/साक्षी मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो Interperter अथवा Special Educator की मदद से कथन लेख करना। [ऐसे साक्षी को उसके निवास/विकल्प के स्थान पर जाकर कथन लेवें।] [साक्षियों के कथन उसके बताये अनुसार उसकी शब्दावली में ही लें। 'शब्द' विशेष का सामान्य अर्थ/आशय विवेचक समझकर अपने शब्दों में कोष्ठक में लिख सकता है।]	01-07 दिन
(26)	साक्षियों से धारा 170 का बाण्ड भराना।	01-07 दिन; कथन के बाद तुरन्त
(27)	आवश्यकतानुसार पीडित के कथनों की विडियोग्राफी करना। [कई प्रकरणों में FIR स्वंय पीड़ित द्वारा नहीं कराई जाती है और पीड़ित ही महत्त्वपूर्ण साक्षी है।]	01-07 दिन; कथन के समय ही ।
(28)	प्रथम पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण, विवेचना, एक्शन प्लान बनाना एवं पर्यवेक्षण टीप उपलब्ध कराना।	01-07 दिन
(29)	माननीय न्यायालय से पीड़िता के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति प्राप्त करना।	01-07 दिन
(30)	आरोपी/संदेही पकड़ना/पूछताछ करना, गिरफ्तार करना। यदि आरोपी अव्यस्क है या मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो तत्संबंधी प्रावधानों का पालन करना। आवश्यक साक्ष्य जप्त करना। आवश्यकतानुसार पुलिस रिमांड प्राप्त करना और पूछताछ करना। पूछताछ प्रतिवेदन बनाना। कथन आरोपी दर्ज करना ।	यदि समुचित साक्ष्य है तो प्रथम दिन ही कार्यवाही प्रारम्भ करें और शीघ्र से शीघ्र करें।
(31)	आरोपी की शिनाख्तगी हेतु आवश्यक अनुमति लेकर कार्यवाही करवाना। [शिनाख्तगी कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा सम्पादित करायी जानी चाहिए। तत्समय पुलिस को वहां उपस्थित नहीं रहना चाहिए।] (शिनाख्तगी के दौरान पीड़ित को आरोपी से वापदां रखा जावे) [यदि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसकी शिनाख्तगी परेड एवं अन्य कोई कार्यवाही शेष हो तो न्यायालय से अनुमति लेकर कार्यवाहियां संपादित कराना।]	गिरफ्तार होने के बाद यथाशीघ्र
(32)	आरोपियों गिरफतार होने पर आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराना, गिरफतारी से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना। नाबालिक आरोपी की स्थिति में Juvenile Justice Act 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यवाही करना। बाल अपराधी (Child in conflict with law) होने पर	गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर

4

	SJPU और थाना के Child Welfare officer को विवेचना टीम में जोड़ना।	
(33)	अवयस्क आरोपी के आयु संबंधी प्रमाण/साक्ष्य धारा 94 जे. जे.एक्ट 2015 के अनुसार प्राप्त करना। आरोपी का मेडिकल परीक्षण उपरान्त DNA हेतु सैम्पल अस्पताल से प्राप्त करना,जॉच हेतु FSL/DNA लैब भेजना।	01-07 दिन
(34)	अवयस्क आरोपी के 16 वर्ष से अधिक होने की दशा में प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत धारा 15 एवं 18 J.J.Act 2015 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही का आवेदन लगाना।	01-07 दिन
(35)	घटना स्थल का पटवारी नक्शा की आवश्यकता होने पर घटना स्थल का पटवारी नक्शा लेना।	01-07 दिन
(36)	घटना से संबंधित सुसंगत जानकारी रखने वाले स्वतंत्र साक्षीयों के कथन लेख कराना-साक्षियों के फोटो एवं पहचान पत्र प्राप्त कर डायरी में लगाना ताकि न्यायालय में साक्ष्य के समय अभियोजक साक्षी की पहचान स्थापित करा सके।	01 - 10 दिन
(37)	यदि आरोपी अज्ञात है अथवा पूर्व-परिचित नहीं है, तो पीड़िता से उसका हुलिया, कद-काठी, उम्र, धारित कपड़े एवं ऐसी अन्य जानकारी एकत्रित करना, जिससे उसकी पहचान स्थापित हो सके।(आरोपी के बायोमैट्रिक पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।)	प्रथम दिन से ही कार्यवाही प्रारंभ की जावें।
(38)	फोरेंसिक (DNA समेत) परीक्षण हेतु सभी आवश्यक आर्टीकल की ''चैन ऑफ कस्टडी'' मेन्टेन रखना,. FSL/DNA लैब भेजना, अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु सम्बंधित लैब परीक्षण केन्द्र भेजना।	जप्ती के साथ ही यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र अधिकतम 1-5 दिन (चालान से समुचित समय पूर्व)
(39)	यदि पीड़ित गर्भवती है, तो भ्रूण का डी.एन.ए. कराने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्यवाही कराना। यदि डिलीवरी के उपरान्त बच्चे का डी.एन.ए होना है, तो पीड़ित/उसके संरक्षकों को साक्ष्य हेतु ऐसी आवश्यकता होने के विषय में अवगत कराना तथा उनसे सहयोग की अपेक्षा करना। यदि पीड़ित भ्रूण नही रखना चाहती है या किसी कारण वश Abortion हो जाता है/कराया जाता है, तो पीड़िता/संरक्षक एवं डाक्टर को भ्रूण सुरक्षित करने की अपेक्षा करना । यदि गर्भवती पीड़िता नाबालिक है तो cwc को प्रतिवेदन भेजना। गर्भवती स्त्री द्वारा भ्रूण रखने/ न रखने के विषय में डाक्टर की सलाह, न्यायालय के आदेश एवं ''स्त्री के अपने शरीर पर अधिकार'' की भावना के अनुरूप सर्वोत्तम साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास करना।	

(40)	घटित घटना में यदि मोबाइल फोन का प्रयोग हुआ है या मोबाईल फोन सुसंगत साक्ष्य है तो संबंधित नम्बरों की सी.डी.आर. तथा टॉवर लोकेशन हेतु पत्र तैयार कर भिजवाना/प्राप्त करना। C.D.R. विश्लेषण करना। मोबाईल फोन की लोकेशन लेना, आरोपी को खोजना, मोबाइल फोन जब्त करना, मोबाइल फोन फोरेन्सिक परीक्षण हेतु भेजना एवं समस्त सम्बंधित उपाय करना। तदनुसार ही कम्प्यूटर उपकरणों के विषय में भी यथा आवश्यक कार्यवाही करना।	01 – 20 दिन
(41)	यदि घटना कहीं अन्यत्र ले जाकर भी घटित की गई है तो उस स्थान/शहर में जाकर घटना स्थलों/ स्थानों का निरीक्षण करना; उन स्थानों पर उपलब्ध साक्षियों के कथन लेना।	प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दिन से ही।
(42)	सुसगंत तथ्य होने पर होटल/लॉज/धर्मशाला/बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन आदि का रिकॉर्ड प्राप्त करना एवम् बस-ट्रेन यात्रा का रिकार्ड प्राप्त करना। आवश्यक साक्षियों के कथन लेना।	01 – 15 दिन
(43)	घटनास्थल के आसपास शासकीय/निजी CCTV कैमरों की स्थापना की जानकारी लेना और इनके रिकार्डेड फुटेज का अध्ययन करना। सुसंगत फुटेज मिलने की दशा में विधिवत् जप्ती करना।	01 – 07 दिन (यथासम्भव घटना दिनांक के 10 दिन के अन्दर क्योंकि अधिकांश निजी CCTV में DVR की क्षमता सीमित होती है।)
(44)	प्रथम/द्वितीय पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण, विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की समीक्षा। (दिनांक 24/08/2012 को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परवाने में निर्देशित है कि पर्यवेक्षण की कार्यवाही 07 दिवस में की जावे।)	01–07 दिन के अंदर एवं प्रत्येक सप्ताह, उपयुक्त प्रकरणों में प्रतिदिन
(45)	यदि पीड़िता घटित घटना पर से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हो तो उसका परामर्श मनोचिकित्सक से कराकर उसे मानसिक तनाव से मुक्त कराने का प्रयास करना तथा पुनर्वास की आवश्यकता हो तो सम्बंधित एजेंसी से समन्वय कराना। बाल पीड़िता का कोई वारिस न होने पर उसे CWC के माध्यम से Child Care Institution या One Stop Crisis Centre भेजना। वयस्क पीड़िता को आवश्यकतानुसार One Stop Crisis Centre की सहायता दिलवाना।	01 – 07 दिन यथा सम्भव तुरंत
(46)	आरोपी की तलाश करते न मिलने पर फरारी पंचनामा तैयार करना। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के सभी आवश्यक उपाय करना। [सम्भावित उपायों की सुझावात्मक सूची पृथक से प्रसारित की जा चुकी है।]	प्रथम दिन से ही गिरफ्तार होने तक। [7 दिन में गिरफ्तार न होने पर फरारी पचनामा बना लेना चाहिये।]
(47)	आरोपी फरार होने की दशा में आरोपी की तलाश करना और वायरलैस सेट पर विभिन्न जिलों को आरोपी की फरारी के संबंध में सूचना प्रदान करना। फरारी की दशा में आरोपी के	प्रथम दिन से ही

	फोटोग्राफ एवं समस्त जानकारी सम्भावित लोकेशन के जिलों के पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करना; खोजबीन में अन्य एजेन्सियों की मदद मागँना।	
(48)	आरोपी गिरफ्तार होने पर उनकी जमानत आवेदन लगने पर पुलिस का मत अभियोजन को सूचित करना।	यथा समय
(49)	आरोपी फरार होने की स्थिति में चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना।	15 दिन के अंदर
(50)	आरोपी के खिलाफ धारा 82 द.प्र.स. की कार्यवाही हेतु वारंट जारी कराना।	यथाशीघ्र- अधिकतम 30 दिन [देखें द.प्र.स. धारा 82-83]
(51)	धारा 82 द.प्र.स. के तहत जारी वारंट की तामीली करना।	यथा समय शीघ्र से शीघ्र
(52)	आरोपी गिर0 नहीं होने की स्थिति में धारा 82 द.प्र.स. की कार्यवाही के बाद 83 द.प्र.स. की कार्यवाही कराना। पुलिस अधीक्षक से ईनाम की उद्घोषणा कराना।	30 दिन में
(53)	यदि आरोपी बिना मेडिकल परीक्षण के जेल चला गया है तो अभिरक्षा में जा चुके आरोपी का डी.एन.ए. परीक्षण कराने के लिये विधिवत माननीय न्यायालय से अनुमति लेना, नियत दिनांक को जेल से आरोपी का ब्लड सेंपल का नमूना डॉक्टर के माध्यम से लिया जाना, एफ.एस.एल. डॉक्टर से ड्राफ्ट तैयार कराना तथा ब्लड सेंपल परीक्षण हेतु मय ड्राफ्ट के एफ.एस.एल. भेजवाना।	यथाशीघ्र आरोपी के जेल में पहुँच जाने की जानकारी मिलने के 3 दिवस में
(54)	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर भेजे गऐं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित निर्देशों के पालन में शेष अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय-चालान/ खात्मा/खारिजी से पर्याप्त समय पूर्व
(55)	प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 173 जाफौ की रिपोर्ट तैयार कराना, थाना प्रभारी के स्वंय विवेचक न होने पर थाना प्रभारी द्वारा विवेचना का परीक्षण/सत्यापन करना, "पुलिस रिपोर्ट" पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कराना। धारा 173 जाफौ की पुलिस रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया जावे कि संबंधित धाराओं का अपराध किस आधार पर पंजीबद्ध किया गया और किस अपराधी के विरूद्ध किस अपराध का साक्ष्य है स्पष्ट करावें।	शीघ्र से शीघ्र किन्तु 60 दिवस के अंदर
(56)	संबंधित DPO/ ए.डी.पी.ओ. से डायरी का अवलोकन कराकर यदि उनकी कोई सलाह/क्वेरी है तो इसकी पूर्ति कर DPO/ए. डी.पी.ओ. से "पुलिस रिपोर्ट" अग्रेषित कराना। यदि विधि सलाहकार उपलब्ध है, तो समय-समय पर/ प्रत्येक सप्ताह/ आवश्यकतानुसार विधि के सलाहकार से विवेचना की प्रगति पर चर्चा कर सलाह लेना।	प्रतिदिन/प्रतिसप्ताह, [प्रकरण की आवश्यकतानुसार] एवं चालान प्रस्तुत करने से पूर्व

(57)	"कमी पूर्ती" कर आरोप पत्र की छाया प्रतियाँ कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना।	
(58)	पीड़ित प्रतिकर योजना में महिला बाल विकास एवं जिला विधिक प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर राहत राशि पीड़िता को दिलवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक सहायता करना। प्रपत्र देना/भेजना। अ.जा./ज.जा. अधिनियम की धारायें लगी होने पर तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत पीड़ित/परिवार को राहत दिलवाना और अ.जा.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम में अपेक्षित अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय
(59)	यदि किसी प्रकरण विशेष में माननीय न्यायालय/आयोग द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश दिये गये है, तो उनका विधि अनुसार एवं समय सीमा मे पालन करना।	यथा समय
(60)	धारा 65A/65B का प्रमाण पत्र संलग्न करना है, तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न करना। यह प्रमाण-पत्र अभियोग-पत्र में संलग्न किये जाना वैधानिक है। प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रमाणित कराना आवश्यक है अन्यथा उक्त आर्टिकल का कोई विधिक मूल्य नही होगा।	यथासमय/चालान पूर्व
(61)	FSL से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर चालान प्रपत्र एवं केस डायरी में संलग्न करना। यदि FSL/DNA Report से कोई नये साक्ष्य/तथ्य सामने आये हैं, तो तदनुसार अग्रिम विवेचना करना [आवश्यकतानुसार सक्षम अनुमति लेना]	यथा समय
(62)	बाल पीड़िता होने पर विशेष लोक अभियोजक को सूचित करना एवं उनसे समन्वय रखना। विशेष पोक्सो न्यायालय/विशेष महिला न्यायालय से समन्वय रखना; अभियोजक की सहायता करना	यथा समय
(63)	पीड़ित/साक्षी को संरक्षण/सुरक्षा की आवश्यकता होने पर Witness Protection Scheme 2018 के प्रावधानों के अर्न्तगत कार्यवाही कराना	यथा समय
(64)	प्रकरण कायमी से लेकर ट्रायल पूर्ण होने तक आवश्यक तामीली, मॉनीटरिंग एवं पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/कराना।	चालान पेश करने से ट्रायल पूर्ण होने तक

महिला/बालिका के विरूद्ध लैंगिक हिंसा का अपराध होने से सम्बंधित महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान एवं मान. न्यायालयों के महत्वपूर्ण आदेश

कमांक	बिन्दु	सुसंगत विधिक प्रावधान
1	महिला के विरूद्ध छेडछाड लैंगिक हिंसा, लज्जा भंग, एसिड अटैक एवं अन्य विनिर्दिष्ट अपराधों की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी/महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाना	द0प्र0स0 धारा 154 (1) एवं इसका प्रथम "प्रोविसो" पु0रे0 पैरा 579,583,710 एवं अन्य तथा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, परिपत्र
2	उपरोक्त श्रेणियों के अपराधों में पीडित के स्थायी/अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग होने पर पुलिस द्वारा पीडित के निवास या उसके विकल्प के स्थान पर जाकर Interpreter या स्पेशल एजूकेटर की उपस्थिति में रिपोर्ट लिखी जाना	द0प्र0स0 धारा 154 (1) द्वितीय प्रोविसो का Sub Clause (a)
3	महिला के विरूद्ध उपरोक्त क0 1 के अनुसार विनिर्दिष्ट धाराओं के अपराधों की सूचना की रिपोर्ट लेखन की विडियोग्राफी किया जाना।	द0प्र0स0 धारा 154 (1) द्वितीय प्रोविसो का Sub Clause (b)
4	सूचना पर घटना थाना का क्षेत्राधिकार से बाहर का पाये जाने पर "शून्य" पर F.I.R. दर्ज करना और सम्बंधित क्षेत्राधिकार वाले थाना को भेजना	पु0रे0 पैरा 710,715,716,717,719,726 द0प्र0स0 धारा 156 { द0प्र0स0 177,179,183 भी देखें} विभिन्न न्यायालय निर्णय विभिन्न विभागीय परिपत्र/निर्देश
5	थाना प्रभारी F.I.R. लिखने से इकार करने पर फरियादी के पास उपलब्ध वैकल्पिक उपायो का Mechanism	द0प्र0स0 धारा 154 (3) विभिन्न न्यायालय निर्णय विभिन्न विभागीय परिपत्र/निर्देश पु0मु0 (शिकायत शाखा) या परिपत्र कमांक पु.मु/शिका/अमनि/निस/235/20 दिनाक 04/01/20 पु0मु0 (महिला अपराध शाखा) का पत्र कमांक/फाईल नं. 44/अमनि/महिला अपराध/डब्ल्यू-12/44-एच/20 दिनॉक 14/01/2020

6	(a) बलात्कार पीड़ित के कथन पीड़ित के निवास या उसके विकल्प के स्थान पर, जहाँ तक सम्भव हो, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित के माता–पिता / संरक्षक / नजदीकी परिजन / स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति मे दर्ज किया जाना (b) क.1 मे विर्निदिष्ट अपराधो पीडित महिला का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही कथन दर्ज किया जाना	द.प्र.स. धारा 157(1) द्वितीय 'प्रोविसो' धारा 161 द्वितीय (Proviso)
7	महिला (पीडित / गवाह / आरोपी) को (गवाही हेतु) उपस्थिति के लिये उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान (जैसे थाना) पर न बुलाया जाना	धारा 160 (1) द.प्र.स.
8	क.1 मे विर्निदिष्ट अपराधों की पीडित महिला का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस को सूचना प्राप्त होने के बाद **"शीघ्र से शीघ्र"** कथन दर्ज कराना	धारा 164 (5A) (a) द प्र स
9	बलात्कार पीडित का अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर मेडिकल परीक्षण कराना	धारा 164– A द.प्र.स
10	बलात्कार के प्रकरणों में पीडित का DNA परीक्षण कराना	धारा 164– A(2) द प्र स मान0 सर्वोच्च न्यायालय जबलपुर का राजा उर्फ राहू वर्मन प्रकरण मे दिया निर्णय
11	बलात्कार प्रकरण की विवेचना F.I.R. लिखने के 2 माह के अंदर पूर्ण करना	धारा 173 (1–A) द प्र स
12	क 1 मे विर्निदिष्ट अपराधो के प्रकरणो मे लोकसेवक के विरूद्ध चालान हेतु अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता न होना	धारा 197 (1) Explanation
13	बलात्कार पीडित की पहचान को किसी भी स्टेज पर (मृत्यु के बाद भी) उजागर न करना ;In-camera Trial; सील कवर मे आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाना	–धारा 228ए भा.द.वि –धारा327(2) द प्र स –धारा 23(4),24(5),33(7)Pocso Act –धारा 74 J.J.Act 2015 –मान0 सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय विशेषकर (1) निपुन सक्सेना प्रकरण में दिया गया आदेश दिनाक 11 / 12 / 2018 (2) भूपिन्दर शर्मा विरूद्ध हिमाचल राज्य में दिया गया आदेश

14	बलात्कार प्रकरणों का न्यायालय में ट्रायल 2 माह की अवधि मे पूरा किया जाना (समंस/वारन्ट की तामीली की दृष्टि से महत्वपूर्ण)	धारा 309 द.प्र.स.
15	पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीडित को राहत दिलाने हेतु सहायता देना	धारा 357 A द.प्र.स. मान. सर्वोच्च न्यायालय का निपुन सक्सेना प्रकरण में दिनॉक 05/09/2018 को जारी आदेश मे आदेशित पीड़ित प्रतिकर योजना 2018, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना 2015
16	बलात्कार एव एसिड अटैक से पीडित का समस्त शासकीय, निजी चिकित्सालयो द्वारा नि:शुल्क प्राथमिक सहायता/इलाज करना एवं पुलिस को सूचना देना	धारा 357 C द.प्र.स.
17	पीडित/गवाह सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना, गवाह की पहचान छुपाना, गवाह को आर्थिक सहायता आदि	मान. सर्वोव्य न्यायालय द्वारा महिन्दर चावला विरूद्ध भारत सरकार प्रकरण मे जारी आदेश दिनॉक 5/12/2018 में जारी Witness Protection Scheme 2018.
18	लैंगिक हिंसा से बाल पीडित को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना एवं बालकों/बालिकाओं के हितार्थ विभिन्न उपायो का पुलिस थाना/विवेचक द्वारा किया जाना, हित सरक्षण में प्रस्तुत भूमिका का निर्वहन	POCSO Act 2012 के विभिन्न प्रावधान विशेषकर धारा 23, 24, 33,
19	लैंगिक हिंसा पीडित को थाना में रिपोर्ट हेतु आने पर उसे उसके अधिकारों के विषय मे जानकारी दिया जाना; विधिक सहायता हेतु निर्धारित पैनल के वकील की जानकारी दिया जाना	मान. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय विशेषकर दिलीप बनाम राज्य
20	POCSO Act के अर्तगत विवेचना की मॉनीटरिंग हेतु स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क 76/2018 अलख आलोक श्रीवास्तव विरूद्ध भारत सरकार में दिया गया आदेश पुमु का परिपत्र क/पुमु/अमनि/म.अप./3764/18/W-2/05/18 दिनॉक 30/06/18

नोटः– यह सूची समग्र/सम्पूर्ण (Exhaustive) न होकर, केवल उदाहरण स्वरूप (Illustrative) है।

(11)

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No 44 / अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र- ' / W-12/184/2020 Dt. 24/01/2020

परिपत्र-03/2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः— विनिर्दिष्ट श्रेणी के अपराधों की FIR लिखने एवं विवेचना करने हेतु थानों में महिला पुलिस अधिकारी की पदस्थापना करने के संबंध में।

संदर्भः— धारा 154,157, 173 द.प्र.स एवं धारा 24(1) पॉक्सो एक्ट।

प्रदेश में अपराध घटित होने की सूचना पर थाने के भार साधक अधिकारी स्वयं अथवा उसके निर्देश पर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक एवं इनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी FIR लेख करने हेतु सक्षम है। अधिकांश थानो में थाने के भार साधक अधिकारी के रूप में निरीक्षक स्तर के तथा कुछ थानों में उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी भार साधक अधिकारी पदस्थ है।

(1) धारा 154 (1) Proviso भादवि की अपेक्षानुसार महिला के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अपराधों का पंजीयन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार धारा 157 द्वितीय Proviso के प्रावधान के अनुसार बलात्संग मामलों की विवेचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाना है। वर्ष 2018 में 5433 बलात्कार एवं 46 बलात्कार सह हत्या कुल 5479 अपराध पंजीबद्ध हुये थे। इसी प्रकार वर्ष 2018 में धारा 326–ए एवं धारा 326–बी के 6, धारा 354, 354–A से 354–D तक के 8790 एवं धारा 509 के 270 अपराध पंजीबद्ध हुए है। इस प्रकार कुल 14545 अपराध ऐसे है जिसमें महिला अधिकारी द्वारा ही FIR. लिखने की वैधानिक आवश्यकता है।

(2) धारा 157 द्वितीय प्रोविसो में बलात्कार प्रकरणों में तथा धारा 24(1) पॉक्सो एक्ट में इस अधिनियम के प्रकरणों में पीड़ित के कथन महिला पुलिस अधिकारी/महिला उपनिरीक्षक के द्वारा ही लिये जाने की बाध्यता है। वर्ष 2018 में बलात्संग के 5479 और पॉक्सो एक्ट के 2391 प्रकरणों में विवेचना हुई।

(3) पु0मु0 के परिपत्र क्रमांक file no./अति.म.नि./महिला अपराध/नि.स./137/ 2012 दिनांक 24.08.2012 एवं क्रमांक file no./परिपत्र/अ.म.नि./महिला अपराध/626/2014 दिनांक 17.10.2014 के द्वारा लैंगिक हमला (बलात्कार) प्रकरणो मे न्यूनतम उपनिरीक्षक' रैंक के अधिकारी को विवेचना के निर्देश दिये गये है।

अतिरिक्त बल की उपलब्धता होने तक निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:–

(i) धारा 154 (1) Proviso भादवि में विनिर्दिष्ट अपराध 10 से कम की वार्षिक रिपोर्ट वाले थानो में महिला निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक/प्रधान आरक्षक उपलब्ध न होने पर निकटतम थाना/चौकी में उपलब्ध महिला निरीक्षक/उ.नि./स.उ.नि/प्रधान आरक्षक को रिपोर्ट लिखने के लिये बुलाया जावें।

(ii) ऐसे थाने जहॉ वर्ष में 10 से अधिक किंतु 20 तक धारा 154(1) Proviso भादवि के अपराध के पंजीबद्ध होते है, वहां प्रत्येक थाना में **न्यूनतम 01 महिला प्रधान आरक्षक अथवा सहायक उप निरीक्षक अथना उप निरीक्षक पदस्थ** किया जावे।

(iii) ऐसे थाने जहां 20 से अधिक उक्त श्रेणियों के विनिर्दिष्ट अपराध पंजीबद्ध होते है, वहां **न्यूनतम 01 उप निरीक्षक एवं 01 सहायक उप निरीक्षक /01 प्रधान आरक्षक पदस्थ** किया जावें।

(iv) स्वीकृत चौकियों में उक्त श्रेणी के अपराध की सूचना प्राप्त होने पर यदि चौकी में महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम थानो में उपलब्ध उनि या सउनि या प्र.आर. महिला पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखन के लिये बुलाया जावें।

(v) बलात्संग एवं पॉक्सो एक्ट के अंतगर्त अपराध की विवेचना न्यूनतम महिला उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही करेंगें। यदि थाना में महिला निरीक्षक ही भार साधक अधिकारी है, तो वे स्वंय विवेचना करेंगी अथवा अपने अधीनस्थ महिला उप निरीक्षक से विवेचना करा सकेंगीं। अन्य थाना प्रभारी अपने अधीन महिला उप निरीक्षक से विवेचना करा सकेगें। यदि थाना में महिला निरीक्षक अथवा महिला उप निरीक्षक उपलब्ध नही है, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/उप पुलिस अधीक्षक से फोन/वायरलेस से तुरंत संपर्क कर नजदीकी थाना से विवेचना हेतु महिला उप निरीक्षक को नामजद कराया जावेगा। इस नामित महिला उप निरीक्षक को समस्त आवश्यक सहायता संबंधित दोनो थाना प्रभारियों द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

(vi) उपयुक्त प्रकरणों मे जिला पुलिस अधीक्षक अन्य थानों के महिला निरीक्षक या अन्य महिला पुलिस अधिकारी को विवेचना का आदेश जारी कर सकेंगे।

(vii) जिन प्रकरणों में विधि के अनुसार उप निरीक्षक से उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा ही विवेचना की बाध्यता है, उसमें से ऐसे रैंक के ही पुलिस अधिकारी से विवेचना करायी जावे।

(viii) धारा 173 द.प्र.स. में परिभाषित/विनिर्दिष्ट श्रेणी के अपराधों की विवेचना 02 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के समय–समय पर जारी परिपत्रों का पालन किया जावे।

(4) यह परिपत्र मार्गदर्शी है। विधि एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का स्वयं का भी दायित्व है। कृपया माननीय न्यायालयों के आदेशों का स्वयं भी अध्ययन कर पालन करें। परिपत्र की शब्दावली की व्याख्या कानून एवं न्यायालय आदेश के पालन करने की मंशा से की जावे।

24/1/20

(वी.के. सिंह)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण म0प्र0।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अ.अ.वि., योजना, चयन, प्रशिक्षण, सायबर, रेल, एसटीएफ, अजाक म.प्र.।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक(SCRB) म.प्र.पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
(4) समस्त जोन अमनि/महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु ।
(5) समस्त रेंज उमनि म.प्र., पालन कराने हेतु।
(6) समस्त पुमनि/उमनि/समनि महिला अपराध भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर म.प्र.।
(7) स.म.नि. I, II एवं III/उप संचालक अभियोजन पु.मु भोपाल।
(8) प्रभारी W-1 (म.अप.) रिकार्ड नस्ती संधारण हेतु।

24/1/20

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No 44 / अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र–4 / W-12/ 06/2020 Dt. 23/01/2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः– मानसिक / शारीरिक दिव्यांग महिला पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके निवास / विकल्प के स्थान पर लेख किये जाने हेतु।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1)(क) में निहित प्रावधानों का पालन करते हुये महिलाओं के विरूद्ध घटित विनिर्दिष्ट अपराधों में जिनमें महिला फरियादिया / पीड़िता स्थायी / अस्थायी रूप से मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो थाने के भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महिला पुलिस अधिकारी या तो उसके निवास स्थान पर या फिर पीड़िता / परिजन के बताये किसी अनुकूल स्थान पर पहुंच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ऐसे प्रकरणों में यदि किसी दुभाषिया या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसकी उपस्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराना सुनिश्चित करें।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

23/01/2020

(अन्वेष मंगलम)
अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण म0प्र0।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., प्रशिक्षण, सायबर, रेल, एसटीएफ, अजाक म.प्र.।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक(SCRB) म.प्र.पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर, लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
(4) समस्त जोन अमनि / महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु ।
(5) समस्त रेंज उमनि म.प्र., पालन कराने हेतु।
(6) समस्त पुमनि / उमनि / समनि महिला अपराध भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर म.प्र.।
(7) स.म.नि. I II एवं III / उप संचालक अभियोजन(म.अ) / उपुअ / समस्त खण्ड प्रभारी(म.अ.) पुमु भोपाल।
(8) प्रभारी W-1 (म.अप.)रिकार्ड नस्ती संधारण हेतु।

23/01/2020

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल
(महिला अपराध शाखा)

दूरभाष 0755–2443568 फैक्स 2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / अति म.नि / महिला अपराध / W–2 / 283 / 2020 दिनाक – 11/02/2020

:: परिपत्र– 05/ 2020::

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर), भोपाल / इंदौर ।
(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) म0प्र0 ।

विषय – धारा–498(ए) भादवि के अपराध का समय सीमा मे पजीयन, अनुसधान एव गिरफ्तारी के सबध मे।

सदर्भ – (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(Cr.) 592/87डी के बसु विरुद्ध पश्चिम बगाल, WP(Cr.) 68/2008 ललिता कुमारी विरुद्ध उ0प्र0 राज्य, WP(Cr.) 71/2012 रूपाली देवी विरुद्ध उ0प्र0 शासन, SLP(Crl) 9127/13 अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य, WP(C)-73/15सोशल एक्शन फोरम विरुद्ध भारत सरकार मे पारित निर्णय।

(2) पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्र0 / अजाक / 95 भोपाल दिनाक 21.06.1995, जी.ओ.पी.क्र0 / 116 / 2004 दिनाक 08.03.2004, परिपत्र क्र0 / पु.मु. / अजाक / 9657 / 2009 दिनाक 03.08.2009, म0प्र0 शासन का ज्ञापन क्र0–13 / 101 / 2010 / 2 / बी–1, भोपाल दिनाक 31.03.2011 एव क्र0 / File No. / परिपत्र / अमनि / म.अप / 626 / 2014 दिनाक 17.10.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 498ए भादवि के प्रकरणो मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पजीयन, अनुसधान एव आरोपी की गिरफ्तारी के सबध मे विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त सबध मे पुलिस मुख्यालय द्वारा भी सदर्भित एव अन्य विभिन्न परिपत्रो द्वारा व्यापक निर्देश प्रसारित किये गये है। इसके उपरात भी महिला सबंधी दहेज प्रताड़ना के प्रकरणो के प्रजीयन, अनुसधान एव अपराधियो की गिरफ्तारी मे उपर्युक्त निर्देशो का पुन: प्रसारण आवश्यक है।

1. महिलाओ के विरुद्ध प्रताड़ना / घरेलूहिंसा की शिकायतो मे तथ्यो एव परिस्थितियो के दृष्टिगत कई प्रकरणो मे थाना प्रभारी सीधे त्वरितअपराध पजीबद्ध करने के स्थान पर "पारिवारिक परामर्श" का निर्णय लेकर वर्ष 1995 मे जारी परिपत्र के प्रकाश मे गठित"पुलिस परामर्श केन्द्र" को "परामर्श" हेतु भेज देते है। तदोपरान्त "परामर्श" के परिणाम के आधार परप्रकरण पजीबद्ध करने / न करने का निर्णय लेते हैं।

वर्ष 2006 मे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अधिसूचित होने के बाद घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पीड़िता के परामर्श के लिये "सरक्षण अधिकारी"की पृथक व्यवस्था निर्धारित की गई हैजिसे न्यायालयो के नियत्रण / आदेशानुसार किया जाने का प्रावधान किया गया है। मथन

2009 की अनुशंसा के क्रम में पुलिस परामर्श केन्द्रों के परामर्शदाताओं को भी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानोंके अधीन परामर्श के लिये निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया का पालन करने पर परामर्श हेतु अधिकृत किया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा अपराध पंजीयन करने, गिरफ्तारी करने आदि विषय में निर्देश दिये हैं। इसमें विशेष रूप से **WP(Cr.) 592/87डी.के.बसु विरुद्ध पश्चिम बंगालमें पारित निर्णय, 1996 एवं ललिता कुमारी विरुद्ध** उ0प्र0 राज्य **WP(Cr.) 68/2008** प्रकरण प्रमुख हैं। उपरोक्त निर्णयों में पारित निर्णय/आदेश धारा–498ए भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीयन पर भी समान रूप से लागू होते हैं।मान0 सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ **नेसोषल एक्षन फोरम विरुद्ध भारत सरकारWP(c) 73/15**प्रकरण मेंभी धारा 498ए भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीयन एवं गिरफ्तारी के विषय मे विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धृत करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। **रूपाली देवी विरुद्ध** उ0प्र0 शासन **WP(Cr.) 71/2012**प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रताडना के प्रकरणों मे क्षेत्राधिकार (पंजीयन, विवेचना, विचारण) के विषय को द. प्र.स. के प्रावधानो (धारा 179) के संदर्भ में स्पष्ट किया है।

3. वर्तमान में महिला अपराध शाखा को प्राप्त हो रही दैनिक सूचना प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि घरेलू हिंसा/दहेज प्रताडना के प्रकरणों में प्रथम बार पुलिस अधिकॅारी/थाना को सूचना कब प्राप्त हुई और अपराध पंजीयन दिनांक तक इसमें किस–किस प्रक्रिया मे कितना समय लगा। पुलिस मुख्यालय में उपस्थित आने वाले कुछ शिकायतकर्ताओ/आवेदको से प्राप्त जानकारी अनुसार "परामर्श"/परीक्षण के आधार पर कुछ प्रकरणों मे पंजीयन करने/न करने का निर्णय लेने में कई–कई माह लग रहे है। यह स्थिति विधि अनुरूप नहीं है।

4. परिपत्र क्रमांक**File No./अति.म.नि./महिला अपराध/परिपत्र/नि.स./138/2019** दिनांक 29.07.19के द्वारा जिलों को विभिन्न प्रकरणो में पंजीयन में लगने वाले अनुमन्य अधिकतम समय सीमानिर्धारित करते हुये सुझाव/फीडबैक चाहा गया था। इकाईयों से प्राप्त सुझाव/फीडबैक के अनुसार प्रायः सभी इकाई इस परिपत्र मे निर्धारित समय सीमा से सहमत हैं।

<u>अतः निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:–</u>

A. दहेज प्रताडना/घरेलू हिंसा के ऐसे प्रकरण/आवेदन जिसमें आवेदक द्वारा अपराध पंजीयन की अपेक्षा की गई है, मे यदि आवेदन प्राप्तकर्ता थाना प्रभारी या इससे अधीन स्तर का है और थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण में "परामर्श" कराने का निर्णय लिया गया है और आवेदिका (पीडिता) परामर्श की इच्छुक है, तो–

(i)परामर्श कराने/न कराने का निर्णय आवेदन प्राप्त होने के एक दिन में लिया जावे।

(ii)सम्पूर्ण परामर्श प्रक्रिया सामान्यतया अधिकतम **पाँचसप्ताह**एवं अपवाद स्वरुप केवल उलझे हुए मामलो मे अधिकतम **आठ सप्ताह** में पूर्ण की जाकर अपराध पंजीयन करने/न करने का निर्णय यथासंभव तुरत लिया जावे।

इस समय सीमा की जानकारी से उभय पक्षो को प्रारभ मे ही अवगत करा दिया जावे। यदि कोई पक्ष पुलिस/परामर्शदाता को सहयोग नही करता है, तो समय सीमा पूर्ण दिनाक को थाना प्रभारी उपलब्ध साक्ष्य/रिकार्ड के आधार पर निर्णय ले लेगा।

B. यदि आवेदन प्रथम बार थाना प्रभारी से उच्च स्तर पर जिला/रेज/जोन स्तर पर प्राप्त हुआ है तो उपरोक्त क्र0 (A) (i)का निर्णय आवेदन प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा मे लिया जाकर आवेदन सबधित थाना को भेजा जावेगा और तदुपरान्त सबधित थाना उपरोक्त क्र0(A) (ii)के अनुसार निर्णय लेगा/कार्यवाही करे।

C. यदि आवेदन पुलिस मुख्यालय मे प्रथम बार प्राप्त हुआ है तो उपरोक्त (B) अनुसार कार्यवाही उस अधिकारी द्वारा की/कराई जावेगी जिसे कार्यवाही हेतु आवेदन पुलिस मुख्यालय द्वारा पृष्ठाकित किया गया है।

D. यदिपीडिता परामर्श हेतु इच्छुक नही है, तो उपलब्ध जानकारी/साक्ष्य/आवेदन/सूचना के आधार पर ही ठीक उसी प्रकार निर्णय लिया जावे जैसा की किसी भी अन्य सज्ञेय अपराध की सूचना पर निर्णय लिया जाता है। पीडित महिला पर'परामर्श'थोपा नही जावे।

E. यदि पीडित महिला अपराध पजीबद्ध कराने के बाद परामर्श की इच्छुक है, तो अपराध का निराकरण दण्ड प्रक्रिया सहिता के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावे और परामर्श हेतु सबधित माननीय न्यायालय द्वारा घरेलू हिसा अधिनियम 2006 के प्रावधानो के अन्तर्गतहोने की जानकारी पीडित को दी जावे। पीडित को इस हेतु आवश्यक विधिक परामर्श हेतु जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की सहायता लेने की सलाह दी जावे। थाना मे विधिक परामर्श के विषय मे मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 16.04.13 मे दिये गये निर्णय तथा इस विषय मे पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्र0/अति.म.नि/महिलाअपराध/नि.स./425/2013 दिनांक 10.05.13 एवं परिपत्र क्र0/File No./अति.म.नि./म.अप./W-12/91/19/6258/19 दिनांक 13.11.19का पालन किया जावे।

F. यदि किसी माननीय न्यायालय का उपरोक्त समय-सीमा के विपरीत कोई निर्णय हो तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

5 न्यायालय द्वारा प्रेषितप्रकरणो मे न्यायालय आदेश/न्यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

6 यदि किसी न्यायालय निर्णय मे कोई अन्य प्रक्रिया/समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो इस परिपत्र की समय-सीमा स्वमेव अधिक्रमित समझी जावे।

7 'पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र' की प्रक्रिया/फोरम का उपयोग "पजीयन पूर्व जॉच" के तौर पर नही किया जावेगा। पजीयन पूर्व जॉच के विषय मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ललिता कुमारी प्रकरण मे दी गई समय-सीमा एव प्रक्रिया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशो एव पूर्व मे अपराध अनुसधान विभाग से जारी परिपत्रो का पालन किया जावे।

8. पंजीयन उपरान्त 'विवेचना' के साथ–साथ आपराधिक प्रकरण के समानान्तर "जाँच" नहीं की जावेगी। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 तथा अपराध अनुसंधान विभाग के तत्संबंधी परिपत्रों का पालन किया जावे। समस्त उभयपक्षीय साक्ष्य विवेचना में ही ग्राह्य किया जाकर उपयुक्त निर्णय लिया जाकर माननीय न्यायालय को धारा–173 दप्रसं. का उपयुक्त प्रतिवेदन दिया जावे।

9. गिरफ्तारी के विषय में प्रत्येक आरोपी के विषय में उसके विरूद्ध उपलब्ध पृथक–पृथक साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाकर धारा–41 दप्रसं. के प्रावधानों एवं मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के.बसु प्रकरण में दिये गये आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा। आरोपी गिरफ्तार करने की आवश्यकता होने पर किन्तु आरोपी के न मिलने की स्थिति में परिपत्र क्रमांक File No./अति.म.नि./महिला अपराध/PA/178/19 दिनांक 17.10.19में दी गई प्रकिया का पालन किया जावे।

10. धारा–498ए भादवि0 के जिन प्रकरणों में धारा– 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम–1961को भी लगाया गया है और शिकायत/आवेदन प्रथम सूचना पत्र में विवाह के समय दहेज लेनदेन का भी आरोप है, उनमें उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(2)(क) एवं (ख) में प्रावधानित सूची की मांग भी उभय पक्षों से विवेचना के दौरान की जावे। सूची प्रदाय की जाने पर सूची केस डायरी में शामिल की जावे।

11. उभय पक्षो को विवेचना मे सहयोग करने का आदेश जारी किया जा सकेगा। आदेश का पालन न करने पर संबधित के विषय में धारा–174,175,176 भादवि0 के अंतर्गत इस्तगासा भी पेश किया जा सकेगा।

12. सामान्यत अपराध पंजीयन के तीन माह के अन्दर विवेचना पूर्ण की जाकर धारा–173 दप्रसं. का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। विवेचना में अधिक समय की आवश्यकता होने पर पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्र0 पु.मु./अ.म.नि./ म. अप./W–9/19/5806/19 दिनांक 03.09.19मे आदेशित प्रक्रिया का पालन किया जावे। प्रत्येक विवेचना पर्चा भी सीसीटीएनएस मे इन्ट्री किये जाने के विषय मे पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस–4/2914/18 भोपाल दिनाक 20.09.18का पालन किया जावे।

13. इन प्रकरणो, घरेलू हिसा अधिनियम एवं भरण–पोषण के समंस/वारण्टो की गंभीरता से तामीली सुनिश्चित की जावे। समस/वारण्ट के सीसीटीएनएस में आवश्यक रूप से इन्ट्री किये जाने के सबध मे पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक पुमु/राअअब्यूरो/सीसीटीएनएस/केस/979/16 भोपाल दिनाक 04.04.16 का पालन किया जावे।

14. समस्त अधिकारियो एव शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वे माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णयों का स्वयं भी अध्ययन करें और पालन करें/करावें।

15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षको एवं रेंज उप महानिरीक्षको का यह दायित्व होगा कि इन आदेशों का कडाई से पालन करावें और जिलो एव थानो के निरीक्षण/भ्रमण/क्राईम बैठक के दौरान इसके पालन की समीक्षा करे।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

11/2/2020

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक/अति म नि/महिला अपराध/W-2/ 283 /2020 दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण), पु0मु0, भोपाल, कृपया समस्त पुलिस प्रशिक्षण शालाओ को प्रसारित करने हेतु।
2. अति0 पुलिस महानिदेशक(रा0अ0अ0ब्यूरो), पु0मु0, भोपाल की ओर उक्त परिपत्र MPPolice की websiteपर uploadकर Link उपलब्ध कराने हेतु।
3. अति0 पुलिस महानिदेशक, अ0अ0वि0, गुप्तवार्ता, अजाक, सामुदायिक पुलिसिंग, रेल,पु0मु0, भोपाल।
4. समस्त अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोनम0प्र0।
5. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक,म0प्र0।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक(महिला अपराध), म0प्र0।
7. समस्त थाना प्रभारी, महिला थाना, म0प्र0।
8. डीडीपी/स0म0नि0–1,2 एवं 3 (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
9. समस्त उप पुलिस अधीक्षक (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
10. निज सहायक, अ0म0नि0 (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
11. समस्त उपखण्ड प्रभारी (म0अप0), पु0मु0, भोपाल।
12. उपखण्ड डब्ल्यू–1 की ओर रिकार्ड सधारण हेतु।

11/2/2020

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
दूरभाष : 0755–2440107 (कार्यालय) / फैक्स

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–14 / 320 /20. दिनांक – 17 / 02 / 2020

परिपत्र – 06

प्रति,

1 उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल / इंदौर ।
2 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) म0प्र0 ।

विषय – गुम नाबालिग बच्चो से सबधित प्रकरणो मे मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई की सहायता लेने हेतु।

सदर्भ – 1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन क0 75 / 12 (बचपन बचाओ अन्दोलन) प्रकरण मे जारी आदेश दिनाक 10 05 2013
2 पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क 644 / 2014 दिनाक 27 10 14
3 माननीय महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के पत्र क 992 / 20 दिनांक 29 1 2020

––00––

कृपया माननीय महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे। (प्रतिलिपि सलग्न है) उक्त सबध मे आपको पुन निर्देशित किया जाता है कि –

1– गुम नाबालिग बच्चो से सबधित प्रकरणो मे जिलो मे गठित मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई सबधित थानो एव विवेचक को गुम नाबालिग बच्चो को दस्तयाब करने हेतु सहायता करे ।

2– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित किये गये निर्देशो के अनुरूप सभी गुमशुदा बच्चो के प्रकरण जिनमे 4 माह व्यतीत होने के उपरात भी दस्तयाबी नही हुई है मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई को अग्रेषित किये जावे इनकी विवेचना मानव दुर्व्यापार का प्रकरण मानकर की जावे ।

3– बच्चो से सबधित हैबीयस कॉर्पस प्रकरणो मे मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई का भी उपयोग गुम बच्चो को खोज कर माननीय न्यायालय मे पेश करने मे किया जावे।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)
सलग्न उपरोक्तानुसार

(अन्वेष मगलम)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (म0अप0)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–14 / 320 /20 दिनाक – 17 / 02 / 2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण / सायबर / रेल पुलिस मुख्यालय भोपाल।
2 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अअवि / गुप्तवार्ता / अजाक / एसटीएफ / रेल, पुमु भोपाल।
3 समस्त अमनि / पुलिस महानिरीक्षक जोन मध्यप्रदेश।
4 समस्त रेज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
5 समस्त पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) जोन मध्यप्रदेश।
6 सहायक पुलिस महानिरीक्षक I एव II उप सचालक अभियोजन महिला अपराध पु0मु0 भोपाल।
7 समस्त उपखण्ड प्रभारी महिला अपराध शाखा पुमु भोपाल।
8 उपखण्ड डब्ल्यू –1 (म0अप0) की ओर रिकार्ड सधारण हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (म0अप0)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

E-Mail

कार्यालय अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल–462008
दूरभाष 0755–2443568(कार्यालय) / फैक्स 2550367
mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / महिला अपराध / W–13 / /20 दिनांक /03/2020

परिपत्र–07

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल / इंदौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
मध्यप्रदेश।

विषय – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक।

संदर्भ – क्रमांक / पुमु / मा0अप0 / W-2 / 75 / 19 / 4985 / 2019 भोपाल, दिनांक 21.08.19।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 संशोधित **The Protection of Children From Sexual Offences (Amendment) Act, 2019** दिनांक 06.08.19 के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। उक्त संबंध मे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (2012 का 32) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 बनाये गये है।

उक्त नियम की प्रति आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। नियमों का सम्यक रूप से अध्ययन करें तथा प्रति प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी / थाना प्रभारी, विवेचक एवं अभियोजन अधिकारियों को प्रेषित कर जिले में आगामी बैठकों मे विवेचकों का वैधानिक प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित कर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

अति0 पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / पुमु / महिला अपराध / डब्लू–13 / 553 /20 दिनांक 1 / 09 / 2020

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण / साइबर / शिकायत, पुमु, भोपाल।
2 अति0 पुलिस महानिदेशक अअवि / अजाक / साइबर / प्रशिक्षण / रेल / SCRB (MP Police की Website पर Upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु) पु0मु0 भोपाल।
3 सचालक लोक अभियोजन सचालनालय म.प्र., भोपाल।
4 समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
5 समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
6 डी.डी.पी. / स.म.नि. / समस्त उ.पु.अ. म.अप. पु0मु0, भोपाल।
7 नि.स.(अमनि0) म.अप. पु0मु0, भोपाल।
8 प्रभारी, समस्त उपखण्ड, म.अप., पु0मु0, भोपाल।
9 उपखण्ड w-1 की ओर गार्ड फाईल मे सधारण हेतु।

3/13

अति0 पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032020-218601
CC-DL-E-11032020-218601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

सा.का.नि. 165(अ)—केंद्रीय सरकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है,

(ख) "जिला बालक संरक्षण एकक" (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है।

(ग) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, निःशक्तता या किसी अन्य वेदना से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है।

(घ) "विशेष शिक्षक" से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, शारीरिक निःशक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत संरचनाओं और आवश्यकताओं का समाधान करके निःशक्त बालकों से संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड(प) में परिभाषित किया गया है,

(ङ) "बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति" का अर्थ है बालक के माता-पिता या परिवार का सदस्य या बालक के साझा परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक विश्वास और भरोसा रखता है, जो उस बालक के संप्रेषण के विशिष्ट तरीके से परिचित है, और जिनकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है या हो सकती है;

(च) "सहायक व्यक्ति" से नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार बालक कल्याण समिति द्वारा जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत व्यक्ति, या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व-परीक्षण या परीक्षण प्रक्रिया में बालक की सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. **जानकारी का सृजन और समता निर्माण**- (1) केंद्रीय सरकार, या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार बालकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आयु-अनुकूल शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-

(i) उनकी शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा, और उनकी भावनात्मक तथा मानसिक भलाई की रक्षा करने के लिए उपाय;

(ii) लैंगिक अपराधों से निवारण और संरक्षण,

(iii) चाइल्ड हेल्पलाइन -1098 सेवाओं सहित रिपोर्टिंग तंत्र;

(iv) अधिनियम के अधीन अपराधों की प्रभावी निवारण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और लैंगिक साम्या को अंतर्निविष्ट करना।

(2) सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और महाविद्यालयों, बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों, अन्य स्थलों, हवाई अड्डों, टैक्सी स्टैंडों, सिनेमा हॉलों और ऐसे अन्य प्रमुख स्थानों पर संबंधित सरकारों द्वारा उपयुक्त सामग्री और सूचना प्रसारित की जा सकेगी तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आभासी स्थानों में उपयुक्त रूप में भी प्रसारित की जा सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार संभावित जोखिम और भेद्यताओं, दुर्व्यवहार के संकेतों, अधिनियम के अधीन बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ ही बालकों के लिए उपलब्ध सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगी।

(4) बालकों के आवास वाली या स्कूलों, क्रेचों, खेल अकादमियों या बालकों के लिए किसी अन्य सुविधा सहित बालकों के नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को बालकों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या सनिदात्मक, या ऐसे संस्थान का कर्मचारी होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति की समय-समय पर पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक सुरक्षा और संरक्षण पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

(5) संबंधित सरकारें बालकों के विरुद्ध हिंसा के प्रति शून्य-सहिष्णुता के सिद्धांत के आधार पर एक बालक संरक्षण नीति तैयार करेंगी, जिसका बालकों के लिए कार्य करने वाले या संपर्क में आने वाले सभी संस्थानों, संगठनों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा पालन किया जाएगा।

(6) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बालकों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वे नियमित हों या सनिदात्मक, समय-समय पर बालक सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक करने और अधिनियम के अधीन उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पुलिस कार्मिकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संबंधित भूमिकाओं में उनकी क्षमता के निर्माण हेतु नियमित आधार पर अभिविन्यास कार्यक्रम और गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे ।

4. **बालक की देखभाल और संरक्षण के बारे में प्रक्रिया**- (1) जहां किसी विशेष किशोर पुलिस एकक (इसे इसमें इसके पश्चात् "एसजेपीयू" कहा गया है) या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन बालक सहित किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है, ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरा प्रकटित करेगी:-

(i) अपना नाम और पदनाम;

(ii) पता और टेलीफोन नंबर;

(iii) सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क का ब्यौरा।

(2) यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध होने के बारे में ऐसी कोई सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 को प्राप्त होती है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन ऐसी सूचना की तुरंत एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करेगी।

(3) जब किसी एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, जैसा भी मामला हो, को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कोई अपराध जो किया गया हो या करने का प्रयत्न किया गया हो या किए जाने की संभावना हो, के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित प्राधिकारी करेगा, जहां लागू हो :

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड और दर्ज करने की कार्यवाही, और ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उक्त संहिता की धारा 154 की उप-धारा (2) के अनुसार उसकी एक प्रति निःशुल्क प्रतिलिपि देना;

(ख) जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) या इन नियमों के अधीन आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो, तो नियम 6 के अनुसार, बालक की ऐसी देखभाल की पहुंच की व्यवस्था करना;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बालक को चिकित्सीय परीक्षा हेतु अस्पताल ले जाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि फोरेंसिक परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को तुरंत फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाए;

(ङ) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को परामर्श सहित सहायक सेवाओं की उपलब्धता की सूचना देना और इन सेवाओं और अनुतोष प्रदान करने वाले लोगों से संपर्क करने में उनकी सहायता करना;

(च) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम की धारा 40 के अनुसार बालक के विधिक सलाह और वकील के अधिकार तथा वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना।

(4) जहां एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और उसे यह युक्तियुक्त आशंका है कि अपराध बालक के या उसके साझे घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया या प्रयत्न किया गया था किए जाने की संभावना है, या बालक किसी बाल देखरेख संस्थान में और माता-पिता के बिना रह रहा है, या बालक बेघर या माता-पिता के बिना पाया जाता है, तो संबंधित एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बालक को संबंधित बालक कल्याण समिति (इसे इसमें इसके पश्चात "सीडब्ल्यूसी" कहा गया है) के समक्ष लिखित कारणों से कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन देखभाल और सुरक्षा की अपेक्षा है और सीडब्ल्यूसी द्वारा विस्तृत आकलन के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगी।

(5) उप-नियम (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित सीडब्ल्यूसी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसार, तीन दिनों के भीतर, या तो स्वयं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से, यह निर्धारित करेगा, कि क्या बालक को बालक के परिवार या माझा घर की अभिरक्षा से बाहर निकालना और बालक गृह या आश्रय गृह में रखा जाना आवश्यक है।

(6) उप-नियम (4) के अधीन निर्धारण करते समय, सीडब्ल्यूसी निम्नलिखित विचारों के संबंध में बालक के सर्वोत्तम हितों के साथ मामले पर बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी प्राथमिकता या राय पर को ध्यान में रखेगा, अर्थात् -

(i) माता-पिता, या दोनों में से एक, या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की बालक को चिकित्सा जरूरतों और परामर्श सहित तत्काल देखभाल और संरक्षण आवश्यकता को प्रदान करने की क्षमता;

(ii) बालक के माता-पिता, परिवार और विस्तारित परिवार की देखभाल में रहने और उनके साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता;

(iii) बालक की उम्र और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि;

(iv) बालक की निःशक्तता, यदि कोई हो;

(v) कोई पुरानी बीमारी, जिससे बालक पीड़ित हो सकता है;

(vi) बालक या बालक के परिवार के सदस्य सहित पारिवारिक हिंसा का कोई इतिहास; और,

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारक जो बालक के सर्वोत्तम हितों पर असर डाल सकते हैं

परंतु ऐसा निर्धारण करने से पूर्व, इस तरह से जांच की जाएगी कि बालक को अनावश्यक रूप से चोट या असुविधा न पहुंचे।

(7) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है और जिसके साथ बालक रह रहा है, जो ऐसे निर्धारण से प्रभावित होता है, को सूचित किया जाएगा कि ऐसे निर्धारण पर विचार किया जा रहा है।

(8) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उप-नियम (5) के अधीन किए गए उसके निर्धारण के आधार पर, बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है की सहमति से जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालक को हरसंभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध करा सकता है, और बालक को एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराने के बारे में एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करेगा।

(9) सहायक व्यक्ति हर समय उस बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाओं और संभावित परिणामों सहित मामले की कार्यवाही के बारे में सूचित करेगा। सहायक व्यक्ति बालक को न्यायिक प्रक्रिया में सहायक व्यक्ति की भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त के संबंध में बालक की सुरक्षा के बारे में बालक को होने वाली किसी भी चिंता और सहायक व्यक्ति द्वारा बालक की गवाही देने के तरीके से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए।

(10) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है, तो एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस ऐसा दायित्व सौंपने के 24 घंटे के भीतर विशेष अदालत को लिखित में सूचित करेगी।

(11) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, के अनुरोध पर सीडब्ल्यूसी द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, और समाप्ति का अनुरोध करने वाले बालक को ऐसे अनुरोध का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। विशेष अदालत को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी।

(12) सीडब्ल्यूसी जांच के पूरा होने तक सहायक व्यक्ति से शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित पारिवारिक स्थिति और आघात से बचाव की दिशा में प्रगति सहित बालक की स्थिति और देखभाल के संबंध में मासिक रिपोर्ट मांगेगा; मनोवैज्ञानिक देखभाल और परामर्श सहित बालक को आवश्यकता-आधारित निरंतर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सहायक व्यक्ति के समन्वय से, चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के साथ संलग्न करेगा; और बालक की शिक्षा को पुनः चालू करना, या जारी रखना, या अपेक्षित होने पर बालक को नए स्कूल में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेगा।

(13) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसमें बालक को भरोसा और विश्वास है, और सहायक व्यक्ति नियुक्त किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को, अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाईल आवेदनों और न्यायालय की अन्य कार्यवाहियों सहित, घटनाक्रम के बारे में सूचित करना एसजेपीयू, या स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होगी।

(14) एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस भी बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध उनकी हकदारियों और सेवाओं के बारे में प्ररूप-क के अनुसार सूचित करेगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के 24 घंटों के भीतर प्ररूप-ख में प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट को पूरा करेगा और इसे सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करेगी।

(15) बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, को एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, या सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना सम्मिलित है, किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :-

(i) सार्वजनिक और निजी आपातकालीन और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता;

(ii) आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक कदम;

(iii) पीड़ित के प्रतिकर लाभों की उपलब्धता,

(iv) पीड़ित को सूचित करने के औचित्य और अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगा, के विस्तार तक अपराध के अन्वेषण की प्रास्थिति;

(v) संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;

(vi) संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध आरोप फाईल करना,

(vii) न्यायालय की कार्यवाहियों की अनुसूची जिसमें बालक का या तो उपस्थित होना अपेक्षित है या तो वह भाग लेने का हकदार है;

(viii) अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, निर्मुक्ति या निरोध की प्रास्थिति;

(ix) परीक्षण के पश्चात अधिमत का प्रतिपादन, और

(x) अपराधी को अधिरोपित दंडादेश ।

5. **दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति-** (1) प्रत्येक जिले में, डीसीपीयू अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों और सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा और एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को, आवश्यक होने पर, यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) और धारा 26 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) तथा धारा 38 और नियम 4 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव क्रमशः इन नियमों में दर्शित किए जाएंगे।

(3) जहां एक दुभाषिया, अनुवादक, या विशेष शिक्षक डीसीपीयू द्वारा नियम (1) के अधीन रखी गई सूची में अन्यथा नियुक्त है, इस नियम के उप-नियम (4) और उप-नियम(5) के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं में डीसीपीयू, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, प्रासंगिक अनुभव या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक, या विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित भाषाओं में धाराप्रवाह होने के साक्ष्य पर शिथिलता दी जा सकती है।

(4) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषियों और अनुवादकों का बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बालक की मातृभाषा या स्कूल में कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम होने या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा बालक के व्यवसाय, वृत्ति, या ऐसी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में निवास के माध्यम से ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से, के साथ ही राज्य की आधिकारिक भाषा से कार्यात्मक परिचय होना चाहिए।

(5) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए संकेत भाषी दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में या विशेषज्ञ के मामले में संबंधित विषय में प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।

(6) सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बालक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन, या बालक की अभिरक्षा वाले बालक गृह या आश्रय गृह का अधिकारी या डीसीपीयू द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है

परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने से नहीं रोका जाएगा।

(7) दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए रजिस्टर में या अन्यथा नामांकित है, की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 105 के अधीन रखे गए निधियों या डीसीपीयू के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन बालक की सहायता के प्रयोजन से नियुक्त किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति को, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान किया जाएगा किंतु जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगा।

(9) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद बालक द्वारा किसी भी स्तर पर दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहायक व्यक्ति के लिंग के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाए, और जहां आवश्यक हो, बालक से संवाद की सुविधा के लिए ऐसे एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं।

(10) दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहयोगी व्यक्ति या अधिनियम के प्रयोजनों में सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है बालक के संवाद के तरीके से परिचित व्यक्ति, पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष होगे और उनके वास्तविक या संभावित हित संघर्ष का खुलासा करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के इस प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 282 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करेगा।

(11) धारा 38 के अधीन कार्यवाही में, विशेष अदालत यह अभिनिश्चित करेगी कि क्या बालक पर्याप्त रूप से अदालत की भाषा बोलता है, और किसी भी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहायक व्यक्ति या बालक

के संवाद के तरीके से परिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, किसी हित संघर्ष में शामिल नहीं है।

(12) अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति गोपनीयता के नियमों से बाध्य होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन वर्णित है।

6. चिकित्सीय सहायता और देखरेख - (1) जब भी कोई एसजेपीयू, या स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त की जाती है कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है और उसका यह समाधान हो जाता है कि जिस बालक के खिलाफ अपराध किया गया है उसे तत्काल चिकित्सीय देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो जैसा भी मामला हो, वह अधिकारी या स्थानीय पुलिस, ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर, ऐसे बालक को सबसे निकट के अस्पताल या चिकित्सीय सेवा सुविधा केन्द्र में उसके चिकित्सीय देखभाल के लिए ले जाने का प्रबंध करेगी.

परंतु यदि अधिनियम की धारा 3,5,7, या 9 के अधीन अगर अपराध किया गया हो, तो पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भेजा जाएगा।

(2) माता-पिता या संरक्षक या जिस पर बालक को विश्वास हो की उपस्थिति में आपातकालीन चिकित्सीय सेवा इस तरह प्रदान की जाएगी कि बालक की निजता सुरक्षित रहे।

(3) बालक को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय सुविधा केन्द्र ऐसी सेवा प्रदान करने के पूर्व आवश्यक दस्तावेज के रूप में कानूनी या मजिस्ट्रेट की अनुमति या अन्य दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा।

(4) सेवा प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक की जांच करने के साथ निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

(क) अन्य जननांग चोटों सहित कटने-फटने और चोटों के लिए उपचार, यदि कोई हो;

(ख) पहचान किए गए एसटीडी के लिए प्रोफिलैक्सिस सहित यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के संपर्क में आने का उपचार;

(ग) संक्रामक रोग विशेषज्ञों से आवश्यक परामर्श के बाद एचआईवी के लिए प्रोफिलैक्सिस सहित ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के संपर्क में आने का उपचार;

(घ) प्यूबर्टल (तरुण अवस्था प्राप्त योग्य) बालक और उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें बालक को भरोसा और आत्मविश्वास हो के साथ संभावित गर्भावस्था और आपातकालीन गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए; और

(ङ.) जब कभी आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, या अन्य परामर्श, या नशीली दवाओं की लत छुड़ाने की सेवा और कार्यक्रमों के लिए एक रेफरल या परामर्श किया जाना चाहिए।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को बालक की स्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दे सकता है।

(6) आपातकालीन चिकित्सीय सेवा प्रदान किए जाने के दौरान संग्रह किए गए कोई भी फॉरेंसिक प्रमाण आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 27 के अधीन संग्रह किए जाने चाहिए।

(7) अगर बच्ची गर्भवती पाई जाती है तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार विभिन्न विधिपूर्ण विकल्पों के बारे में परामर्श देगा।

(8) अगर बच्चा ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन करने का शिकार पाया गया है तो बालक की नशा मुक्ति कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

(9) यदि बालक (विकलांग जन) दिव्यांग है तो दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपबंधों के अधीन उसकी समुचित उपाय और देखरेख की जाएगी

7. विधिक सहायता और मदद - (1) विधिक सहायता और मदद के लिए सीडब्ल्यूसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात "डीएलएसए" कहा गया है) को सिफारिश करेगा।

(2) बालक को विधिक सहायता और मदद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के उपबंधों के अधीन प्रदान किया जाएगा।

8. विशेष राहत - (1) विशेष राहत के लिए, भोजन, कपड़ा, परिवहन और अन्य आकस्मिक आवश्यकता, यदि हो तो, मीडब्ल्यूसी उस स्थिति में अपेक्षित आकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है :-

(i) धारा 357 के अधीन डीएलएसए; या;

(ii) राज्य द्वारा उनके निपटारे के लिए रखी गई ऐसी निधि में से डीसीपीयू या;

(iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन रखी गई निधि

(2) इस तरह की आकस्मिक रकम का भुगतान शीघ्र मीडब्ल्यूसी से प्राप्त सिफारिश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

9. मुआवजा- (1) प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) रजिस्ट्रीकृत होने के बाद किसी भी स्तर पर बालकों के राहत और पुनर्वास के लिए, विशेष न्यायालय, उचित मामलों में, स्वयं या बालकों द्वारा या उसके लिए फाईल किए गए आवेदन पर अंतरिम मुआवजे के लिए आदेश पारित कर सकता है। बालकों को भुगतान किए गए इस अंतरिम मुआवजे को अंतिम मुआवजा, यदि कोई हो तो, के साथ समंजित किया जाएगा।

(2) दोषी ठहराया जाता है, या जब मामले में अभियुक्त निर्दोष करार दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है, या अभियुक्त का पता नहीं चल पाता या उसकी पहचान नहीं हो पाती, और विशेष न्यायालय के विचार में अपराध के कारण बालक को हानि या चोट पहुंचा हो, तो विशेष न्यायालय, स्वयं या बालक द्वारा या उसके लिए दायर आवेदन पर मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है।

(3) जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा(3) के साथ पठित, अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन निम्नलिखित सहित पीड़ित पहुंचे नुकसानों या चोट से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर पीड़ित के लिए मुआवजा देने का निदेश देगा.

(i) दुर्व्यवहार का प्रकार, अपराध की गंभीरता और बालक को हुई मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता;

(ii) बालक के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या दोनों पर हुए खर्च या होने वाले संभावित चिकित्सा उपचार पर व्यय;

(iii) अपराध के परिणाम स्वरूप मानसिक आघात के कारण स्कूल से अनुपस्थिति, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परीक्षण, या किसी अन्य कारण सहित शैक्षिक अवसर की हानि;

(iv) अपराध के परिणाम स्वरूप रोजगार का नुकसान, मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परीक्षण, या किसी अन्य कारण सहित रोजगार की हानि;

(v) अपराधी का बालक से संबंध, यदि कोई हो;

(vi) क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या समय के साथ दुर्व्यवहार हुआ था;

(vii) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई,

(viii) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक यौन संचारित बीमारी (एसटीडी) के संपर्क में आया,

(ix) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक मानव इम्यूनोडिफीशिएन्सीवायरस (एचआईवी) से संपर्क में आया ;

(x) अपराध के परिणाम स्वरूप बालक में आई कोई दिव्यांगता,

(xi) पुनर्वास की आवश्यकता अवधारित करने के लिए बालक की वित्तीय दशा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो;

(xii) अन्य कोई भी कारक जिसे विशेष न्यायालय प्रासंगिक समझ सकता है।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजा का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति निधि, या अन्य स्कीम या उसके द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 357क या जहां इस तरह की स्कीम और निधि नहीं है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य सरकार की निधि या स्कीम से किया जाएगा।

(5) विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करेगी।

(6) इन नियमों की कोई बात बालक या बालक के माता-पिता या ऐसा बालक जो किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करता हो और उसे उस पर आत्म विश्वास है, को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियमों या स्कीम के अधीन राहत की मांग के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा।

10. **जुर्माना अधिरोपण और इसके भुगतान की प्रक्रिया**- (1) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने का रकम जिसे पीड़ित को भुगतान किया जाना है, वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी डीएलएसए के साथ समन्वय करेगा।

(2) डीसीपीयू और मददगार व्यक्ति की सहायता से सीडब्ल्यूसी बैंक खाता खुलवाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए पहचान की सबूत, आदि की सुविधा प्रदान करेगा।

11. **बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग**- (1) कोई भी व्यक्ति जिसे बालक को सम्मिलित करने वाली कोई अश्लील सामग्री मिली है, या ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित, वितरित, परिचालित, प्रसारित, प्रचार-प्रसार की सुविधा प्रदान करने,या प्रचारित या प्रदर्शित करने, या वितरित होने, सुगम होने या किसी भी तरीके से प्रसारित होने की सूचना मिलती है, वह एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को, या जैसा भी मामला हो, साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर सामग्री की रिपोर्ट करेगा और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के निदेशों के अनुसार एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) में वर्णित "व्यक्ति" एक "मध्यस्थ" है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के उपबंध (डब्ल्यू) में परिभाषित है, तो ऐसा व्यक्ति साथ में रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, जैसा कि उप-नियम (1) में उपबंध किया गया है, ऐसी सामग्री तैयार होने के सृजन स्रोत सहित आवश्यक सामग्री को एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, या जैसा कि मामला हो, साइबर-क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) को सौंपेगा और उक्त सामग्री की प्राप्ति पर, एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर-क्राइम पोर्टल समय-समय पर जारी सरकार के निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(3) रिपोर्ट में उस आकृति का विवरण शामिल होगा जिसमें उस प्लेटफॉर्म सहित ऐसी अश्लील सामग्री देखी गई थी और वह संदिग्ध आकृति जिससे सामग्री प्रदर्शित की गई थी और संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई थी।

(4) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार समय-समय पर इस तरह की रिपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास करेगी।

12. **अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी**- (1) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 के 4) के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसके पश्चात् "एससीपीसीआर" कहा गया है), जैसा भी मामला हो उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे :-

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की अभिहित की निगरानी;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या बालक की सहायता करने के लिए पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरण और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपयोग की निगरानी के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालकों के विकास से जुड़े संबंधित ज्ञान वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों के निरूपण की निगरानी;

(घ) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वयन की निगरानी;

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचना के प्रसार की निगरानी और समर्थन करना, ताकि आम लोग, बालकों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावक अधिनियम के उपबंधों से अवगत हो सकें।

(च) सीडब्ल्यूसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के किसी विशेष मामले की रिपोर्ट मंगाना।

(छ) निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सहित अधिनियम के अधीन की प्रक्रियाओं के अधीन यौन दुर्व्यवहार के मामलों और उनके निपटान के बारे में संबंधित एजेंसियों का स्वयं से जानकारी या आंकड़ा संग्रह करना -

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और विवरण;

(ii) क्या प्रक्रियाओं में शामिल टाइमफ्रेम सहित अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था सहित सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण, और,

(iv) किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा बालकों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के आकलन के बारे में विवरण;

(ज) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करना। अधिनियम की निगरानी की रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में शामिल किया जाएगा।

(2) संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन डेटा एकत्र करने, इस तरह के डेटा को केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के साथ साझा करने का अधिदेश प्राप्त है।

13. **निरसन-** इस निरसन से पहले की गई कोई बात या किए जाने वाले लोप के सिवाय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

प्ररूप-क

सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालकों का अधिकार

1. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल /पीएचसी, आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहां से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना।
7. सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहां आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवादक प्राप्त करना।
10. अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना।
11. निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना
13. शिक्षा जारी रखना।
14. निजता और गोपनीयता।
15. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना

ड्यूटी अधिकारी

(नाम और पद का उल्लिखित किया जाए)

तारीख :

मैंने 'प्ररूप- क' की एक प्रति प्राप्त की है।

(पीड़ित /माता-पिता /संरक्षक का हस्ताक्षर)

(टिप्पण. प्ररूप का अनुवाद स्थानीय भाषा और बाल सुलभ भाषा में किया जा सकता है।)

प्ररूप- ख

प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट

	मापदंड	टिप्पणी
1	पीड़ित की उम्र	
2	अपराधी से बालक का संबंध	
3	अपराध का प्रकार और उसकी गंभीरता	
4	बालक की चोट की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5	क्या बच्चा विकलांग (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक) है।	
6	पीड़ित के माता-पिता की आर्थिक स्थिति, बालक के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, बालक के माता-पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारे में विवरण	
7	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान सामने की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजर रहा है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है	
8	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जांच और परीक्षण या अन्य कारणों से स्कूल से अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9	क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था?	
10	क्या पीड़ित के माता-पिता का किसी प्रकार का इलाज चल रहा है या उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ?	
11	अगर उपलब्ध हो, तो बालक का आधार संख्या	

तारीख :

थाना अध्यक्ष

[फा. सं. 30/1/2019/Cw-I]

आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2020

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **(1) Short title and commencement.**—These rules may be called the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(b) "District Child Protection Unit" (DCPU) means the District Child Protection Unit established by the State Government under section 106 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016).

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

Tel: 0755–2443568 / Fax 0755–2550367
Email Id- mpcaw@mppolice.gov.in

कमाक / पुमु / म0अप0 / W–12 / 91 / 19 / 6370 / 2020 भोपाल, दिनांक – 23/03/2020

परिपत्र–08 / 2020

प्रति,

समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)
समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज
उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर / भोपाल (शहर)
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)
मध्य प्रदेश।

विषय – पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ – (1) पत्र क / File No / परिपत्र / अमनि / म.अप / 445 / 15, दिनांक 27.07.15
(2) पत्र क / File No / परिपत्र / अमनि / म.अप / 393 / 17 दिनांक 12.12.17
(3) पत्र क / File No / अमनि / म.अप / नि.स / 2715 / 19, दिनांक 21.05.19
(4) पत्र क / File No / अमनि / म.अप. / W-12 / 91 / 19 / 6258 / 19,दिनांक 13.11.2019

—oo—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उल्लेखित परिपत्रों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अपने जिलें में विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Service Authority) एवं जिला न्यायाधीश से संपर्क स्थापित कर ऐसे समस्त सूचीबद्ध अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर उनका नाम, पता एवं दूरभाष सहित प्राथमिकता के आधार पर थानों में प्रदर्शित की जावें। विभिन्न पीड़ितों से फीडबैक के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि उक्त वर्णित सूची अधिकांश थानों में प्रदर्शित नहीं की गई है और पीड़िताओं को विधिक सहायता के उनके अधिकारों के विषय में थाने में थाना प्रभारी / ड्यूटी अधिकारी / FIR लेखक के द्वारा नहीं अवगत कराया जा रहा है।

उक्त संबंध में जिला विधिक प्राधिकरण के पैनल पर उपलब्ध विधिक अधिकारी / अधिवक्ता के नाम, पता एवं मोबाईल नंबर की सूची जिले के समस्त पुलिस थानों, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही में आने वाले व्यय की पूर्ति पूर्व में महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय के महिला अपराध की योजना क 7130–35–000 विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार मद के अंतर्गत उपलब्ध बजट से की जा सकती है। यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, तो पुलिस मुख्यालय को अवगत करावें, ताकि आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जा सके।

उक्त संबंध में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति (समाचार पत्र में) जारी करें, जिससे आम जनता विधिक सहायता के प्रति जागरूक हो सके। प्रत्येक पीड़ित को FIR / धारा 161 के कथन के समय ही उसके निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में संलग्न प्रारूप अनुसार बताया जावे और पावती प्राप्त कर केस डायरी में लगावे तथा संबंधित केस डायरी पर्चे में तदानुसार लेख करें। जन जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रमों में यह बिन्दु भी सम्मिलित करें।

निर्देशों का पालन न करने वाले थाना प्रभारियों / ड्यूटी प्रभारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। महिला हेल्पलाइन 1090 पीड़ितों से इस विषय में लगातार फीडबैक लेकर वस्तुस्थिति ज्ञात करता रहेगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

23/3

अति० पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पीड़ित महिला को विधिक सहायता संबंधी सूचना प्रदाय करने हेतु प्रारूप

यौन शोषण से पीड़िता महिला को थानों में प्रकरण के पंजीकरण से लेकर न्यायालय में प्रकरण के अंतिम निराकरण/निर्णय होने तक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकील/ अधिवक्ताओं के सदस्यों की सूची संबंधित थाने से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत जानकारी संबंधित थाना अथवा जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No- /स.म.नि / महिला अपराध / W-12 / 65 / 2020 दि. 04 / 05 / 2020

प्रति, परिपत्र - 09

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः– आपराधिक प्रकरणों में विधिक परामर्श / विधिक संवीक्षा (स्कूटनी) के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– (1) लोक अभियोजन, संचालनालय, म.प्र. का परिपत्र क्रमांक / लोक अभि. संचा / विधि / 2100 / 2019 भोपाल दिनॉक 15 / 04 / 2019।

(2) लोक अभियोजन, संचालनालय, म.प्र. का परिपत्र क्रमांक / लोक अभि. संचा / विधि / 2019 / 6045 भोपाल दिनॉक 04 / 10 / 2019।

कृपया पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 518 एवं 775 के प्रावधानों एवं अ.अ.वि पु.मु. के परिपत्र कमांक / अअवि / विधि(1)विविध / 232 / 06 / 123 / 2007 दिनांक 01 / 03 / 2007 के पालन में धारा 173 द.प्र.सं. की पुलिस रिपोर्ट (चालान / खात्मा / खारिजी) न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व अभियोजन अधिकारी से स्कूटिनी कराने / परामर्श लेने का प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपराधिक अपील कमांक 1485 / 08 प्रकरण में स्कूटिनी को बाध्यकारी किया है ।

उपरोक्त संबंध में संचालनालय लोक अभियोजन द्वारा आपराधिक प्रकरणों में स्कूटिनी करने का परिपत्र / निर्देश सभी उप संचालक / जिला अभियोजन अधिकारियों को जारी किये है । अतः महिला संबंधी अपराधों में परामर्श / स्कूटिनी के लिय उक्त परिपत्र में दिये गये प्रोफार्मा में ही परामर्श / स्कूटिनी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
(पुलिस महानिदेशक,म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

5/5

(अन्देय मंगलम)
अति०पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त जोन अमनि / महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
(2) स.म.नि.(महिला अपराध) / उप संचालक(महिला अपराध) पु.मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5/5

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

लोक अभियोजन,संचालनालय,मध्यप्रदेश,
भदभदा रोड भोपाल,पिनकोड–462003

क्रमांक/लोक अभि.संचा./विधि/2160 /2019 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

परिपत्र

आपराधिक प्रकरणों की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण अनुसंधान के दौरान की गई विधिक त्रुटियां है, आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान में की गई त्रुटियों के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई आपराधिक अपील क्रमांक 1465/08, निर्णय दिनांक 07.01.2014 के चरण क्रमांक 19 में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुती के पूर्व अभियोजन एजेंसी से स्वतंत्र परीक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं। पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 518 एवं 775(क) के तहत भी अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के संबंध में प्रावधान हैं।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन बिना किसी विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के प्रस्तुत कर दिये जाते है। सम्पूर्ण प्रदेश मे विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) की एकरूपात्मक व्यवस्था का भी अभाव है, किसी जिले में मात्र वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ही विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) का कार्य कर रहे हैं तो किसी जिले में यह कार्य कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रकरणों की गंभीरता एवं जटिलता के संदर्भ में भी विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी)/विधिक परामर्श हेतु स्पष्टता का अभाव है।

यह भी देखने में आ रहा है कि स्क्रूटनीकर्ता अधिकारी द्वारा भी बिना किसी औपचारिक विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) प्रपत्र के, अभियोग पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष भाग में अपना नाम/पदनाम स्पष्ट किये बिना मात्र लघु हस्ताक्षर अंकित कर दिये जाते है, जिससे परवर्ती क्रम पर विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) कर्ता की पहचान स्थापित करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव नहीं होता ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में एवं पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 518 एवं 775(क) के प्रावधानों के अनुक्रम में अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के संबंध में एक रूपात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने, तथा विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) कर्ता के दायित्व निर्धारण के उद्देश्य से आपराधिक प्रकरणों में विधिक परामर्श/विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) बाबत् जारी पूर्व दिशा–निर्देशों को अतिरिक्त करते हुये सामान्य दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अभियोजन अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी)/विधिक अभिमत हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आपराधिक प्रकरण की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) सम्यक रूप से तत्परतापूर्वक अभियोग पत्र/केस डायरी प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर की जाएगी।
2. अभियोजन अधिकारी ऐसे प्रकरणों में जिनमें द.प्र.स. की धारा 167 (2) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अनुसार व्यतिकारी खंड के तहत आज्ञापक जमानत के प्रावधान हों में अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय, अभियोग पत्र/केस डायरी, विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी)/विधिक अभिमत हेतु तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक की ऐसे व्यतिकारी प्रावधान अनुसार वर्णित समयावधि के कम से कम 05 दिवस पूर्व अभियोग पत्र/केस डायरी उनके समक्ष प्रस्तुत न की जाए, अर्थात जिन प्रकरणों में यथा स्थिति 60 या 90 दिन में आज्ञापक जमानत के प्रावधान हैं, उनमें ऐसे 60 या 90 दिवस पूर्ण होने के 05 दिन पूर्व केस डायरी/अभियोग पत्र स्क्रूटनी हेतु प्राप्त किये जाऐं।
3. परीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा, विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) नही की जाएगी।
4. विधिक संवीक्षा संलग्न प्रोफार्मा पी–1 अनुसार की जाएगी। संवीक्षाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह अभियोग पत्र प्रस्तुति के संबंध में संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन कर अभियोग पत्र/खात्मा/खारिजी/अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत दे।
5. संवीक्षा के संबंध में इंद्राज अनिवार्य रूप से इस बाबत् संधारित स्क्रूटनी रजिस्टर आर–20 में किया जाएगा।
6. विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कार्य विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि संवीक्षाकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित प्रकरण में अभियोजन संचालन नहीं किया जाए अर्थात कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाए कि "ए" न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) अन्य "बी" अथवा "सी" न्यायालय के भारसाधक अभियोजन अधिकारी द्वारा तथा "बी" न्यायालय के

क्षेत्राधिकार के प्रकरणों की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) क्रमशः "ए" अथवा "सी" न्यायालय के भारसाधक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो।

7. विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) कर्ता अधिकारी द्वारा अपने नाम, पदनाम एवं विधिक अभिमत का स्पष्ट उल्लेख स्क्रूटनी पत्रक में किया जाएगा एवं अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन अग्रेषित करते समय नाम, पदनाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा।
8. अभियोजन अधिकारी द्वारा केवल उसी स्थिति में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष अग्रेषित किया जाए जब यह संकलित साक्ष्य से संतुष्ट हो और चालान योग्य पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हो, अपर्याप्त साक्ष्य की स्थिति में कदापि अभियोग पत्र अग्रेषित न किया जाए।
9. अपर्याप्त साक्ष्य की स्थिति में यदि पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य सक्षम पुलिस अधिकारी स्क्रूटनीकर्ता के अभिमत से भिन्न मत रखते हुए अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं तो ऐसी स्थिति में अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन पुलिस द्वारा सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।
10. विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी)/ विधिक परामर्श में आदेशात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए।
11. विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) प्रपत्र 2 प्रतियों में तैयार किये जायेंगे, एक प्रति अनुसंधान अधिकारी के पास रहेगी, जो केस डायरी का भाग होगी, द्वितीय प्रति अभियोजन कार्यालय में संधारित होगी। यह दृष्टिक संसूचना का भाग होने से विशेषाधिकार दस्तावेज होगी।

सत्र प्रकरण –

1. सत्र प्रकरणों में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) उप संचालक (अभियोजन)/जिला अभियोजन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यदि उक्त श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध न हों तब उप संचालक (अभियोजन) द्वारा निर्देशित वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जा सकेगी।
2. सत्र प्रकरणों की विधिक संवीक्षा के संबंध में उप संचालक (अभियोजन) द्वारा कार्य विभाजन किया जाएगा।

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण –

1. मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में अभियोजन अधिकारियों के मध्य विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) बाबत् कार्य विभाजन उप संचालक (अभियोजन) के अनुमोदन से जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अथवा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों द्वारा की जा सकेगी।
3. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न– 1. संवीक्षा प्रारूप पी–1

15/4/19

महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

प्रतिलिपि–

1. समस्त उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. आई.टी. शाखा की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

15/4/19

महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

P-1

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश,

स्क्रूटनी पत्रक

पुलिस स्टेशन ---------- जिला ----------
F.I.R. क्रमांक ---------- दिनांक ----------
घटना दिनांक व स्थान ----------
अभियुक्त का नाम ----------
अभियोगी/आहत का नाम .....
अधिनियम ---------- धारा ----------
विवेचक का नाम.....पदनाम.....
चार्जशीट / केस डायरी प्राप्त करने की तिथि और समय -------
प्राप्तकर्ता का पूरा नाम एवं पदनाम ----------
परिशीलनकर्ता/स्क्रूटनीकर्ता अभियोजन अधिकारी का नाम..... पदनाम.....
दिनांक और समय जब चार्जशीट / केस डायरी स्क्रूटनी के बाद वापस की गई ----------
स्क्रूटनी उपरांत चार्जशीट/ केस डायरी प्राप्तकर्ता का पूरा नाम..... पदनाम.....
स्क्रूटनी/परिशीलनपूर्ति उपरांत चार्जशीट/केस डायरी प्राप्त होने का दिनांक .....
अभियोगपत्र अवेषणकर्ता अधिकारी का नाम..... पदनाम.....
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का दिनांक .....
न्यायालय का नाम एवं प्रकरण क्रमांक .....
स्क्रूटनी रजिस्टर R-20 में अंकित अनुक्रमांक .....

क्र.	कार्यवाही विवरण-	विवेचक का अनुपालन	टिप्पणी
1	परिशीलन का संक्षिप्त विवरण-		
2	परिशीलन के बिन्दुओं का परिपालन न होने की स्थिति में अभियोजन अधिकारी के द्वारा अंकित टीप का विवरण		
3	परिशीलन के बिन्दुओं का परिपालन न होने की स्थिति में उपसंचालक अभियोजन/ जिला अभियोजन अधिकारी/ अति. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रदत्त आदेश का विवरण		
4	पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक/ सुपरवीजन अधिकारी के द्वारा परिशीलन के बिन्दुओं की पूर्ति न होने पर अभियोगपत्र प्रस्तुति के संबंध में प्रदत्त आदेश का विवरण		

नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
परिशीलनकर्ता अभियोजन अधिकारी

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश,

स्क्रूटनी (परिशीलन) पत्रक

		अभियोजक की टिप्पणी	आईओ द्वारा अनुपालन
1.	सामले के तथ्य संक्षेप में (यदि आवश्यक हो तो प्रथक शीट संलग्न करें)		
2	क्या एफआईआर की प्रति 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को भेजी गई है? प्रति भेजने का दिनांक और समय क्या मजिस्ट्रेट की एफ.आई.आर. प्राप्ति रशीद चार्ज शीट के साथ संलग्न है		
3	क्या सभी प्रत्यक्षदर्शी या अन्य आवश्यक साक्षी जिनके नाम एफआईआर में उल्लेख किए गए थे, के धारा 161 Cr.p.c. के तहत कथन लिये गए हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण । क्या 161 Cr.p.c के कथनों में अपराध के आवश्यक तथ्य आये हैं ? पूरक कथनों की आवश्यकता है अथवा नहीं।		
	अनुसंधान अधिकारी का मत -		
4	क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी की तारीख और जमानत पर छोड़ने की तारीख।		
5	अगर किसी आरोपी को उदघोषित अपराधी घोषित किया गया है, तो विवरण दें। क्या इस तरह के उदघोषित अपराधी के बारे में धारा 174-ए आईपीसी के तहत कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो कारण दें		
6	क्या सभी षड्यंत्रकारियों या अपराध के दुष्प्रेरकों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित है और उन्हे आरोपी के रूप में अभियोग पत्र में समायोजित किया गया है? अथवा नहीं		
7	क्या सभी आरोपियों के विरुद्ध व्यक्तिशः आरोपित अपराध के आवश्यक तथ्य प्रमाणित है? अथवा नहीं		
8	लैंगिक अपराध में अभियोगी/ बालक / अपचारी बालक की आयु के संबंध में साक्ष्य संकलन। (A) 10 वीं कक्षा की मार्क शीट		

	(B) प्रथमबार दाखिला लिये गए स्कूल रजिस्टर (प्ले/नर्सरी स्कूल के अलावा) (C) नगर निगम/ नगर पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र (D) चिकित्सकीय साक्ष्य		
9	क्या अपराध में प्रयुक्त आयुध चिकित्सक अथवा अन्य विशेषज्ञ साक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है?		
10	क्या हथियार की नाप आदि का सम्यक उल्लेख किया गया है? क्या हथियार की चैन ऑफ कस्टडी सुरक्षित है?		
11	क्या मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य (आर्टिकल्स) संकलित किया जाकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं ?		
12	क्या प्रकरण से संबंधित आर्टिकल्स, मुद्देमाल को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया है ?		
13	क्या प्रकरण से संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट/वैज्ञानिक फोरेन्सिक आदि रिपोर्ट संकलित की गई है? यदि रिपोर्ट प्राप्त नहीं है तो क्या जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजने की पावती रशीद संलग्न है यदि नहीं तो कारण।		
14	क्या प्रकरण में अभियुक्त/आर्टिकल की पहचान कार्यवाही की गई है, और उस संबंध में प्रतिवेदन सम्मिलित है ?		
15	क्या अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत पूछताछ की गई है ? क्या ऐसी पूछताछ के आधार पर किसी तथ्य का पता चला है? एवं बरामदगी हुई है, क्या ऐसी बरामदगी सूचना देने वाले व्यक्ति से ही हुई है, अथवा अन्य व्यक्ति से ? ऐसे अन्य व्यक्ति का दायित्व		
16	क्या प्रकरण में कोई मृत्युकालीन कथन संलग्न है ? ऐसे कथन में उल्लेखित तथ्यों पर पूर्ण अनुसंधान है।		
17	क्या साक्षियों के नवीनतम नाम, पते एवं मोबाईल नम्बर/ ई-मेल एड्रेस दर्ज किये गए हैं ?		
18	क्या चार्जशीट में दर्शाये गए सभी मूल दस्तावेज संलग्न है ? यदि कोई दस्तावेज मूलतः संलग्न नहीं किया गया है तो क्या ऐसे साक्षी का विशिष्टतः नाम उल्लेखित है, जिसकी अभिरक्षा में मूल दस्तावेज है और साक्ष्य के समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।		
19	क्या सुसंगत रोजनामचासाना/मालखाना रजिस्टर आदि की प्रति संलग्न है ?		
20	क्या धारा 164 द.प्र.स. के तहत अभिलिखित कथनों की प्रति संलग्न है ?		
21	क्या अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि संबंधी रिकार्ड संलग्न है ?		
22	यदि अभियोजन स्वीकृति आवश्यक हो तो क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, और संलग्न है		
23	क्या प्रकरण से सुसंगत आर्टिकल्स/मुद्देमाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ? अथवा नहीं		
24	क्या सुसंगत विधि के सभी आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों का पालन किया गया है ?		
25	अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में पीड़ित का जाति प्रमाणपत्र संलग्न है अथवा नहीं		

26	क्या सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण हुआ है अथवा नहीं यदि किसी विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है उसका उल्लेख किया गया है अथवा नहीं ?		
27	क्या प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं ?		
28	स्क्रूटनीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं विशिष्ट सुझाव	अनुसंधान अधिकारी/थाना प्रभारी की टीप/अभिमत	
29	क्या अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की जाती है अथवा नहीं । स्पष्ट अभिमत सहित		

हस्ताक्षर

अनुसंधान अधिकारी का नाम पदनाम

हस्ताक्षर

स्क्रूटनीकर्ता/अभियोजक का नाम पदनाम

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश,

पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन परिसर, भदभदा रोड, भोपाल पिनकोड-462003
दूरभाष क्रमांक:- 0755-2775764, 2771806 फैक्स क्रमांक:- 0755-2671707
ई-मेल:- ppofficebho@mp.gov.in

क्रमांक: लोक अभि.संचा./विधि/ / 2019 4415 भोपाल, दिनांक 4 / 10 /2019

परिपत्र

जिला राजगढ़, शाजापुर एवं अन्य जिलों के भ्रमण के दौरान, अभियोजन अधिकारियों द्वारा संचालनालय द्वारा स्क्रूटनी के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक/लोक अभि./संचा./विधि/2100/2019 भोपाल दिनांक 15.04.19 के पालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों से अवगत कराया गया है।

तदानुसार व्यावहारिक क्लिस्टता को दूर किये जाने हेतु सत्र प्रकरणों एवं मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों का गंभीरता/ गुरुता की दृष्टि से प्रथक कर, मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों हेतु समरी प्रकरणों हेतु पत्रक प्रारूप पी-1ए तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों हेतु पी-1बी अनुसार स्क्रूटनी पत्रक जारी किया जाता है, सत्र प्रकरणों हेतु पूर्ववत परिपत्र प्रभावशील रहेगा।

सलंग्न:- पी-1ए एवं पी-1बी (संवीक्षा प्रारूप)

1/10/19
महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. समस्त उपसंचालक/जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. आई.टी. शाखा की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

1/10/19
महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

P-1A

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश

(स्क्रूटनी पत्रक)

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों हेतु

प्रारूप- 1

साधारण एवं समरी मामलों में

अपराध क्रमांक.....	धारा.....	थाना.....
अपराध दिनांक	रिपोर्ट दिनांक.....	फरियादी.....वर्ग.....
चालान क्रमांक.....	चालान दिनांक.....	अभियुक्त.....
स्क्रूटनी में प्रस्तुत करने का दि.....	अनुसंधानकर्ता	

विधिक अभिमत

1/ .....

2/ .....

स्क्रूटनीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश

(स्क्रूटनी पत्रक)

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय गंभीर मामलों हेतु

प्रारूप- 2

गंभीर मामलों में

थाना..... अपराध क्रं.....धारा.....विधान.....

अपराध दि.....रिपोर्ट दि.....फरियादी.....वर्ग.....

चालान क्रं.....चालान दि..... अभियुक्त 1/

2/

स्क्रूटनी में प्रस्तुत करने का दि.....अनुसंधानकर्ता 1/

2/

घटना का संक्षिप्त विवरण.....

.....

.....

अनुसंधान में तैयार दस्तावेजों का विवरण:-.....

दस्तावेज का विवरण	किस बाबत	कौन सिद्ध करेगा
1/		
2/		
3/		

जप्तशुदा माल के संबंध में जानकारी.....

विधिक अभिमत:

1/.....

2/.....

3/.....

स्क्रूटनीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No 32 / अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र / W-12/ 69 / 20 Dt. 04 /05/2020

प्रति,

परिपत्र 10/20

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः— महिलाओं के विरूद्ध विर्निदिष्ट श्रेणी के अपराधों की प्रथम सूचना महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखे जाने के संबंध में।

संदर्भः— (1) पु.मु के परिपत्र क्रमांक / File No 32 / अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र / W-12/184 / 2020 Dt. 24 /01/2020

(2) पु.मु के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक / अमनि / महिलाअपराध / पीए / 32 / 20 Dt. 28 /02/2020

कृपया विषयांकित संदर्भित परिपत्र एवं अर्द्धशासकीय पत्र का अवलोकन करें । महिलाओं के विरूद्ध विर्निदिष्ट श्रेणी के अपराधों की प्रथम सूचना महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखे जाने के संबंध में 25 ईकाइयों से प्राप्त जानकारी (शेष जिलों ने जानकारी नहीं भेजी) का विश्लेषण करने पर पाया गया कि –

(1) लगभग 30 प्रतिशत मामलों में कायमी और बलात्कार प्रकरणों की विवेचना पुरूष अधिकारी द्वारा ही की जा रही है।

(2) यदि प्रकरण में I.T. एक्ट अथवा SCST (POA) एक्ट के प्रावधानों के साथ विवेचना की जा रही है, तो विवेचना अधिकांशतः पुरूष अधिकारी द्वारा की जा रही है।

(3) सभी जिलों ने पूर्व में समस्त व्यवस्था करने / पालन होने की जानकारी दी थी, किन्तु अब मानीटरिंग में महिला स्टाफ न होने का कारण बता रहे हैं।

(4) F.I.R / कथनों की विडियोंग्राफी करने और इसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में पेश करने के मामलो में तामीली का स्तर बहुत कम पाया गया है ।

(5) बड़े जिलो जहॉ समुचित संख्या में अधिकारी उपलब्ध हैं, मे भी स्थिति बेहतर नहीं है।

सम्पूर्ण स्थिति का पुनरीक्षण करने पर पुनः निर्देशित किया जाता है कि–

(i) महिलाओं के विरूद्ध विर्निष्ट अपराधों की FIR का लेखन धारा 154 Cr.P.C. के प्रावधान और पुलिस मुख्यालय के परिपत्र के निर्देशों के पालन में महिला अधिकारी द्वारा ही की जावेगी। इसका पालन कराना जिले के पुलिस अधीक्षक, अति.पु.अधीक्षक, पर्यवेक्षणकर्ता उ.पु.अ. एवं थाना प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वे ही जिम्मेदार है।

(ii) महिला के विरूद्ध विर्निदिष्ट किस्म के अपराध की FIR की ऑडियो, विडियो रिकार्डिंग के प्रावधान का पालन अनिवार्य है। इसका पालन सुनिश्चित कराना उपरोक्त इंगित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

(iii) महिलाओं के विरूद्ध विर्निदिष्ट किस्म के अपराधों की विवेचना धारा 157 Cr.P.C. के प्रावधानों एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्रों के पालन में उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी की महिला पुलिस अधिकारी से कराना बाध्यकारी है। यदि किसी अधिनियम के प्रावधानों में उप निरीक्षक से वरिष्ठ यानि कि निरीक्षक या उ.पु.अ. से विवेचना कराना अनिवार्य है, तो ऐसे रैंक की महिला अधिकारी की विवेचना हेतु व्यवस्था कराना जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है। यदि जिले में उस रैंक का कोई भी महिला अधिकारी नहीं है, तो जोन के अन्य जिलों से व्यवस्था कराई जावे। यदि महिला उ.पु. अ. नहीं है किन्तु महिला अति.पु.अधी. है, तो महिला अति.पु.अधी. से विवेचना कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(iv) द.प्र.सं. के प्रावधनों के अनुसार विवेचना के कथनों की भी Audio-Video Recording की जाना है । इस हेतु पूर्व में जारी परिपत्र कमांक/फाईल नं.44/अमनि/परिपत्र/डब्ल्यू–12/44/2020 दिनांक 16/01/2020 का पालन किया जावे। आवश्यक बजट की मॉग सीधे पुलिस मुख्यालय (योजना शाखा) से तुरन्त की जावे।

(v) महिला अपराधों के विवेचकों का **"विशेष प्रशिक्षण"** चलाये जावे।

(विवेक जौहरी)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु.मु. भोपाल की ओर कृपया सभी पुलिस प्रशिक्षणशालाओं में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की विवेचना हेतु विवचकों के आन साइट/आन लाईन प्रशिक्षण आयोजित करावें।

(2) अ.म.नि.(प्रशासन), आगामी स्थानान्तरण/पदस्थापना के समय सभी जिलों में न्यूनतम 1–1 महिला उ.पु.अ. एवं 1–1 महिला निरीक्षक की जिला बल में उपलब्धता हो जाना सुनिश्चित करावें ।

(3) अ.म.नि. (योजना), जिलों से बजट प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करें ।

(4) समस्त जोन अमनि/पु.मनि./समस्त रेज उ.म.नि. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

E-Mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

Tel: 0755–2443566 / Fax 0755–2550367
Email Id- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–12 / 165 / 20 / /2020 भोपाल, दिनांकः– /05 / 2020

परिपत्र–11 / 2020

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल / इन्दौर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)
मध्य प्रदेश।

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के परिपालन करने के संबंध में।
संदर्भः– भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 राजपत्र अधिसूचना।

—∞—

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भित राजपत्र अधिसूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (संख्याक 49) दिनांक 27.12.2016 को प्रकाशित एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.04.2017 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिनियम महिला संबंधी अपराधों मे प्रकरण अनुसार संबंधित प्रावधानों का समावेश किया जाकर अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का सम्यक् रूप से अध्ययन करें तथा प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी / थाना प्रभारी, विवेचक एवं अभियोजन अधिकारियों को इसकी प्रति प्रेषित कर जिलें में आगामी बैठकों में विवेचकों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। (अध्याय–2 की धारा 7 एवं अध्याय–16 की धारा 89 से 95 तक अपराध एवं शास्ति का उल्लेख किया गया है) जो विशेष रूप से अवलोकनीय है।

संलग्नः– अधिनियम की छायाप्रति।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–12 / 165 / 20 / 924 / 2020 दिनांक–30 / 05 / 2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर सेल / प्रशिक्षण शाखा, पु0मु0, म.प्र.।
2. अति.पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि. / अजाक / गुप्तवार्ता / रेल / STF / SCRB (MP Police की website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
3. समस्त जोनल अति पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), म.प्र.।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
5. जोनल (महिला अपराध) कार्यालय भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर, म.प्र.।
6. डी.डी.पी. / स.म.नि. / समस्त उ.पु.अ. (म.अप.) पु0मु0 म.प्र.।
7. प्रभारी, समस्त उपखण्ड (म.अप.) पु0मु0, म.प्र.।
8. प्रभारी डब्ल्यू–01 (म.अप.) की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

30/5/20

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

दूरभाष– 0755–2443568(कार्या.) / फैक्स– 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / File No /अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र / 9 6 /2020 दिनांक 02/06/2020

परिपत्र क.– 12

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज,
भोपाल एवं इंदौर ।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
मध्यप्रदेश।

विषयः– महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले विभिन्न अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण के संबंध में।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र (1) क्र / अमनि / म0अप0 / नि.स. / 137 / 12 दिनांक 24.08.2012 (2) क्र / अमनि / म0अप0 / 626 / 14 / दिनांक 17.10.2014 (3)क्र / अमनि / म0अप0 / 104 / 17 दि 23.03.2017 (4) क्र / अमनि / म0अप0 / नि.स. / 169–बी / 17 दि 10.08.2017 (5) क्र / अमनि / म0अप0 / नि. स. / 413 / 17 दि. 26.12.2017 (6) क्र / अमनि / म0अप0 / w-9 / 5806 / 19 दि 03.10.19 (7) क्र / अमनि / म0अप0 / डब्ल्यू–9 / 19 / 6194 / 19 दि 04.11.19

मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 735 एवं 879 में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के अनुसंधान के संबंध में पर्यवेक्षण का प्रावधान है। उक्त संबंध में पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से भी महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों के विवेचना अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के संबंध में व्यापक निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान में घटित अपराधों की संख्या और पुलिस अधीक्षक की अन्य कार्यों में व्यस्तता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विषय पर संशोधित परिपत्र जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

अतः संदर्भित परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुये महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रभावशील किये जाते हैं–

क्र	अपराध शीर्ष / परिस्थितियॉं	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी, जो विवेचना कर सकता है	न्यूनतम रैंक का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना ही चाहिये
(1)	बलात्संग (376,376(क), 376(ख),376(ग),376(ङ), भादवि)	महिला उपनिरीक्षक	अनु0पु0अ0 / न0पु0अ0
(1-A)	सामूहिक बलात्संग (376(घ) भादवि)	महिला उपनिरीक्षक	अनु0पु0अ0 / न0पु0अ0,
(1-B)	बलात्संग सहित हत्या(376,302 भादवि)	महिला उपनिरीक्षक	अनु0पु0अ0 / न0पु0अ0; एवं जिला पुलिस अधीक्षक
(2)	हत्या (302 भादवि)	निरीक्षक / थाना प्रभारी	अनु0पु0अ0 / न0पु0अ0,अति0पु0अ
(3)	हत्या का प्रयास (307 भादवि)	उप निरीक्षक	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0
(4)	आपराधिक मानव वध का प्रयास	उप निरीक्षक	——

क्र	अपराध शीर्ष / परिस्थितियाँ	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी, जो विवेचना कर सकता है	न्यूनतम रैंक का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना ही चाहिये
	(308 भादवि)		
(5)	महिलाओं की लज्जा भंग(354, 354(क),354(ख),354(ग),354(घ) भादवि)	महिला उपनिरीक्षक	——
(6)	अश्लील इशारें (509, भादवि)	सहा. महिला उपनिरीक्षक	——
(7)	अपहरण (363,366)	सहा. उप निरीक्षक	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0
(8)	मानव दुर्व्यापार (370, 373 भादवि)	उप निरीक्षक	अनु0पु0अ0 / न0पु0अ0,अति0पु0अ जिला पुलिस अधीक्षक
(9)	प्रकृति विरूद्ध अपराध (377 भादवि)	महिला उपनिरीक्षक	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0
(10)	दहेज मृत्यु (304–बी भादवि)	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0	अति.पुलिस अधीक्षक
(11)	आत्महत्या का दुष्प्रेरण (305,306 भादवि)	उपनिरीक्षक	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0
(12)	दहेज प्रताड़ना (498–ए भादवि,3 / 4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम)	सहा. उपनिरीक्षक	——
(13)	एसिड अटैक (326-A, 326 B भादवि)	महिला उप निरीक्षक	अनु. पुलिस / न0पु0अ0अधि, अति0 पुलिस अधीक्षक
(14)	भ्रूण संबंधी अपराध (312,318 भादवि)	सहा.उपनिरीक्षक	——
(15)	गंभीर उपहति, (325,326 भादवि)	सहा.उपनिरीक्षक	——
(16)	साधारण उपहति (323,324 भादवि)	प्रधान आरक्षक अवयस्क आरोपी होने पर "बाल कल्याण पुलिस अधिकारी"	——
(17)	गाली–गलौच धमकी (294,506 भादवि)	प्रधान आरक्षक अवयस्क आरोपी होने पर "बाल कल्याण पुलिस अधिकारी"	——
(18)	अश्लील पुस्तक / चित्र (292 भादवि)	सहा. उपनिरीक्षक	——
(19)	अपहरण के ऐसे प्रकरण जिसमें बालक / बालिका को गुमे चार माह से अधिक हो गये हो और वह बरामद नहीं हुआ है।	जिले की AHTU के प्रभारी (न्यूनतम रैंक उप पुलिस अधीक्षक)	——
(20)	विवाह के 7 वर्ष से कम की अवधि में नवविवाहिता की मृत्यु का मर्ग	उप पुलिस अधीक्षक	अति पुलिस अधिक्षक
(20-A)	नव विवाहिता के घायल होने / जलने पर उपचार हेतु	महिला उपनिरीक्षक	अनु.अधि.पुलिस / न0पु0अ0

क्र	अपराध शीर्ष/परिस्थितियाँ	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी, जो विवेचना कर सकता है	न्यूनतम रैंक का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना ही चाहिये
	अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर थाना द्वारा की जाने वाली जॉच		
(21)	ऐसे प्रकरण जिसमें विवेचना 3 माह से ज्यादा समय से पूर्ण नही हो सकी हो।	उपरोक्त क्र 1से 20 में से जो भी लागू हो।	जिला पुलिस अधीक्षक (संदर्भित परिपत्र क्र 6 के अनुसार)
(21-A)	ऐसे प्रकरण जिसमें विवेचना 6 माह से ज्यादा समय से पूर्ण नही हो सकी हो।	——"——	रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक (संदर्भित परिपत्र क्र 6 के अनुसार)
(21-B)	ऐसे प्रकरण जिसमें विवेचना एक वर्ष से ज्यादा समय से पूर्ण नही हो सकी हो।	——"——	जोन पुलिस महानिरीक्षक (संदर्भित परिपत्र क्र 6 के अनुसार)
(21-C)	ऐसे प्रकरण जिसमें चालान उपरांत 173 (8) के अर्न्तगत "अग्रिम विवेचना" (Further Investingtion) जारी रखी गयी हो ।	——"——	जिला पुलिस अधीक्षक
(21-D)	ऐसे प्रकरण में जिसमें एक से अधिक आरोपी प्राप्त साक्ष्य होते हुये भी गिरफ्तार नही किये जा सके हो, विवेचक उन्हें गिरफ्तार करने की मंशा CD में लेख कर चुका है तथा किसी कारण वश आरोपी के विरूद्व धारा 299 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत फरारी में चालान पेश करना है। केवल आरोपी-की गिरफ्तारी शेष है किसी अन्य बिन्दु पर विवेचना करना शेष नही है।	——"——	जिला पुलिस अधीक्षक समीक्षा उपरान्त चालान न्यायलय प्रस्तुत करने कि अनुमति देंगे।
(22)	समस्त श्रेणी के चिन्हित प्रकरण	——"——	जिला पुलिस अधीक्षक

क्र	अपराध शीर्ष/परिस्थितियाँ	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी, जो विवेचना कर सकता है	न्यूनतम रैंक का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना ही चाहिये
(23)	ऐसे प्रकरण जिसमें कानून–व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई है, आमजन/मीडिया में आक्रोश है, आरोपी/अनावेदक पक्ष प्रकरण के झूठा होने की लगातार शिकायत कर रहा है/ समाचार पत्रों में विपरीत टीकाए प्रकाशित हो रही है।	——"——	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(24)	प्रकरण जिसमें आरोपी आदतन/ अभ्यास संगत/ हिंसक अपराधी हो, हिस्ट्रीशीटर या निगरानीशुदा बदमाश हो	——"——	अति. पुलिस अधीक्षक
(25)	(A) ऐसे प्रकरण जिसमें आरोपी गिरफ्तार किये जाने की मंशा केस डायरी में व्यक्त होने के बाद भी 15 दिन से अधिक समय से फरार हो।	——"——	(A) अति. पुलिस अधीक्षक
	(B) जिसमें 60 दिन से अधिक समय से फरार हो ।	——"——	(B) जिला पुलिस अधीक्षक

विविध अधिनियम

	अपराध शीर्ष	विवेचना अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी
(27)	(a) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956	अधिनियम में प्राधिकृत/ अधिघोषित अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	अनु.अधि. पुलिस/न0पु0अ0
	(b) सती निवारण अधिनियम 1987		
	(c) पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1984		
	(d) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961		
	(e) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधि01986		
	(f) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006		
	(g) बल श्रम निषेध अधिनियम 1966		
	(h) मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019		
(28)	अन्य प्रकरण जो उपरोक्त उल्लेखित विवरणों में सम्मिलित न हो सके हो।	प्र0आर0 अथवा संबंधित अधिनियम में उल्लेखित पद का अनुसंधान अधिकारी, जो भी उच्च पद का हो।	अनु.अधि. पुलिस/न0पु0अ0

(1) परिपत्र में विवेचक एवं पर्यवेक्षक की न्यूतम रैंक लेख है। इससे वरिष्ठ के द्वारा विवेचना एवं पर्यवेक्षण पर कोई प्रतिबंध नही है। जिला पुलिस अधीक्षक/रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/जोन पुलिस महानिरीक्षक प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत विवेचकों की टीम या विवेचक को अतिरिक्त ससांधन प्रदान करना चाहिये।

(2) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में यदि उपरोक्त क्र 1,1–ए,1–बी,5,6 एवं 9 की धारा भी लगी है तो विवेचक का महिला अधिकारी होना अनिवार्य है। विवेचक की रैंक का निर्धारण सम्बधित अधिनियम एवं पुलिस मुख्यालय (अजाक) शाखा के परिपत्र के अनुसार होगा। पोक्सो अधिनियम 2012 धारा 24 के प्रावधान के दृष्टिगत पोक्सो अधिनियम के समस्त अपराधों में विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक का ही होगा। अवयस्क "विधि विवादित बालक" के आरोपी होने पर विवेचक के प्रकार/रैंक के विषय में J.J. Act 2015 एवं Model Rules 2016 का पालन किया जावे।

इसी प्रकार यदि किसी अधिनियम में निरीक्षक रैंक के अधिकारी के द्वारा विवेचना की बाध्यता है और प्रकरण में उपरोक्त में से कोई धारा भी लगी है, तो विवेचना अधिकारी का रैंक उस अधिनियम के प्रावधानुसार होना चाहिये तथा उसके अनुसंधान अधिकारी के महिला अधिकारी होने की बाध्यता इस परिपत्र के अनुसार निर्धारित की जावें।

अजा/अजजा महिला के विरूद्ध अपहरण एवं लैंगिक हमले के प्रकरण की विवेचना महिला उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाना बाध्यकारी है।

(3) यदि किसी प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी के विषय में माननीय न्यायालय या धारा 36 सहपठित धारा 158 दं.प्र.सं. के अतंर्गत राज्य शासन का सामान्य या विशिष्ट आदेश है, तो उसका पालन किया जावेगा।

(4) जिलें के पुलिस अधीक्षक प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत स्व–विवेक से किसी भी अन्य प्रकरण का भी पर्यवेक्षण कर सकेगें। पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा है कि वे माह में कम से कम 4 प्रकरण अवश्य स्वयं मौके पर जाकर तथा केसडायरी बुलाकर पर्यवेक्षण टीप जारी करें।

(5) पुलिस मुख्यालय/जोन पुलिस महानिरीक्षक/रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकरण उनके निर्देशानुसार प्रकरण का पर्यवेक्षण जिला पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा भी किया जावेगा।

(6) जिन प्रकरणों में एक विवेचक चालान एवं और दूसरा विवेचक खात्मा/खारजी प्रकार का साक्ष्य मूल्याकंन कर रहे है, उन प्रकरणों का पर्यवेक्षण जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जाना चाहिये।

(7) जिन प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक किसी विशेष कारण से स्वयं पर्यवेक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें प्रथक से आदेश जारी कर अति. पुलिस अधीक्षक से पर्यवेक्षण कराना चाहिये तथा बाद में समय मिलने पर स्वयं भी पर्यवेक्षण करना चाहिये। सामान्यतया एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को माह में कम से कम 15 प्रकरण अवश्य मौके पर जाकर एवं केसडायरी बुलाकर पर्यवेक्षण करना और टीप जारी करना चाहियें।

(8) जिन प्रकरणों में स्वयं उप पुलिस अधीक्षक रैंक अधिकारी विवेचक है, उनका पर्यवेक्षण अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से किया जावेगा।

(9) रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक एवं जोन पुलिस महानिरीक्षक स्वविवेक से किसी भी अन्य प्रकरण का उसकी महत्व एवं गंभीरता अनुसार पर्यवेक्षण करेगें। अर्न्तराजिला, अर्न्तराज्य लिंक/नेटवर्क वाले प्रकरणों, कानून व्यवस्था एवं की चुनौती बन गये प्रकरणों और जन मानस को उद्वेलित करने वाले प्रकरणों में जोन पुलिस महानिरीक्षक अथवा रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक को स्वंय मौके पर रहकर पर्यवेक्षण कराना चाहिये।

(10) जोन पुलिस महानिरीक्षक एवं रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक का प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना है। वे यह देखे कि पर्यवेक्षण से विवेचना की गति एवं गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुआ अथवा नही।

(11) प्रथम पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपराध पंजीयन के यथासमय तुरंत बाद किन्तु अधिकतम 48 घंटे के भीतर प्रकरण का प्रथम पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावें तथा पर्यवेक्षण स्थल पर ही विवेचना अधिकारी को लिखित निर्देश तत्काल प्रदान कर दिये जाये ताकि विवेचक तद्नुसार घटना स्थल पर अनुसंधान में तत्पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारी निर्धारित प्रोफार्मा में औपचारिक विस्तृत पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अपने कार्यालय से पर्यवेक्षण के तीन दिन के भीतर विवेचना अधिकारी को भिजवा देना सुनिश्चित करेंगे।

(12) पर्यवेक्षण एक सतत् प्रकिया है। प्रथम पर्यवेक्षक विवेचना की गति एवं गुणवत्ता पर अंतिम निराकरण तक नजर रखेगें और विवेचक को मार्गदर्शन देगें।

(13) पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 735, 879, 867(डी) में अपराधों की विवेचना के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण का संकेत किया गया है। समय–समय पर पुलिस मुख्यालय के परिपत्रों द्वारा विवेचनाओं के विभिन्न अधिकारियो द्वारा स्वयं पर्यवेक्षण के विषय में निर्देश जारी किये गये हैं। पर्यवेक्षण में संख्या और औपचारिकता के स्थान पर "गुणवत्ता" महत्वपूर्ण होती है। केवल गुणवत्तापूर्ण, पर्यवेक्षण ही अधीनस्थो में वरिष्ठ अधिकारी की योग्यता एवं व्यावसयिक रूचि के विषय में "विश्वास" जगाता है जबकि "औपचारिकतापूर्ण" अथवा अधीनस्थ को भेजकर लिख दिये जाने वाले पर्यवेक्षण की विवेचक परवाह नही करते हैं।

(14) पर्यवेक्षण निर्देशों में **"गिनती"** नहीं, "गुणवत्ता" महत्वपूर्ण बिन्दु है। रूटिन किस्म के पर्यवेक्षण बिन्दु जैसे, **"पटवारी नक्शा बनावें" "आदि"** को पर्यवेक्षण में शामिल नहीं करते हुये, विवेचना प्लान में विवेचक से ही शामिल कराया जावें। प्रत्येक प्रकरण में विवेचक के द्वारा विवेचना हेतु डायरी मिलते ही अध्ययन कर विवेचना प्लान तैयार करना चाहिये। पर्यवेक्षक को यह प्लान देखकर ही पर्यवेक्षण टीप जारी करना चाहियें। कभी–कभी परिस्थितियां ऐसी होती है, जिनमें तुरन्त औपचारिक रिकार्ड तैयार करने के स्थान पर मौके की कार्यवाही आवश्यक होती है, ऐसे में विवेचक/पर्यवेक्षक अनुभव के आधार पर एक अलिखित विवेचना प्लान के अर्न्तगत ही अधिकाशं/महत्वपूर्ण कार्यवाही कर लेते है। यही प्रक्रिया उचित है। ऐसे मामलों में बाद में समय मिलने पर विवेचना प्लान का **"दस्तावेजीकरण"** किया जाना चाहिये।

(15) पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा साक्ष्य का आंकलन किये बिना नामजद आरोपी की गिरफ्तार कर देने या चालान पेश करने जैसे Pre-emptive निर्देश देने से बचना चाहिये। यदि ऐसे निर्देश देना हो, तो साक्ष्य की स्थिति की समीक्षा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में ही होना चाहिये। आरोपी गिरफ्तार करने/न करने और चालान/खात्मा/खारजी करने का निर्णय यथासमय प्रत्येक आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य की स्थिति के अनुसार विधिक प्रावधानों विशेषकर धारा 41 सी.आर.पी.सी. का पालन करते हुये ही होना चाहिये। इन निर्देशों का आशय यह नहीं है कि घटना की सूचना प्राप्ति के तुरंत बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाना हैं। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी का निर्णय लेने में विवेचक/थाना प्रभारी/पर्यवेक्षक सक्षम है। इस विषय में धारा 41 सी.आर.पी.सी का पालन बाध्यकारी है।

(16) **"पर्यवेक्षण"** का आशय केवल प्रथम वार मौके पर जाकर/केसडायरी देखकर औपचारिक पर्यवेक्षण टीप जारी करना मात्र ही नहीं है। पर्यवेक्षक अधिकारी को पर्यवेक्षण प्रकरण की विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की दिन–प्रतिदिन समीक्षा करना चाहिये। ऐसी समीक्षा विवेचक/थाना प्रभारी से अनौपारिचक पूछताछ/चर्चा, डायजैस्ट भरने के दौरान जारी

परवाना, रोजनामचा अध्ययन का निर्देश, थाना भ्रमण पर केसडायरी बुलाकर प्रगति का अध्ययन कर, पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन FND/MAC के अध्ययन क्राईम मीटिंग जैसे कई तरीकों से किया जा सकता है। यह सम्भव है कि एफ.आई.आर के तुरंत बाद/प्रथम कुछ दिन में ही कर लिये गये पर्यवेक्षण के बाद जारी निर्देशों में, विवेचना की प्रगति के कारण कुछ ऐसे तथ्य आये हो, जिनके आधार पूर्व में जारी निर्देशों के अलावा कुछ नये निर्देश देने आवश्यक हो, या पूर्व के निर्देश निरस्त/संशोधित करने हो, या निर्देशों का पालन करने बाद ऐसे नये तथ्यों सामने आये हो, जिससे पुनः फॉलो–अप पर्यवेक्षण करना और फॉलो–अप/ अतिरिक्त विवेचना प्लान बनाया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी पूरक/फॉलो–अप अतिरिक्त पर्यवेक्षण टीप भी जारी की जानी चाहिये। प्रथम पर्यवेक्षक को तो आवश्यक रूप से घटना स्थल का भ्रमण, प्रमुख साक्षियों से चर्चा और सत्यापन करना ही चाहिये। थाना प्रभारी को भी विवेचना का सत्यापन कर साक्ष्य से संतुष्ट होने पर धारा 173 दं.प्र.सं. का प्रतिवेदन लेख कराना चाहिये।

(17) **कुछ** प्रकरण ऐसे हो सकते है कि उनमें मात्र औपचारिक पर्यवेक्षण ही पर्याप्त नही है। **ASP** या **SP** या **DIG** या **IG** को स्वयं मौके पर एक या उससे भी अधिक दिन लगातार या बार–बार जाकर, मौके पर रहकर कैम्प करके अपने निर्देशन में बड़ी टीम लगाकर विवेचना करानी आवश्यक हो। ऐसे प्रकरणों की सूची अपराध धारा के आधार पर नही बनाई जा सकती है। यह प्रकरण के महत्व पर निर्भर है। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कराते हुए औपचारिक पर्यवेक्षण टीप भी जारी करना चाहिये।

(18) प्रत्येक प्रकरण में वरिष्ठतम पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी का यह दायित्व है कि वह प्रकरण की विवेचना पूर्ण होना प्रतीत होने पर स्वयं को संतुष्ट कर ले, कि उसके निर्देशों का पालन हो गया है अथवा जिनका पालन होना संभव/आवश्यक नहीं है, वह कारण उपयुक्त है और मामले में चालान/खात्मा/खारजी के विषय में विवेचक का निर्णय उपयुक्त साक्ष्य अनुरूप एवं विधि सम्मत होने से वह उससे सहमत **है**। विवेचक का यह दायित्व है कि वह पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी से परामर्श एवं विधिक अधिकारी की निर्धारित प्रोफार्मा में स्कूटिनी के पालन के उपरांत ही न्यायालय में धारा 173 सी.आर.पी.सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(19) वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण का उद्देश्य विवेचना की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाना तो है ही, साथ ही विवेचक के **"निर्णयों"** का टीम भावना के साथ परीक्षण, समर्थन एवं मार्गदर्शन भी है। विवेचक कई अवसरों पर समझ जाते है कि एफ.आई.आर असत्य या अर्धसत्य है या चालान योग्य समुचित साक्ष्य नहीं है, किन्तु विभिन्न व्यावहारिक कारणों एवं भय वश 'सत्य' को 'सत्य' लिखने से बचते है और चालान करना ही श्रेष्ठ विकल्प समझते है। ऐसे में वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं समर्थन उन्हें 'सत्य' एवं निष्पक्ष विवेचना के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण एक सामूहिक निर्णय का माध्यम भी है।

(20) विभिन्न पुराने पारपत्रों की ड्राफ्टिंग पृच्छन्त रूप से चालान कर देने को ही आसान/स्वीकार्य तरीका होने का आभास दे सकते हैं। किन्तु ऐसा कोई निर्देश नहीं है। विवेचना का आशय FIR की ताईदी करना नहीं है। विवेचना का आशय सत्य एवं निष्पक्ष साक्ष्य संग्रह (Fair & Truthful Evidence Collection) है। यह विचार भी सही नहीं कि साक्ष्य देखना न्यायालय का कार्य है। पुलिस का वैधानिक कर्तव्य है कि प्रत्येक आरोपी के विरूद्ध हरसंभव साक्ष्य एकत्रित करे और यदि किसी आरोपी के विरूद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं है तो धारा 173 दं.प्र.सं. में ऐसा ही लेख हो। यदि अपर्याप्त/बिना साक्ष्य के पुलिस चालान पेश कर देती है, तो निर्दोष को न्यायालय में अपनी निर्दोषता साबित करने में जिस यत्रंणा एवं समय, श्रम, धन के व्यय से गुजरना पड़ता है, वह अपने आप में "सजा" से कम नहीं है। विवेचक और पर्यवेक्षक का यह देखना उनका वैधानिक कर्तव्य है।

(21) रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/जोन पुलिस महानिरीक्षक को कार्यालय में डी. एस.आर प्राप्त होने ब्रीफिंग पर्यवेक्षण /प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भ्रमण, निरीक्षण, मासिक समीक्षा बैठक आदि के दौरान महत्वपूर्ण प्रकरणों की विवेचना की गति और गुणवत्ता की मानीटरिंग करना चाहियें और इस विषय में पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कराना चाहिये। गुणवत्ता विहीन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन नोटिस में आने पर सम्बंधित अधिकारी को सतर्क किया जाना उनका दायित्व है।

(22) कई ऐसे अवसर उत्पन्न होते है, जिसमें प्रकरण की FIR लिखते समय या विवेचना के दौरान अधिनस्थ अधिकारी विधि एवं प्रकिया का अद्यतन ज्ञान/अनुभव की कमी होने से किकर्तव्य–विमूढ़ हो जाते है, और उन्हें विभागीय मार्गदर्शन या विधिक सलाह की आवश्यकता होती है, या प्राप्त हो रहे साक्ष्यों के मूल्यांकन पर किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे है, ऐसी परिस्थितियों में थाना प्रभारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विवेचकों को आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन एवं सहायता करना चाहिये। यह भी पर्यवेक्षण का ही हिस्सा है।

(23) पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक पुमु/राअब्यूरो/सीसीटीएनएस/क्यू–1400 /15 भोपाल दिनांक 20/09/2015 के पालन में प्रत्येक पर्यवेक्षण टीप/फॉलो–अप पूरक पर्यवेक्षण सी.सी.टी.एन.एस. में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक तद्नुसार अपने जिलें में महिला अपराधों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन करवाते हुये गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण सुनिश्चित करवाये।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

1/6/20

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण म0प्र0।
(2) अ.म.नि./अ.अ.वि., प्रशिक्षण, सायबर, रेल, एसटीएफ, अजाक म.प्र.।
(3) अ.म.नि.(SCRB) पुलिस वेबसाइट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
(4) समस्त जोन अ.म.नि./पुलिस महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु।
(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु।
(6) समस्त पु.म.नि./उ.म.नि./स.म.नि. (म.अप) भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर म.प्र.
(7) स.म.नि.–I, II एवं III/डी.डी.पी. महिला अपराध शाखा, पु.मु भोपाल।
(8) समस्त खण्ड प्रभारी महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल।
(9) प्रभारी W-1 (म.अप.) गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

1/6/20

अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No /अति.म.नि. / महिलाअपराध / परिपत्र / 97 /2020 Dt. 02/6/2020

परिपत्र–13

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित) मध्यप्रदेश।

विषयः– COVID-19–महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पंजीयन एवं विवेचना के दौरान कार्यवाही हेतु विशेष **"मानक संचालन प्रकिया"**(SOP) के संबंध में।

कृपया COVID-19 से बचाव एवं इस दौरान अपनाई जाने वाली आधारभूत सावधानियों तथा सुरक्षा उपायों के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार, राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं। COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुये महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पंजीयन एवं विवेचना के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में तैयार **"मानक संचालन प्रकिया"**(SOP) की छायाप्रति संलग्न है।

(2) COVID-19 के दौरान बच्चों, महिलाओं को सहायता के लिये विश्व स्वास्थ संगठन ने कुछ पोस्टर भी जारी किये है। नमूना प्रति आवश्यक प्रचार–प्रसार के लिये संलग्न है।

संलग्नः– उपरोतानुसार।
(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

2/6/20
(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/सायबर सेल म0प्र0।
(2) अ.म.नि, गुप्तवार्ता, अ.अ.वि., प्रशिक्षण, कल्याण, रेल, अजाक पु.मु. भोपाल।
(3) अ.म.नि. (SCRB) पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
(4) समस्त जोन अमनि/महानिरीक्षक म.प्र.।
(5) समस्त रेंज उमनि म.प्र.।
(6) समस्त पुमनि/उमनि/समनि(म.अप.)भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर म.प्र.।
(7) स.म.नि. I, II एवं III/उप संचालक अभियोजन पु.मु भोपाल।
(8) प्रभारी W-1 (म.अप.) रिकार्ड नस्ती संधारण हेतु।

2/6/20
अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पंजीयन एवं विवेचना के दौरान कार्यवाही हेतु COVID-19 के दृष्टिगत विशेष "मानक संचालन प्रकिया" Standard Operating Procedure(SOP)

COVID-19 से बचाव एवं इस दौरान अपनाई जाने वाली आधारभूत सावधानियों तथा सुरक्षा उपायों के विषय में समय–समय पर भारत सरकार, राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय (विशेष शाखा, प्रशासन शाखा, अ.अ.वि., कल्याण शाखा, वि.स.बल आदि) के द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र से अवगत कराया जाता रहा है।

(2) महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में पंजीयन एवं विवेचना के दौरान लागू विशेष वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निर्देश/परिपत्र समय–समय पर पुलिस मुख्यालय (महिला अपराध शाखा) द्वारा जारी किये जाते रहे हैं।

(3) यह भी पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि डॉक आदान प्रदान में विशेष वाहक भेजने के स्थान पर E-Mail का अधिक से अधिक उपयोग किया जावे तथा कार्यालय समय में कम से कम 03 बार **(प्रातः, दोपहर, सांय कार्यालय समय समाप्त होने के पूर्व)** E-Mail चैक किया जावे। कुछ सामान्य संदेशों का आदान प्रदान मैसेंजर एप, जैसे– Whatsapp, टेलीग्राम पर भी किया जा सकता है। इससे थानों/कार्यालयों में अनावश्यक भीढ़ बढ़ने से रोकी जा सकती है।

(4) पुलिस थानों में भीढ़ कम करने के उद्देश्य से पीड़ितों, गवाहों एवं आरोपियों को अकारण थाना नहीं बुलाया जाना चाहिये। महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अधिकांश अपराधों में विधि में ही प्रावधान है कि F.I.R. उनके निवास या विकल्प के स्थान पर जाकर लिया जाना चाहिये और इसकी Audio-Video रिकार्डिंग की जाना चहिये। "शून्य" पर भी F.I.R. थाना के बाहर ही मौके पर लिखने को बढ़ावा दिया जाना चहिये। 11 मई 2020 से **"F.I.R. आपके द्वार"** कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिये।

F.I.R. लिखने के दौरान मास्क, ग्लब्स, PPE किट समेत सभी आवश्यक उपाय बरतना चाहिये। स्टॉफ को स्वयं की अपनी खाद्य सामग्री एवं पानी की बाटल आदि का उपयोग करना चाहिये। विवेचक द्वारा स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री, फार्म–प्रोफार्मा आदि अपने साथ ले जाने के विषय में म.प्र. पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान का पालन करना चाहिये।

(5) कोरोना COVID-19 से बचाव के उपायों की आवश्यकता का यह आशय कदापि नहीं निकाला जाना चाहिये कि मामलों के पंजीयन से बचा जा सकता है या विवेचना में देरी/लापरवाही की अनुमति या अनदेखी की जा सकती है। बल्कि इसके विपरित महिलाओं/बच्चों की कोरोना अवधि में सामान्य से अधिक Vulnerability होने के

कारण ज्यादा संवेदनशीलता और तत्परता से कार्यवाही की जानी है। CM हेल्प लाइन, महिला हेल्प लाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन, डायल 100, थाना/अधिकारियों को फोन या ई–मेल, सोशल मीडिया, प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया समेत किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर अथवा पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिलने पर तत्परता से कार्यवाही की जानी है।

(6) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपराधिक (विशेषकर घरेलू हिंसा से संबंधित) सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सुनवाई/कार्यवाही (पंजीयन/जॉच/विवेचना आदि) सुनिश्चित की जावे। कोरोना महामारी की वजह बताकर उसे टाला न जाए।

(7) डॉयल–100, महिला हेल्पलाईन–1090 एवं थाने पर सूचना प्राप्त होने पर पीड़ितों की आवश्यक मदद हेतु पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को (Covid-19) के बचाव के समस्त उपाय सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सहायता किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(8) विभिन्न सूचना तंत्र जैसे–पत्रकार, एनजीओ एवं अन्य स्थानीय सामाजिक संस्थाओं से आसूचना संकलित कर महिलाओं एवं बच्चों संबंधित ऐसे मामले जिनमें पीड़िता लॉकडाउन के कारण थाने पर रिपोर्ट करने आने में असमर्थ है, ऐसी सूचनाओं पर तत्काल घटना स्थल/पीड़िता के निवास पर पहुँच कर विधिसम्मत कार्यवाही कराई जावे।

(9) महिलाओं एवं बच्चों से संबंधी प्रकरणों की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर थाने पर आने वाली महिला पीड़िताओं की सुनवाई हेतु महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की विशेष रुप से उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

(10) शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी जांच के लिये भी पीड़ितों/फरियादियों/गवाहों/अनावेदकों को थाना बुलाने के स्थान पर मौके पर ही कार्यवाही का लक्ष्य रखना चाहिये।

(11) गवाहों को थाना बुलाने के स्थान पर मौके पर ही या उनके निवास पर जाकर पूछताछ/कथन दर्ज किया जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। धारा 161 दं.प्र. सं. में Audio-Video रिकार्डिंग के भी प्रावधान किये गये हैं। उपयुक्त प्रकरणों में Video Conference के माध्यम से भी कथन दर्ज किये जा सकते हैं। अन्यथा भी धारा 160(1) में केवल स्वयं के थाना तथा पड़ोसी थाना क्षेत्र निवासरत साक्षी को ही विवेचक अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये आदेश जारी कर सकता है। 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों तथा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को कथन उनके निवास स्थान पर जाकर ही लिये जाने का प्रावधान है।

(12) यदि किसी पीड़ित/गवाह/आरोपी का थाना बुलाया जाना आवश्यक है, तो थाने में स्वंय तथा आगन्तुक दोनो को COVID-19 से सुरक्षा के सभी उपाय करना चाहिये। उनका निजी सामान जैसे–बैग आदि, एक निश्चित स्थान पर सुरक्षित रखवा देना चाहिये, उन्हे मास्क पहनने को कहा जाना चाहिये तथा साबुन से हाथ धुलवाना/सेनेटाइजर से हाथ स्वच्छ (Disinfect) कराना चाहिये। जूते आदि भी बाहर एक स्थान पर उतरवाये जाने चाहिये। आपस में भैतिक–सामाजिक दूरी बनाये रखना चाहिये।

(13) यदि किसी व्यक्ति/आगन्तुक (जिसमें आरोपी भी शामिल है) की जामा तलाशी (Physical Search) लेना है, तो भी COVID-19 से सुरक्षा उपाय अपनाया जाना चाहिये। छूकर चैक करना (Pat Check) आखिरी उपाय ही होना चाहिये। DFMD/HHMD की व्यवस्था होने पर पहले उसका ही उपयोग करना चाहिये।

(14) आरोपियों की गिरफतारी बिन्दु पर सबसे पहले यह निर्णय करें कि क्या गिरफतारी आवश्यक है ? अपराध या आरोपी श्रेणी विशेष के लिये, जैसे महिला, वरिष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति या छोटे बच्चों के आरोपी होने पर, या 07 वर्ष से कम की सजा का आरोप होने पर, क्या नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा सकती है ? यदि हॉ! तो वही उपाय करना चाहिये।

(15) कभी–कभी आरोपी को घेर कर, पीछा कर, आवासीय स्थान या भवन में घुसकर, ताला तोड़कर आदि Co-ercive तरीके से गिरफतारी करनी पड़ती है । इस दौरान भी COVID-19 से सुरक्षा उपाय बनाये रखे । आरोपियों से पूछताछ के दौरान मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग करें । कुछ आरोपी हिंसक हो सकते है या स्टाफ पर थूक सकते है अतः सावधानी बरतें ।

(16) आरोपियों/गवहों की "निशादेही" पर जप्ती के दौरान तथा स्थानों/भवनों की तलाशी, जप्ती के दौरान भी COVID-19 से बचाव संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

(17) सायकिल या मोटर सायकिल पर दो पुलिस स्टाफ के बीच में बैठा कर गवाह/आरोपियों को थाना लाये जाने/जेल पहुंचाने /जेल से न्यायालय या वापस जेल ले जाने से बचा जाना चाहिये। इसी प्रकार तीन/चार पहिया वाहन में बहुत ज्यादा संख्या में स्टाफ/आरोपी/फरियादी/गवाह को भर कर लाने–जे जाने से भी बचा जाना चाहिये।

(18) गिरफ्तारी आवश्यक होने पर स्वयं तथा आरोपी के COVID-19 से बचाव के उपाय करना आवश्यक है। हथकड़ी लगाने पर माननीय न्यायालयों द्वारा रोक होने से पूर्व में हाथ पकड़कर या बाजू पकड़कर पेशी कराई जा रही थी। यह Social Distancing/ Physical Distancing की आवयकता के दृष्टिगत तथा Unhygenic होने से उपयुक्त तरीका नहीं है। माननीय न्यायालय को सम्पूर्ण परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कम से कम 02

मीटर रस्सी या चेन वाली हथकड़ी लगाकर पेश करने की पूर्व अनुमति लेना चाहिये। यदि बिना हथकड़ी के आरोपी के भाग जाने का आकलन या पूर्व आचरण है, तो न्यायालय को भेजे जाने वाले मेमो में भी इसका उल्लेख कर देना चाहिये। यदि गिरफतारी उपरान्त थाना लाने, थाना से न्यायालय/जेल और वापसी की प्रकिया में हथकड़ी लगाने की अनुमति न हो तो COVID-19 से सुरक्षा/सावधानी के विशेष उपाय करते हुये कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिये।

(19) पीड़ित एवं आरोपियों को मेड़िकल परीक्षण हेतु मौके/थानों से अस्पताल लाने/ले जाने तथा वापसी के दौरान भी COVID-19 से सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिये। अस्पताल से प्राप्त होने वाले सेम्पल/बिसरा आदि भी उपयुक्त तरीके से सील हो, यह देख लेना चाहिये ।

(20) यह संभव है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला पुलिस को सीधे रिपोर्ट नहीं कर पा रही हो । आजकल स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में घर–घर जाकर सर्वे कर रहे हैं । पुलिस अधिकारी इस स्वास्थ्यकर्मियों के सम्पर्क में रहकर आवश्यक सूचनायें हासिल कर सकते है ।

(21) यह संभव है कि लॉकडाउन अवधि में कई महिला रिपोर्ट न कर सकी है। ऐसा घरेलू हिंसा के प्रकरण में ज्यादा सम्भावित है। अतः ऐसे प्रकरणों में F.I.R. में देरी के कारणों में **"लॉक–डाउन के कारण रिपोर्ट करने न आ पाना/रिपोर्ट न कर पाना'** उपयुक्त कारण होने से F.I.R. के निर्धारित कॉलम में स्पष्ट लिखा जाना चाहिये।

(22) यदि किसी प्रकरण में यह आकलन है कि लॉक–डाउन के कारण घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला रिपोर्ट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है या इसलिये रिपोर्ट नहीं कर पा रही है कि उसे और हिंसा करने वाले परिजन को साथ–साथ इसी घर में रहना पड़ेगा, जिसे उसके पति अत्याचार/हिंसा आगे भी लगतार जारी रहेगी, तो ऐसे प्रकरणों में महिला का सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिलाना और आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजना का भी उपाय किया जाना चाहिये । ऐसे आरोपी की जमानत का लोक अभियोजन से विरोध भी कराना चाहिये ।

(23) यह संभव है कि कुछ महिलायें जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, किसी प्रकार अपने मायके के परिजनों या सुरक्षित परिवेश में पहुँचने में सफल हो गई हो । ऐसी महिलाओं को रिपोर्ट लिखाने के लिये घटना स्थल के क्षेत्राधिकार के थाने में रिपोर्ट लिखाने जाने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये । दं.प्र.सं. की धारा 178, 179 एवं 180 के प्रावधानों तथा मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा रूपाली देवी प्रकरण में दिये आदेश के दृष्टिगत प्रकरण की कायमी महिला के मायके के क्षेत्राधिकार के थाने या उसके शरण स्थल के क्षेत्राधिकार के थाने में भी कायम किया जाकर विवेचना की जा सकती है ।

(24) महिलाओं/बच्चों के विरूद्ध अपराधों में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम लगातार चलाये जाते रहे । इस हेतु आवश्यक बजट प्रदान किया जा चुका है। भविष्य में अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर पुनः प्रदान किया जा सकेगा ।

(25) "परामर्श सेवाएँ" (Counselling services) लगातार जारी रखी जावे। परामर्शदात्रियों, अशासकीय संगठनों एवं कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों से लगातार सम्पर्क बनाकर रखा जावे । इस हेतु थाना के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा जिला के S.J.P.U. को सक्रिय भूमिका के लिये प्रोत्साहित किया जावे । जिला विधिक सहायता सेवा से जुड़े पदाधिकारियों/स्वयंसेवीगणों को भी जोड़ा जावे ।

(26) प्रवासी श्रमिक परिवारों एवं विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत उनको आवश्यक सहायता दी जावे । प्रवासी श्रमिक परिवारों की महिलाओं/महिला छात्रों जो हॉस्टल में रहती है, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं की विशिष्ट समस्यायें हो सकती है । इनको संबंधित विभाग से समन्वय कर सहायता प्रदान की जावे । नारी निकेतन, बाल गृह, बाल सुधार गृह जैसे Women एवं Child care संस्थाओं में रह रहे महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं को तत्परता से निपटवाने में संबंधित विभाग की सहायता की जावे ।

(27) बड़ी संख्या में प्रवासियों के वापस आने से यह भी संभव है कि कुछ ऐसे व्यक्ति/महिलायें, बालक–बालिका भी वापस आ जावें जिनके संबंध में पूर्व से अपहरण/व्यपहरण का अपराध कायम हो । इस दौरान कई आरोपीगण भी वापस आ सकते है । अतः पीड़ितों/उनके परिजनों से सम्पर्क और आरोपियों की तलाश करते रहने से कई पुराने लंबित मामलों का Disposal हो सकता है ।

(28) थानों के आपसी सूचना आदान–प्रदान/संवाद पुलिस स्टाफ की जिम्मेदारी है, न कि आम जनता की । इसी प्रकार विवेचना के लिये ससांधन जुटाने की जिम्मेदारी भी पीड़ित की नहीं है यह विवेचकों/पर्यवेक्षकों का दायित्व है । अतः आरोपी खोजने या घटना स्थलों पर जाने के लिये "व्यवस्था" करने के लिये पीड़ितों को न कहा जावे । सभी व्यवस्था शासकीय मद से आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति लेकर की जावे और कार्योपरान्त बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

(29) डायल 100 F.R.V. वाहनों में उपयुक्त एवं संवेदनशील स्टाफ बैठाया जावे । F.R.V. वाहनों, मैत्री/शक्ति/निर्भया मोबाइल का अपराध प्रवृत (Crime Prone) स्थानों की पैट्रोलिंग में प्रभावी उपयोग किया जावे ।

(30) समस्त उपायों के बाद भी यह संभव है कि अत्यधिक COVID-19 ड्यूटी एवं लॉकडाउन के कारण लंबित मामलों के संख्या बढ़ जावे और लॉकडाउन खुलने के बाद एक साथ ज्यादा मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो । अतः ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिये विशेष उपाय किये जावें । लॉकडाउन खत्म होने के बाद न्यायालय खुलने पर न्यायालय संबंधी कार्य जैसे डायरी भेजना, जमानत आवेदनों पर टीप देना, चालान/खात्मा/खारजी प्रतिवेदन भेजना, समंस/वारंट तामील कराना आदि में एकदम ज्यादा संख्या बढ़ सकती है अतः इसी परिस्थिति से निपटने के लिये तैयारी की जावे ।

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

क्रमांक / File No /अति.म.नि. / म0अप0 / परिपत्र / W-12/96-A/2020 Dt. 18/06/2020

प्रति, परिपत्र -14

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः– महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण परिपत्र में आंशिक संशोधन।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक / File No/अति.म.नि. / महिला अपराध /परिपत्र /96/2020 Dt. 02/06/2020

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले विभिन्न अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण के संबंध में पूर्व में जारी उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 02 / 06 / 2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

(A)

क्रमांक 5	विवेचक का न्यूनतम रैंक
महिलाओं की लज्जा भंग 354,354–क/ख/ग/घ भादवि	वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है–"महिला सहा0 उपनिरीक्षक/Child Welfare Police Officer जो महिला हो। महिला सहा0 उपनिरीक्षक/ उपनिरीक्षक की अनुपलब्धता होने पर पीड़ित का कथन न्यूनतम समान रैंक की महिला अधिकारी द्वारा ही लिया जावेगा, शेष विवेचना स.उ.नि. या उससे वरिष्ठ पुरूष अधिकारी द्वारा भी की जा सकेगी।"

(B) उक्त परिपत्र के पृष्ठ क्रमांक 05 पर पैरा–2 में निम्नानुसार संशोधन करते हुये वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है–

"(2) यदि किसी विशिष्ट अधिनियम/नियम में विवेचक के रैंक का पृथक से निर्धारण किया गया है, तो उस अधिनियम/नियम के अनुसार ही विवेचना की जानी है। उदाहरण के लिये POCSO Act 2012 में धारा 24 के प्रावधान के दृष्टिगत POCSO Act के समस्त अपराधों में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक से अनिम्न रैंक का ही होगा। और J.J. Act/ Rules के प्रावधानों के अनुसार बच्चों के संबंध में सभी अपराधों की विवेचना बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (Child Welfare Police Officer) जो कि न्यूनतम स.उ.नि. रैंक का होगा, के द्वारा ही की जावेगी अतः सभी महिला

उपनिरीक्षकों को Child Welfare Police Officer मान्य करते हुये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विवेचना उनके द्वारा ही की जावे। अवयस्क "विधि विवादित बालक" प्रकरणों में J.J. Act 2015 एवं J.J. Model Rules 2016 के प्रावधानों का पालन करना होगा। सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 में अपराधों में भी विवेचक का रैंक निर्धारित है। इसी प्रकार अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम में तथा अजा/जजा नियम 1995 का नियम तथा अधिनियम की धारा 9 उपधारा (1) में जारी अधिसूचना दि. 07/10/2017 के कम में इस अधिनियम के अंतर्गत विवेचक का रैंक म.प्र. पुलिस मुख्यालय (अजाक शाखा) के द्वारा इस विषय में जारी परिपत्र क्रमांक/पुमु/अजाक/विविध/ए-1/721/2017दि 16/11/17 एवं पु0मु0/अजाक/28/ए-1/विविध/2200/ 2020 दिनांक 12/06/20 द्वारा निर्धारित किया गया हैं।

यदि इस प्रकार के प्रकरणों में उपरोक्त शीर्ष क्रमांक 1,1-A,1-B,5,6 एवं 9 में इंगित अपराध/धारायें भी लगी है, तो प्रथमतया यह प्रयास किया जाना चाहिये की विवेचक सुसंगत रैंक की महिला अधिकारी ही हो। यदि जिले में उक्त रैंक की महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो या उस पर विवेचना कार्य का भार अत्यधिक है तो (प्रकरण की विवेचना के दौरान धारा 161 द.प्र.सं. के प्रावधानों के प्रकाश में पीड़ित महिला के कथन महिला पुलिस अधिकारी/महिला अधिकारी के द्वारा ही लिये जाने की बाध्यता का पालन किये जाने में छूट का प्रावधान कानून में नही होने से) पीड़ित महिला के कथन उसी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिये जाने चाहिये, शेष विवेचना उसी रैंक के पुरूष अधिकारी द्वारा की जा सकती है।"

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

18/6/20

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण म0प्र0।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि., प्रशिक्षण,सायबर, रेल, एसटीएफ, अजाक म.प्र.।
(3) अ.म.नि. (SCRB) म.प्र.पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
(4) समस्त जोन अमनि/महानिरीक्षक म.प्र., पालन कराने हेतु ।
(5) समस्त रेंज उमनि म.प्र., पालन कराने हेतु।
(6) समस्त पुमनि/उमनि/समनि महिला अपराध भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,जबलपुर म.प्र.।
(7) स.म.नि. I, II एवं III/उप संचालक अभियोजन पु.मु भोपाल।
(8) प्रभारी W-1 (म.अप.) रिकार्ड नस्ती संधारण हेतु।

18/6/20

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक–पुमु/अजाक/28/ए–1 विविध/9200/2020 दिनांक 12 जून 2020

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
भोपाल/इन्दौर
समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रकरणो में अनुसंधान करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 अक्टूबर में प्रकाशित गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के अधिसूचना कमांक एफ. 12–99–2017–बी–1–दो दिनांक 07 अक्टूबर 2017 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (क. 33 सन् 1989) की धारा 9 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य के भीतर, पुलिस निरीक्षक रैंक के समस्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफतारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

उपरोक्त अधिसूचना के तारतम्य में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र कमांक पुमु/अजाक/विविध/ए–1/7211/2017 दिनांक 16.11.2017 के कडिका (3) भारतीय दण्ड विधान की कतिपय धाराओं के साथ–साथ वे सभी मामले जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 3(2)5 लगाई गई हो, ऐसे अपराधों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराए जाने के निर्देश दिये गये थे।

जिलो में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों, विशेष रूप से महिला उप पुलिस अधीक्षकों, की कमी के कारण अपराधों की विवेचना में विलम्ब एवं साक्ष्य का लोप होने तथा पीडित को न्याय दिलाने में कठिनाई होने की स्थिति निर्मित होती है।

अतः उपरोक्त परिपत्र की कंडिका (3) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

"भारतीय दण्ड विधान की धाराओं 147, 148, 153(क) 194, 195, 195(क), 295(क), 302, 304, 306, 307, 326, 326(क), 326(ख), 327, 328, 364, 364(क), 366, 366(क), 372, 373, 376, 377, 436 के साथ–साथ वे सभी मामले जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (संशोधन अधिनियम 2015) की धारा 3(2)5 लगाई गई हो, उक्त अपराधों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जावे।

तथापि उप पुलिस अधीक्षक रैंक के समुचित अधिकारी उपलब्ध न होने तथा उनके पास विवेचना के कार्य की अधिकता होने, जिसके कारण साक्ष्य के लोप होने और पीड़ित को न्याय दिलाने में व्यवधान होने की परिस्थितियां होने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक रैंक के अधिकारियों को भी अधिनियम के अंतर्गत विवेचक नियुक्त किया जा सकेगा।"

पूर्वोक्त परिपत्र की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

हस्ता0
(विवेक जौहरी)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

क्रमांक–पुमु/अजाक/28/ए–1 विविध/ 2200 /2020 दिनांक 12 जून 2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश
(3) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश
(4) समस्त पुलिस अधीक्षक(रेल) मध्यप्रदेश
(5) समस्त रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक मध्यप्रदेश
(6) समस्त उप पुलिस अधीक्षक अजाक मध्यप्रदेश
(7) समस्त थाना प्रभारी अजाक मध्यप्रदेश
(8) रिकार्ड शाखा पु.मु. भोपाल

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(अजाक)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

E-mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल
Tel: 0755–2443568 / Fax 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पु0मु0 / म0अप0 / W-12 / 128 / 20 / 1431 / 2020,भोपाल दिनांक– 08.07.2020

परिपत्र– 15 / 2020

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल / इन्दौर
(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), म0प्र0।

विषयः– छेड़छाड़ संबंधी अपराधों का गंभीरतापूर्वक अनुसंधान एवं दोषमुक्ति होने पर उपयुक्त प्रकरणों में अपील कराये जाने विषयक।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा CRA-6326 / 19 संतोष शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित दिशा निर्देश / आदेश।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा CRA-6326 / 19 संतोष शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित न्यायिक निर्णय की संलग्न छायाप्रति का अध्ययन करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, श्योपुर द्वारा थाना–कराहल, के अपराध क्र–120 / 17 धारा–341, 354डी,(1)(i), 506 भा.द.वि. एवं 11(1) / 12 एवं 11(4) / 12 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पीड़ित पक्ष द्वारा दायर अपील के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति निर्णय को निरस्त कर अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थल पर उत्पीडन (Street Harassment) संबंधी अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुये अति महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेख किया है कि उक्त प्रकृति के अपराध जो सामन्यतः छोटे श्रेणी के दृष्टिगत होते है परन्तु ऐसे अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते है (**Minor offence with wider raimifications**)। न्यायालय ने कहा है कि 'The instant case is the case of Street Harassment and it has more psychological harm into its ambit than physical one because it has an enormously disruptive effect on women's identities and self image. Street harassment is very pervasive'.

सार्वजनिक स्थल पर कारित इस प्रकार के उत्पीड़न के अपराध शारीरिक हानि की तुलना में मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक हानिकारक है क्योंकि घटना पीड़िता की पहचान एवं आत्मछवि विध्वंसक रूप से प्रभावित होती है। Street Harassment अत्यधिक सर्वव्यापी है।

न्यायालयीन निर्णय के प्रमुख बिन्दुओं का उद्धरण निम्नानुसार हैः–

(1) "09- Criminal antecedents of father of victim cannot be a ground for reaching to the conclusion of innocence of accused persons because no logical purpose exists for

लगातार....

connecting the criminal past of father of victim with innocence of accused persons. It is to be tried and tested on the anvil of evidence produced and Oral evidence is sufficient in the case to reach to the conclusion about guilt of accused persons."

पीड़िता के पिता की आपराधिक पृष्ठभूमि अभियुक्तों को निर्दोष सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकती है क्योंकि पीड़िता के पिता के आपराधिक इतिहास को अभियुक्त की निर्दोषिता से जोड़ना तर्कसम्मत नहीं है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का आंकलन एवं परीक्षण तार्किक रूप से किया जाना आवश्यक है एवं अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य (पीड़िता के कथन) ही पर्याप्त है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के बिन्दु कं 18 में पीडिता के धारा 161 व धारा 164 द.प्र.स. के अन्तर्गत दिये गये कथन तथा विचारण के दौरान दिये गये कथन मे सामान्य भिन्नता (Minor Variation) को 'प्रतिकूल' नहीं माना हैं। पीड़िता द्वारा घटना को विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक नहीं मानते हुये मान. न्यायालय ने कथन देते समय सामान्य भूल–चूक होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए कथनों को संदेह से नहीं देखा जाना प्रतिपादित किया है। पीड़िता एवं साक्षियों के कथनों में सामान्य विरोधाभास होने से अभियुक्त को लाभ नहीं दिया जाना मान्य किया है।

"33- In our society setup specifically in the area where incident took place where trappings of ignorance, feudalistic pattern of society (Chambal River and its Ravines) and poor sex ratio coupled with the palpable gender bias make life worst when girl (or female) encounter such harassment because as explained earlier it amounts to Spirit Murder (Feminist Scholar has used this term, originally devised by Patricia Williams)."

हमारे समाज में विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ घटना घटित हुई है, वहाँ अज्ञानता, सामाजिक सामंतवादी परिपाटी (चंबल नदी और उसके बीहड क्षेत्र) कम लिंगानुपात के साथ साथ महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण विचारधारा की स्थिति में महिला का जीवन तब और अधिक विषम हो जाता है जब उसे इस प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पडता है, क्योंकि पूर्व में वर्णित अनुसार यह "आत्मा की हत्या" के समान है (फेमिनिस्ट स्कॉलर ने इस शब्द का प्रयोग किया है, जो मूल रूप से पेट्रीसिया विलियम्स द्वारा मूल रूप से अवधारित किया गया है)।

(3) माननीय न्यायालय ने इस प्रकार के अपराधों के विषय में यह भी कहा है कि :– " 35- If minor street harassments are not checked or not taken cognizance of or evidence is not appreciated properly and acquittal recorded then it emboldens the offender and may encourage them to go for bigger and more serious crime and therefore, acquittal of accused facing trial for offence under Section 354 of IPC (If evidence is sufficiently led by the

लगातार .....

prosecution, like in the person case), may lead to occurrence of more severe crime in the future either in the hand of acquitted offender or by some other persons in the vicinity who do not have any deterrence because of acquittal recorded in favor of perpetrator.

यदि सामान्य श्रेणी के सार्वजनिक स्थल पर उत्पीडन के अपराधों को रोका न जाये व संज्ञान में नहीं लिया जाए अथवा साक्ष्यों का उपयुक्त मूल्यांकन एवं दोषमुक्ति के कारणों का संधारण व समीक्षा के आभाव प्रदर्शित किया जावे तो यह अभियुक्त को निर्भीक बनाता है तथा उन्हे और अधिक गंभीर श्रेणी के अपराधों को कारित करने के लिये प्रोत्साहित करता है। भादवि की धारा–354 के अंतर्गत अभियक्त की दोषमुक्ति होने से अभियुक्त, आसपास तथा अन्य असामाजिक व्यक्तियों को जघन्य अपराध कारित करने के लिये मनोबल मिलता है।

माननीय न्यायालय ने आहवान किया है कि विवेचक, अभियोजक एवं न्यायालय का यह कर्तव्य है कि महिलाओं के विरूद्व बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु "Broken Windows" के सिद्धांतों के साथ साथ सीमांत अवरोध के प्रचलित सिद्धांत (Theory of Marginal Detterance) के विषय में भी पुनः समग्रता एवं समाधानकारक दृष्टिकोण देखते हुये यथासंभव सख्ती से कानून व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिये जिससे छोटे अपराध विशेषकर बडे एवं वीभत्स श्रेणी में परिणित न हो सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा पारित निर्णय में व्यक्त आदेश एवं भावनाओं के अनुरूप धारा 354 भादवि एवं अन्य यौन अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लगातार संवेदनशीलता एवं गंभीरता से प्रयास किये जावे तथा संवेदनशीलता एवं गंभीरतापूर्वक अन्वेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

परिपत्र की प्रति प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी, थाना प्रभारी, विवेचक एवं अभियोजन अधिकारियों तक पहुंचाया जाना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधानकर्ताओं को इस विषय पर संवेदनशील किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– न्यायालयीन निर्णय

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W–12/1 8/20/1431/2020 दिनांक– 8 /07/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, म.प्र. भदभदा रोड भोपाल, कृपया मान. न्यायालय निर्णय की प्रति सभी अभियोजकों के ध्यान में लाने का कष्ट करें।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर सैल/प्रशिक्षण /रेल, पु0मु0, म.प्र.।
3. अति.पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./अजाक/शिकायत/गुप्तवार्ता/एस.टी.एफ. पु0मु0,म.प्र.

लगातार....

4. अति.पुलिस महानिदेशक SCRB (MP Police की website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु) म.प्र.।
5. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), म.प्र.।
6. पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), पुमु भोपाल म.प्र.
7. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
8. प्रभारी अधिकारी, जोनल महिला अपराध कार्यालय इंन्दौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर म.प्र.।
9. डी.डी.पी./स.म.नि. I, II/समस्त उ.पु.अ. (महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
10. निज सहायक, अमनि (महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
11. समस्त उपखण्ड प्रभारी, (महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
12. प्रभारी डब्ल्यू–01 (महिला अपराध) रिकार्ड परिपत्र नस्ती में प्रकाशन हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

E-mail

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश

दूरभाष– 0755–2443568(कार्या.) / फैक्स– 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / अति.म.नि. / नि.स. / 1489 /2020 भोपाल, दिनांक:–14/07/2020

परिपत्र–16/2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, (रेल सहित)
मध्यप्रदेश ।

विषयः– पीड़ित / फरियादी को आरोप–पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क प्रदाय करने के संबंध में ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश राजपत्र "कमांक 203" (असाधारण) दिनांक 29.06.2020।

——00——

उपरोक्त विषयांर्गत संदर्भित राजपत्र का अध्ययन करने का कष्ट करें जिसकें माध्यम से राज्य शासन द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि "**जहॉ कही भी पुलिस थाने का कोई मारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 173(2)(i) के अधीन कोई पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो वह उसी पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ प्रकरण की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की ईत्तला देने वाले व्यक्ति / पीड़ित, यदि कोई हो को भी निःशुल्क प्रदाय करेगा**"। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

1. प्रकरण में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173(2)(i) के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन (चालान / खात्मा / खारीजी) के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट की इत्तला देने वाले व्यक्ति अथवा पीड़ित को निःशुल्क प्रदाय की जाये।
2. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू ए) में "पीड़ित" को ऐसे व्यक्ति के रूप परिभाषित किया गया है, जिसे किसी कृत्य को करने या उसमें लोप के कारण, कोई हानि हुई हो या चोट पॅहुची हो तथा जिसके लिए अभियुक्त, आरोपित किया गया हो। "पीड़ित" व्यक्ति की श्रेणी में पीड़ित या पीड़ित के संरक्षक अथवा विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है।
3. प्रत्येक पीड़ित / फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 जा.फौ. के कथन के दौरान उक्त अधिकार से अवगत कराया जावें। उक्त संबंध में केस डायरी एवं रोजनामचें में प्रविष्टि की जावें।
4. पीड़ित / फरियादी को अंतिम पुलिस प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति (यदि प्रकरण में कोई इलेक्ट्रानिक दस्तावेज सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि हो तो इसकी भी एक प्रति) प्रदाय की जावें। सुविधानुसार डिजीटल रूप में भी उक्त दस्तावेज प्रदाय कर पावती केस डायरी में संलग्न की जाये तथा रोजनामचा में प्रविष्टि की जावें।

5. दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रदाय की जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति लेखा शीर्ष–उद्देश्य शीर्ष 22–विस्तृत शिर्ष 007–लेखन सामग्री मद से की जा सकेगी।
6. तत्संबंध में प्रेस विज्ञप्ति (समाचार पत्र में) जारी करें जिससे आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और प्रत्येक फरियादी/पीड़ित प्रकरण के निराकरण के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त होने संबंधी तथ्यों से अवगत हो सके। इस प्रकिया का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी किया जावें जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
7. जिलें के समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ता अधिकारियों/प्रधान आरक्षक मोहर्रिर/कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक आदि को उल्लेखित प्रावधान के संबंध में अपराध समीक्षा बैठक/प्रशिक्षण कार्यकमों/रक्षित केन्द्र–थानों की दैनिक गणना आदि के माध्यम से अवगत कराया जायें।
8. उर्पयुक्त निर्देशों की तामीली की समीक्षा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक निरीक्षणों में कर निरीक्षण पुस्तिका में टीप अंकित की जावें तथा निर्देशों का पालन न करने वाले अनुसंधानकर्ता/थाना प्रभारी के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावें।

संलग्नः– राजपत्र की छायाप्रति
(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पु.मु भोपाल की ओर कृपया सभी प्रशिक्षण शालाओं को प्रसारित करने हेतु।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर पु.मु, भोपाल।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि/गुप्तवार्ता/अजाक/शिकायत/एस.टी.एफ./रेल पु.मु. भोपाल म.प्र.।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (SCRB) MP Police की वेबसाईट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने बावत् ।
5. समस्त जोन अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. पालन एवं मॉनीटरिंग हेतु।
6. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल ।
7. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. पालन एवं मॉनीटरिंग हेतु।
8. उमनि/समनि महिला अपराध जोनल कार्यालय, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
9. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक/उप संचालक अभियोजन/उपुअ (म.अप.) पुमु।
10. निज सहायक, अति0 पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुमु।
11. समस्त खण्ड प्रभारी/खण्ड प्रभारी w-3 महिला अपराध पुमु परिपत्र पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
12. डब्ल्यू–1 महिला अपराध गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जून 2020—आषाढ़ 8, शक 1942

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2020

क्र. एफ 21-56-2020-बी-1-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1975 का 1) की धारा 173 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विहित करती है कि जहां कहीं भी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 173(2) (एक) के अधीन कोई पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो वह उसी पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ, प्रकरण की प्रथम सूचना प्रतिवेदन को उत्तर देने वाले व्यक्ति/पीड़ित, यदि कोई हो को भी निःशुल्क प्रदाय करेगा.

Notification No. F. 21-56-2020-B-1-Two.—In exercise of the powers conferred under the clause (ii) of sub section (2) of Section 173 of Criminal Procedure Code, 1973 (1 of 1975), the State Government, hereby, prescribes that wherever an officer-in charge of police station submits a police report under section 173(2)(i) before a Court, he shall also provide, free of cost, a copy of the same police report along with all annexed documents as being submitted before the Court, to the person/victim, if any who lodged the First Information report in the case.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

E-Mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

पुलिस मुख्यालय, जहाँगीराबाद, भोपाल–462008
दूरभाष : 0755–2443568 / फैक्स : 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / File No. / अमनि / महिला अपराध / PA / Desp. / 155 / 2020 दिनांक:– 16 / 07 / 2020

परिपत्र क्र0– 17 / 2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) रेंज,
भोपाल एवं इंदौर।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय:– "महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)" के कार्यों के निर्वहन के संबंध में।

संदर्भ:–
1. पुलिस मुख्यालय का परिपत्र क्र0 / File No. / अति.म.नि. / महिलाअपराध / PA–28 / 2013 दिनांक 16.01.2013
2. पुलिस मुख्यालय का परिपत्र क्र0 / File No. / अति.म.नि. / महिलाअपराध / 128 / 2013 दिनांक 08.02.2013
3. पुलिस मुख्यालय का परिपत्र क्र0 / File No. / अति.म.नि. / महिलाअपराध / 146 / 2016 दिनांक 01.03.2016

–00–

पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्रों एवं इस क्रम में समय–समय पर जारी आदेशों के परिपालन में जिलों की **"महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)"** का स्वरूप मुख्यतः लिपिकीय हो गया है, जबकि पद स्वीकृति के प्रस्ताव में मूलतः इनका मुख्य दायित्व विशिष्ट किस्म के अपराधों का अनुसंधान, रोकथाम एवं प्रचार प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम आयोजन, प्रशिक्षण आयोजित कराना आदि थे। अतः उक्त परिपत्रों में संशोधन करते हुये "जिला महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)" के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं–

(1) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपी गई महिलाओं / बच्चों के विरूद्ध अपराध संबंधी विवेचना एवं मर्ग जाँच ;

(2) विभिन्न कानूनी प्रावधान जैसे– किशोर न्याय अधिनियम–2015 एवं माननीय न्यायालयों के निर्देशानुसार मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU) से संबंधित / अपेक्षित समस्त कार्य ;

(3) महिला संबंधी प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णयों का अध्ययन तथा समीक्षा, जिला अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपील संबंधी कार्यवाही एवं अनुसंधान में पाई गई त्रुटियों व कमियों के आधार पर अनुसंधानकर्ता, पर्यवेक्षण अधिकारियों को संवेदनशील करना ;

(4) जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों, प्रचार–प्रसार, जागरूकता, हेल्पलाईन, परिवार परामर्श केन्द्र आदि सामुदायिक पुलिसिंग संबंधी कार्यों में पुलिस अधीक्षक की ओर से समन्वय एवं थानों को सहयोग ;

(5) महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों का अनुसंधान, महिला सुरक्षा एवं मानव दुर्व्यापार संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक को सहयोग/समन्वय; प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराना, प्रशिक्षण आयोजन कराना ;

(6) माननीय न्यायालयों, महिला एवं बाल विकास, विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, बाल गृह, शिशु गृह, नारी निकेतन, चाईल्ड हेल्पलाईन–1098, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड इत्यादि विभिन्न विभागों, एजेन्सियों, अशासकीय संस्थाओं से संवाद एवं समन्वय कार्य में पुलिस अधीक्षक को सहयोग ;

(7) महिला थाना/महिला हेल्प डेस्क/विशेष किशोर पुलिस ईकाई (SJPU)/परिवार परामर्श केन्द्र/वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर का सुचारु व प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक को सहयोग ;

(8) अन्य कार्य, जो पुलिस मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर सौंपे जावें।

पूर्व में वर्गीकृत महिला संबंधी अपराधों का डायजेस्ट लेखन, दैनिक प्रतिवेदन (DSR) एवं मासिक अपराध विश्लेषण (MAC) समस्त थानों से संकलित कर पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध)/पुलिस मुख्यालय, प्रेषित करना इत्यादि लिपिकीय/ कार्यालयीन स्वरूप के कार्य महिला सेल द्वारा संपादित किये जा रहे थे किन्तु अब यह कार्य जिले में मुख्यतः उसी स्टाफ/सेक्शन/डेस्क जैसे–पुलिस कन्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय (OM, रीडर, शिकायत लिपिक, स्टेनो आदि) के द्वारा ठीक उसी प्रकार किये जावें, जिस प्रकार उनका कार्यालय अन्य अपराधों के विषय में करता है।

महिला अपराध प्रकोष्ठ से केवल उतना ही/वैसे ही लिपिकीय/कार्यालयीन कार्य लिया जावे जितना कि किसी थाना या विवेचना टीम से उनके मूल कार्यों के लिये क्षमता और उपलब्धता प्रभावित किये बिना लिया जाना चाहिये। इन पदों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अन्वेषण कराना है। यदि किसी परिपत्र में महिला सेल के अधिकारियों के लिये अनुसंधान का कोई न्यूनतम/अधिकतम कोटा निर्धारित किया गया है, तो उसे अधिक्रमित समझा जावे। विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की समीक्षा तथा महिला सेल में उपयुक्त स्टाफ की पदस्थापना का मुख्य दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक का ही है।

(पुलिस महानिदेशक, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

15/3/20

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) / (रेल), पु0मु0, भोपाल, कृपया समस्त पुलिस प्रशिक्षण शालाओं को प्रसारित करने हेतु।
2. अति0 पुलिस महानिदेशक, अ0अ0वि0 / अजाक / शिकायत / गुप्तवार्ता / एसटीएफ पु0मु0, भोपाल।
3. अति0 पुलिस महानिदेशक (रा0अ0अ0ब्यूरो), पु0मु0, भोपाल की ओर उक्त परिपत्र MP Police की website पर upload कर Link उपलब्ध कराने हेतु।
4. समस्त जोनल अति0 पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित) म0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक (म.अप.), पु0मु0, म0प्र0।
6. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
7. प्रभारी अधिकारी, जोनल (म.अप.), इंदौर, ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर, म0प्र0।
8. डीडीपी / समनि0–I, II / समस्त उ.पु.अ. (म.अप.), पु0मु0, भोपाल।
9. निज सहायक, अ.म.नि. (म.अप.), पु0मु0, भोपाल।
10. समस्त उपखण्ड प्रभारी, (म.अप.), पु0मु0, भोपाल।
11. प्रभारी उपखण्ड W-1 (म.अप.), रिकार्ड संधारण हेतु।
12. प्रभारी उपखण्ड W-3 (म.अप.), परिपत्र प्रकाशन हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443566 (कार्यालय)/फैक्स 0755–2440107

क्रमांक/File No /अमनि/महिला अपराध/ PA/Desp. 156 /2020 दि. 10/07/2020
परिपत्र क्र.-18/2020 16/07/2020

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– "महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)" में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षकों के कार्यों के निर्वहन के संबंध में ।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र कमांक/फाइल नं/अमनि/महिला अपराध/ पीए–128/2013 दिनांक 08/02/2013

पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र को अधिकमित करते हुये जिलों में स्वीकृत उ.पु.अ. **"महिला सेल एवं मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)"** को निम्नानुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है ।

(1) पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित किये जाने वाले धारा 304–बी भादवि के प्रकरणों की विवेचना करना ।

(2) पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित किये जाने वाली **"नव विवाहिता मर्ग"** की जांच करना।

(3) पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित गुमशुदा बच्चों के अपहरण जिनकी विवेचना की विवेचना **धारा 363 के ऐसे प्रकरण जिसमें बच्चे को गुम हुये 04 माह से अधिक या मान0उच्चतम न्यायालय के "बचपन बचाओ आन्दोलन के निर्देश तथा किशोर एवं मॉडल नियम 92 (5) के पालन में"** जिले की **मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई (AHTU)"** को हस्तांतरण किया जाना बाध्यकारी है ।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य अपराधों की विवेचना।

(5) जिले के महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों एवं महिला मर्ग जॉचों का पर्यवेक्षण **(पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क–12 कमांक/अमनि/महिला अपराध/परिपत्र 96/20 दि. 02/06/2020 एवं संशोधित परिपत्र क–12 कमांक/ अमनि/म.अप./परिपत्र/डब्ल्यू–12/96–ए/2020 दि. 18/06/20)**

16/7/20

(6) महिला थाना एवं थानों की महिला डेस्कों का पर्यवेक्षण ।

(7) महिलाओं एवं बच्चो के विरूद्व अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न सामुदायिक उपाय एवं पुलिस से समन्वय तथा मॉनीटरिग में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार समस्त कार्य।

(8) विशेष पाक्सो कोर्ट एवं महिलाओं के विरूद्व घटित मामलों से संबंधित न्याया0 से समन्वय एवं उसके आदेश का पालन कराना एवं जिला पुलिस अधीक्षक का सहयोग, विशेष अभि0 अधिकारियों से समन्वय ।

(9) महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित अपराधों में गुणवत्ता बढ़ाने के विषय में जिला पुलिस अधीक्षक का सहयोग/एवं प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

(10) महिलाओं एवं बच्चो के विरूद्व अपराधों की रोकथाम में जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सहयोग एवं कार्यवाही की मॉनीटरिंग/समीक्षा आदि करना ।

(11) स्पेशल टॉस्क फोर्स, (पाक्सो एक्ट) की बैठक कराना एवं उक्त विषय में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन सुनश्चित करना ।

(12) महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्व अपराधों में दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा के लिये बनी समिति के कार्य में पुलिस अधीक्षक का सहयोग तथा समस्त निर्देशों का पालन करना ।

(12) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य ।

उपरोक्त अधिकारी मुख्यतः विवेचना, अपराधों का पर्यवेक्षण एवं महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों की रोकथाम संबंधी कार्य के लिये है । इनके द्वारा लिपिकीय/ कार्यालयीन स्वरूप के कार्य जैसे **DSR** कार्य, डायजेस्ट लेखन, **MAC** भेजना, प्रतिवेदन भेजना, **CAW** जोन कार्यालय/पुलिस मुख्यालय जानकारियॉ/स्टेटमेन्ट भेजना आदि कार्य जिले में मुख्यतया उसी स्टाफ/सैक्शन/डेस्क जैसे पुलिस कन्ट्रोल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय (**OM,** रीडर, शिकायत लिपिक, स्टेनो आदि) के द्वारा ही ठीक वैसे ही किये जावेगें जैसे कि उनका कार्यालय अन्य अपराधों के विषय में करता है । इनसे केवल उतना ही/वैसे ही लिपिकीय/कार्यालयीन कार्य लिया जावे जितना कि किसी थाना या **CSP/SDOP/DSP** या विवेचना टीम से उनके मूल कार्यों के लिये क्षमता और उपलब्धता प्रभावित किये बिना लिया जाना चाहिये । इन पदो के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विवेचना एवं पर्यवेक्षण कराना है ।

इस प्रकार यह समझा जावे कि ये अधिकारी महिला अपराधों के लिये पूरे जिले के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के समान है जिनका कार्यक्षेत्र क्षेत्रीय (Territorial) आधार पर न होकर **"कार्य की श्रेणी" (Functional)** के आधार पर हो रहा है ।

इन अधिकारियों का जिले में रूटिन कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ड्यूटी में विशेष शाखा के पृथक आदेश पर ही लगाया जाने की सलाह जिला पुलिस अधीक्षकों को दी जाती है।

यदि किसी परिपत्र में इस सेल के अधिकारियों के लिये विवेचना का कोई न्यूनतम/अधिकतम कोटा निर्धारित किया गया है, तो उसे अधिकमित समझा जावे। विवेचना की गति एवं गुणवत्ता की समीक्षा का मुख्य दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक का ही है। यह अधिकारी पूर्णतया उन्ही के प्रशासनिक एवं आपरेशनल नियंत्रण एवं अधीनता में है।

(पुलिस महानिदेशक,म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त जोनल अमनि/महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
(2) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
(3) पुमनि/उमनि/समनि (महिला अपराध) पुलिस मुख्यालय भोपाल, जोन कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर (म.प्र.)
(4) अमनि **SCRB,** की ओर कृपया वैब पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु।
(5) स.म.नि.(महिला अपराध)–प्रथम/द्वितीय, उप संचालक(महिला अपराध) पु.मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
(6) प्रभारी **W-1** (म.अप.) रिकार्ड संधारण एवं प्रकाशन हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल – 462 008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL - 462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107

क्रमांक / File No /अमनि / महिला अपराध / PA / Desp. 164 / 2020 दि. 15/07/2020

प्रति, परिपत्र :- 19 23/07/2020

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– महिला संबंधी अपराध (मर्ग) जांच में अपराध पंजीयन करने के संबंध में दिशा –निर्देश ।

संदर्भः– **जी.ओ.पी. 116 / 2004 भोपाल दिनांक 08 / 03 / 2004 (प्रतिलिपि संलग्न)**

कृपया द.प्र.सं. की धारा 174 जा.फौ. एवं राज्य शासन के पत्र कमांक / एफ / 21 / 105 / 80बी (1) दो. भोपाल **दिनांक 03 जून 1983** मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के पालन में विवाह के 07 वर्ष की अवधि में महिला के द्वारा आत्महत्या किये जाने / महिला की मृत्यु पर संदेह होने / महिला के परिजनों के द्वारा उस आशय की मांग किये जाने / मृत्यु के कारण पर कोई संदेह होने या किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जाना उपयुक्त समझे जाने पर मृत्यु के कारणों (मर्ग) की जांच **उप पुलिस अधीक्षक स्तर** के अधिकारी द्वारा की जाती है ।

कई प्रकरणों में यह दृष्टिगत हुआ है कि मृत्यु से ठीक पूर्व जब महिला घायल अवस्था में / जली हुई अवस्था में / जहर के प्रभाव के होने से अस्पताल में आती है और अस्पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य के द्वारा पुलिस को किसी माध्यम से सूचना दी जाती है या पुलिस को सूचना प्राप्त होती तो उस अवधि में कार्यवाही के लिये उपयुक्त न्यूनतम श्रेणी के अधिकारी का उल्लेख द.प्र.सं / पुलिस रेग्यूलेशन में नही है । आमतौर पर यह दायित्व थाने के प्रधान आरक्षक स्तर के कर्मचारी को सौंप दिया जाता है । महिला के इस प्रकार के सूचना प्राप्त होने के उपरान्त उसकी मृत्यु होने के मध्य तक कई दिन बीत जाते है । इस अवधि में प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से महत्वपूर्ण साक्ष्य का लोप हो जाने की संभावना बनी रहती है ।

कई प्रकरणों में महिला को जिला अस्पताल या नजदीकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है जहां उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर काफी समय लग जाता है । इस प्रकार के प्रकरणों में भी महत्वपूर्ण साक्ष्य लोप होने की संभावना रहती है ।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि– 20/7/20

(1) किसी भी महिला की घायल अवस्था/जहर के प्रभाव में होने की अवस्था/जली हुई अवस्था में सूचना प्राप्त होने पर थाने में उपलब्ध वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को भी थाना प्रभारी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त कर तुरन्त अस्पताल या जिस स्थान पर उक्त महिला है, रवाना होकर जॉच करेगें ।

(2) उक्त अधिकारी मौके से ही थानाप्रभारी को वायरलैस/टेलीफोन या अन्य उपयुक्त माध्यम से वहां प्राप्त जानकारी से अवगत कराय वाला अधिकारी थानाप्रभारी के साथ–साथ समस्त परस्थितियों से तुरंत ही पर्यवेक्षणकर्ता क्षेत्रीय न.पु.अ./अनु.पुलिस अधिकारी/उ.पु.अ. को भी अवगत करायेगे और अपेक्षा करेगें कि वह तुरन्त उस स्थान पर पहुँचे जहां वह महिला है और अग्रिम कार्यवाही अपने हाथ में लें ।

(3) उ.पु.अ. स्तर के अधिकारी के मौके तक पहुँचने तक समस्त कार्यवाही चाहे वह उस स्थान से संबंधित है, जहां महिला है अथवा किसी भी अन्य स्थान से संबंधित हो, जहां पर उक्त महिला के साथ संदर्भित घटना हुई है/होना संभावित है, साक्ष्य होना संभावित है, या थाना प्रभारी ही विधि अनुरूप कार्यवाही करेगा।

(4) उक्त अधिकारी, थाना प्रभारी/उ.पु.अ. ही उक्त महिला की मेडिकल जांच एवं, मृत्यु पूर्व कथन कराये जाने के लिये भी जिम्मेदार होगे ।

(5) उक्त अधिकारी, थाना प्रभारी तथा पर्यवेक्षणकर्ता उ.पु.अ. स्तर के अधिकारी का यह दायित्व होगा कि यदि उक्त महिला अन्य अस्पताल या अन्य स्थान को रैफर कर दी गई है या ले जायी गई हो तो वे वहां जाकर सम्पर्क कर आवश्यक विधि अनुरूप कार्यवाही करें/करावें ।

(6) यदि महिला जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल या राज्य के बाहर इजाल हेतु ले जाई गई है तो भी इस्त अधिकारियो का ही यह दायित्व होगा कि वह उस स्थान, अस्पताल पुलिस चौकी से सम्पर्क कर महिला की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के विषय में समन्वय स्थापित करेगें और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केस डायरी के आदान प्रदान में जिले के अन्दर अधिकतम **01 दिवस एवं** जिले के बाहर या राज्य के बाहर **03 दिवस** में औपचारिकातायें पूर्ण हो जावे।

(7) यदि महिला की मृत्यु हो गई हो तो प्रथम बार सूचना प्राप्त होने के **30 दिवस** में यह निर्णय करेंगे कि प्रकरण में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। बिना युक्तियुक्त कारण के समय सीमा में निर्णय न लेना विवेचक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का पर्याप्त आधार होगा।

(8) यदि किसी भी स्तर पर विवेचक/जांचकर्ता को यह समाधान हो जावे कि प्रकरण में संज्ञेय अपराध हुआ है, तो तुरंत ही संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध कराने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी ।

(9) यदि किसी प्रकरण में पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट अपेक्षित है, जो कि सामान्यतः 1–3 दिवस में प्राप्त नही होती हैं, तो थानाप्रभारी/उ.पु.अ. का दायित्व है कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ध्यान में लाये कि अमुक प्रकरण में पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट संबंधित अमुक चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित है। उपयुक्त प्रकरणों में शार्ट पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट ली जानी चाहिये ।

(10) कुछ प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि दस्तावेजी साक्ष्य होने के बावजूद प्रकरण में संज्ञेय अपराध होने/न होने का निर्णय इस आधार पर प्रकरण लंबित रखा गया कि विसरा एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया है और विसरा रिपोर्ट आने पर तदानुसार प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जावेगा । चूँकि एफ.एस.एल. में बड़ी संख्या में बिसरा जांच/डीएनए जांचे लंबित है, इसलिये यह असामान्य नहीं कि कई बार विसरा जांच रिपोर्ट कई माह या वर्ष बाद आती है, जिससे तब तक महत्वपूर्ण साक्ष्य समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे प्रकरण में विवेचक का यह दायित्व है कि वह स्पष्ट लेख करें कि एफ.एस.एल. की जांच रिपोर्ट से ऐसी कौन सी साक्ष्य या जानकारी प्राप्त होने वाली है, जो कि बिना उस रिपोर्ट के अभी उपलब्ध साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है और प्रकरण में संज्ञेय अपराध के होने या न होने का निर्णय लेने के लिये एफ.एस.एल. रिपोर्ट को भेजने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि ऐसे किसी प्रकरण में FSL जॉच रिपोर्ट आने के आधार पर प्रकरण निरर्थक रूप से लंबित रखना पाया जाता है, तो यह विवेचक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का पर्याप्त आधार होगा।

(11) भ्रमण(दौरे) के दौरान प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा पु.रे. के प्रावधान पैरा 867 के पालन में भ्रमण/निरीक्षण के दौरान थाने में लंबित मर्गों की समीक्षा की जाकर निर्णय कराया जावेगा कि प्रकरण में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं ?

(पुलिस महानिदेशक,म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति0पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

(1) अ.म.नि. अ.अ.वि/अजाक/रेल/प्रशिक्षण की ओर सूचनार्थ ।
(2) अमनि **SCRB,** की ओर कृपया वैब पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु।
(3) समस्त जोनल अमनि/महानिरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
(4) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
(5) पुमनि/उमनि/समनि (महिला अपराध) पुलिस मुख्यालय भोपाल, जोन कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर (म.प्र.)
(6) स.म.नि.(महिला अपराध)–प्रथम/द्वितीय, उप संचालक(महिला अपराध) पु.मु. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
(7) प्रभारी **W-1** (म.अप.) रिकार्ड संधारण एवं प्रकाशन हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

:: पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ::

पी०ओ०पी० क्रमांक/116 /2004, भोपाल दिनांक – 9-3-2004

विषय:– महिला अपराधों में एक रूपता लाने हेतु दिशा निर्देश ।

महिला उत्पीड़न के संबंध मे समय–समय पर जारी किये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के उपरान्त भी जिलो में महिला थानों के कार्य में एक रूपता का अभाव एवं महिला उत्पीड़न के अपराधों की विवेचना में त्रुटियों को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि पूर्व प्रेषित आदेश/निर्देशों मे समयानुकूल आवश्यक परिवर्तन, संशोधन तथा परिमार्जन कर संकलित आदेश/निर्देश जारी किये जावें। महिलाओं से संबंधित अपराधो की विवेचना में उत्कृष्ठता लाने हेतु संकलित आदेश/निर्देश जारी किये जा रहे है जिसका पालन सुनिश्चित करें ।

1. महिलाओं पर घटित अपराधों मे महिला/उसके परिवार जन द्वारा थाना/महिला थाना मे रिपोर्ट करने पर तुरंत धारा 154 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिये ।

2. थाने पर रिपोर्ट होने पर जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध करने की प्रकिया से बचा जाना चाहिये ।

3. प्रथम सूचना पत्र मे घटना से संबंधित परिस्थितियों का विवरण अपराधियों के नाम, पता, हुलिया तथा साक्षियों के नाम एवं पता का उल्लेख होना चाहिये, जो विवेचना मे सहायक होता है ।

4. प्रथम सूचना पत्र में नकारात्मक बिन्दुओं के उल्लेख से बचा जाना चाहिये ।

5. देहात भ्रमण के दौरान अपराध की जानकारी उपलब्ध होने अथवा सूचना मिलने पर शून्य पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रारम्भिक कार्यवाही जैसे घायल का चिकित्सीय परीक्षण/उपचार., घटना स्थल की सुरक्षा एवं उसका निरीक्षण , लाश का पंचायतनामा व फोटोग्राफी, शव परीक्षण आदि पूर्ण करने के पश्चात ही विशेष वाहक के माध्यम से प्रकरण संबंधित थाने को असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु भेजा जाना चाहिये ।

6. प्रायः देखा गया है कि प्रकरण में पुलिस की सक्रियता आहत महिला की मृत्यु से प्रारम्भ होती है तब तक अधिकांश भौतिक साक्ष्य समाप्त हो चुके होते है । इसका दुष्परिणाम अपराधिक प्रकरणों के निराकरण पर तो पड़ता ही है, जन सामान्य तथा पीड़ित पक्ष की निगाह में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है । अतः आवश्यक है कि इस तरह के प्रकरणों के घटित होने के तत्काल बाद पुलिस कार्यवाही पूर्ण संवेदनशीलता से प्रारम्भ

किया जावें । इन प्रकरणों में कार्यवाही करना संबंधित राजप
अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ।

7\. ऐसे प्रकरणों में सभी अस्पतालो की मॉनीटरिंग की जानी चाहिये । कि
किसी भी थाना क्षेत्र में जहां अस्पताल है, यदि इस प्रकार के प्रक
आते है तो संबंधित थाना प्रभारी/नगर पुलिस अधीक्षक को महिला
जलने पर भर्ती होने पर त्वरित सूचना दी जाना चाहिये । तदनुस
कार्यवाही हेतु समस्त अस्पतालों को निर्देशित करें ।

8\. किसी नवविवाहिता के जलने की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधि
राजपत्रित अधिकारी को इसकी सूचना दी जावें । जिस अस्पताल
यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो अस्पताल में पुलि
चौकी/सहायता केन्द्र में पदस्थ पुलिस कर्मचारी जिला नियंत्र
कक्ष/राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी को इसकी सूचना देंगें ।

9\. ऐसे प्रकरणों में आहत महिला का कथन राजपत्रित अधिकारी द्वा
तत्काल लिया जाना चाहिए तथा उसे विश्वास में लिया जाकर शां
पूर्वक कथन लिपिबद्व किया जाना चाहिये ।

10\. जलने की घटना के घटनास्थल का थाना प्रभारी तथा संबंधित राजपत्रि
अधिकारी तत्काल निरीक्षण करें तथा एफ०एस०एल० वैज्ञानिकों से
घटना स्थल का निरीक्षण/फोटो कराई जाना अति आवश्यक है ।

11\. यदि विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर होती है
कार्यवाही का आधार धारा 174 द०प्र०स० के खण्ड 3 में स्पष्ट है जिस
अनुसार धारा 176 द०प्र०सं० के तहत मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वा
की जावेगी । इस हेतु घटना की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधि
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को तहरीर भेजी जाये ।

12\. महिला उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों विशेष कर अविवाहित ए
नवविवाहित महिलाओं की अकाल मृत्यु, संदिग्ध मृत्यु एवं हत्या
विवेचना त्वरित गति से एवं सतर्कता पूर्वक की जावें ताकि महत्वपू
साक्ष्य न विलोपित हो और न ही विस्मृत हो सकें ।

13\. मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल को सुरक्षित कर प्रत्येक
प्रकरण में नक्शा तैयार किया जाना चाहिये । संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण
समान ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाना चाहिये ।

14\. अनुभव के आधार पर छोटे से छोटे सुराग, की ओर ध्यान दिया जान
चाहिये, ताकि आवश्यकतानुसार साक्ष्य हेतु जप्त कर उसे सरक्षित किया
जा सकें ।

15\. यदि किसी महिला द्वारा स्वयं की उत्पीडन की रिपोर्ट थाने पर आकर
की जाती है तो तत्काल प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना प्रारम्भ कर दी
जानी चाहिये ।

16\. जहां तक संभव हो शव का पचनामा मृतिका के परिजनों को बुलाकर
उनकी उपस्थिति में ही किया जावे ताकि उन्हें मृतिका की मृत्यु में कोई

शक न रहें । उन्हें पंचायतनामे के साक्षी के रूप में भी रखा जा सकता है ।

17. मृतिका के मायके की ओर से मौत के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायें ।

18. लाश एवं घटना स्थल के फोटोग्राफ विभिन्न कोण से लिये जावें ।

19. गंभीर अपराध विशेषकर दहेज हत्या, आग से जलने आदि के प्रकरण में घटना स्थल एवं शव परीक्षण की वीडियो शूटिंग अवश्य करा लेना चाहिये ।

20. घटना स्थल का निरीक्षण/परीक्षण जिले में पदस्थ विधिविज्ञान विशेषज्ञ से अवश्य कराया जावें । फिंगरप्रिन्ट एवं फुटप्रिन्ट के लिये अंगुलिचिन्ह विशेषज्ञ की सेवाऐं अवश्य ली जावें ।

21. विधिविज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजी जाने वाली वस्तुएं अविलम्ब भेजी जावें । विलम्ब से भेजने पर प्रायः विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय में समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्यायालयीन निराकरण पर पडता है और लाभ अपराधी को मिलता है ।

मरणासन्न कथन:-

22. नवविवाहिता के गंभीर रूप से जलने/घायल होने की रिपोर्ट पर तत्काल घटना स्थल सुरक्षित कर स्थानीय चिकित्सालय में ही उससे पूछताछ की जानी चाहिये । यदि अग्निदग्धा/आहत स्त्री की दशा गंभीर हो तो तत्काल उसका मरणासन्न कथन करा लेना चाहिये ।

23. धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मरणासन्न कथन एक अति महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसे लिपिबद्ध करने में विलम्ब नहीं होना चाहियें ।

24. यदि दण्डाधिकारी अथवा डाक्टर तत्काल उपलब्ध न हो तो स्वयं पुलिस अधिकारी दो अथवा अधिक साक्षीगणों के समक्ष मरणासन्न कथन ले सकता है-। मरणासन्न कथन प्रश्न तथा उत्तर के रूप में ही लेख किया जाना चाहिये । दण्डाधिकारी एवं डाक्टर की अनुपलब्धता होने एवं पुलिस अधिकारी द्वारा मरणासन्न कथन लिखे जाने के तथ्यों को कारण सहित लेख करना चाहिए ।

25. मरणासन्न कथन लेख करने से पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों को वहां से हटा देना चाहिये ताकि महिला किसी प्रकार के मानसिक दबाव में न रहें । रूढ़िगत परम्पराओं अथवा नारी सूलभ लज्जावश सही कथन देने में संकोच न करें । ऐसी समझाईश उसें देनी चाहिये ।

धारा 306/304बी आत्महत्या तथा दहेज मृत्यु:-

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जब तक परिस्थितियां एक दम असहनीय न हो जाये तब तक कोई महिला आत्महत्या नहीं करती है । अतः आत्महत्या के प्रकरणों की जांच उचित अभिमत को

[illegible] में रखते हुये [illegible] की जानी चाहिये । साथ ही आत्महत्या के कारणों का पता लगाये बिना [illegible] जांच समाप्त नही की जानी चाहिये ।

27\. ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये जो व्यवहार में दहेज अथवा अन्य कारणों से महिला को प्रताड़ित व और उनके द्वारा प्रताड़ित महिलायें आत्महत्या कर लेती है ।

28\. आत्महत्या के पूर्व छोड़ें गये पत्र/नोट का काफी महत्व होता है, मात्र पत्र/नोट को आधार मानकर ही जांच नही की जानी चाहि मृतिका के मायके के लोगों और पड़ोसियो के कथन तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी एकत्र किया जाना चाहिये ।

29\. इस संभावना को एकदम नकारा नही जाना चाहिये कि मृत्यु नोट/पत्र ससुराल पक्ष द्वारा दबाव डालकर मृतिका से लिखवाया है ।

30\. मृतिका द्वारा अपने परिजनों तथा मित्रों को मृत्यु की तिथि के आस लिखे गये पत्र भी अति महत्वपूर्ण होते है । अतः उक्त पत्रों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जानी चाहिये ।

31\. नवविवाहिता के प्रकरण में दहेज प्रताड़ना से हुई मृत्यु पर धारा 304 भादवि का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये ।

32\. पारिवारिक हिंसा की शिकायत को भी गंभीरता से लिया जाकर त्वरि वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिये । क्योंकि इस हिंसा से अंत आत्महत्या अथवा हत्या होने की संभावना सदैव बनी रहती है ।

<u>498ए प्रताड़ना:-</u>

33\. दहेज की मांग को लेकर अथवा अन्य कारण से ससुराल पक्ष/पति नवविवाहिता को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उक्त धारा के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

34\. क्रूरता में शारीरिक क्रूरता के साथ मानसिक प्रताड़ना भी निहित मानी गयी है । ससुराल पक्ष द्वारा यातना देने के बाद भी यदि महिला को पति के घर पर रहना पड़ता हो तो यह मानसिक प्रताड़ना का प्रकरण हो सकता है ।

35\. प्रताड़ना का अपराध एक निरंतर अपराध है । द0प्र0सं0 की धारा 179 सी के अनुसार इसमें अन्य बातों के साथ -साथ यह उपबन्ध है कि जहां अपराध लगातार घटित होने के स्वरूप का है और एक से अधिक स्थानीय जगहो पर अपराध घटित होना जारी रहे तो इसकी जांच अपराध के प्रारंभ होने से अंत तक के किसी भी क्षेत्र के थाना अंतर्गत हो सकेगी व किसी भी स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकेगा ।

36\. प्रकरण दहेज प्रताड़ना का हो तो धारा 498ए भादवि के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 का भी उपयोग किया जाना

- 5 -

चाहिये । दहेज प्राप्ति हेतु मौखिक अथवा लिखित, शारीरिक क्षति की धमकी दी गयी हो तो धारा 506, 507 भादवि का उपयोग किया जाना चाहिये ।

37. दहेज की सामग्री ससुराल पक्ष के लोग यदि दुर्भावनावश अपने कब्जे में रखते है तो धारा 405, 406 भादवि का अपराध होगा ।

धारा 376 बलात्कार:-

38. बलात्कार की शिकार महिला सदमें में रहती है । अतः विवेचना के दौरान यथासंभव महिला पुलिस कर्मी द्वारा ही पीड़ित महिला के घर पर ही जाकर पूछताछ की जानी चाहिये ।

39. बलात्कार के प्रकरणों की विवेचना मे विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये । इन प्रकरणो में प्रायः चश्मदीद साक्षियों का अभाव होता है। अतः तत्काल घटना स्थल पर पहुचकर आवश्यक परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र की जाना चाहिये ।

40. चिकित्सा जांच रिपोर्ट विवेचना में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है । अतः चिकित्सा जांच तत्काल करायी जानी चाहिये ।

41. बलात्कार के प्रकरणों मे डी0एन0ए0 परीक्षण जहां आवश्यक है, अविलम्ब कराना चाहिये ।

42. अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम हेतु जन जागृति शिविरो के माध्यम से अभिभावको को परिचितों, रिश्तेदारों आदि से सावधान रहने हेतु शिक्षित किया जाना चाहिये ।

43. स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विवाह अथवा प्रलोभन देकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ का यौन शोषण करने की शिकायत आती रहती है । पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट पर धारा 376 भादवि के अंतर्गत प्रकरण कायम किया जा सकता है । साथ ही आवश्यकतानुसार भा.द.वि. की अन्य धाराऐं अथवा अन्य अधिनियमों की धारायें भी लगाई जा सकती है।

44. बलात्कार की रिपोर्ट लिखते समय अश्लील शब्दों का प्रयोग जहां तक संभव हो कम से कम किया जावें ।

धारा 354 / 509 छेड़छाड़:-

45. छेड़छाड़ की घटनायें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है । रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तुरन्त आपराधिक प्रकरण कायम कर कार्यवाही करना चाहिये ।

46. महिलायें थाने पर आकर रिपोर्ट करने में संकोच करती है । ऐसी स्थिति में छेड़खानी की घटना के संबंध में सूचना मिलते ही तुरन्त सत्यापन कर आरोपी के विरूद्व सटीक प्रतिबंधात्मक और भा.द.वि. के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये ।

47. [illegible] एवं शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने व बन्द होने के समय उनके [illegible] आवश्यक है ।

45. सिनेमा हाल, पार्क, मंदिर तथा भीड़भाड़ वाले कुछ चुने स्थानों, मेला या सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखने के लिये सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मचारी लगाये जायें ।

49. महिलाओं एवं छात्राओं में साहस तथा आत्मविश्वास पैदा करने के लिये चेतना शिविरों का आयोजन किया जावे ।

50. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख से सम्पर्क रखकर उनसे छेड़खानी से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका समुचित वैधानिक निदान करना चाहिये । इससे पुलिस पर छात्राओं एवं महिलाओं का विश्वास निश्चित ही बढ़ेगा ।

51. महिलाओं या छात्राओं द्वारा रिपोर्ट करने पर उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया जावे । यदि संभव हो तो महिलाओं के कथन महिला अधिकारी द्वारा ही लिखे जावें ।

52. पीड़ित महिला को बार-बार थाने पर न बुलाया जाकर उसके निवास स्थान पर ही पूछताछ की जावे । इससे पीड़ित महिला पुलिस कार्यवाही में अधिक सहयोग दे सकेगी ।

53. आवेदिका के अवयस्क होने की दशा में उसके परिजनों की उपस्थिति में ही उससे पूछताछ की जावे । पीड़ित महिला से उसके पूर्व चरित्र या सम्मान से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार पूछा जाना चाहिये कि उसमें एवं उसके परिजनों में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना बनी रहे ।

धारा 363 से 366 अपहरण :-

54. बालिग अथवा नाबालिग महिलाओं के गुम होने की सूचना को पूरी गंभीरता तथा संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिये ।

55. बालिका अथवा महिला के दस्तयाब होने पर उसके द्वारा दिये गये कथनों का सूक्ष्म सत्यापन किया जाना चाहिये ।

56. सत्यापन कर अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिये ।

57. गुम या अपहृता महिला के मिलते ही उसका कथन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के समक्ष कराकर उसे उसके माता पिता को सौंप देना चाहिये । यदि उसके परिजन उसे साथ न ले जाना चाहें तो उसके नारी निकेतन या निराश्रित महिला गृह में भिजवा दिया जाना चाहिये ।

58. गुम अथवा अपहृता महिलाओं के प्रकरणों में इस संभावना की सूक्ष्मता से समीक्षा की जानी चाहिये कि प्रकरण इन युवतियों के क्रय-विक्रय का तो नहीं हैं । ऐसे प्रकरणों में धारा 363, 366 के साथ धारा 372, 373 भादवि का भी उपयोग किया जाना चाहिये ।

चिकित्सीय/शव परीक्षण:-

59. सम्भव है कि पुलिस के पहुचने से पहले ही आहत महिला को चिकित्सालय ले जाया गया हो अथवा किसी अन्य चिकित्सालय मे स्थानान्तरित किया गया हो ऐसी स्थिति मे शीघ्रता से स्थानीय/घटना स्थल की जांच पूरी कर प्राथमिक उपचार करने वाले चिकित्सक से विस्तृत विवरण प्राप्त करे । तदुपरांत स्थानीय चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज जहा प्राथमिक उपचार के बाद उस महिला को स्थानान्तरित किया गया हो, के चिकित्सकों तथा स्थानीय थाना प्रभारी को घटनाक्रम से अवगत करायें । इससे उपचार तथा शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक को सुविधा होगी ।

60. लाश को शव परीक्षण भेजते समय विवेचना अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम फार्म के पृष्ठ 2 पर निर्धारित कॉलम मै शव तथा मृत्यु के संबंध में प्राप्त साक्ष्य को स्पष्ट लिखा जाना चाहिये । इसी प्रकार फार्म के प्रथम पृष्ठ पर उन वस्तुओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहियें जो शव के साथ भेजी जा रही हो ।

61. नवयुवतियो/नवविवाहितो के शव का परीक्षण सिविल सर्जन के समान वरिष्ठ चिकित्सक सहित डाक्टरों के पैनल द्वारा ही किया जाना चाहिये । सिविल सर्जन की अनुपस्थिति/अनुउपलब्धता में यह परीक्षण पैनल जिसमें एक रेजीडेंट मेडिकल आफिसर जिसका सेवाकाल 10 वर्ष से कम न हो द्वारा किया जाना चाहियें ।

62. प्रत्येक संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में आवश्यक होने पर बिसरा को अविलम्ब परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए ।

63. विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के प्रथम 10 वर्ष में होने पर शव परीक्षण दो चिकित्सकों के दल द्वारा जिसनें एक महिला चिकित्सक अवश्य हो, कराया जाना चाहियें ।

64. यथा संभव मायके पक्ष के परिजनों को शव दिखाने के पश्चात ही मृतिका के अन्तिम संस्कार की अनुमति दी जानी चाहियें ।

साक्ष्य संकलन:-

65. हत्या, बलात्कार या आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य के रूप में जप्त की गई वस्तुओं, कपडो, बिसरा आदि का रसायनिक परीक्षण शीघ्र कराया जाना चाहियें । विशेषज्ञ की राय अतिशीघ्र प्राप्त करने हेतु पत्राचार के साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करना चाहिये ।

66. बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास के प्रकरणों में रक्त- रंजित वस्तुओं, वीर्ययुक्त कपडो आदि को प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद अविलम्ब जप्त कर लेना चाहिये । इन प्रकरणो के आरोपियो के कपडों, यदि कोई भौतिक साक्ष्य मिले, तो भी जप्त करना चाहियें ।

67. घटना स्थल पर ही साक्षियो के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जप्त वस्तुओ को सील बन्द कर सुरक्षित किया जाना चाहियें । आवेदिका एवं आरोपी के शरीर पर आई चोटो का कारण पूछकर साक्ष्य के रूप मे तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिये ।

68. धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियो के कथन लिपिबद्व कराना आवश्यक नही है, फिर भी यदि आवश्यक समझा जाता है तो साक्षियो से पूछताछ कर संतुष्ट हो लेना चाहियें । कथन लिपिबद्व कराने में विलम्ब नही होना चाहियें ।

69. प्रथम सूचना अपने आप मे धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन से अधिक मजबूत साक्ष्य है। अतः प्रथम सूचना के आवेदक/आवेदिका का कथन धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कराना उचित नही है । क्योंकि प्रथम सूचना और धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन मे विरोधाभास होने का लाभ आरोपियों को ही मिलता है।

70. आवेदक/आवेदिका एवं साक्षियो के कथन मे आने वाले विरोधाभाष या कमी को विवेचना मे दूर किया जाना चाहियें ताकि न्यायालय में विचारण के दौरान प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे ।

71. विवेचना और अभियोजन मे अनावश्यक विलंब न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये । ताकि आवश्यक हो तो राहत प्रकरण आदि अविलंब बनाया जा सके ।

72. आरोपियो को शीघ्र बंदी बनाया जाकर पीड़ित महिला को प्रताड़ित करने के कारणों की भलीप्रकार पूछताछ की जाये ताकि अवश्यकतानुसार धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जा सके ।

73. मानसिक/शारीरिक एवं दहेज प्रताड़ना के प्रकरणों मे विवाह की स्थिति के संबंध में अखण्डनीय साक्ष्य, विवाह कराने वाले पुरोहित अथवा काजी, पादरी अथवा दोनों परिवारों के मध्य हुये पत्र व्यवहार अथवा निमंत्रण पत्र, फोटोग्राफी आदि से प्राप्त की जा सकती है।

74. शिक्षित महिला जो प्रताड़ना का शिकार होती है, अपने स्वजनों अथवा मित्रों को पत्र लिख सकती है। अत इस प्रकार के पत्रों विशेषकर घटना के आस–पास लिखें गये पत्रों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहियें । इन पत्रों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाना चाहियें ।

बन्दी महिलाः–

75. बन्दी बनाई गई महिला आरोपी की महिला के रूप में सुरक्षा की विशेष आवश्यकता को ध्यान मे रखा जाये, ताकि उसकी मान मर्यादा का उल्लघंन न हो सके ।

76. [illegible] बन्दी बनाई गयी महिला आरोपी को [illegible] [illegible] चाहिये ।

77. महिला आरोपी की तलाशी महिला साक्षियों के समक्ष किसी महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा ही ली जानी चाहियें । तलाशी के समय शालीन आचरण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहियें ।

78. महिला फरियादी, साक्षियो तथा आरोपियों से पूछताछ सामान्यत दिन में ही करे ताकि पुलिस कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न न हों ।

79. महिला बंदी को यदि पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक हो तो उसे समीप के महिला थाना में रखा जाना चाहियें । अथवा सामान्य थाने के महिला बंदीगृह में रखकर महिला गार्ड तैनात करना चाहियें ।

80. महिला बंदी को यथाशीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहियें ताकि उसे पुलिस अभिरक्षा मे रखने की आवश्यकता न रहे ।

पर्यवेक्षण :-

81. महिला अपराधों का पर्यवेक्षण जिले के संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाकर विवेचक को स्पष्ट निर्देश दिये जावें तथा दिये गये निर्देशों का पालन हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। किये गये पर्यवेक्षण/समीक्षा की प्रतिलिपि उप पुलिस अधीक्षक 'अजाक' को आवश्यक रूपसे दी जाना चाहिए एवं उप पुलिस अधीक्षक 'अजाक' प्रकरण के स्वरूप को देखते हुए स्व-विवेक से अग्रिम कार्यवाही निश्चित करेंगे । महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों की समीक्षा रेंज पुलिस अधीक्षक 'अजाक' द्वारा भी उनके स्वरूपानुसार की जायेगी ।

82. प्रकरण के लंबित होने के कारण से अथवा की जा रही है विवेचना से संतुष्ट न होने पर पुलिस अधीक्षक (अजाक) द्वारा तत्काल विवेचना अधिकारी को आवश्यक निर्देश देकर पालन सुनिश्चित किया जाना चाहियें ।

83. प्रकरण की स्कूटनी आरोप पत्र तैयार करने के पूर्व करा लेना चाहिये । प्रकरण की स्कूटनी में लोक अभियोजक द्वारा इंगित त्रुटि की पूर्ति विवेचना अधिकारी करे, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहियें ।

84. प्रायः यह देखा जाता है कि विवेचक आरोप पत्र बनाने के पश्चात विवेचना में कमी की पूर्ति को अनावश्यक बोझ समझते हैं और किसी न किसी प्रकार लोक अभियोजक से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराने का प्रयास करते है। यह प्रवृत्ति प्रकरण के लिये बहुत ही घातक है। क्योंकि विवेचना की कमियों का लाभ आरोपी को मिलता है और पुलिस को भी प्रतिकूल न्यायालयीन निर्णय से शर्मसार होना पड़ता है ।

निरीक्षण :-

85. उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) वर्ष मे दो बार महिला थाने का 6 माही निरीक्षण करेगें, जबकि पुलिस अधीक्षक (अजाक) द्वारा वर्ष मे एक बार वार्षिक निरीक्षण किया जावेगा ।

88. उप पुलिस अधीक्षक अजाक के द्वारा निरीक्षण टीप रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को जावेगी ताकि आवश्यकतानुसार आदेश/निर्देश जारी किये जा सकें ।

87. पुलिस अधीक्षक (अजाक) के द्वारा निरीक्षण टीप रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं अ.जा.क. शाखा, पु.मु.भोपाल को भेजी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार आदेश/निर्देश जारी किये जा सकें ।

महिला थाना प्रभारी एवं अन्य उप निरीक्षक/प्रधान आरक्षक द्वारा भ्रमण:-

88. महिला थाना प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक, अजाक को सूचित कर दौरा करेगें और वापस आने पर जानकारी रोजनामचे एवं अन्य पंजियों में अंकित करेगे ।

शिकायत जांच:-

89. महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को उच्चप्राथमिकता के आधार पर जांच की जावेगी ताकि शिकायत जांच नहीं करने से जहां पीड़ित महिला को समय पर न्याय नही मिलता, वहीं दूसरी ओर शासन को निर्धारित समय में उत्तर भेजने में विलम्ब होता है ।

90. शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होते ही आदेश पत्र (आर्डर शीट) पर दिन प्रतिदिन की कार्यवाही अंकित करना उपयोगी होगा ।

91. शिकायत जॉच की प्रगति की समीक्षा उप पुलिस अधीक्षक(अ.जा.क.)/ पुलिस अधीक्षक(अजाक) द्वारा की जाएगी व देखा जाएगा कि जिला पुलिस दल के अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन सही ढग से कर रहे हैं। गंभीर त्रुटियॉ पु.मु. को प्रतिवेदित की जाएगी ।

खात्मा/खारजी:-

92. खात्मा/खारजी बिना पुलिस अधीक्षक अजाक की अनुमति के नही भेजी जावेगी ।

93. खात्मा /खारजी करने से पूर्व पुलिस अधीक्षक अजाक के अनुमोदन की अनिवार्यता होगी ।

94. विवेचना अधिकारी/पुलिस अधीक्षक और रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक के बीच मत भिन्नता होने पर ऐसे प्रकरण अजाक शाखा, पुलिस मुख्यालय, को भेजे जायेंगे ।

दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा:-

95. पुलिस अधीक्षक अजाक प्रत्येक तिमाही में दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करेगे । साथ ही दोषमुक्ति में पाई गई त्रुटियों के लिये संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।

मासिक प्रविवरण :-

96. प्रत्येक थाने में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों, महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों एवं महिलाओं की आकस्मिक मृत्यु की मासिक जानकारी प्रकरण की अद्यतन स्थिति दर्शाते हुए प्रत्येक माह उप पुलिस अधीक्षक, अजाक को भेजी जावेगी, जो प्रकरणों में स्वविवेकानुसार निर्देश देते हुए जिले की एकजाई जानकारी रेंज पुलिस अधीक्षक 'अजाक' को भेजेंगे।

97. रेंज पुलिस अधीक्षक 'अजाक' सभी अपने अधीनस्थ जिलों के उप पुलिस अधीक्षक 'अजाक' से प्राप्त जानकारी का एक संकलित प्रतिवेदन अति. पुलिस महानिदेशक 'अजाक' को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक भेजेंगे।

हस्ता/-
(एस.के.दास)
पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक-पुमु/अजाक/ए-1/85/739/04
दिनांक- 8-3-04

प्रतिलिपि:-

1- समस्त अति.पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश,
2- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
3- समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
4- समस्त- जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ''रेल'', म.प्र.,
5- समस्त उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'', मध्यप्रदेश,
6- समस्त थाना प्रभारी-थाना ''अजाक''/महिला थाना, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ.शैलेन्द्र श्रीवास्तव)
पुलिस महानिरीक्षक ''अजाक''
हेतु-पुलिस महानिदेशक,मप्र

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश
(महिला अपराध शाखा)

दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2550367

क्रमांक / पु.मु. / अ.म.नि. / महिला अपराध / पीए / 169 / 20 भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2020

परिपत्र क्र–29 / 2020

प्रति,

पुलिस उप महानिरीक्षक, शहर (रेंज)
भोपाल एवं इंदौर,

पुलिस अधीक्षक,
जबलपुर,ग्वालियर,रीवा,उज्जैन,सतना,सागर,रतलाम ,कटनी
मध्य प्रदेश ।

विषय :– महिला थानों को महिला अपराधों के विषेशज्ञ थानों के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में स्थित कुल 10 महिला थाने के 5 वर्ष (2016–2020) के अपराधों के अवलोकन से यह पाया गया कि इन थानों में मुख्यतः 498ए के अपराधों की विवेचना की जा रही है।

(2) यद्यपि धारा 498–ए की विवेचना के कारण महिला थाना की पहुंच बहुत सी महिलाओं तक सुनिश्चित की जा सकती है, परन्तु महिला थानों को महिला अपराधों के विशेषज्ञ थानों के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

(3) इसलिये यह आवश्यक है कि इन थानों में सभी प्रकार के प्रकरणों का पंजीयन हो और सभी प्रकार के कुछ–कुछ प्रकरणों की विवेचना इन्हें दी जाए। इससे न ही केवल यह थाने अपनी पहचान बना पायेंगे, अपितु ऐसे अपराध जिनमें Specialized Service जैसे trauma Counselling, rehabilitation परिवार परामर्श आदि की आवश्यकता पडती है, वह भी Survivors (पीडिता) तक यह थाने सही रूप से पहुंचा पायेंगे। विशेष परामर्श सेल, जहां कहीं भी है, को भी महिला थानों से ही सम्बद्ध किया जाना उचित होगा।

(4) निम्न प्रकार के अपराधों की विवेचना महिला थानों को दिया जाना विचारणीय है–

(1) शहरी क्षेत्र में 12 साल तक उम्र की लडकियों के विरूद्ध बलात्कार।
(2) एसिड अटैक धारा 326ए
(3) अनैतिक देह व्यापार धारा 3,4,5संशोधित अधिनियम वर्ष 1986 धारा 7,8,9 एवं 370 भादवि एवं 370 ए
(4) धारा 354 बी के अंतर्गत शीलभंग
(5) विशेष बच्चों के विरूद्ध पॉक्सो प्रकण के अंतर्गत अपराध जिसमें (Translator, Interpreter, Special Educator) के सहयोग की आवश्यकता पडती है।
(6) महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकथाम प्रचार–प्रसार जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका।

(5) उपरोक्त प्रकरण महिला थानो को देते समय यह भी सुनिश्चित करें कि यदि पीड़िता / फरियादी सीधे क्षेत्रीय थाने पहले पहुंचती है, तो प्रकरण वहीं पर दर्ज हो जावे और अग्रिम विवेचना और संसाधनो एवं सुविधाओं की व्यवस्था के लिये प्रकरण महिला थाने भेजा जाए।

(निरंतर.....)

(6) एसिड अटैक की रोकथाम एवं इलाज तथा **Trafficking** के **Victims** का **Rehabilitation** ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सेवायें है जिसमें पुलिस पीड़ितों को विशेष सेवायें दिला सकती है। इसी प्रकार बच्चों के विरूद्ध बलात्कार एवं शीलभंग जिसमें निर्वस्त्र (354 बी) करने के आशय से हमला किया गया हो, महिलाओं को मानसिक आघात पहुंचाने वाली एवं जीवन को बदलने वाली घटनाओं में भी महिला थानों को इन प्रकरणों में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। यह थाने **One stop center** से सम्पर्क कर सक्षम अधिकारी से **Counselling** एवं विधिक सहायता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

(7) महिला थाने में पदस्थ स्टॉफ को निम्न बिन्दुओं पर सघन प्रशिक्षण दिया जाए:–

(A) महिला सम्बन्धी अपराधों में विशेष ज्ञान।

(B) पीड़िता से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार एवं सुनवाई की दक्षता **(Victim, handling and empathetic listening)**

(C) "**One stop center**" के कार्य,भूमिका, समन्वय।

(D) संसाधन एवं सेवाए जो पीड़िता (**Victim**) को प्रदाय की जानी हैं।

(8) पुलिस मुख्यालय के पत्र कमांक **File** No./अमनि/महिला अपराध/**PA/Desp-151/20 Dt 04/07/2020** के द्वारा समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार प्रदेश के 700 थानों में महिला डैस्क स्थापित करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त डैस्क में पदस्थ नामजद महिला अधिकारियों जो भी उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण दिये जावे तथा उपयुक्त प्रकरणों में परिपत्र कमांक **File** No./अमनि/महिला अपराध/परिपत्र/96/2020 **Dt 02/06/2020** दिनांक में निर्धारित श्रेणी के प्रकरणों की विवेचनायें भी दी जावे।

(अन्वेष मंगलम)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण/सायबर म.प्र.।
(3) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./गुप्तवार्ता/अजाक/शिकायत/एसटीएफ/रेल भोपाल म.प्र।
(4) अति0 पुलिस महानिदेशक(SCRB) परिपत्र MPPolice की वेबसाईट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने बावत्।
(5) समस्त जोनल अ.म.नि/पु.म.नि, म.प्र.।
(6) पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) पु.मु. भोपाल म.प्र.।
(7) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(8) उमनि/समनि (म0अप0)जोनल कार्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
(9) समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक/उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) पुमु।
(10) निज सहायक, अ.म.नि.(महिला अपराध) पु.मु.भोपाल।
(11) समस्त खण्ड प्रभारी/खण्ड प्रभारी–3 परिपत्र पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
(12) डब्ल्यू–1 महिला अपराध गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

E-Mail

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश
महिला अपराध शाखा
पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल–462 008
दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय)/फैक्स

क्रमांक/पुमु/म0अप0/W–9/1596/20 दिनांक– /07/2020
परिपत्र क्रमांक 21 /2020 28/7/2020

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल व इंदौर,
(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) मध्यप्रदेश।

विषयः– महिला संबंधी प्रकरणों में समय सीमा मे अपराध पंजीयन ।

संदर्भः– इस कार्यालय का परिपत्र कमांक /अति.म.नि./महिला अपराध/परिपत्र/नि.स./138/2019 Dt. 29/07/2019

—00—

(1) पुलिस को सूचना प्राप्त होने के उपरांत अपराध पंजीयन में लगने वाले समय न्यूनतम होना चाहिये। थाना धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता पुलिस रेग्युलेशन पैरा 504, 710, 719 से 726 भी देखें। ज्ञातव्य है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रिट पिटीशन (क्रिमिनल) 68/2008 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में कतिपय मामलों में प्रकरण के संज्ञेय अपराध होने या न होने के मामलों में पंजीयन पूर्व जॉच के लिये 07 दिन की अधिकतम समय–सीमा निर्धारित कर उक्त अवधि में की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाहियों के इंद्राज थाने के रोजनामचा (जनरल डायरी/स्टेशन डायरी/डेली डायरी) में किये जाने के निर्देश भी दिये गये है।

(2) विभिन्न परिस्थितियों में प्रकरण में जांच जारी होने/ दस्तावेज न मिलने या मेडिकल रिपोर्ट न मिलने/ गवाह न मिलने आदि के आधार पर धारा 304 बी, 498 ए के प्रकरण में या शून्य पर डायरी प्राप्त न होने के आधार पर अन्य कई प्रकरणों में देरी से अपराध पंजीयन हो रहा है। उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि –

(a) यदि किसी कारण ''साक्षी'' थाना में उपस्थित नही हो पा रहे है, तो विवेचक/जांचकर्ता को स्वयं साक्षी से संपर्क कर समय निर्धारित कर वहां जाकर कथन लेना चाहिए। **धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत विवेचक केवल स्वयं के थाना क्षेत्र एवं सरहदी थानों क्षेत्रो के निवासरत साक्षियों को ही कथन हेतु विवेचक अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। यद्यपि कुछ थानो का क्षेत्राधिकार संपूर्ण प्रदेश या संपूर्ण जिला है, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि किसी को भी, कभी भी, कही भी बुलाया जा सकता है। महिलाओं बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को भी थाना बुलाये जाने के विषय में नियम सुस्पष्ट है।

(b) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील न. 1156/2020 दिलीप विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य** में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्र. अति0म0नि0/म0अप0/नि0स0/425/2013 दि. 10.05.2013 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डाक्टर द्वारा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार करना चाहियें।

लगातार....27/7/20

(c) लगातार चलने वाले अपराधों के विषय में धारा 178, 179, 180 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रिमिनल अपील नम्बर – 71/2012 रूपाली देवी विरूद्ध उ.प्र. राज्य के संदर्भ में मे मुख्यालय के परिपत्र क्र.पु0मु0/अति0 म0नि0/म0अप0/W-2/40/19/2506/2019 भोपाल दिनांक 08/05/2019 में निर्देश प्रसारित किये गये है।

(d) थाना भवन के बाहर एवं थाना क्षेत्राधिकार के बाहर की घटनाओं के विषय में "शून्य" पर FIR लेख करने के विषय में पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश स्पष्ट है ।

(e) CID द्वारा परिपत्र क्रमांक अ.अ.वि/अमनि/निस/34/2020 दिनांक 09/05/2020 के माध्यम से भी शून्य पर "FIR" , "FIR आपके द्वार" के विषय में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है।

(f) आयु अथवा जाति प्रमाण पत्र तत्काल पेश न करने के आधार पर अपराध पंजीयन से इंकार या देरी नहीं की जा सकती है। सूचनादाता/पीड़ित द्वारा दी गयी जानकारी/कथन के आधार पर उन तथ्यों से प्रगट धारा लेख कर कायमी की जानी चाहिये। विवेचना के दौरान साक्ष्य के अनुसार धारा बढ़ाई/हटाई जा सकती है।

(3) उपरोक्त एवं माननीय न्यायालयों के निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नानुसार अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाती है।

क्रं	शीर्ष/बिन्दु	घटना संज्ञान में आने के उपरांत दिनांक से समान जांच/सत्यापन कार्यवाही पूर्ण कर अपराध पंजीयन हेतु अधिकतम समयावधि
i	थाना प्रभारी को प्राप्त सूचना में उसे संज्ञेय अपराध घटित होने या समाधान होने पर	तत्काल/उसी दिन/थाना पर/मौके पर ही
ii	मर्ग जांच / शिकायत जांच/आवेदन जांच	30 दिवस
iii	मृत्यु पूर्व कथन में संज्ञेय अपराध घटित होना प्रगट होने पर	01 दिवस
iv	[पीड़िता की सहमति] से "परिवारिक परामर्श " होने पर	30 दिवस
v	मेडीकल जांच/सान्हा जांच	15 दिवस
vi	शून्य पर प्रकरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय/अति. पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक/थाने से प्राप्त होने पर	01 दिवस
vii	शून्य पर प्रकरण अन्य जिलों/थानों को भेजना	02 दिवस
viii	धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय के आदेशानुसार	उसी दिवस/01 दिवस
ix	यदि इस प्रकार की कोई और परिस्थिति हो, जिसका वर्णन ऊपर नहीं किया गया हो/ अन्य परिस्थितियां जो अवर्णित हो।	07 दिवस

लगातार....

x	यदि उपरोक्त समय सीमा में युक्तियुक्त कारण से निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो– तो अति. पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक./अनुविभागीय पुलिस अधिकारी की अनुशंसा पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त 07 दिवस दिये जा सकते हैं।	07 दिवस
xi	यदि तथापि निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो तो –रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक की अनुशंसा पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा और अतिरिक्त 07 दिवस दिये जा सकते है।	07 दिवस

(4) सभी पर्यवेक्षण अधिकारी (नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/अति०पुलिस अधीक्षक), जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक,जोनल पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराधों के समय पर पंजीयन की स्थिति की निरंतर समीक्षा करें और उपयुक्त प्रकरणों में अकारण विलंब से अपराध पंजीयन करने पर संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही करें।

(पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(अन्वेष मंगलम)
अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(1) विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, सायबर/रेल पु०मु०, म०प्र०,
(2) अति० पुलिस महानिदेशक, अ०अ०वि०/गुप्तवार्ता/अजाक, पु०मु०, म०प्र०,
(3) अति० पुलिस महानिदेशक(रा०अ०अ०ब्यरो) पु०मु० भोपाल की ओर उक्त परिपत्र MPPolice की Website पर Upload कर Link उपलब्ध कराने हेतु ।
(4) समस्त जोनल, अति० पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/रेंज उप पुलि महानिरीक्षक म०प्र० पालन मॉनिटरिंग हेतु ।
(5) पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध पु०मु०,
(5) जोनल महिला अपराध कार्यालय ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, म०प्र०।
(6) डीडीपी/ सहायक पुलिस महानिरीक्षक, I एवं II/डी.एस.पी. (महिला अपराध) पु०मु०।
(7) निज सहायक,अ०म०नि०(म०अप०), पु०म० भोपाल।
(8) समस्त खण्ड प्रभारी (महिला अपराध) शाखा पु०मु० भोपाल।
(9) प्रभारी डब्ल्यू–01, रिकार्ड संधारण एवं परिपत्र प्रसारण हेतु।
(10) खण्ड प्रभारी डब्ल्यू–03 की ओर प्रकाशन हेतु।

अति.पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल

दूरभाष : 0755–2443568 (कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107
ईमेल–mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / File No /अति.म.नि. / महिलाअपराध / W-12/1970/2020 Dt.10/9 /2020

परिपत्र–22

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, (रेल सहित)
मध्यप्रदेश।

विषयः– वारंटी / फरार आरोपियों अथवा वांछित / साक्षी की गिरफतारी / न्यायालय उपस्थित कराने हेतु चैक लिस्ट।

संदर्भः– पुलिस मुख्यालय का पत्र क. फाईल नं. / अति.म.नि. / महिला अपराध / पीए / 178 / 19 दिनांक 17.10.19 ।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत पुलिस मुख्यालय के संदर्भित पत्र के माध्यम से फरार आरोपियों / वारंटीयों की गिरफतारी के संदर्भ में आरोपियों की तलाश के किये गये प्रयासों से संबंधित **71 बिन्दुओं** की चैक लिस्ट प्रेषित की गई थी। उक्त संबंध में इकाईयों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सारगर्भित संक्षिप्त **28 बिन्दुओं** की संशोधित चैक लिस्ट तैयार की गई है।

उपरोक्त चैकलिस्ट में प्रकरण में की गई कार्यवाही अनुसार कोष्ठक में **"सही"** का चिन्ह अंकित किया जाना है। वर्णित चैकलिस्ट अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षण अधिकारी / थाना प्रभारी / विवेचकों को भेजी जावें एवं उनसे लिखित पावती भी प्राप्त की जावे। विवेचक / थाना प्रभारी द्वारा वांरटी / फरार अपराधियों के संबंध में संलग्न चैकलिस्ट अनुसार किये गये प्रयासों के संबंध में टीप प्राप्त की जाये।

कभी–कभी साक्षी / पीड़ित भी न्यायालय में लम्बे समय तक उपस्थित नहीं होते हैं और न्यायालय द्वारा उनके भी वारंट जारी किये जाते है अथवा गुम व्यक्ति का हैवियस कार्पस आदेश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होते है। ऐसे प्रकरणों में कार्पस की तलाश या पीड़ित / साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु किये गये प्रयासों में भी इस चैक लिस्ट के कुछ बिन्दु उपयोगी हो सकते है। आवश्यकतानुसार इन बिन्दुओं का उपयोग किया जावें।

यदि किसी प्रकरण में यह निर्णय ले लिया गया है कि आरोपी के विरूद्ध समुचित साक्ष्य है और उसे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक / विधि अनुरूप है और वह न तो स्वंय प्रेरणा से उपस्थित हो रहा है अथवा सूचित किये जाने / तलाश के उपरांत भी 07 दिवस से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, तो इस सूची को केस डायरी में संलग्न कर, इसके बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही को नियोजित रूप से किया जाना चाहिये।

वर्णित चैकलिस्ट अपने आप में समग्र/सम्पूर्ण न होकर सुझावात्मक है। कार्यवाही के दौरान यदि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों अथवा न्यायालय निर्णय/आदेश से कोई नये सुझाव/टीप दी जानी हो तो यथासमय पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में चैक लिस्ट को पुनः परिमार्जित किया जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित)

(संजय माने)
अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण/सायबर पु.मु. भोपाल।
2. अति0पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि/गुप्तवार्ता/अजाक/एस.टी.एफ./रेल/शिकायत पु.मु. भोपाल म.प्र.
3. अति0 पुलिस महानिदेशक (SCRB) (02प्रतियों में) परिपत्र MP Police की वेबसाईट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने बावत् एवं सॉफ्टवेयर में केस माड्यूल में जोड़ने हेतु।
4. समस्त जोन अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. की ओर पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
5. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. पालन मॉनिटरिंग हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी उमनि/समनि महिला अपराध जोनल कार्यालय ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर म.प्र.।
8. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक/उप संचालक अभियोजन/उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) पुमु।
9. निज सहायक, अति0 पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुमु।
10. समस्त खण्ड प्रभारी, महिला अपराध पुमु म.प्र.।
11. खण्ड प्रभारी–3 परिपत्र पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
12. डब्ल्यू–1 महिला अपराध गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अति0पुलिस महानिदेशक(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अभियुक्त की गिरफ्तारी/फरार आरोपी/वारंट तामीली विषयक् किये गये प्रयासों की चेक लिस्ट

स.क्र.	आपके द्वारा की गई कार्यवाही	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	1	2	3	4
	I. अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही विषयक्			
1.	क्या वांछित को थाने में थाना प्रभारी/विवेचक के समक्ष उपस्थिति हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में, **धारा 41क(1) अथवा 160 द.प्र.सं.** का नोटिस जारी किया गया ?	☐	☐	☐
2.	क्या उपरोक्तानुसार उल्लेखित नोटिस तामीली के उपरांत वांछित के उपस्थित न होने पर **धारा 174 भादवि** के अन्तर्गत परिवाद तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गयइं	☐	☐	☐
3.	क्या प्रकरण के फरियादी, साक्षी, वांछित के परिजन, मित्र, रिश्तेदार, जमानतदार, कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज आदि से पूछताछ कर वांछित की तलाश के हर संभव प्रयास करने के उपरांत भी जब आरोपी नहीं मिला तब माननीय न्यायालय से **धारा 70 द.प्र.स** के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया जाकर **धारा 74 द.प्र.सं.** के तहत संबधित पुलिस अधिकारी से वारंट का निष्पादन कराया गया ?	☐	☐	☐
4.	क्या वांछित की गिरफ्तारी के लिए **पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80** के अन्तर्गत इनाम की घोषणा कराकर वांछित का फोटो, पेम्पलेट का प्रसारण सार्वजनिक स्थान, आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्थानीय समाचार पत्रों आदि में कराया गया।	☐	☐	☐
5.	यदि गिरफ्तारी के लिए "वांछित" व्यक्ति की आतंकवादी घटना में तलाश है तो क्या यूएपीए एक्ट के अन्तर्गत एन.आई.ए को सूचित किया गया ?	☐	☐	☐
6.	क्या संबधित अपराध में अपराध से बड़ी राशी की आय हुई और **PMLA (Prevention of Money Laundering Act)** आकर्षित होता है तो **प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ED (Enforcement Directorate)** को सूचित किया गया ?	☐	☐	☐
7.	वांछित के फरार होने और वारंट तामील न हो पाने पर **पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 789** एवं द.प्र.सं. की **धारा 82(1)** अथवा उपयुक्त धाराओं का अपराध होने पर **धारा 82(4)** की कार्यवाही कराई जाना नियत कर उद्घोषणा का नियमानुसार प्रसारण कराया गया व आरोपी के उपस्थित न होने पर **धारा 174क भादवि0** के अंतर्गत कार्यवाही की गई।	☐	☐	☐
8.	क्या धारा 83 की कार्यवाही के लिए चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी ज्ञात की गई? (पंचायत/नगरीय निकाय/संपत्ती पंजीयक विभाग/आयकर विभाग/जीएसटी विभाग/सेवारत् विभाग/स्थानीय बैंक/निगमित मामलों मंत्रालय MCA (Ministry of Corporate Affairs)/SEBI (The Securities and Exchange Board of India) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/POST OFFICE)	☐	☐	☐

स.क्र.	आपके द्वारा की गई कार्यवाही	हाँ	नहीं	लागू नहीं
9.	वांछित के फरार होने की जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय के माध्यम से गजट में प्रकाशित कराई गई एवं CCTNS में वांछित की जानकारी अतिवांछित/ईनामी अपराधी के रुप में प्रविष्टि की गई।	☐	☐	☐
10.	क्या वांछित की तलाश हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित Inter Operable Criminal Justice System (ICJS) Portal के माध्यम से देश में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (CCTNS, National Data Center, Railway Protection Force Security Management System (RSMS)), e-Court के माध्यम से देश के विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित अपराधिक प्रकरण तथा e-prisons से अपराधियों की फोटो, उनसे मिलने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर वांछित की तलाश की गई ? (रा0अ0अ0ब्यूरो पु.मु. भोपाल के संबंधित पत्र क/सीसीटीएनएस/रा.अ.अ.ब्यूरो/केस.एप्ली/पोर्टल/2090/2019 भोपाल, दिनांक 26.06.2019) तथा (अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय के पत्र क./अअवि/तक.सेल/विविध/173/2020 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देश)	☐	☐	☐
11.	यदि वांछित Sexual Offender है तो क्या NDSO Data Base से वांछित के विरुद्ध अन्य प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर तलाश की गई ? (रा0अ0अ0ब्यूरो पु.मु. भोपाल के संबंधित पत्र क/सीसीटीएनएस/रा.अ.अ. ब्यूरो/केस एप्ली/ पोर्टल/2088/2019 भोपाल, दिनांक 26.06.2019)	☐	☐	☐
12.	क्या वांछित के बैंक खाते (ACCOUNT) और एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड एवं लॉकर आदि की जानकारी ली गई ? यदि **धारा 82,83 जा.फौ.** की कार्यवाही प्रारंभ की गई है तो क्या **धारा 102 द.प्र.सं.** के अंतर्गत बैंक खाता, कार्ड आदि से आहरण पर रोक एवं लॉकर सील कराये जाने की कार्यवाही कराई गई या नहीं ?	☐	☐	☐
13.	यदि "वांछित" व्यक्ति जमानत या स्वयं के बंधपत्र पर छोड़े जाने के उपरांत फरार हुआ है तो उसके विरुद्ध **धारा 229क भादवि** के अन्तर्गत कार्यवाही की गई अथवा नहीं ।	☐	☐	☐
	II. वांछित के पूर्व अपराधिक रिकार्ड विषयक्			
14.	वांछित के विरुद्ध/ वांछित द्वारा दायर लंबित अन्य सिविल, क्रिमिनल न्यायालयों में दर्ज मामलों की जानकारी लेकर उसकी उनमें उपस्थिति की जानकारी लेकर प्रकरण के सहआरोपियों से जानकारी ली गई।	☐	☐	☐
15.	यदि वांछित के अन्य न्यायालयों में पूर्व से भी प्रकरण चल रहे हैं, तो संबंधित न्यायालयों को पृथक–पृथक सूचित किया गया।	☐	☐	☐
16.	क्या किसी अन्य प्रकरण में "वांछित" जमानत/पैरोल पर है और क्या वांछित को पूर्व प्रकरणों में शर्तो के अधीन जमानत पर छोड़ा गया था, तो जमानत/पैरोल निरस्त करने का आवेदन लगाया गया अथवा	☐	☐	☐

स.क्र.	आपके द्वारा की गई कार्यवाही	हाँ	नहीं	लागू नही
	जमानतदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई अथवा नहीं ?			
	III. तकनीकी कार्यवाही विषयक्			
17.	क्या वांछित के मोबाईल नंबर की कैफ (Customer Application Form) से जानकारी ली गई व मोबाईल की सीडीआर लेकर पूर्व की **Most frequent location** ज्ञात की गई ?	☐	☐	☐
18.	यदि वांछित का कोई नया मोबाईल नंबर ज्ञात न हो रहा हो तो पूर्व में उपयोग किये गये मोबाईल की सीडीआर के आईएमईआई को वर्तमान में सर्च कराकर उपयोग किये जा रहे नये मोबाईल नंबर को ज्ञात कर गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया ?	☐	☐	☐
19.	यदि वांछित विदेश में है तो उसके द्वारा संबंधित देश के मोबाईल नंबर का उपयोग होना ज्ञात होने पर भारत में उससे सम्पर्क के व्यक्तियों की बी–पार्टी सीडीआर प्राप्त कर वांछित के बारे में पूछताछ की गई ?	☐	☐	☐
20.	क्या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि से आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त की गई ? (पब्लिक डोमेन तथा संबंधित एजेन्सीज से जानकारी प्राप्त करना)	☐	☐	☐
21.	वांछित अथवा उसके निकटतम मित्र परिजन/रिश्तेदारों/ वांछित के सम्भावित सहायकों आदि के पास वाहन है तो उक्त सम्भावित वाहन से भागने के सम्भावित मार्गो पर लगे समस्त निजी/शासकीय/अन्य सीसीटीव्ही कैमरो से/टोल टैक्स नाकों के कैमरो/डॉयल 100 के राज्य नियंत्रण कक्ष के ANPR(Automatic Number Plate) से वाहन का मूवमेंट ज्ञात कर कार्यवाही की गयी?	☐	☐	☐
22.	यदि वांछित Email/Net Banking/ Aadhar Card/ BHIM App/ Phone Pay/ Google Pay/ Paytm / Ola/ Uber/ Rapido/ Sweegy/ Zomatto/ Uber Eats/ OnDoor/ Dominos, **यात्रा टिकट, ई–शापिंग, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, डीटीएच रिचार्ज, एलपीजी बुकिंग, होटल बुकिंग, समग्र आईडी, राशन कार्ड** आदि का उपयोग करता है तो जानकारी प्राप्त कर तलाश की गई। (पब्लिक डोमेन से जानकारी करना)	☐	☐	☐
23.	वांछित द्वारा अपने आधार कार्ड से (अथवा अपहृता के आधार कार्ड से) नई सिम लेकर मोबाईल उपयोग किये जाने की संभावना होने से वांछित के आधार नंबर की जानकारी लेकर सभी सिम प्रदाता कंपनियों से उक्त आधार नंबर पर नई सिम दिये जाने की जानकारी प्राप्त की गई अथवा नहीं ?	☐	☐	☐

स.क्र.	आपके द्वारा की गई कार्यवाही	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	IV. वांछित के व्यक्तिगत दस्तावेज/पहचान पत्रों के माध्यम से कार्यवाही विषयक्			
24.	क्या वांछित के आधारकार्ड/पेनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस की जानकारी लेकर तलाश किया जाना सुनिश्चित किया गया ?	☐	☐	☐
25.	यदि वांछित पासपोर्ट धारक है और वह संज्ञेय अपराध में वांछित है तो **Passport Related Information Data Exchange (PRIDE)** एवं विशेष शाखा अथवा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय **(Regional Passport Office)** से जानकारी प्राप्त कर तथा **BOI (Bureau of Immigration)** के माध्यम से **Lookout Circular Notice** जारी कराया गया, यदि वांछित के विरूद्ध संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो **BOI (Bureau of Immigration)** के माध्यम से वांछित के आगमन और प्रस्थान की जानकारी प्राप्त की गई अथवा नहीं	☐	☐	☐
26.	यदि वांछित के विदेश भाग जाने की जानकारी प्राप्त हुई है तो **नियमानुसार** उसके विरुद्ध **अपराध अनुसंधान विभाग (CID)/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** के माध्यम से **INTERPOL** से **Red Corner Notice** जारी कराये जाने एवं यदि वांछित के विदेश भागने की संभावना है तो **INTERPOL** से **Blue Corner Notice** जारी कराये जाने की कार्यवाही की गई अथवा नहीं ?	☐	☐	☐
27.	यदि वांछित ड्रायविंग लायसेंस धारक है तो वह किस श्रेणी का है ज्ञात कर वांछित की तलाश की गई और लायसेंस निरस्त/निलंबित कराने की कार्यवाही **(अन्तर्गत धारा 19 मोटर व्हीकल एक्ट)** की गई अथवा नहीं।	☐	☐	☐
28.	यदि वांछित शस्त्र लायसेंस धारक है तो वह किस श्रेणी का है ज्ञात कर लायसेंस निरस्त/निलंबित कराये जाने की कार्यवाही **(शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत)** की गई अथवा नहीं।	☐	☐	☐

E-Mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

Tel: 0755–2443568 / Fax 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

कमांक / पुमु / म0अप0 / W–12 / 191 / 20 / 2588 / 2020 दिनांक:– 05 / 11 / 2020

परिपत्र–11(ए) / 2020

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज भोपाल / इन्दौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) म.प्र

विषय:– दिव्यागजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 7(4) के परिपालन करने के संबंध मे।

संदर्भ:– 1.पु.मु के परिपत्र कं 11 / 2020 / पुमु / म.अप. / W–12 / 165 / 20 / 924 / 2020 दिनांक 30.05.20
2.न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगन भारत सरकार के पत्र क्र0 11891 / 1111 / 2020 दिनांक 21.04.20

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 मे उल्लेखित प्रावधानों से आप सभी को पूर्व में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।

मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस को धारा 7 (4) के प्रावधान के संबध में ध्यान आकृष्ट किया गया है। वर्णित प्रावधान के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

उक्त प्रावधान अनुसार "जब कोई पुलिस अधिकारी दिव्यांगजन के दुरूप्रयोग हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो व्यथित व्यक्ति को अधिनियम के संबध में निम्नलिखित जानकारी देगा" :–

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिये आवेदन करने के उसके अधिकार की एवं सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की।

(ख) दिव्यांगजनों के पुर्नवास के लिये कार्य कर निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की।

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की।

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध के निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाईल करने के अधिकार की। परंतु इस धारा

लगातार.....

के किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्त्तव्य से मुक्त करने के लिये नही लगाया जायेगा ।

अतः उक्त प्रवधानों को समस्त पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों एवं समस्त विवेचना अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाकर कियान्वयन कराया जावे। दिव्यांगजन संबंधी पंजीबद्ध अपराध की विवेचना के अन्तर्गत पीडिता/फरियादिया को प्रावधानों के संबध में दी गई जानकारी की पावती प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न की जावे एवं इसकी प्रविष्टि रोजनामचे में दर्ज की जावे। उपरोक्त दिशा निर्देशो का पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/W–12/165 /20/2588/2020 दिनांक– 05/11/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर सेल/प्रशिक्षण शाखा, पु0मु0, म.प्र.।
2. अति.पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./अजाक/गुप्तवार्ता/रेल /STF /SCRB (MP Police की website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु)।
3. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), म.प्र.।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
5. जोनल (महिला अपराध) कार्यालय भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.।
6. डी.डी.पी./स.म.नि./समस्त उ.पु.अ. (म.अप.) पु0मु0 म.प्र.।
7. प्रभारी, समस्त उपखण्ड (म.अप.) पु0मु0, म.प्र.।
8. प्रभारी डब्ल्यू–01 (म.अप.) की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

गजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice and Empowerment

भारत सरकार/Government of India

28 SEP 2020

Case No.11891/1111/2020 Dated 21.04.2020

To

The Director General of Police, Madhya Pradesh
Police Headquarters, Jehangirabad,
Bhopal-462008 (Madhya Pradesh)
Email – dgpmp@mppolice.gov.in

Sub.: Rape of a 53 year's old visually challenged woman in her Bhopal home amid COVID-19 Lockdown

*****

Sir,

Please find enclosed a photocopy of NDTV News clipping dated 18.04.2020 on the above mentioned subject which is self-explanatory. The Chief Commissioner for Persons with Disabilities (Divyangjan) has taken suo-motu cognizance in this matter.

2. Section 7(4) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides as under:-

"7. (4) Any police officer who receives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or exploitation towards any person with disability shall inform the aggrieved person of—

(a) his or her right to apply for protection under sub-section (2) and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance;

(b) the particulars of the nearest organisation or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities;

(c) the right to free legal aid; and

(d) the right to file a complaint under the provisions of this Act or any other law dealing with such offence:

Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

3. Section 75 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 mandates the Chief Commissioner for persons with disabilities on his own motion or on application of any aggrieved person or other wise to look into complaints inter-alia, with respect to matters relating to deprivation of rights of persons with disabilities.

4. In view of the above, it is advised to get the matter inquired into and submit the inquiry report along with comments to this Court within 20 days from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(Dr. S.K. Prasad)
Dy. Chief Commissioner

Encl.: As above

No.ADGP/CAW/PA..1872/20
Dated...29/09/2020

Copy to:

State Commissioner for Persons with : For information and follow up.

E-mail

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

Email ID- mpcaw@mppolice.gov.in
पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल– 462008

कमांक/पुमु/म0अप0/डब्ल्यू–8/ 56 /2020 भोपाल, दिनांक:07/01/2020

परिपत्र–01/21

प्रति,

समस्तजोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषय–: आदतन अपराधियों की इतिहासवृत्त (History Sheet), गैंग हिस्ट्रीशीट (Gang History Sheet) एवं यौन अपराधियों के डोजियर (Dossier) तैयार करने के संबध में।

संदर्भः–
1. म0प्र0 पुलिस रेग्युलेशन का पैरा **651**.
2. परिपत्र क/पुमु/अजाक/म0प्रको0/ए–8/479/06 दिनांक 16.11.2006
3. परिपत्र क्र/फाईल नं./परिपत्र/अमनि/म.अप./706/14 दिनांक 29.11.2014
4. परिपत्रक्र/अअवि/जेएबी/फा.न.75/12–31/डी–723/201दिनांक12.12.2017
5. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशकं 15011/ 22/ 20 15/ SC /ST-W दिनांक 12.05.2015
6. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश कं 15011/27/2011-A T C दिनांक 30.04.2012

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत महिला एवं बच्चों के विरूद्ध घटित हो रहे यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुनरावृत्तिकर्ता आरोपियों के विरूद्ध कठोर दाण्डिक प्रावधान हैं। आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु **मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 651(ड), 855** के अन्तर्गत इतिहासवृत्त खोलने एवं **पैरा 652** से **657 तथा 856** में अपराधियों पर निगरानी संबंधी प्रकिया का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है एवं **पैरा 857** में निगरानी की अवधि के संबंध में निर्देशित किया गया है।

इसी प्रकार विद्यमान सामान्य एवं विशेष विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत बालक–बालिका/महिलाओं के विरूद्ध यौन/मानव र्दुव्यापार के अपराध घटित होने के उपरांत अनुसंधान के दौरान आरोपियों की पतारसी/गिरफतारी एवं न्यायालय में सक्षम अभियोजन की कार्यवाही एक महत्वपूर्ण आयाम हैं । अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने की स्थिति में इनकी स्पष्ट पहचान और पूर्व अपराधों की जानकारी अद्यतन रखना भी एक अति आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही है, इसके परिणामस्वरूप त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान कर पीड़ित को शीघ्र न्याय प्रदान किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक थाने पर इस प्रकृति के अपराधियों की जानकारी अद्यतन संधारित रहे।

निरंतर .....

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी मानव दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम के सन्दर्भ में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 30.04.2012 के बिन्दु क्रमांक 9.6 के अनुसार–"The Case history of every crime committed by every gang member should be collected from the concerned district to prepare a dossier of the gang to be used to book a gang under relevant laws such as the U.P. gangster act"के माध्यम से यौन अपराधियों के इतिहास वृत्त तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही दिनांक 12.05.2015 को प्रसारित दिशा–निर्देश के बिन्दु क्रमांक 'F' के माध्यम से भी यौन अपराधियों का Data Base संधारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी तारतम्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यौन अपराधों के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से यौन अपराधियों का डाटाबेस संकलित करने हेतु वर्ष 2018 में National Database on Sexual Offenders पोर्टल (http://ndso.gov.in) विकसित किया गया है।

अतः **दिनांक 01.01.2015** से अपराधिक अभिलेख के आधार पर यौन अपराधियों के डोजियर (Dossier- यौन अपराधियों का व्यक्तिगत एवं अपराधिक विवरण) तथा संगठित अपराधियों की निम्न मापदण्ड अनुसार पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 651(ड) के अन्तर्गत हिस्ट्रीशीट एवं गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार की जावें –

1- डोजियर (Dossier) (अपराधी की व्यक्तिगत/अपराधिक जानकारी) तैयार किये जाने के मापदण्डः–

i. आरोपी द्वारा 12 वर्ष तक की आयु के नाबालिग बालक–बालिका के साथ बलात्संग के दो अपराध कारित करने पर।
ii. आरोपी द्वारा बलात्संग एवं दो या दो से अधिक अन्य यौन अपराध कारित करने पर।
iii. आरोपी द्वारा महिला के विरूद्ध ऐसिड अटैक एवं एक अन्य यौन अपराध कारित करने पर।
iv. आरोपी द्वारा मानव दुर्व्यापार के अतिरिक्त अन्य कोई यौन अपराध कारित करने पर।
v. आरोपी के विरूद्ध यौन अपराध अथवा मानव दुर्व्यापार के एक अपराध के अतिरिक्त दो या दो से अधिक भा.द.वि. अथवा विविध अधिनियम के अपराध कारित करने पर। (वाहन दुर्घटना के अपराध छोड़कर)

2- हिस्ट्रीशीट एवं गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार करने के मापदण्डः–

आरोपी द्वारा गिरोह बनाकर महिला एवं बालक–बालिकाओं संबंधी दो या दो से अधिक संगठित मानव दुर्व्यापार/अपहरण–व्यपहरण/अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के अपराध घटित कर अवैध धन लाभ अर्जित किया गया हो उन अपराधियों की एवं उनके गिरोह की गैंग हिस्ट्रशीट एवं गैंग के सदस्यों की हिस्ट्रशीट तैयार कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

निरंतर .....

डोजियर (Dossier) एवं हिस्ट्रीशीट (History Sheet) तैयार करने का उद्देश्यः–

i. अपराधिक गतिविधियों पर निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण रखा जाना संभव होगा।
ii. यौन एवं मानव दुर्व्यापार के अज्ञात अपराधों में आरोपियों की पतारसी हेतु जानकारी प्राप्त होगी एवं न्यायालय में सक्षम अभियोजन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।
iii. आरोपियों को वर्धित दण्ड (Enhanced Punishment) से दण्डित कराये जाने में सहायता प्राप्त होगी।
iv. समाज में अपराध के प्रति भय व्याप्त होगा।
v. अपराधियों पर निगरानी रखने से पीड़ित पक्ष एवं समाज में सुरक्षा की भावना एवं पुलिस के प्रति विश्वास अर्जित होगा।
vi. अंतरजिला एवं अतंर्राज्यीय स्तर पर अपराधियों की अपराधिक कार्यप्रणाली/गतिविधियॉं/कार्यक्षेत्र/तंत्र (Network) आदि पर सूक्ष्म निगरानी कर प्रभावी नियंत्रण एवं समुचित वैधानिक कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

डोजियर (Dossier) एवं हिस्ट्रीशीट (History Sheet) तैयार करने संबंधी सामान्य निर्देशः–

i. यौन अपराधियों के निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संलग्न प्रोफार्मा अनुसार डोजियर (Dossier) तैयार किया जावें।
ii. मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के **पैरा 652, 653, 654, 655, 657, 855, 856** में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप इतिहासवृत्त (History Sheet) एवं गैंग हिस्ट्रशीट अद्यतन रखी जावें।
iii. सदाचरण से जीवन–यापनकरने परपुलिस रेग्युलेशन के **पैरा 857** के अनुसार कार्यवाही की जावें।
iv. आरोपी के अंतर थाना/अर्न्तजिला/अर्न्तराज्य स्तर पर अपराध है तो अपराधिक विवरण संबंधित थानें/जिलें/राज्य को उचित माध्यम से प्रेषित किया जावें तथा निर्धारित प्रकिया अनुरूप रोजनामचा, अपराध वर्गीकरण (Alphabetical) रजिस्टर एवं ग्राम अपराध पुस्तिका में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चत करें।
v. आरोपी की अन्य थानों/अन्य जिलों में पंजीबद्ध अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर थाना क्षेत्र में पूर्व के पंजीबद्ध अपराधों में जमानत/पैरोल निरस्तीकरण/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/सतत् निगरानी संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें एवं कृत कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रों में आदान–प्रदान की जावें।
vi. पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी दैनंदिनी पर्यवेक्षण एवं निर्धारित वार्षिक/अर्धवार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यवाही की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित करें।
vii. इतिहासवृत्त (History Sheet) एवं गैंग हिस्ट्रीशीट के आरोपियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर .....

डोजियर (Dossier) (अपराधी की व्यक्तिगत/अपराधिक जानकारी) संधारण संबंधी सामान्य निर्देशः–

i. यदि अपराधी के अंतर थाना अथवा अर्न्तजिला स्तर पर अपराध है तो संबंधित का अपराधिक विवरण संबंधित थानें/जिलें को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा अपराधी विवरण प्राप्तिकर्ता थाना/जिला निर्धारित अभिलेख रोजनामचा, अपराध वर्गीकरण (अल्फाबेटीकल) रजिस्टर में प्रविष्टि कर निर्धारित प्रकिया अनुरूप कार्यवाही करें।

ii. आरोपी की अन्य थानों/अन्य जिलों में पंजीबद्ध अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर थाना क्षेत्र में पूर्व के पंजीबद्ध अपराधों में जमानत/पैरोल निरस्तीकरण/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/सतत् निगरानी संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें एवं कृत कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रों में आदान–प्रदान की जावें।

iii. पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी दैनंदिनी पर्यवेक्षण एवं निर्धारित वार्षिक/अर्धवार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यवाही की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित करें।

विषयांकित कार्यवाही के संबंध में किन्हीं परिपत्रों, परिस्थितियों अथवा न्यायालय निर्णय/आदेश अथवा अनुभव से **अन्य कोई सुझाव** हो तो यथा–शीघ्र पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि उक्त परिपत्र को पुनः परिमार्जित किया जा सकें।

अतः निर्देशानुसार डोजियर/हिस्ट्रीशीट/गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार कर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से दिनांक 31.03.2021 तक इस कार्यालय को Email ID- mpcaw@mppolice.gov.inपर संलग्न **प्रोफार्मा 'अ'** एवं **'ब'** अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिचिश्त् करें।

संलग्न–1. प्रोफार्मानुसार 'अ' एवं 'ब'

2. प्रारूप डोजियर (Dossier)

3. प्रारूप गैंग हिस्ट्रीशीट (Gang History Sheet) एवं गैंग के सदस्यों का व्यक्तिगत इतिहासवृत्त (History Sheet)

(पुलिस महानिदेशक म0प्र0 द्वारा अनुमोदित)

7/4/21

(दीपिका सूरी)
पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध),
पुलिस मुख्यालय भोपाल

कमांक/पुमु/म0अप0/डब्ल्यू–8/ /2020 भोपाल, दिनांकः / /2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, प्रशिक्षण म0प्र0।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, अपराध अनुसंधान विभाग, प्रशिक्षण, गुप्तवार्ता, अजाक, सायबर, रेल, पु0मु0, भोपाल।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस0सी0आर0बी0) म0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निरंतर....

4. पुलिस महानिरीक्षक, म0अप0, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
5. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक,रेंज, मध्यप्रदेश।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज इंदौर एवं भोपाल व समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) म0प्र0 वांछित अभियान की जानकारी संबधित जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित करें, सीधे पुलिस मुख्यालय से पत्राचार न करें।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, जोनल महिला अपराध कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही कराने हेतु।
8. समनि–1, 2/डीडीपी/उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
9. समस्त खण्ड प्रभारी/प्रभारी 1090, महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
10. खण्ड प्रभारी–3,परिपत्र पुस्तिका संकलन एवं खण्ड प्रभारी–1,म0अप0 परिपत्र नस्ती संधारण हेतु।

7/11/21

पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध),
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अभियान के दौरान दिनांक 31.03.2021 कीस्थिति में तैयार किये गये डोजियर/हिस्ट्रीशीट/गैंग हिस्ट्रीशीट की संख्यात्मक जानकारी

प्रोफार्मा–'अ'

क	जिला	थाना	डोजियर		हिस्ट्रशीट		खोली गई गैंग हिस्ट्रशीट		शेष प्रकिया में गैंग हिस्ट्रीशीट	
			खोले गये	शेष प्रकिया में	खोली गयी	शेष प्रकिया	गैंग संख्या	आरोपी संख्या	संख्या	आरोपी की संख्या

अभियान के दौरान दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में तैयार किये गये डोजियर/हिस्ट्रीशीट/गैंग हिस्ट्रीशीटकी विवरणात्मक जानकारी

प्रोफार्मा–'ब'

डोजियर

जिला	थाना	आरोपी का नाम	आरोपी के विरूद्ध दर्ज कुल प्रकरण	आरोपी के अर्न्तथाना प्रकरण धारा सहित	आरोपी के अर्न्तजिला प्रकरण धारा सहित	आरोपी केअर्न्तराज्य प्रकरण धारा सहित	रिमार्क

गैंग हिस्ट्रीशीट

जिला	थाना	गैंग का नाम	गैंग के मुखिया का नाम	गैंग के अन्य साथियों के नाम	आरोपी के अर्न्तजिला प्रकरण धारा सहित	आरोपी के अर्न्तराज्य प्रकरण धारा सहित	रिमार्क

गैंग के सदस्यों का व्यक्तिगत इतिहासवृत्त (हिस्ट्रीशीट)

जिला	थाना	आरोपी का नाम	आरोपी के विरूद्ध दर्ज कुल प्रकरण	आरोपी के अर्न्तथाना प्रकरण धारा सहित	आरोपी के अर्न्तजिला प्रकरण धारा सहित	आरोपी के अर्न्तराज्य प्रकरण धारा सहित	रिमार्क

जिला थाना

गैंग का नाम

गैंग के मुखिया का नाम

गैंग हिस्ट्रीशीट के आरोपियों की फोटो

(सभी आरोपियों के पासपोर्ट साइज दिनांक एवं नाम सहित फोटो चिपकायें)

गैंग के मुखिया का फोटो

गैंग के सदस्य की फोटो

गैंग के सदस्य की फोटो

गैंग के सदस्य की फोटो

गैंग के सदस्य की फोटो

गैंग के सदस्य की फोटो

गैंग का विवरण

1.गैंग के मुखिया एवं सदस्यों का विवरण –

क्र0	मुखिया/सदस्य का पूरा नाम	वर्तमान पता	मोबाईल नम्बर	रिमार्क

2.गैंग के अपराधिक इतिहास काविवरण

3.गैंग के अपराधोंका संक्षिप्त विवरण–

(आवश्यकतानुसार पृष्ठ जोड़े)

क्र.	राज्य/ जिला/ थाना	अप0क0/ धारा /कायमी दिनांक	घटना दिनांक/स्थल	अपराध का संक्षिप्त विवरण	चालान क्र./ दिनांक	न्यायालय का नाम/ सत्र प्रकरण कं	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
1							
2							
3							

4.गैंग के विरूद्ध पंजीबद्ध असंज्ञेय/दीवानी (व्यवहारवाद) अपराधों का विवरण

क्र	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	अप.क./धारा/ कायमी दिनांक	अपराध/व्यवहार वाद का संक्षिप्त विवरण	न्याया. प्रकरण कमांक/दि0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**

5.गैंग के विरूद्व प्राप्त शिकायत/आवेदन पत्र का विवरण

क	आवेदक का नाम पता	अनावेदक के नाम पते	आवेदन का संक्षिप्त विवरण	आवेदन का आवक कं/दिनांक	कृत कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*

6.गैंग के अपराधिक गतिविधियों का क्षेत्र

राज्य	जिला	थाने	पीड़ित को प्राप्त करने का स्रोत एवं पृष्ठभूमि (Source of Victims)	पारगमन या परिवहन के मार्ग (Transit areas)	वितरण क्षेत्र (Distribution areas)	गन्तव्य स्थल (Destination point)
1	1					
	2					
	3					
2	1					
	2					
	3.					
3	1					
	2					
	3					

7. गैंग द्वारा अपराध प्रयोजन हेतु किस मार्ग का उपयोग किया जाता है (संक्षिप्त विवरण)–

1. सड़क मार्ग–
2. रेल मार्ग –
3. वायु मार्ग–
4. जल मार्ग–
5. उपरोक्त के संयोजन से–

8. गैंग का अन्य जिले, प्रदेश एवं विदेश में रहने वाले सहयोगियों का विवरण–

(i) नाम पिता का नाम–

(ii) आयु–(iii) लिंग–(iv)धर्म –

(v)जाति–(vi) पता–

(vii) मोबाइल नं.–(viii) मेल आई डी–

(ix) आपराधिक पृष्ठभूमि–

1.शिक्षा–

2. व्यवसाय–

3.चल/अचल संपत्ति का ब्यौरा–

9.गैंग के सदस्यों की गतिविधियों का विवरण–

क्रं	भूमिका	आपराधिक कृत में आरोपी की गतिविधियों का विवरण	रिमार्क
1	बलात्कारी (Rapist)		
2	सरगना (Kingpin)		
3	बेचने वाला (Seller)		
4	खरीदने वाले (Buyer)		
5	ट्रांस्पोर्टर (Transporter)		
6	पनाह देने वाले (Harborer)		
7	वेश्यालय चलाने वाले (Brothel Keeper)		
8	दलाल (Pimp)		
9	भर्ती करने वाले (Recruiter)		
10	वित्त पोषक (Financier)		
11	खोजी (Spotter)		
12	ग्राहक (Client)		
13	अन्य (Other)		

नोटः– अन्य अपराध शीर्ष में अपराध का प्रयोजन पृथक से स्पष्टतः अंकित किया जावे।

10.गैंग द्वारा अपराध के प्रयोजन में उपयोग किये गये सोशल मिडिया अकाउंट की जानकारी–

1. फेसबुक–2.ट्वीटर–

3.व्ही चैट–4.इन्स्टाग्राम–

5.अन्य (स्पष्टतः लेख करे)

11.गैंग द्वाराअपराध के प्रयोजन में उपयोग की जा रही वेबसाईट–

1. वेबसाईटके लिंक दिनांक सहित–2.स्क्रीन शॉट–

3. पेनड्राइव–

12. गैंग द्वारा अपराध के प्रयोजन हेतु वित्तीय स्त्रोत का विवरण–

1. पारिवारिक सहयोगियों के माध्यम से–

2. आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से–

3. अवैध गतिविधियों से–

4. हवाला के माध्यम से–

5. अन्य स्त्रोंतो से (स्पष्टतः लेख करें)–

13.गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों के प्रयोजन हेतु व्यय प्रणाली का विवरण–

(i) डिजिटल माध्यम से–

(ii) नगद रूप से–

(iii) बैंक के माध्यम से–

(iv) वस्तुओं के आदान प्रदान से–

(v) अन्य माध्यमों से (स्पष्टतः लेख करें)–

14.गैंग द्वारा अर्जित संपत्ति के निवेश का विवरण–

क्रं	संपत्ति का प्रकार	अनुमानित कीमत	अनुमानित आय	रिमार्क
i	डासंबार			
ii	होटल			
iii	गैम्बलिंग / कैसिनो			
iv	फैक्टरी			
v	समाचार पत्र			
vi	रियल स्टेट			
vii	आभूषण			
viii	शासकीय संपत्ति पर अवैध निर्माण			
ix	अन्य (चल अचल संपत्ति)निवेश(स्पष्टतःलेख करें)			

15.गैंग की राजनैतिक / सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण–

16.गैंग के अपराधों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सूची –

क्र0	नाम	पता	मोबाईल नम्बर
i			
ii			
iii			
iv			
v			

17.गैंग के सदस्यों को पहचानने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सूची

क्रमांक	पुलिस अधि0/कर्म0 का नाम पद/ पदस्थापना	पता	मोबाईल नम्बर
i			
ii			
iii			
iv			
v			

गैंग क सदस्यों का व्यक्तिगत इतिहासवृत्त (हिस्ट्रीशीट)

थाना .....

जिला .....

आरोपी का नाम .....

आरोपी का इतिहासवृत्त

भाग–एक
व्यक्तिगत विवरण

1. **थाना–** **जिला–** **राज्य–**

Photo
Pass port size
With Name/ Date

आरोपी का नाम– उप नाम–

लिंग–

आरोपीका पासपोर्ट साइज फोटो एवं फोटो लेने का दिनांक –

जन्म दिनांक–आयु– जन्म स्थान–

रक्त समूह–वैवाहिक स्थिति–

धर्म– जाति–

राष्ट्रीयता– भाषाऐं–

जन्म से शहरी या ग्रामीण–

वर्तमान पता, थाना एवं विशेष लेंड मार्क–

स्थायीपता, थाना एवं विशेष लेंड मार्क–

मोबाईल नं. .....मोबाईल का आई.एम.ई.आई.....

लेपटॉप/टेबलेट/डेस्कटॉप का विवरण–..... मॉडल नं.....

क्रय/संकलित (assemble) करने कादिनांक एवं वर्ष–.....

किस दुकान से क्रय किया गया–.....

सोशल मीडिया का उपयोग–व्हॉट्स एप नं.....ईमेल आईडी.....

फेसबुक आईडी.....ट्वीटर आईडी.....इंस्टाग्राम.....

अन्य .....

2.बाह्य पहचान चिन्ह–

i-

ii-

3. शारीरिक बनावट एवं–

1. रंग ..... 2. शारीरिक बनावट .....

3. कद सीमा ..... 4. चेहरे का प्रकार .....

5. ऑखों का प्रकार ..... 6. ऑखों का रंग .....

7. नाक ..... 8. मूँछ .....9. दाड़ी का प्रकार .....

10 बालों का प्रकार .....11. बालों का रंग.....12. दांत.....

13 शारीरिक विकृति/विकलांगता.....14 जलने का निशान..... 15 सफेद दाग.....

16 तिल..... 17गुदना .....18 कान.....

19आवाज .....20 माथा (पेशानी) .....21 ठुडडी.....

22. होंठ ..... 24 चलने का तरीका.....

25 अन्य (स्पष्टतः से अंकित करें).....

4. आरोपी का पहनावा–

पेन्ट शर्ट / कुर्ता पजामा / धोती कुर्ता

लुंगी शर्ट / चप्पल /जुता/

स्लिीपर/ सेन्डील / हाथ में कडा/

घड़ी / अंगूठी /कान में बाली/

गले में चेन अथवा माला /चश्मा /

पगडी/टोपी/हेट /गमछा /अन्य (स्पष्टतः से अंकित करें).....

5. वित्तीय स्थिती (चल/अचल संपत्ति का ब्यौरा)–

आरोपी के फुल साइज फ़ोटो **(यदि आरोपी का बाह्य विशेष पहचान चिन्ह हो तो उसे फोकस किया जाये)**–

सामने से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

दायें से ("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

बायें से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

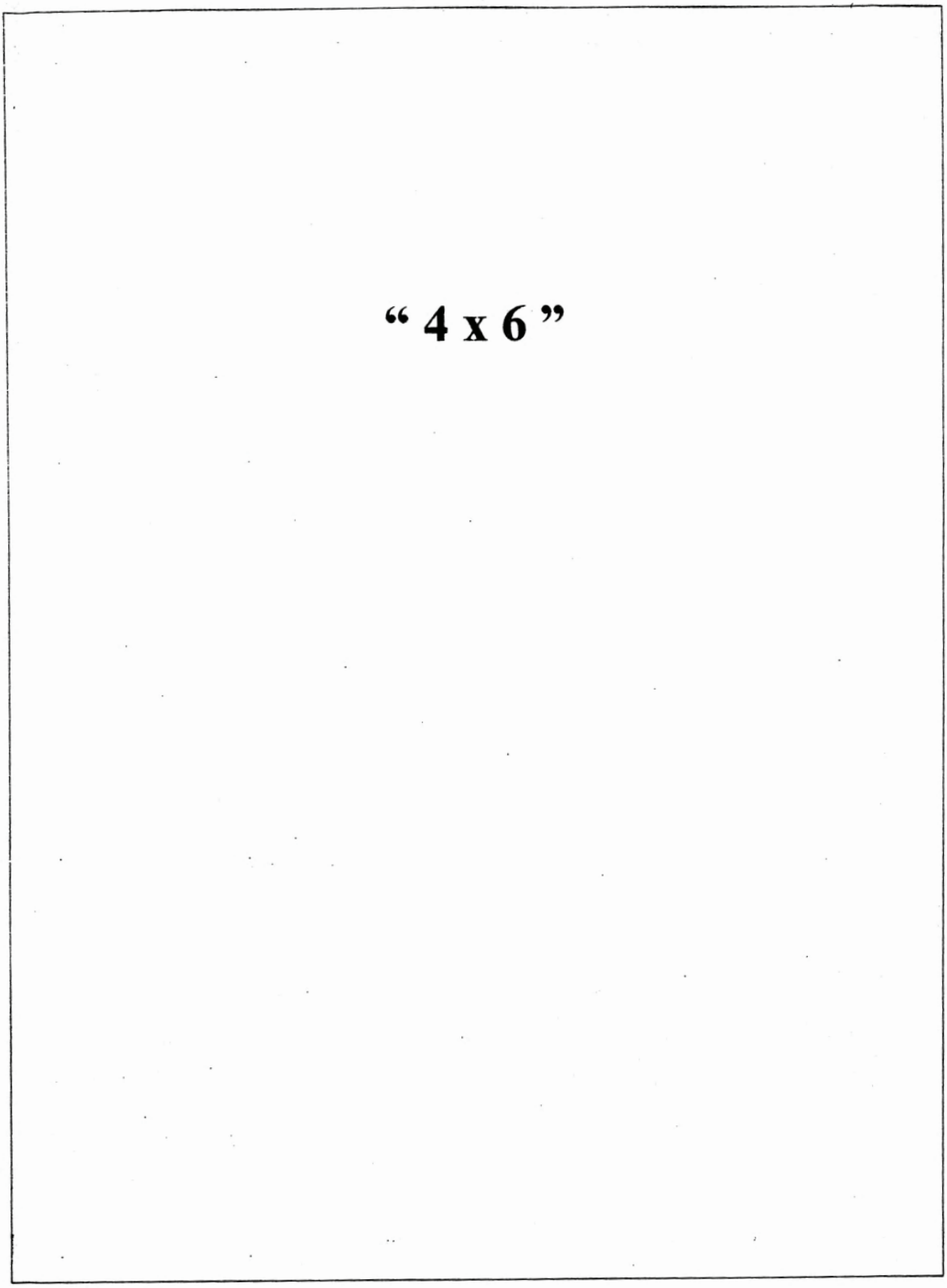

आरोपी के हॉफ साइज फोटो **(यदि आरोपी का बाह्य विशेष पहचान चिन्ह**

हो तो उसे फोकस किया जाये)–
सामने से(**"4 x 6"**)   फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

दायें से ("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

बायें से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

"4 x 6"

आरोपीके अंगुल चिन्ह—(पृथक से पृष्ठ लगाएं)

1. दायां हाथ की हथेली

2. बायां हाथ की हथेली

3. दायां हाथ की अँगुलियां

4. बायां हाथ की अँगुलियां

5. पदचिन्ह

1. अंगुल चिन्ह वर्गीकरण प्राप्त करने हेतु अंगुल चिन्ह राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये जाने का पत्र कमांक एवं दिनांक

2. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु0मु0 से प्राप्त अंगुल चिन्ह वर्गीकरण कमांक पुलिस मुख्यालय का पत्र कमांक एवं दिनांक

1.आरोपी की शैक्षणिक योग्यता विवरण–.....

अन्य योग्यता– कला/खिलाड़ी/ पेन्टर/ कम्प्यूटर एक्सपर्ट /अन्य (स्पष्टतः अंकित करें)

2.आरोपी का व्यवसाय–.....मासिक आय–.....आर्थिक स्थिति–.....

व्यवसाय स्थल का पता/मेल आईडी इत्यादि–.....

नियोक्ता का नाम एवं मोबाईल नंबर .....

3.आरोपी की संपत्ति का विवरण– व्यक्तिगत संपत्ति..... पारिवारिक/पैतृक संपत्ति.....

4.आरोपी की पहचान पत्र–

- आधार कार्ड कमांक.....
- समग्र आई डी कमांक .....
- मतदाता परिचय पत्र कमांक.....
- पेन कार्ड कमांक .....
- बैंक का नाम एवं खाता कमांक.....लोन का विवरण.....
- एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड कमांक .....
- ड्रायविंग लायसेंस कमांक.....
- ए0पी0एल0/बी0पी0एल राशन कार्ड नम्बर .....
- गैस कंपनी एवं एजेंसी का नाम व पता, गैस कनेक्शन नंबर, गैस कनेक्शन कंपनी में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर.....
- पासपोर्ट कमांक.....
- धारित आर्म्स लायसेंस एवं प्रकार .....
- वाहन की जानकारी – वाहन का प्रकार एवं रंग–.....रजिस्ट्रेशन नंबर–..... इंजन नंबर–.....चेचिस नंबर–.....

नोटः– यथा संभव पहचान पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जावें।

5. आरोपी की आदतें– नशा/गुटका/चरस/गांजा/तम्बाकु/अन्य

6. **खान पान–**शाकाहारी/मांसाहारी।

7. आरोपी की बीमारी–मुख्य परामर्शदाता चिकित्सक का नाम, पता एवं मोबाईल नं.–

.....

.....

8. क्या आरोपी किसी शासकीय योजना का लाभ ले रहा है तो विवरण–

.....

.....

भाग–दो
आरोपी का पारिवारिक विवरण

1. पिता का नाम व मोबाईल नंबर–.....

2. माता का नाम व मोबाईल नंबर–.....

3. पति/पत्नि का नाम व मोबाईल नंबर–.....

4. बच्चों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

5. भाईयों की संख्या एवं समस्त के नाम, **पता/शैक्षणिक विवरण अथवा व्यवसाय** एवं मोबाईल नंबर

.....

6. बहनों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

7. बहनोईकी संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

8. ससुर का नाम, पता, व्यवसाय एवं मोबाईल नंबर–

.....

9. सास का नाम, पता, व्यवसाय एवं मोबाईल नंबर–

10. सालेकी संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

11. साली की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरणएवं मोबाईल नंबर

12. समस्त ताउ/चाचा की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

13. समस्त बुआ/फूफा की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

14. समस्त मामा/मामी की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

15. समस्त मौसा/मौसी की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

16. करीबी मित्रों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

17. ईमेल आईडी जिनसे आरोपी प्रायः सम्पर्क में रहता है

18. सामान्य बैठक के स्थान– पान/चाय/मदिरालय इत्यादि

19. राजनैतिक/सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि एवं सम्पर्क विवरण

20. किन रिश्तेदारों से समीप है और किन का सहयोग लेता हैके नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

21. अन्य प्रासंगिक जानकारी

भाग–तीन
अपराधिक विवरण

1. आरोपी की अपराधिक कार्यप्रणाली (यौन अपराध/मानव दुर्व्यापार के अपराधों के संदर्भ में)

2. प्रकरणों में आरोपी की अपराध कारित करने के पूर्व की मनोस्थिति। (नेट ब्राउंजिग, मादक पदार्थ/मदिरा का सेवन)

3. क्या आरोपी उपद्रवी/उग्र स्वभाव का है

4. आपराधिक गितिवधियों का क्षेत्र, अपराधी का पीडिता के साथ व्यवहार का विवरण–

   (i) वार्ता(बातचीत)–(ii) इशारे–

   (iii) बांधकर (पीड़िता के कपड़े से या आरोपी के कपड़े से या रस्सी से)–

   (iv)उत्तेजित होकर–(v) प्रलोभन–(vi) बहला फुसलाकर–

5. यदि बलात्संग के साथ हत्या है, तो मृतिका के शरीर का कैसे डिस्पोज किया–

(i)शव काकुऐं में फेंक कर –(ii)शव का ढाक दिया –

(iii) घटनास्थल पर दफनाया–(iv)काटा एवं टुकडे किये–

(v) क्षत विक्षेत किया–

6. अपराध करने में साथीदारों की संख्या, नाम, पते व मोबाईल नंबर

7. अर्न्तजिला/अर्न्तराज्यीय अपराधियों से सम्पर्क/साथीदारान का नाम, पता व मोबाईल नंबर

8. अपराध में उपयोग किये गये वाहनों की जानकारी (वाहनों का विस्तृत विवरण)

9. आरोपी के छुपने/फरारी काटने के संभावित स्थानों का विवरण–

10. आरोपी के आश्रय दाता के नाम व पता–

11. आरोपी को पहचानने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पद, पदस्थापना, पता एवं मोबाईल नंबर–

12. आरोपी के वकीलों के नाम पते/ मोबाईल नम्बर–

13. आरोपी के जमानतदारों के नाम, पते मोबाईल नम्बर एवं आरोपी से संबंध–

14. आरोपी के विरूद्ध ईनाम/उद्घोषणा की जानकारी (आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)

15. अपराध के दौरान किसी विशेष प्रकार की भाषा/बोली या किसी कोडवर्ड का उपयोग किया गया हो तो विवरण–

16. अपराधिक जीवन/गैंग से जुड़ने की पृष्ठ भूमि

17. आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध संज्ञेय एवं विविध अपराधों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	अप.क. /धारा/क ायमी दिनांक	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण में भूमिका		चालान कमांक /दि0	न्याया. प्रकरण कमांक /दि0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
						आरोपी की	साथीदारान की			
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L

18. आरोपी के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	इस्तगाशा. क./धारा/ कायमी दिनांक	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण में भूमिका		न्याया. प्रकरण कमांक/ दिनांक	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
						आरोपी की	साथीदारान की		
	A	B	C	D	E	F	G	I	J

19. आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध असंज्ञेय/दीवानी (व्यवहारवाद) अपराधों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	अप.क. /धारा/ कायमी दिनांक	अपराध/व्यवहारवाद का संक्षिप्त विवरण	न्याया. प्रकरण कमांक/दि0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
	A	B	C	D	E	F	G

20. आरोपी के विरूद्व प्राप्त आवेदन पत्र का विवरण–

क	आवेदक का नाम पता	अनावेदक के नाम पते	आवेदन का संक्षिप्त विवरण	आवेदन का आवक कं/दिनांक	कृत कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*

21. कारावास अवधि की जानकारी–

क	राज्य/ जिला /थाना	अप.क. /धारा	जेल का नाम	जेल में प्रवेश की दिनांक	जेल से रिहा होने की दिनांक	जेल से रिहा होने का विवरण				
						जमानत	पैरोल	दोषमुक्ति	सजा पूर्ण होने पर	अच्छे आचरण प्रदर्शन पर
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L

22. जेल में बंद रहने के दौरान बने दोस्तों/कैदियों का विवरण

23. आरोपी की पूछताछ संबंधी इन्टेरोगेशन विवरण

24. अपराध संबंधी अन्य प्रांसगिक जानकारी

इतिहासवृत्त तैयार करने वाले
अधिकारी का विवरण

हस्ताक्षर

नाम–
पद–
पदस्थापना–
मोबाईल नंबर –

हस्ताक्षर थाना प्रभारी

नाम–
पद–
पदस्थापना–
मोबाईल नंबर–

अपराधी का डोजियर

(Dossier)

थाना .....

जिला .....

आरोपी का नाम .....

आरोपी का डोजियर (Dossier)

अपराधिक/व्यक्तिगत जानकारी

भाग–एक

व्यक्तिगत विवरण

2. थाना– जिला– राज्य–

Photo
Pass port size
With Name/ Date

आरोपी का नाम– उप नाम–

लिंग–

आरोपी का पासपोर्ट साइज फोटो एवं फोटो लेने का दिनांक –

जन्म दिनांक–आयु– जन्म स्थान–

रक्त समूह–वैवाहिक स्थिति–

धर्म– जाति–

राष्ट्रीयता– भाषाऐं–

जन्म से शहरी या ग्रामीण–

वर्तमान पता, थाना एवं विशेष लेंड मार्क–

स्थायी पता, थाना एवं विशेष लेंड मार्क–

मोबाईल नं. .....मोबाईल का आई.एम.ई.आई.....

लेपटॉप/टेबलेट/डेस्कटॉप का विवरण–..... मॉडल नं.....

क्रय/संकलित (assemble) करने का दिनांक एवं वर्ष–.....

किस दुकान से क्रय किया गया–.....

सोशल मीडिया का उपयोग–व्हॉट्स एप नं.....ईमेल आईडी.....

फेसबुक आईडी.....ट्वीटर आईडी.....इंस्टाग्राम.....

अन्य .....

2.बाह्य पहचान चिन्ह–

i-

ii-

3. शारीरिक बनावट एवं–

2. रंग ..... 2. शारीरिक बनावट .....

4. कद सीमा ..... 4. चेहरे का प्रकार .....

9. ऑखों का प्रकार ..... 6. ऑखों का रंग .....

7. नाक ..... 8. मूँछ .....9. दाड़ी का प्रकार .....

10 बालों का प्रकार .....11. बालों का रंग.....12. दांत.....

13 शारीरिक विकृति/विकलांगता.....14 जलने का निशान..... 15 सफेद दाग.....

16 तिल..... 17गुदना .....18 कान.....

19आवाज .....20 माथा (पेशानी) .....21 ठुडडी.....

22. होंठ ..... 24 चलने का तरीका.....

25 अन्य (स्पष्टतः से अंकित करें).....

4. आरोपी का पहनावा–

पेन्ट शर्ट / कुर्ता पजामा / धोती कुर्ता

लुंगी शर्ट / चप्पल /जुता/

स्लिीपर/ सेन्डील / हाथ में कडा/

घड़ी / अंगूठी /कान में बाली/

गले में चेन अथवा माला /चश्मा /

पगडी/टोपी/हेट /गमछा /अन्य (स्पष्टतः से अंकित करें).....

5. वित्तीय स्थिती (चल/अचल संपत्ति का ब्यौरा)–

आरोपी के फुल साइज फोटो **(यदि आरोपी का बाह्य विशेष पहचान चिन्ह हो तो उसे फोकस किया जाये)–**

सामने से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

दायें से ("4 x 6")   फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

बायें से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

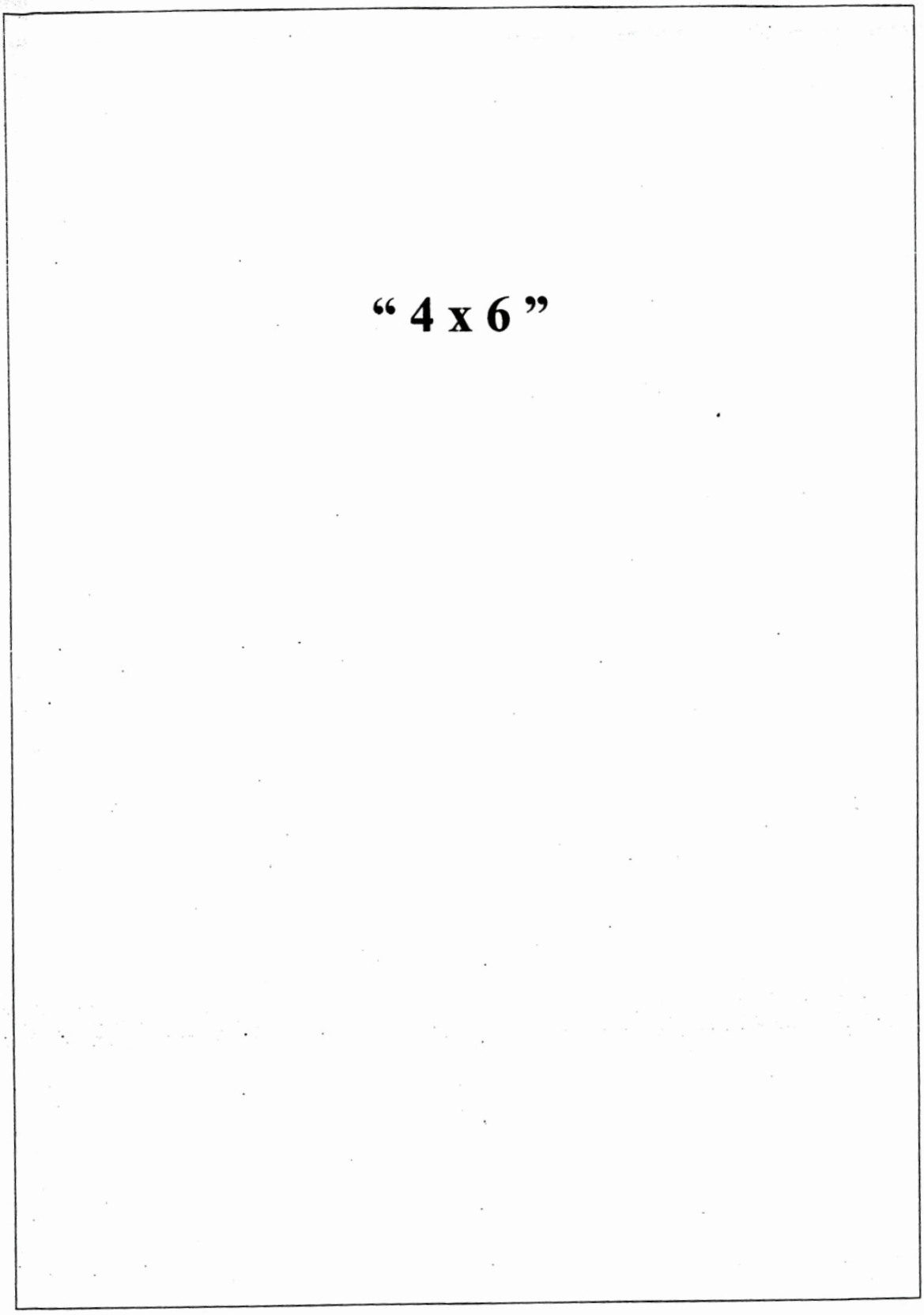

आरोपी के हॉफ साइज फोटो **(यदि आरोपी का बाह्य विशेष पहचान चिन्ह हो तो उसे फोकस किया जाये)–**

सामने से(**"4 x 6"**) फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

दायें से ("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

बायें से("4 x 6") फोटो लेने का दिनांक–

" 4 x 6 "

आरोपीके अंगुल चिन्ह—(पृथक से पृष्ठ लगाएं)

1. दायां हाथ की हथेली

2. बायां हाथ की हथेली

3. दायां हाथ की अँगुलियां

4. बायां हाथ की अँगुलियां

5. पदचिन्ह

3. अंगुल चिन्ह वर्गीकरण प्राप्त करने हेतु अंगुल चिन्ह राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये जाने का पत्र कमांक एवं दिनांक

4. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु0मु0 से प्राप्त अंगुल चिन्ह वर्गीकरण कमांक पुलिस मुख्यालय का पत्र कमांक एवं दिनांक

1.आरोपी की शैक्षणिक योग्यता विवरण–.....

अन्य योग्यता– कला/खिलाड़ी/ पेन्टर/ कम्प्यूटर एक्सपर्ट /अन्य (स्पष्टतः अंकित करें)

2.आरोपी का व्यवसाय–.....मासिक आय–.....आर्थिक स्थिति–.....

व्यवसाय स्थल का पता/मेल आईडी इत्यादि–.....

नियोक्ता का नाम एवं मोबाईल नंबर .....

3.आरोपी की संपत्ति का विवरण– व्यक्तिगत संपत्ति..... पारिवारिक/पैतृक संपत्ति.....

4.आरोपी की पहचान पत्र–

- आधार कार्ड कमांक.....
- समग्र आई डी कमांक .....
- मतदाता परिचय पत्र कमांक.....
- पेन कार्ड कमांक .....
- बैंक का नाम एवं खाता कमांक.....लोन का विवरण.....
- एटीएम कार्ड/केडिट कार्ड/डेबिट कार्ड कमांक .....
- ड्रायविंग लायसेंस कमांक.....
- ए0पी0एल0/बी0पी0एल राशन कार्ड नम्बर .....
- गैस कंपनी एवं एजेंसी का नाम व पता, गैस कनेक्शन नंबर, गैस कनेक्शन कंपनी में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर.....
- पासपोर्ट कमांक.....
- धारित आर्म्स लायसेंस एवं प्रकार .....
- वाहन की जानकारी – वाहन का प्रकार एवं रंग–.....रजिस्ट्रेशन नंबर–..... इंजन नंबर–.....चेचिस नंबर–.....

नोटः– यथा संभव पहचान पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जावें।

5. आरोपी की आदतें– नशा/गुटका/चरस/गांजा/तम्बाकु/अन्य

10. **खान पान**–शाकाहारी/मांसाहारी।

11. **आरोपी की बीमारी–मुख्य परामर्शदाता चिकित्सक का नाम, पता एवं मोबाईल नं.–**

.....

.....

12. **क्या आरोपी किसी शासकीय योजना का लाभ ले रहा है तो विवरण–**

.....

.....

भाग–दो
आरोपी का पारिवारिक विवरण

22. पिता का नाम व मोबाईल नंबर–.....

23. माता का नाम व मोबाईल नंबर–.....

24. पति/पत्नि का नाम व मोबाईल नंबर–.....

25. बच्चों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

26. भाईयों की संख्या एवं समस्त के नाम, **पता/शैक्षणिक विवरण अथवा व्यवसाय** एवं मोबाईल नंबर

.....

27. बहनों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

28. बहनोईकी संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

.....

29. ससुर का नाम, पता, व्यवसाय एवं मोबाईल नंबर–

.....

30. सास का नाम, पता, व्यवसाय एवं मोबाईल नंबर–

31. सालेकी संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

32. साली की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरणएवं मोबाईल नंबर

33. समस्त ताउ/चाचा की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

34. समस्त बुआ/फूफा की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

35. समस्त मामा/मामी की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

36. समस्त मौसा/मौसी की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

37. करीबी मित्रों की संख्या एवं समस्त के नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

38. ईमेल आईडी जिनसे आरोपी प्रायः सम्पर्क में रहता है

39. सामान्य बैठक के स्थान– पान/चाय/मदिरालय इत्यादि

40. राजनैतिक/सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि एवं सम्पर्क विवरण

41. किन रिश्तेदारों से समीप है और किन का सहयोग लेता हैके नाम, पता/शैक्षणिक अथवा व्यवसाय का विवरण एवं मोबाईल नंबर

42. अन्य प्रासंगिक जानकारी

भाग–तीन
अपराधिक विवरण

25. आरोपी की अपराधिक कार्यप्रणाली (यौन अपराध/मानव दुर्व्यापार के अपराधों के संदर्भ में)

26. प्रकरणों में आरोपी की अपराध कारित करने के पूर्व की मनोस्थिति। (नेट ब्राउंजिग, मादक पदार्थ/मदिरा का सेवन)

27. क्या आरोपी उपद्रवी/उग्र स्वभाव का है

28. आपराधिक गितिवधियों का क्षेत्र, अपराधी का पीडिता के साथ व्यवहार का विवरण–

(i) वार्ता(बातचीत)–(ii) इशारे–

(iii) बांधकर (पीड़िता के कपड़े से या आरोपी के कपड़े से या रस्सी से)–

(iv)उत्तेजित होकर–(v) प्रलोभन–(vi) बहला फुसलाकर– (vii) अन्य–

29. यदि बलात्संग के साथ हत्या है, तो मृतिका के शरीर का कैसे डिस्पोज किया–

(i)शव काकुऐं में फेंक कर – (ii)शव का ढाक दिया –

(iii) घटनास्थल पर दफनाया– (iv)काटा एवं टुकडे किये–

(v) क्षत विक्षेत किया– (vi) अन्य प्रकार से –

30. अपराध करने में साथीदारों की संख्या, नाम, पते व मोबाईल नंबर

31. अर्न्तजिला/अर्न्तराज्यीय अपराधियों से सम्पर्क/साथीदारान का नाम, पता व मोबाईल नंबर

32. अपराध में उपयोग किये गये वाहनों की जानकारी (वाहनों का विस्तृत विवरण)

33. आरोपी के छुपने/फरारी काटने के संभावित स्थानों का विवरण–

34. आरोपी के आश्रय दाता के नाम व पता–

35. आरोपी को पहचानने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पद, पदस्थापना, पता एवं मोबाईल नंबर–

36. आरोपी के वकीलों के नाम पते/ मोबाईल नम्बर–

37. आरोपी के जमानतदारों के नाम, पते मोबाईल नम्बर एवं आरोपी से संबंध–

38. आरोपी के विरूद्ध ईनाम/उद्घोषणा की जानकारी (आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)

39. अपराध के दौरान किसी विशेष प्रकार की भाषा/बोली या किसी कोडवर्ड का उपयोग किया गया हो तो विवरण–

40. अपराधिक जीवन/गैंग से जुड़ने की पृष्ठ भूमि

41. आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध भादवि एवं विविध अपराधों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	अप.क. /धारा/क ायमी दिनांक	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण में भूमिका		चालान कमांक /दि0	न्याया. प्रकरण कमांक /दि0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
						आरोपी की	साथीदारान की			
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L

42. आरोपी के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना	घटना दिनांक	इस्तगाशा. क./धारा/ कायमी दिनांक	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण में भूमिका		न्याया. प्रकरण कमांक/ दिनांक	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
						आरोपी की	साथीदारान की		
	A	B	C	D	E	F	G	I	J

42. आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध असंज्ञेय/दीवानी (व्यवहारवाद) प्रकरणों का विवरण

क	राज्य/ जिला	थाना/ न्यायालय का नाम	घटना दिनांक	प्रकरण कमांक/ दिनांक	अपराध/व्यवहारवाद का संक्षिप्त विवरण	न्याया. प्रकरण कमांक/दि0	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
	A	B	C	D	E	F	G

43. आरोपी के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्र का विवरण–

क	आवेदक का नाम पता	अनावेदक के नाम पते	आवेदन का संक्षिप्त विवरण	आवेदन का आवक कं/दिनांक	कृत कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*

44. कारावास अवधि की जानकारी–

क	राज्य/ जिला /थाना	अप.क. /धारा	जेल का नाम	जेल में प्रवेश की दिनांक	जेल से रिहा होने की दिनांक	जेल से रिहा होने का विवरण				
						जमानत	पैरोल	दोषमुक्ति	सजा पूर्ण होने पर	अच्छे आचरण प्रदर्शन पर
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L

45. जेल में बंद रहने के दौरान बने दोस्तों/कैदियों का विवरण

46. आरोपी की पूछताछ संबंधी इन्टेरोगेशन विवरण

47. अपराध संबंधी अन्य प्रांसगिक जानकारी

डोजियर (Dossier)तैयार करने वाले
अधिकारी का विवरण

हस्ताक्षर

नाम–
पद–
पदस्थापना–
मोबाईल नंबर –

हस्ताक्षर थाना प्रभारी

नाम–
पद–
पदस्थापना–
मोबाईल नंबर–

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल–462008
दूरभाष : 0755–2443568 / फैक्स : 0755–2550367
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 113 / 20 / 840 / 2021 दिनांकः– 02 / 02 / 2021

परिपत्र–.02/21

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) रेंज
भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।
(2) समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)
मध्यप्रदेश।

विषयः– महिला एवं बच्चों पर घटित अपराधों की विवेचना पर सतत निगाह रखने हेतु महिला प्रकोष्ठ को निर्देशित किये जाने विषयक।

संदर्भः– सचिव, म0प्र0 मानव अधिकार आयोग का पत्र क्रमांक 28173 / माअआ / अनु / 10739 / ग्वालियर / 2013 भोपाल दिनांक 30.12.14

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म0प्र0 मानव अधिकार आयोग द्वारा श्री कमल किशोर जाटव की शिकायत प्रकरण के संबंध में दिनांक 06.12.2014 को जारी अनुशंसा के बिन्दु क्र0 7 के अन्तर्गत निर्देशित किया गया है कि *"विशेष वर्गों के लिए बनाए गए, विशेष प्रकोष्ठ जैसे अनुसूचित जाति / जनजाति अधिनियम के लिए अजाक प्रकोष्ठ, महिलाओं और बच्चों के लिए महिला प्रकोष्ठ इत्यादि के अधिकारी थानों में पंजीबद्ध ऐसे अपराधों का लगातार व सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण करे। इसके निर्देश इन प्रकोष्ठों में पदस्थ अधिकारियों को दिए जाए व उन्हें इन विशेष वर्गों पर घटित अपराधों की विवेचना पर लगातार सतत् निगाह रखने के लिए निर्देशित किया जाए"*।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महिलाओं और बच्चों पर घटित अपराधों की विवेचना पर सतत् निगाह रखे एवं पर्यवेक्षण हेतु महिला प्रकोष्ट में पदस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / W–2 / 113 / 20 / / 2021 दिनांकः– / 02 / 2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण / सायबर / रेल, म.प्र.।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक (अअवि / गुप्तवार्ता / अजाक / शिकायत / एसटीएफ) म.प्र.।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक रा.अ.अ.ब्यूरो की ओर परिपत्र एमपी पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।

लगातार.....2

(4) समस्त जोनल अति0 पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
(5) पुलिस महानिरीक्षक, (महिला अपराध) पु0मु0, म.प्र.।
(6) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
(7) प्रभारी अधिकारी, समस्त जोनल महिला अपराध कार्यालय म.प्र.।
(8) समस्त सहा0 पुलिस महानिरीक्षक / उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध), पु0मु0 भोपाल।
(9) निज सहायक, अति0 पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पु0मु0 भोपाल।
(10) समस्त उपखण्ड प्रभारी / खंड प्रभारी W-3 महिला अपराध, पु0मु0 की ओर परिपत्र की पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
(11) उपखण्ड डब्ल्यु–1 गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

Tel: 0755–2443568 / Fax 0755–2550367

क्रमांक / पु0मु0 / अति.म.नि / म0अप0 / W-12 / 180 / 20 / 907 / 2020, भोपाल दिनांक– 06.03.2020

// परिपत्र //

03/2021

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक शहर रेंज भोपाल एवं इंदौर,।
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,(रेल सहित)

विषयः– अल्पायु पीडिता की आयु निर्धारण प्रकिया विषयक।

संदर्भः– 1. कं / पुमु / अ.म.नि. / म.अप / डब्ल्यु–2 / 53 / 18 / 541 / 2019 दिनांक 30.01.2019
2. कं / फाइल नं.–01 / पुमु / अ.म.नि. / म.अप / नि.स. / परिपत्र / 94 / 2019 दिनांक 23.05.2019

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से महिला अपराधों / पॉक्सो एक्ट संबधी प्रकरणों में पीड़िता बालक–बालिकाओं की आयु निर्धारण करने के संबध में पूर्व में विभिन्न प्रावधानो के अंतर्गत परिपत्र जारी किये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित कई प्रकरणों के अध्ययन करने पर दृष्टिगत हुआ है कि अल्पायु के बालक–बालिकाओं की आयु निर्धारण करने के संबध में विधिक प्रकियानुसार विवेचना अधिकारी उसके जन्म से सबंधित दस्तावेजों का संकलन करके अभियोग पत्र में सम्मिलित न करते हुये माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करे देते है, जो कि विधि अनुरूप नहीं है।

पीड़ित की आयु के संबंध में माननीय विशेष न्यायाधीश, हरदा द्वारा दिनांक 25.08.2020 को दिये गये अपने निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पीड़िता कितनी ही अल्पायु की हो, विधिक प्रकियानुसार विवेचना अधिकारी को आयु संबधी दस्तावेज संकलन कर केस डायरी में संलग्न कर प्रस्तुत करना चाहिये।

अतः इस संबध में निर्देशित किया जाता है कि पीड़िता बालक / बालिका कितनी भी अल्पायु हो उसके जन्म से संबधित दस्तावेजों का संकलन माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायायिक दृष्टांत जनरल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** (क्रिमिनल अपील कं 1209 / 10) आदेश दिनांक 01.07.13 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं जे.जे.एक्ट 2015 की धारा 94 में दिये गये प्रावधान अनुसार आयु का निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,भोपाल

क्रमांक / पु0मु0 / अति.म.नि / म0अप0 / W-12 / 180 / 20 / 907 / 2020, भोपाल दिनांक– 06.03.2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर सेल / प्रशिक्षण शाखा, पु0मु0, म.प्र.।
2. अति.पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि. / अजाक / गुप्तवार्ता / रेल / STF / SCRB (MP Police की website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
3. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), म.प्र.।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
5. जोनल (महिला अपराध) कार्यालय भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर / इन्दौर, म.प्र.।.
6. डी.डी.पी. / समस्त स.म.नि.(म.अप.) / उ.पु.अ. 1090 पु0मु0 म.प्र.।
7. प्रभारी, समस्त उपखण्ड (म.अप.) पु0मु0, म.प्र.।
8. प्रभारी डब्ल्यू–01 (म.अप.) की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल–462008
दूरभाष : 0755–2443568 / फेक्स : 0755–2550367
Email : mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म.अप. / 96 / 2021 दिनांक: 01 / 06 / 2021

प्रति,
उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल व इंदौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
समस्त पुलिस अधीक्षक रेल

विषय : महिला अपराधों की विवेचना महिला उप निरीक्षकों द्वारा किये जाने के संबंध में
संदर्भः– पुलिस मुख्यालय के परिपत्र

1. पत्र कं / फाइल न. / अति.म.नि / म0अप0 / परिपत्र / डब्ल्यू–12 / 96 / ए / 2020 दिनांक–18 / 06 / 2020
2. क्रमाक / फाइल न. / अति.म.नि / महिला अपराध / परिपत्र / 96 / 2020 दिनांक– 02 / 06 / 2020
3. कंमाक / फाइल न. 32 / अति.म.नि. / महिला अपराध / परिपत्र / डब्ल्यू–12 / 69 / 20 दिनांक–06 / 05 / 2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिलों द्वारा लगातार यह अवगत कराया जा रहा है कि जिलों में महिला उप निरीक्षकों की कमी को देखते हुए, समस्त महिला अपराधों की विवेचना, महिला उप निरीक्षकों से ही कराये जाने के निर्देशों के पालन में कठिनाइ का सामना करना पड रहा है।

इस संबंध में कानून के प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

1. **<u>पोक्सो अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार</u>** – " बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायगा।"
2. **<u>दंड प्रकिया संहिता की धारा 154 (1) के परन्तुक में लेख है कि</u>** " परन्तु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, 326ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख, 376ड या 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है, तो एसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी "
3. **<u>दंड प्रकिया संहिता की धारा 157 (1)(ख) के परन्तुक में लेख है कि</u>** " परन्तु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीडित का कथन, पीडित के निवास पर या उसकी पसंद के

स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा "

4. **<u>दंड प्रकिया संहिता की धारा 161 (3) के परन्तुक में लेख है कि</u>** " परन्तु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख, 376ड या 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।"
5. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 15 (6 क) के अनुसार– " इस धारा के अधीन तलाशी लेने वाले, यथा स्थित, विशेष पुलिस अधिकारी या दुव्यापार पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी होंगे और जहां उपधारा 4 के अधीन हटाई गई किसी स्त्री या लकड़ी से पूछताछ करना अपेक्षित है, वहां ऐसा किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उलब्ध नहीं है, तो पूछताछ किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की किसी महिला सदस्य की उपस्थिति में ही की जाएगी।
6. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के अनुसार "अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति–दण्ड प्रकिया सहिता 1973 में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को अन्वेषण करेगा।
7. गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा, दिनांक–07. अक्टूबर, 2017 को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 (कं 33 सन् 1989) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना कं. एफ 12–99–2017–बी–1–दो द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर, पुलिस निरीक्षक रैंक के समस्त अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफतारी अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां, प्रदान की गयी हैं।

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट हैं कि '–

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, 326ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख, 376ड या 509 के अधीन किसी अपराध की प्रथम सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लेख की जावेगी।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख, 376ड या 509 के अपराध के अंतर्गत पीडिता के कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लेख किये जावेंगे।
3. पोक्सो एक्ट में पीडित के कथन यथासाध्य उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लेख किये जावेंगे।

4. अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम 1996) में धारा 15(4) के अधीन हटाई गई स्त्री या लड़की के कथन किसी महिला अधिकारी से कराये जाना है।
5. उपरोक्त सभी प्रकरणों में, अपराध की शेष विवेचना महिला अधिकारी से ही कराई जाने की कोइ बाध्यता नहीं है, अर्थात वह किसी भी अधिकारी से करायी जा सकती है।
6. अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराए यदि प्रकरण में लगी है, तो उनकी विवेचना निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जावेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए, महिला अपराधो की विभिन्न श्रेणियों में किस श्रेणी के अधिकारी के द्वारा कथन लिये जाना / विवेचना की जानी है, के संबंध में, पूर्व में जारी समस्त आदेश / निर्देश / सुझावों को अधिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते है:–

स. क.	अपराध शीर्ष / परिस्थितियां	न्यूनतम रेंक का पुलिस अधिकारी जो पीड़िता के कथन / प्रथम सूचना पत्र लेगा।	न्यूनतम रेंक का पुलिस अधिकारी जो विवेचना कर सकता है।	न्यूनतम रेंक का पर्यवेक्षण अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना ही चाहिए।
1	बलात्संग–376,366(क),376 कख, 376ख, 376ग,376घ, 376 घक, 376घ,ख, 376ड भा.द.वि.तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3 / 4, 5 / 6	महिला उपनिरीक्षक	उपनिरीक्षक	अनु.पु.अ. / न.पु.अ.
2	महिलाओं की लज्जा भंग–354, 354क,354ख, 354ग, 354ध, 509 भा.द.वि.			
3	पोक्सो अधिनियम की अन्य धाराए 7 / 8, 9 / 10, 11 / 12, 14 / 15, 17, 18 ,21, 22, 23			
4	महिला के साथ प्रकृति विरूद्ध अपराध धारा–377 भा.द.वि.			
5	मानव दुर्व्यापार धारा–370, 373 भा.द.वि.			
6	एसिड अटैक–326क, 326 ख			
7	उपरोक्त दर्शाये अपराधों में से किसी भी अपराध के साथ यदि अनुसूचित जाति / जनजाति निवारण अधिनियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराए लगी हो, तो	महिला निरीक्षक	निरीक्षक	अनु.पु.अ. / न.पु.अ.

8	अपहरण/व्यपहरण–363, 366 भा.द.वि.	प्रधान आरक्षक	अनु.पु.अ./न.पु.अ.
9	दहेज प्रताड़ना धारा–498 क भा. द.वि., 3/4 दहेज अधिनियम।		
10	महिला के आत्महत्या का दुष्प्रेरण		
11	अश्लील पुस्तक/चित्रण धारा–292 भा.द.वि		
12	भ्रूण संबंधी अपराध धारा–312 से 318		
13	बाल विवाह अधिनियम		
14	विवाह के 07 वर्ष के अंदर नव विवाहिता के धारा–307 भा.द.वि. की विवेचना	अनु.पु.अ./न.पु.अ.	अति.पु.अ.
15	विवाह के 07 वर्ष के अंदर नव विवाहिता के मर्ग की जांच		
16	दहेज हत्या धारा–304 बी, भा.द. वि.		

समान्य निर्देश –

1. परिपत्र में विवेचक एवं पर्यवेक्षक की न्यूनतम रेंक लेख है। इससे वरिष्ठ के द्वारा विवेचना एवं पर्यवेक्षण पर कोई प्रतिबंध नही है।
2. यदि किसी प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी के विषय में किसी विशेष कानून के अंतर्गत या माननीय न्यायालय या धारा 36 सहपठित धारा 158 द.प्र.सं. के अंतर्गत राज्य शासन का सामान्य या विशिष्ट आदेश है तो उसका पालन किया जावेगा।
3. जिले के पुलिस अधीक्षक प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत स्व–विवेक से किसी भी अन्य प्रकरण का भी पर्यवेक्षण कर सकेंगें। पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा है कि वे माह में कम से कम 04 प्रकरण अवश्य स्वंय मौके पर जाकर तथा केस डायरी बुलाकर पर्यवेक्षण टीप जारी करें।
4. पुलिस मुख्यालय/जोन पुलिस महानिरीक्षक/रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट प्रकररण के पर्यवेक्षण हेतु जिला पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी अधिकारी को निर्देशित किया जा सकता है।
5. जिन प्रकरणों में एक विवेचक चालान एवं और दूसरा विवेचक खात्मा/खारजी प्रकार का साक्ष्य मूल्यांकन कर रहे है, उन प्रकरणों का पर्यवेक्षण जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जाना चाहियें।
6. रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक एवं जोन पुलिस महानिरीक्षक स्वविवेक से किसी भी प्रकरण का उसकी महत्व एवं गंभीरता अनुसार पर्यवेक्षण करेंगें। अर्न्तजिला, अर्न्तराज्य लिंक/नेटवर्क वाले प्रकरणों, कानून व्यवस्था एवं की चुनौती बन गये प्रकरणों और जनमानस को उद्धेलित करने

वाले प्रकरणों में जोन पुलिस महानिरीक्षक अथवा रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक को स्वयं मौके पर रहकर पर्यवेक्षण कराना चाहिये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित)

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलीपिः—

1. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन
2. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, महिला अपराध
5. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश
(महिला अपराध शाखा)
(CRIME AGAINST WOMEN)
पुलिस मुख्यालय, जंहागीराबाद, भोपाल– 462008
POLICE HEAD QUARTERS, JEHANGIRABAD, BHOPAL- 462008
दूरभाषः 0755–2443568 (कार्यालय)/फैक्स 0755–2440107

कमांक/पुमु/अति.म.नि./महिला अपराध/परिपत्र/209/2021 दिनांक 18/06/2021

प्रति,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
(रेल सहित) मध्यप्रदेश

विषयः– अपराध पंजीकरण में विलंब करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि विगत वर्षो के महिला अपराधों के मासिक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनवरी माह 2021 में अप्रत्याशित रूप से अपराधों मे बढोत्तरी हुई है, जबकि दिसम्बर माह के अपराध पूरे वर्ष के अन्य माह के अपराधों की तुलना मे कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर दिसम्बर माह में अपराध पंजीबद्व ना किये जाकर विलंब कर जनवरी में पंजीबद्व किये जाते है। यह विधि प्रकिया के अनुरूप नही है। इस तरह की प्रवृत्ति से विवेचना पूर्णतः प्रभावित होती है।

इसका असर न्यायलय निर्णय पर होता है एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन समय पर नही हो पाते हैं। आरोपी के फरार होने की संभावना रहती है। और त्रुटियां व कमियां परिलक्षित होती है।

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–154 के तहत् किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्व किये जाने का प्रावधान है। अतः भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इस संबंध में आप अपने अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें व नियमानुसार तत्काल अपराध पंजीबद्व कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध) भोपाल, जबलपुर, इंदौर एंव. ग्वालियर।
4. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध–1
5. उपखण्ड डब्ल्यू–1 की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

E-mail

पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल–462008.

दूरभाष : 0755–2443568(कार्यालय) / फैक्स 0755–2440107
Email- mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / पुमु / म0अप0 / डब्ल्यू–12 / 17 / 21 / 2020 / 2021 दिनांकः– 20.07.2021

परिपत्र –04/2021

प्रति,

(1) उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) रेंज,
इंदौर एवं भोपाल, मध्यप्रदेश।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
(रेल सहित), मध्यप्रदेश।

विषयः– बलात्संग के प्रकरण में चिकित्सकीय परीक्षण एवं डी.एन.ए. परीक्षण कराये जाने विषयक।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा सी.आर.ए. क्र 8208 / 2018 प्रकाश विरूद्व म.प्र. शासन एवं अन्य में दि. 21.05.2021 को पारित निर्णय।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय का अध्ययन करें जिसके अंतर्गत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास के सत्र प्रकरण क्र0 3800237 / 16 में पारित निर्णय को निरस्त करते हुये बलात्संग के अपीलकर्ता अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164'A' एवं धारा 53'A' के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेख करते हुये पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के संबध में निर्देश दिये गये है, जिनके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है–

(1) **बिन्दु क्र0 18** – In such compelling circumstances, it is directed that henceforth when any accused person, arrested in a case of rape within 24 hours of the rape is examined by the doctor, the **presence or absence of smegma on corona glandis must be disclosed in the MLC** of the accused.

उपरोक्त आदेशानुसार बलात्संग के अभियुक्त को घटना घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया जाता है तो चिकित्सकीय परीक्षण हेतु मेडिकल परीक्षण फार्म में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त चिकित्सक से Presence or Absence of smegma on corona glandis के संबंध में भी आवश्यक रूप से अभिमत प्राप्त किया जावें।

(2) **बिन्दु क्र0 19** – माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा MCRC क्र0 6476 / 16 राजा वर्मन विरूद्व म.प्र. शासन में दिनांक 04.05.16 को पारित आदेश में बलात्संग के प्रकरण में डी.एन.ए. परीक्षण कराने के संबध में निर्देशों का निरन्तर अनुपालन किया जावे:–

(a) Under which the doctor preparing the MLC of the prosecutix prepares vaginal slides and clothing of the prosecutix, which upon test by the FSL confirms the presence of human sperm the such slides must then be sent for DNA verification with the blood sample of the suspect.

क्रमशः.....2

बलात्संग के प्रकरणों में चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पीड़िता के तैयार किये गये वेजाइनल स्लाइड एवं वस्त्रों में FSL परीक्षण के दौरान मानव शुक्राणु की उपस्थिति पाई जाने पर स्लाइड एवं वस्त्रों को DNA सत्यापन हेतु संदिग्ध के रक्त नमूने के साथ FSL भेजा जावें।

(b) Where the prosecutrix is rendered pregnant on account of the rape and if birth takes place, then a DNA verification be sought to ascertain paternuty of the child which will again either confirm or excludes the suspects. If the foetus os aborted, then tissue sample of the foetus be tested alongwith the sample of the suspect to see if they match, and.

बलात्संग के कारण गर्भवती अभियोक्त्री से जन्मे नवजात शिशु के पितृत्व निर्धारण हेतु DNA सत्यापन कराया जावें जिससे संदिग्ध अभियुक्त की पुष्टि हो सके। यदि गर्भपात कराया गया है तो भ्रूण के ऊतक (Tissue) नमूने को संदिग्ध अभियुक्त के DNA नमूने के साथ मिलान कराया जावे।

(c) In the event of the death of the prosecutix during pregnancy , then also procedure enunciated in (b) to be followed.

अगर गर्भवती पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो बिन्दु (b) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

वर्णित निर्णय में दिये गये निर्देशों को समस्त पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों एवं समस्त विवेचना अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विवेक जौहरी)
पुलिस महानिदेशक
म.प्र, भोपाल

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अति.पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./अजाक/गुप्तवार्ता/रेल/STF पु0मु0 म.प्र.।
2. अति. पुलिस महानिदेशक, SCRB पु0मु0 म.प्र.। (MP Police की website पर upload कर लिंक उपलब्ध कराने हेतु।
3. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित), म.प्र.।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
5. जोनल (महिला अपराध) कार्यालय भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.।
6. डी.डी.पी./समस्त स.म.नि.(म.अप)/उ.पु.अ. (म.अप) पु0मु0 म.प्र.।
7. निज सहायक (अ.म.नि) महिला अपराध पुमु भोपाल।
8. प्रभारी, समस्त उपखण्ड (म.अप.) पु0मु0, म.प्र.।
9. प्रभारी डब्ल्यू–01 (म.अप.) की ओर गार्ड फाइल में संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक
म.प्र, भोपाल

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH AT INDORE

S.B.: Hon'ble Shri Justice Subodh Abhyankar

Criminal Appeal No.8208 of 2018

Prakash S/o Antar Singh

Versus

State of Madhya Pradesh

(Case was heard on 08/05/2021)

Counsel for the Parties : Shri S. K. Meena, Counsel for the appellant.

Shri Zeeshan Khan, Panel Lawyer for the respondent/State.

Whether approved for reporting : Yes

Law laid down : **Significance of DNA profiling, and presence or absence of Smegma in a rape case, re-emphasized.**

13. ..... It is found that although semen was detected on the slide of the prosecutrix vagina, however, no DNA testing was done, which could have proved whether the said semen belong to the present appellant or to the husband of the prosecutrix or any other person as it is an admitted fact that the prosecutrix was a married lady, living with her husband. Thus, in the absence of DNA report, it cannot be said with positivity that the semen/human spermatozoa detected on the slide of the prosecutrix was of the appellant only.

***

Directions given to police.

17. .....The presence or absence of smegma on the corona glandis of the accused is also vital factor to be considered in a rape case and can also be a decisive factor to form an opinion regarding the culpability of the accused as in the case of DNA. In the present case, the appellant was lucky that he was examined by a competent doctor who thought it fit to mention the presence of smegma on the glans of the appellant, however, more often than not, it is observed that the doctors do not even mention the presence or absence of smegma on the corona glandis of the accused person which is easy to detect and thus the accused persons are deprived of a vital scientific information which can be used by them in appropriate cases to demonstrate their innocence. It is also found that despite there being a specific provision under s.53A of Cr.P.C. Regarding examination of person accused of rape by medical professional and u/s.164A of Cr.P.C. Regarding medical examination of a rape victim as also a specific order dated 04.05.2016 passed by this court in M.Cr.C. No.6476/2016, the investigating officers are not only oblivious of the same, but are also

unable to form an opinion on their own whether the DNA profiling would be necessary in a particular case or not, as in the present case, which is rather unfortunate and demonstrates a total apathy on the part of the investigating officers to conduct the investigation in a professional manner.

18. In such compelling circumstances, it is directed that henceforth when any accused person, arrested in a case of rape within 24 hours of the rape is examined by the doctor, the presence or absence of smegma on corona glandis must be disclosed in the MLC of the accused.

19. Let a certified copy of this order be sent to the Director General of Police, M.P. for its further transmission to the Superintendents of Police of all the districts of M.P. for proper compliance of this order as also the order dated 04.05.2016 passed by this court in M.Cr.C. No.6476/2016 for its fresh compliance.

20. Needless to say that noncompliance of this order shall entail appropriate departmental action against the government Doctors preparing the MLC of the accused as also the police officers investigating the rape cases.

Decisions Relied upon:-

Sadashiv Ramrao Hadbe Vs. State of Maharashtra & Anr. reported as **(2006) 10 SCC 92 paras 6 to 14.**

State of Gujarat v. Kishanbhai, (2014) 5 SCC 108 , para 12.6 .

Significant paragraph numbers : 13, 17, 18, 19 and 20

JUDGMENT

(Case was heard on 08/05/2021)

Post for

21/05/2021

(SUBODH ABHYANKAR)
JUDGE

krjoshi/Pankaj

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH AT INDORE

S.B.: Hon'ble Shri Justice Subodh Abhyankar

Criminal Appeal No.8208 of 2018
Prakash S/o Antar Singh
Versus
State of Madhya Pradesh
****

Shri S. K. Meena, Counsel for the appellant.

Shri Zeeshan Khan, Panel Lawyer for the respondent/State.

* * * * *

JUDGMENT

(Passed on 21/05/2021)

1. This criminal appeal has been filed under Section 374 of Cr.P.C. against the judgement dated 24.09.2018 passed in S.T. No.3800238/2016 by IVth A.S.J., Dewas whereby finding the appellant guilty, the learned Judge of the trial Court has convicted him as under:-

Conviction		Sentence		
Section	Act	Imprisonment	Fine	Imprisonment in lieu of Fine
376	IPC	10 years R.I.	Rs.5,000/-	6 months R.I.
452	IPC	3 years R.I.	Rs.3,000/-	2 months R.I.

2. Heard finally with the consent of the parties.

3. In brief, the facts giving rise to the present appeal are that on 21.09.2016 at around 6:30 in the morning when the prosecutrix was

alone in her house as her husband had gone out to fetch milk, and children, to her mother-in-law's house, at that time the appellant entered into her house, pulled her down and raped her. When the prosecutrix shouted, the appellant closed her mouth, however, the prosecutrix pushed him away and when the appellant started to run from the spot, she threw a *darata* (sharp edged cutting instrument with wooden handle) which hit the appellant on the back side of his head. In this scuffle the prosecutrix's blouse and *petticoat* also got torn. The prosecutrix also ran away from the spot and went to her mother-in-law's house where she informed about the incident to her mother-in-law and brother-in-law and went to police station at Double Chowki wherein the offence at Crime No.07 of 2016 was lodged against the appellant under Sections 452 and 376 of IPC.

4. After the charge-sheet was filed, the case was committed to the trial Court and the learned Judge of the trial Court, after recording the evidence, convicted the appellant as aforesaid. Hence, this appeal.

5. Counsel for the appellant has submitted that the impugned judgment of conviction is liable to be set aside inasmuch as the learned Judge of the trial Court has not properly considered the omissions and contradictions appearing in the statements of the prosecutrix as also the other prosecution witnesses.

6. Counsel has further submitted that the husband of the

prosecutrix had borrowed some amount from him and was not returning the same and only with a view to avoid the payment and to pressurise the appellant he has got the false FIR lodged against him. It is further submitted that the medical evidence available on record is inconsistent with the guilt of the appellant and as such the appellant is entitled to be acquitted.

7. Counsel for the State, on the other hand, has opposed the prayer and it is submitted that no case for interference is made out as no illegality has been committed by the learned judge of the trial court, hence, it is submitted tht. Hence, the appeal is liable to be dismissed.

8. Heard Counsel for the parties and perused the record.

9. From the record, it is found that the FIR in the present case was lodged by the prosecutrix on 21.09.2016 at around 9 O' clock in the morning stating that she was raped by the appellant at around 6 to 6:30 in the morning. In the FIR, she has also stated that she had hit the appellant with a *darata* while he was running away and as a result of which he also suffered a head injury on the backside of his head. It is also stated that in this scuffle between the appellant and the prosecutrix, her blouse and petticote also got torn. This fact is substantiated by the property seizure memo wherein an iron *darata* and a torned blouse of the prosecutrix have been seized but not the *petticoat*. Prosecutrix has been examined by Dr. Sapana Raja (PW-8),

who, in her deposition has stated that she examined the prosecutrix on 21.09.2016 itself and found that she had an abrasion of 1 x 1 cm on her head and on the left cheek there was an abrasion ½ x ½ cm and both the injuries were said to have been caused by hard and blunt object. However, she has clearly stated that both the injuries were around 2 to 3 days old. She has also found that there were no injury suffered by the prosecutrix in her internal organs. In her cross-examination also she has admitted that the injuries suffered by the prosecutrix were more than 2 to 3 days old. Thus, it is apparent that the injuries suffered by the prosecutrix cannot be attributed to the incident. The ***FSL report*** of the prosecutrix and the appellant has also been proved as Ex.P/12 which says that articles A, F and G had semen spots and human spermatozoa wherein, article A relates to the slide of the prosecutrix and articles F and G are the underwear and slide of the appellant respectively. So far as the appellant is concerned, he has been examined by Dr. Rajesh Choudhary, who has stated that the appellant was capable of performing the sexual act. However, he did not find any injury on the genitals of the appellant, but interestingly enough he also found smegma present on the glands and under the foreskin of the appellant.

10. A perusal of the cross-examination of the prosecutrix reveals that she has been suggested that the appellant works along with her husband in construction work to which she feigns ignorance. She has

also admitted that her bother-in-law's house is adjacent to their house in which her bother-in-law lives along with his family, who has three daughters and one son and their houses are separated by one kachhchi Diwar/a temporary wall. She has also stated that adjacent to her house, Mira Bai's house is there and on the other side of that the appellant Prakash lives. She has also admitted that the road in front of her house is a busy road. She has also been suggested that her husband used to take money from the appellant Prakash and since he did not want to return the money obtained from the Prakash, she has falsely implicated the appellant in conspiracy with her husband to which she has denied. She has also stated that when she fell down she also suffered a minor injury on her elbow, although she did show the said injury to the Doctor and she has also been suggested that she did not show the injury because she did not suffer any injury at all to which she has denied. She has also been confronted with her statement under Section 164 of Cr.P.C. which is proved as Ex.P/4 wherein she has not stated that when the appellant was running away from the spot she hit him with a *darati,* which part is missing from her 164 statement as in her statement she has stated that when the appellant was committing rape on her, in this scuffle a *darati* came in her hand and she hit him on the backside of his head.

11. Prosecutrix's husband Ajay has been examined as PW-2. He has also admitted that his house has only one room and there is a

common wall between his house and his brother's house wherein his brother and his four children resides. He has also stated in his cross-examination that he works as a labourer, whereas the appellant sets iron on the construction sites. He has also denied the suggestion that he and the appellant had a dispute over the labour charges and contractorship. Prosecutrix's mother-in-law Sharada Bai has been examined as PW-3. She has also stated that the same story and has stated that the prosecutrix had hit the appellant with a *darata*. Vinod has been examined as PW-4, he happens to be the other brother-in-law of the prosecutrix. He has also stated that the prosecutrix had hit the appellant when he was running away from the spot with a *darata*. Prosecution has also examined Rekha Bai PW-5, who happens to be the sister-in-law of the prosecutrix, who lives in the adjacent house. She, in her cross-examination has admitted that she is residing adjacent the house of the prosecutrix and has also admitted that between their houses there is a partition made of wood and she has also admitted that if anybody calls from the prosecutrix's house, it can be heard in her house also. She has also admitted that the road in front of the prosecutrix's house is a busy road and the house itself is in a populated area of the village. Kailash Solanki Inspector, Police Control Room, Dewas has been examined as PW-9, who had also seized the torn blouse of the prosecutrix and *darata*. He has denied that the blouse is not actually torn but its stitching was removed. He

has also admitted that he has sent the articles recovered from the prosecutrix and appellant for FSL only and he did not opt for the DNA testing of the articles. He has feign ignorance whether in rape cases DNA testing is compulsory. His attention was also drawn to the order passed by this Court in M.Cr.C. No.6476 of 2016 dated 4.5.2016 wherein this Court has directed that DNA testing should be done compulsorily in all rape cases. He, however, has admitted that as the appellant had no injury whatsoever on his head, hence, he did not specifically got him examined for any injury. The Investigating Officer P. S. Bamaniya (PW-10), however, has admitted that he knew that in rape cases DNA testing has to be done, however, he has also stated that he did not ask for DNA test of the appellant. He has denied the suggestion that he did not get the DNA testing of the appellant done, because he knew that there was no rape committed by the appellant.

12. The defence of the appellant in the present case is one of false implication only hence the probative value of the aforesaid evidence has to be examined by this court. Before proceeding further,, it would be beneficial to refer to a decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Sadashiv Ramrao Hadbe Vs. State of Maharashtra & Anr.** reported in **(2006) 10 SCC 92** wherein also the defence of the accused was one of false implication and the doctor who examined the accused opined that the smegama was

present around corono-glandia. The relevant paras of which read as under:-

> "6. We have carefully considered the evidence in this case. On a careful scrutiny of the entire evidence in this case, we are of the view that the prosecution evidence has so many contradictions and the whole incident seems to be highly improbable. The prosecutrix and her husband had been staying at a village about 30 kms. away from the clinic of the appellant. They came to the appellant's clinic and prosecutrix after meeting the doctor with her child, she again wanted to meet the doctor. She was allegedly taken to a room adjacent to the main room occupied by the doctor. This room was small in dimension and in the room there was a table which was having a height of 34 inches and breadth of 20 inches. The prosecutrix was asked to lie down on the table and, according to the prosecutrix, first the doctor meddled with her private parts and thereafter committed sexual intercourse. When the accused touched her private parts and inserted his fingers, she did not raise any any objection, nor did she got up from the table. The prosecutrix has no case that she raised any objection by shouting or tried to get up from the table so as to prevent the assault on her. It may be noticed that so many patients were waiting outside and they could not have been far off from the room wherein the prosecutrix was allegedly sexually assaulted by the appellant. She told that her mouth was closed by the appellant.
>
> 7. The doctor, who examined the prosecutrix at about 3 a.m., did not find any injury on her body. There was only swelling on the upper lip but the prosecutrix had no case that this swelling on the upper lip was caused during the course of the incident. There were no injuries on her private parts and the doctor who had examined her was unable to give any opinion about the sexual intercourse allegedly taken place. It is important to note that vaginal swab was collected by the doctor and it was sent for chemical examination. Exhibit 43 is the pathological report and it shows that on Microscopic examination of the Vagina swab showed desquamated cevical cells and few Co-oxalate crystals and fluid but no spermatozoa was found. The Swab of Vagina was taken on the same day and if any sexual intercourse had taken place in all probabilities, the vaginal swab would have found some spermatozoa. The absence of these sperms cast a serious doubt on the prosecution version.
>
> 8. It may also be noticed that the appellant also was medically examined on the same day by PW-10. In his evidence, he stated that smegma was present around the

corono-glandia. He further deposed that his examination negatived sexual intercourse and for collection of smegma around corono-glandia period of 24 hours is required. This scientific evidence also did not support the prosecution. Had there been a vigourous sexual act as alleged by the Page 611 prosecutrix there could not have been the presence of smegma on his private part.

9. It is true that in a rape case the accused could be convicted on the sole testimony of the prosecutrix, if it is capable of inspiring of confidence in the mind of the court. If the version given by the prosecutrix is unsupported by any medical evidence or the whole surrounding circumstances are highly improbable and belie the case set up by the prosecutrix, the court shall not act on the solitary evidence of the prosecutrix. The courts shall be extremely careful in accepting the sole testimony of the prosecutrix when the entire case is improbable and unlikely to happen.

10. In the present case there were so many persons in the clinic and it is highly improbable the appellant would have made a sexual assault on the patient who came for examination when large number of persons were present in the near vicinity. It is also highly improbable that the prosecutrix could not make any noise or get out of the room without being assaulted by the doctor as she was an able bodied person of 20 years of age with ordinary physique. The absence of injuries on the body improbablise the prosecution version.

11. The counsel who appeared for the State submitted that the presence of semen stains on the undergarments of the appellant and also semen stains found on her petticot and her sari would probablise the prosecution version and could have been a sexual intercourse of the prosecutrix.

12. It is true that the petticot and the underwear allegedly worn by the appellant had some semen but that by itself is not sufficient to treat that the appellant had sexual intercourse with the prosecutrix. That would only cause some suspicion on the conduct of the appellant but not sufficient to prove that the case, as alleged by the prosecution.

13. The Sessions Court as well as the High Court had not taken into consideration the absence of spermatozoa in the vaginal swab of the prosecutrix. It may also be noticed in the FI Statement. In this case the prosecutrix had not given the full description of the incident allegedly taken place but when she was examined in court she had improved her version.

14. On a consideration of the entire evidence in this case, we are of the view that there is a serious doubt regarding the sexual intercourse allegedly committed by the appellant on the prosecutrix. The appellant is entitled to the benefit of those doubts and we are of the view that the High Court and the Sessions Court erred in finding the appellant guilty. We set

aside the conviction and sentence of the appellant. The appellant, who is in jail, is directed to be released forthwith, if not required in any other case."

(emphasis supplied)

13. Now considering the facts as aforesaid of the case on hand on the anvil of the aforesaid decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Sadashiv Ramrao Hadbe (spura)**, this Court finds it easy to come to a conclusion that the prosecution has not been able to prove its case beyond reasonable doubt. It is found that although semen was detected on the slide of the prosecutrix vagina, however, no DNA testing was done, which could have proved whether the said semen belong to the present appellant or to the husband of the prosecutrix or any other person as it is an admitted fact that the prosecutrix was a married lady, living with her husband. Thus, in the absence of DNA report, it cannot be said with positivity that the semen/human spermatozoa detected on the slide of the prosecutrix was of the appellant only.

14. On the other hand, the detection of smegma on the glands and under the foreskin of the appellant also demonstrates that he had not indulged in intercourse during the past 24 hours as the smegma takes 24 hours to be collected on the glands. Admittedly, the incident took place in the morning at around 6 to 7:30 AM where as the appellant was examined by the Doctor on the same day in the night at 9:30 PM as is mentioned in his MLC Ex.P/14. Thus, it is highly doubtful that the appellant committed rape or had an intercourse prior to 24 hours

from 9:30 PM of 21.09.2016. It is also found that all the witnesses have admitted this fact that the prosecutrix's brother-in-law was residing in the adjacent house and between their houses the only partition was of a wooden wall and the voices from one house could be heard in the other house as well, and the sister-in-law of the prosecutrix did not hear any voice coming from the house of the prosecutrix when the incident took place. It is also surprising that the prosecutrix, instead of going to the house of the brother-in-law with whose house she had a common wall, chose to go to her mother-in-law's house which was at a distance. In view of the aforesaid evidence adduced by the prosecution, this Court is of the considered view that the prosecution has not been able to prove its case beyond reasonable doubt and, there are glaring loop holes in the story of theprosecution, the benefit of which has to be given to the appellant and he is entitled to the benefit of doubt.

15. Reference, in this regard may also be had to the decision rendered by the Supreme Court in the case of ***State of Gujarat v. Kishanbhai, (2014) 5 SCC 108,*** para 12.6 of the same reads as under:-

> **"12.6.** The High Court having noticed the injuries suffered by Gomi, a six year old girl child on her genitals, had expressed the view, that the same would have resulted in reciprocal injuries to the male organ of the person who had committed rape on her. It was pointed out that if the accused Kishanbhai had been sent for medical examination the testimony or the report of the medical officer would have revealed the presence of smegma around the corona glandis.

which would have either established innocence or guilt of the accused, especially if the accused had been medically examined within 24 hours. In the instant case the sequence of the events reveal, that the occurrence had been committed between 6.00 p.m. to 8.00 p.m. on 27-2-2003. At the time of recovery of the body of deceased Gomi from Jivi's field, at about 9.00 p.m., it came to be believed that she had been subjected to rape. The accused Kishanbhai was shown to have been formally arrested at 6.40 a.m. on 28-2-2003 (even if the inference drawn by the High Court, that the accused Kishanbhai was in police custody since 9.00 p.m. on 27-2-2003 itself, is ignored). The accused could have been medically examined within a period of 24 hours of the occurrence. The prosecution case does not show whether or not such action was taken. This lapse in the investigation of the case, had also resulted in the omission of a vital link in the chain of events which would have unquestionably established the guilt of the accused Kishanbhai of having committed rape (or possibly his innocence)."

(emphasis supplied)

16. Resultantly, the impugned judgment dated 24.09.2018 is hereby set aside and the ***appellant is acquitted*** from all the charges levelled against him. Appellant is in jail. He is directed to be released forthwith, if not required in any other case.

17. From the aforesaid discussion, it is also apparent that the presence or absence of smegma on the corona glandis of the accused is also vital factor to be considered in a rape case and can also be a decisive factor to form an opinion regarding the culpability of the accused as in the case of DNA. In the present case, the appellant was lucky that he was examined by a competent doctor who thought it fit to mention the presence of smegma on the glans of the appellant, however, more often than not, it is observed that the doctors do not even mention the presence or absence of smegma on the corona.

glandis of the accused person which is easy to detect and thus the accused persons are deprived of a vital scientific information which can be used by them in appropriate cases to demonstrate their innocence. It is also found that despite there being a specific provision under s.53A of Cr.P.C. Regarding examination of person accused of rape by medical professional and u/s.164A of Cr.P.C. Regarding medical examination of a rape victim as also a specific order dated 04.05.2016 passed by this court in M.Cr.C. No.6476/2016, the investigating officers are not only oblivious of the same, but are also unable to form an opinion on their own whether the DNA profiling would be necessary in a particular case or not, as in the present case, which is rather unfortunate and demonstrates a total apathy on the part of the investigating officers to conduct the investigation in a professional manner.

18. In such compelling circumstances, it is directed that henceforth when any accused person, arrested in a case of rape within 24 hours of the rape is examined by the doctor, the presence or absence of smegma on corona glandis must be disclosed in the MLC of the accused.

19. Let a certified copy of this order be sent to the Director General of Police, M.P. for its further transmission to the Superintendents of Police of all the districts of M.P. for proper compliance of this order as also the order dated 04.05.2016 passed by

this court in M.Cr.C. No.6476/2016 for its fresh compliance.

20. Needless to say that noncompliance of this order shall entail appropriate departmental action against the government Doctors preparing the MLC of the accused as also the police officers investigating the rape cases.

Appeal stands **allowed**.

C.c. as per rules.

(SUBODH ABHYANKAR)
JUDGE

Panday/Krjoshi

Digitally signed by KHEMRAJ JOSHI
Date: 2021.05.22 16:41:21 +05'30'

ई–मेल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

कंमाक/फाइल न0/अति0म0नि0/म0अप0/नि.स./ 179 /2021 दिनांक : 09/08/2021
10/08/2021

परिपत्र क्रमांक–5

प्रति,

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित)मध्यप्रदेश।

विषयः– गुमइंसान के प्रकरणों में जांच जारी रखने की सीमा के संबंध में।

पुलिस रेग्युलेशन में गुमइंसान की जांच के संबंध में पैरा 419 में स्पष्ट प्रावधान है कि ".....जब कभी बच्चा गुमने की सूचना हो, जांच जारी रखी जाना चाहिए जब तक कि बच्चा मिल नहीं जाता या उसके गायब होने का पता नहीं चल जाता है।..." किंतु वयस्कों के संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं है।

धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि :–

" यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है–परन्तु प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

" Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years- Provided that when the question is whether a man is alive or dead] and it is proved that has not heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it."

धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में न्यायालीन दृष्टांत पूर्णतः स्पष्ट हैः–

(1) सुभाष रामचंद्र वाडेकर विरूद्ध भारतीय यूनियन के प्रकरण में वर्ष 1992 में बाम्बे उच्च न्यायालय की टीप निम्नानुसार हैः–

"if section 108 of Indian Evidence Act is to be interpreted literally, it would have to be held that law presumes the death of a person unheard of for seven years but is silent in respect of the date of presumed death.

(निरंतर.....)

(2) भारतीय यूनियन विरूद्ध पॉलीमिटला मेरी सरोजनी एवं अन्य के प्रकरण में 2017 में आंध्रा उच्च न्यायालय की टीप निम्नानुसार हैः–

"The moment it is established that a person has not been heard of for 7 years, the presumption of death arises."

(3) श्रीमति भानुमति दयाराम मात्ररे विरूद्ध भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंध में वर्ष 2008 में बाम्बे उच्च न्यायालय की टीप निम्नानुसार हैः–

". . . . . Section 108 of the Act is in the nature of exception to the rule contained in Section 107 of the Act and states that when a person has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who asserts that the person is alive. In other words, if a person has not been heard of for a period of more than 7 years by the persons who would naturally have heard of him if he had been alive, then a presumption arises of his death. Though Section 108 of the Act raises a presumption of death of a person if he has not been heard of for a period of 7 years by the persons who would naturally have heard of him, it raises no presumption as to the date of his death. The date of his death, if disputed, must be proved as any other fact."

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम विरूद्ध अनुराधा के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 2004 में यह कहा हैः–

"the presumption as to death by reference to Section 108 would arise only on the expiry of seven years and would not by applying any logic or reasoning be permitted to be raised on the expiry of 6 years and 364 days or at any time short of it"

सभी उपरोक्त न्यायालीन दृष्टांतों में यह स्पष्ट कियां है कि यदि सात वर्ष में किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना यदि नही मिलती है तो उसके मृत होने की अवधारण की जा सकती है। किंतु मृत होने की अवधारणा किस दिनांक से की जावे इस पर राय भिन्न हैं। अतः उपरोक्त निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए गुमइंसान के प्रकरणों के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

(1) वयस्को के गुम होने के प्रकरणों में यदि समस्त जांच पूर्ण कर ली गई हो और सात वर्ष तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली तो गुमइंसान संबंधित अनु. अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति से जांच बंद की जा सकती है।

(2) किंतु ऐसे गुमइंसान के प्रकरण की डायरियां जिनका पता न चला हो और सात वर्ष के उपरांत जांच बंद कर दी गई हो, नष्ट नहीं की जावेगी, अपितु स्थायी अभिलेख की तरह रखी जावेगी।

(3) बच्चों के गुमइंसान के प्रकरण जिनमें धारा 363/366 भादवि का भी अपराध पंजीबद्ध कर दिया होगा, के प्रकरणों में बच्चों के ना मिलने तक जांच जारी रखी जावेगी।

उक्त परिपत्र सभी अति0 पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों, वरिष्ठ कार्यालयों के उप पुलिस अधीक्षक एवं इससे नीचे के अधिकारियों के सज्ञांन में लाया जावे और पावती प्राप्त कर इकाई के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावें। इसे सभी विवेचकों को उपलब्ध कराया जावें।

(पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण/सायबर म.प्र.।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि./गुप्तवार्ता/अजाक/शिकायत/एसटीएफ/रेल भोपाल म.प्र।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक(SCRB) परिपत्र MPPolice की वेबसाईट पर अपलोड कर लिंक उपलब्ध कराने बावत्।
(4) समस्त जोनल अ.म.नि/पु.म.नि, म.प्र.।
(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
(6) उमनि/समनि (म0अप0)जोनल कार्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर।
(7) स.म.नि.(महिला अपराध) I,II,III,Iv पु.मु. भोपाल।
(8) उप संचालक अभियोजन (महिला अपराध) पु.मु. भोपाल।
(9) उप पुलिस अधीक्षक, राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 भोपाल।
(10) खण्ड प्रभारी–3 परिपत्र पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
(11) डब्ल्यू–1 महिला अपराध गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक / फाइल न0 / अति0म0नि0 / म0अप0 / नि.स. /175/ 2021 दिनांक :05/08/2021

प्रति,

1. समस्त जोनल अ.म.नि / पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.
2. पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर)
   रेंज भोपाल एवं इंदौर म.प्र.।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
   (रेल सहित)मध्यप्रदेश

विषयः– धारा 498 ए भादवि के प्रकरणों पीड़िता के निवास स्थल के थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध करने विषयक।

संदर्भः– उच्चतम न्यायालय के अपराधिक अपील न0– 71 / 2012 रूपाली देवी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य निर्णय दिनांक– 09.04.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रायः ऐसी शिकायतें पुलिस मुख्यालय में प्राप्त हो रही है कि पति एवं उसके परिजनों द्वारा पीड़ित महिला जो अपने ससुराल से निकाल दी गई हो या प्रताड़ना से तंग आकर स्वंय घर छोड़कर चली गई हो, अपने मायके में आश्रय ले लेती है तथा जब वह थाने जाती है तो उसे यह कहा जाता है कि आपको घटना स्थल (जहां ससुराल स्थित है) के क्षेत्राधिकार के थानों में जाकर अपराध पंजीबद्ध कराना होगा।

यह प्रकिया उचित नहीं है इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के अपराधिक अपील न0– 71 / 2012 रूपाली देवी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य निर्णय दिनांक– 09.04.2019 में न्यायालय द्वारा धारा 177,178,179 द.प्र.स. का विस्तृत विश्लेषण करते हुए निम्न निर्देश दिये है।–

" We, therefore, hold that the courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, would, dependent on the factual situation, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences under Section 498A of the Indian Penal Code."

अतः पुनः सभी इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध निम्न में से किसी भी थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध किया जा सकता है, जिस थाना क्षेत्र में

1. जिस थाना क्षेत्र में पीड़िता का ससुराल, पति का घर या वास्तविक प्रताड़ना स्थल / घटना स्थल हो या
2. जिस थाना क्षेत्र में पीड़िता का मायका हो या
3. जिस थाना क्षेत्र में पीड़िता द्वारा प्रताड़ना उपरांत आश्रय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– निर्णय की प्रति ।

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO.71 OF 2012

RUPALI DEVI ... APPELLANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... RESPONDENTS

WITH

CRIMINAL APPEAL NO. 619 OF 2019
[Arising out of SLP(Crl.) No. 5695/2010]

CRIMINAL APPEAL NO. 620 OF 2019
[Arising out of SLP(Crl.) No. 8246/2010]

CRIMINAL APPEAL NO. 621 OF 2019
[Arising out of SLP(Crl.) No. 7387/2011]

CRIMINAL APPEAL NO. 622 OF 2019
[Arising out of SLP(Crl.) No. 5052/2014]

CRIMINAL APPEAL NO. 623 OF 2019
[Arising out of SLP(Crl.) No. 5139/2014]

JUDGMENT

RANJAN GOGOI, CJI

1. "Whether a woman forced to leave her matrimonial home on account of acts and conduct that constitute cruelty can initiate and access the legal process within the jurisdiction of the courts where she is forced to take shelter with the parents or other family members". This is the precise question that arises for determination in this group of appeals.

Signature Not Verified
Digitally signed by DEEPAK GOGLANI
Date: 2019.04.09 17:17:30 IST
Reason:

2. The opinions of this Court on the aforesaid question being sharply divided, the present reference to a larger Bench has been made for consideration of the question indicated hereinabove.

3. In

(i) **Y. Abraham Ajith and Others v. Inspector of Police, Chennai and Another (2004) 8 SCC 100.**

(ii) **Ramesh and Others v. State of Tamil Nadu (2005) 3 SCC 507.**

(iii) **Manish Ratan and Others v. State of Madhya Pradesh and Another (2007) 1 SCC 262.**

(iv) **Amarendu Jyoti and Others v. State of Chhattisgarh and Others (2014) 12 SCC 362.**

a view has been taken that if on account of cruelty committed to a wife in a matrimonial home she takes shelter in the parental home and if no specific act of commission of cruelty in the parental home can be attributed to the husband or his relatives, the initiation of proceedings under Section 498A in the courts having jurisdiction in the area where the parental home is situated will not be permissible. The core fact that would be required to be noted in the above cases is that there were no allegations made on behalf of the aggrieved wife that any overt act of cruelty or harassment had been caused to her at the parental home after she had left the matrimonial home. It is in these circumstances that the view had been expressed in the above cases that the offence of cruelty having been committed in the matrimonial home the same does not amount to a continuing offence committed in the parental home to which place the aggrieved wife may have later shifted.

4. In **Sujata Mukherjee v. Prashant Kumar Mukherjee (1997) 5 SCC 30; Sunita Kumari Kashyap v. State of Bihar and Another (2011) 11 SCC 301** and

State of M.P. v. Suresh Kaushal & Anr. (2003) 11 SCC 126 a seemingly different view has been taken. However, the said view may appear to be based in the particular facts of each of the cases in question. For instance, in **Sujata Mukherjee (Supra)** there was a specific allegation that the husband, after committing acts of cruelty in the matrimonial home, had also gone to the parental house of the wife where she had taken shelter and had assaulted her there. On the said facts this court in **Sujata Mukherjee (Supra)** held that the offence is a continuing offence under Section 178 (c) of the Cr.P.C. In Sunita Kumari Kashyap (Supra), there was an allegation that the wife was illtreated by her husband who left her at her parental home and further that the husband had not made any enquiries about her thereafter. There was a further allegation that even when the wife had tried to contact the husband, he had not responded. In the said facts, this court took the view that the consequences of the offence under Section 498A have occurred at the parental home and, therefore, the court at that place would have jurisdiction to take cognizance of the offence alleged in view of Section 179 of the Cr.P.C. Similarly in **State of M.P. vs. Suresh Kaushal (Supra)** as the miscarriage was caused to the wife at Jabalpur, her parental home, on account of cruelty meted out to her in the matrimonial home, it was held that the court at the place of the parental home of the wife would have jurisdiction to entertain the complaint under Section 179 Cr.P.C.

5. The above two views which the learned referring bench had considered while making the present reference, as already noticed, were founded on the peculiar facts of the two sets of cases before the Court. It may be possible to sustain both the views in the light of the facts of the cases in which such view was rendered by this court. What confronts the court in the present case is

however different. Whether in a case where cruelty had been committed in a matrimonial home by the husband or the relatives of the husband and the wife leaves the matrimonial home and takes shelter in the parental home located at a different place, would the courts situated at the place of the parental home of the wife have jurisdiction to entertain the complaint under Section 498A. This is in a situation where no overt act of cruelty or harassment is alleged to have been committed by the husband at the parental home where the wife had taken shelter.

6. A look at the provisions of Chapter XIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr.P.C) dealing with the jurisdiction of the Criminal Court in inquires and trials will now be required. Section 177 of the Code of Criminal Procedure contemplates that "every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a Court within whose local jurisdiction it was committed". It is, therefore, clear that in the normal course, it is the court within whose local jurisdiction the offence is committed that would have the power and authority to take cognizance of the offence in question.

7. Sections 178 and 179 are exceptions to the above rule and may be set out hereinunder:

> **"178.Place of inquiry or trial.-**
>
> (a) When it is uncertain in which of several local areas an offence was committed, or
>
> (b) where an offence is committed partly in one local area and partly in another, or
>
> (c) where an offence is a continuing one, and continues to be committed in more local areas than one, or
>
> (d) where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a Court having jurisdiction over any of such local areas."

> **"179. Offence triable where act is done or consequence ensues.-** When an act is an offence by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offence may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued."

8. Section 178 creates an exception to the "ordinary rule" engrafted in Section 177 by permitting the courts in another local area where the offence is partly committed to take cognizance. Also if the offence committed in one local area continues in another local area, the courts in the latter place would be competent to take cognizance of the matter. Under Section 179, if by reason of the consequences emanating from a criminal act an offence is occasioned in another jurisdiction, the court in that jurisdiction would also be competent to take cognizance. Thus, if an offence is committed partly in one place and partly in another; or if the offence is a continuing offence or where the consequences of a criminal act result in an offence being committed at another place, the exception to the "ordinary rule" would be attracted and the courts within whose jurisdiction the criminal act is committed will cease to have exclusive jurisdiction to try the offence.

9. At this stage it may also be useful to take note of what can be understood to a continuing offence. The issue is no longer *res integra* having been answered by this court in **State of Bihar v. Deokaran Nenshi (1972) 2 SCC 890.** Para 5 may be usefully noticed in this regard.

> **"5.** A continuing offence is one which is susceptible of continuance and is distinguishable from the one which is committed once and for all. It is one of those offences which arises out of a failure to obey or comply with a rule or its requirement and which involves a penalty, the liability for which continues until the rule or its requirement is obeyed or

complied with. On every occasion that such disobedience or non-compliance occurs and reoccurs, there is the offence committed. The distinction between the two kinds of offences is between an act or omission which constitutes an offence once and for all and an act or omission which continues, and therefore, constitutes a fresh offence every time or occasion on which it continues. In the case of a continuing offence, there is thus the ingredient of continuance of the offence which is absent in the case of an offence which takes place when an act or omission is committed once and for all."

10. The question that has posed for an answer has nothing to do with the provisions of Section 178 (b) or (c). What has to be really determined is whether the exception carved out by Section 179 would have any application to confer jurisdiction in the courts situated in the local area where the parental house of the wife is located.

11. To answer the above question, one will have to look into the Statement of Objects and Reasons of the Criminal Law [2nd Amendment Act, 1983 (Act 46 of 1983)] by which Section 498A was inserted in the Indian Penal Code. The section itself may be noticed in the first instance:

"**498A.Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.**—Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this section, "cruelty" means —

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or

(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand."

12. Section 498A of the Indian Penal Code was introduced by the Criminal Law (second amendment) Act, 1983. In addition to the aforesaid amendment in the Indian Penal Code, the provisions of Sections 174 and 176 of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to inquiries by police in case of death by suicides and inquiries by magistrates into cause of such deaths were also amended. Section 198A was also inserted in the Code of Criminal Procedure with regard to prosecution of offences under Section 498A. Further by an amendment in the first schedule to the Cr.PC the offence under Section 498A was made cognizable and non-bailable. Of considerable significance is the introduction of Section 113A in the Indian Evidence Act by the Criminal Law (second amendment) Act, 1983 providing for presumption as to abetment of suicide by a married woman to be drawn if such suicide had been committed within a period of seven years from the date of marriage of the married woman and she had been subjected to cruelty. Section 113A is in the following term:

> **"113-A. Presumption as to abetment of suicide by a married woman.**– When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed suicide within a period of seven years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the Court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband.
>
> **Explanation.–** For the purposes of this section, "cruelty" shall have the same meaning as in section 498-A of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

13. The object behind the aforesaid amendment, undoubtedly, was to combat the increasing cases of cruelty by the husband and the relatives of the husband on the wife which leads to commission of suicides or grave injury to the wife besides seeking to deal with harassment of the wife so as to coerce her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property, etc. The above stated object of the amendment cannot be overlooked while answering the question arising in the present case. The

judicial endeavour must, therefore, always be to make the provision of the laws introduced and inserted by the Criminal Laws (second amendment) Act, 1983 more efficacious and effective in view of the clear purpose behind the introduction of the provisions in question, as already noticed.

14. "Cruelty" which is the crux of the offence under Section 498A IPC is defined in Black's Law Dictionary to mean "The intentional and malicious infliction of mental or physical suffering on a living creature, esp. a human; abusive treatment; outrage (Abuse, inhuman treatment, indignity)". Cruelty can be both physical or mental cruelty. The impact on the mental health of the wife by overt acts on the part of the husband or his relatives; the mental stress and trauma of being driven away from the matrimonial home and her helplessness to go back to the same home for fear of being illtreated are aspects that cannot be ignored while understanding the meaning of the expression "cruelty" appearing in Section 498A of the Indian Penal Code. The emotional distress or psychological effect on the wife, if not the physical injury, is bound to continue to traumatize the wife even after she leaves the matrimonial home and takes shelter at the parental home. Even if the acts of physical cruelty committed in the matrimonial house may have ceased and such acts do not occur at the parental home, there can be no doubt that the mental trauma and the psychological distress cause by the acts of the husband including verbal exchanges, if any, that had compelled the wife to leave the matrimonial home and take shelter with her parents would continue to persist at the parental home. Mental cruelty borne out of physical cruelty or abusive and humiliating verbal exchanges would continue in the parental home even though there may not be any overt act of physical cruelty at such place.

15. The Protection of Women from Domestic Violence Act, as the object behind its enactment would indicate, is to provide a civil remedy to victims of domestic violence as against the remedy in criminal law which is what is provided under Section 498A of the Indian Penal Code. The definition of the Domestic Violence in the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 contemplates harm or injuries that endanger the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, as well as emotional abuse. The said definition would certainly, for reasons stated above, have a close connection with Explanation A & B to Section 498A, Indian Penal Code which defines cruelty. The provisions contained in Section 498A of the Indian Penal Code, undoubtedly, encompasses both mental as well as the physical well-being of the wife. Even the silence of the wife may have an underlying element of an emotional distress and mental agony. Her sufferings at the parental home though may be directly attributable to commission of acts of cruelty by the husband at the matrimonial home would, undoubtedly, be the consequences of the acts committed at the matrimonial home. Such consequences, by itself, would amount to distinct offences committed at the parental home where she has taken shelter. The adverse effects on the mental health in the parental home though on account of the acts committed in the matrimonial home would, in our considered view, amount to commission of cruelty within the meaning of Section 498A at the parental home. The consequences of the cruelty committed at the matrimonial home results in repeated offences being committed at the parental home. This is the kind of offences contemplated under Section 179 Cr.P.C which would squarely be applicable to the present case as an answer to the question raised.

16. We, therefore, hold that the courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, would, dependent on the factual situation, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences under Section 498A of the Indian Penal Code.

17. All the appeals are disposed of in terms of the above.

.....,CJI
[RANJAN GOGOI]

.....,J.
[L. NAGESWARA RAO]

.....,J.
[SANJAY KISHAN KAUL]

NEW DELHI;
APRIL 09, 2019.

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)

पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल–462008
दूरभाष : 0755–2443568 / फेक्स : 0755–2550367
Email : mpcaw@mppolice.gov.in

क्रमांक / अमनि / म.अप. / डब्ल्यू–7 / 2182 / 2021 दिनांक: 13 / 09 / 2021

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल व इंदौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
समस्त पुलिस अधीक्षक रेल

विषयः–नाबलिंग बालिकाओं के अपहरण / व्यपहरण के प्रकरणों में सूचनाकर्ता को अधिकार पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

दिनांक 11 / 01 / 2021 को माननीय मुख्यमंत्री, म0प्र0 द्वारा गुम बालिकाओं के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के तारतम्य में पूर्व में अपहृत तथा गुमशुदा बालिकाओं के अपहरण / व्यपहरण के प्रकरणों में सूचनाकर्ता को प्रदाय करने हेतु "**अधिकार पत्र**" जारी किया गया था, जिसे परिकृष्ट किया जाकर नवीन अधिकार पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

नाबलिंग बालिकाओं के अपहरण / व्यपहरण के समस्त प्रकरणों में अपराध कायम होने के तत्काल बाद फरियादी को एफआईआर की निशुल्क प्रति के साथ ही, अपने थाने / जिले से संबंधित दूरभाष नम्बर भरे जाकर, नवीन अधिकार पत्र की प्रति भी प्रदाय की जावे।

संलग्नः– अधिकार पत्र
(पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 द्वारा अनुमोदित)

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलीपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. विशेष पुलिस महानिदशक अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय भोपाल।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन म0प्र0।
3. अमनि एससीआबी, की ओर कृपया वैब पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु।
4. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, महिला अपराध।
6. समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध पुमु भोपाल।

(प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

गुमशुदा नाबालिगों के सम्बन्ध में अधिकार पत्र

स.क	पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	
01	गुमने की सूचना पुलिस को देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कराने का अधिकार।	
02	एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार	
03	प्रकरण के विवेचक का नाम एवं मो0न0 प्राप्त करने का अधिकार	
04	समय–समय पर पुलिस से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार	
05	यदि किसी संदेही का नाम बताया गया है तो उसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति गुमशुदा के निकटतम संबंधियों (माता/पिता/भाई/बहन) को जानने का अधिकार।	
06	थानाा प्रभारी द्वारा अपहृता एवं संदेही का तलाश करने के लिए किस पुलिस टीम को रवाना किया गया है, के नाम एवं मो0न0 जानने का अधिकार।	
07	गुमशुदा की फोटो प्रसारित की गई अथवा नहीं, जानने का अधिकार।	
08	अपहर्ता की पतारसी के हर प्रयास को जानने का अधिकार जिससे अपहर्ता को सुरक्षित बरामद किया जा सके।	
09	अपह्यता को महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन देने का अधिकार।	
10	निःशुल्क विधिक सहायता लेने का अधिकार।	
11	महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के मो0न0 सहित) प्राप्त करने का अधिकार।	
	पुलिस कार्यवाही की समय–सारणी	
01	एफआईआर की निशुल्क प्रति प्रदान करना	अपराध कायम होने के तत्काल बाद
02	अपह्यता की आस–पास संभावित इलाकों में तलाश करना	अपराध कायम होने के तत्काल बाद
03	सभी अन्य थानों को, पुलिस कंट्रोल रूम व जिले की अन्य इकाईयों को सूचित करना	अपराध कायम होने के तत्काल बाद
04	अन्य संबंधित जिलों को सूचित करना	24 घंटे के अंदर
05	घटना से संबंधित गवाहों से पूछ–ताछ करना	24 घंटे के अंदर
06	अपह्यता को तलाशने टीम रवाना करना	सटीक जानकारी मिलने पर
07	आरोपी की गिरफ्तारी	सटीक जानकारी मिलने पर
	महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बर	
01	विवेचक	
02	थाना प्रभारी	
03	अनुविभागीय पुलिस अधिकारी/नगर पुलिस अधीक्षक	
04	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	
05	पुलिस अधीक्षक	
	आपके (शिकायकर्ता के) दायित्व	
01	अपह्यता के सभी मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, मित्रों के नाम एवं अन्य संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध करावें।	
02	यदि अपहर्ता के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे तत्काल पुलिस को सूचित करें।	
03	अपहृर्ता यदि स्वयं आ जाती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें व कथन हेतु प्रस्तुत करें।	

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल

परिपत्र

(POLICE HEAD QUARTERS BHOPAL)

पुमु/महिला अपराध/ परिपत्र–/PM/311 /2021 भोपाल, दिनांक 01/12/2021

उप पुलिस महानिरीक्षक(शहर)
रेंज भोपाल व इंदौर

(2) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित) मध्यप्रदेश

विषय :–प्रदेश में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) के कर्तव्य।

हाल ही में महिला अपराध शाखा के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अनुसार सभी जिलों में उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) तथा चार बड़े जिलें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध के पद स्वीकृत किये जाकर अधिकांश पदस्थापनाऐं की जा चुकीं हैं। इस पुर्नगठन के साथ यह आवश्यक है कि महिला अपराध को परिभाषित भी किया जावें।

बीपीआरएंडडी की पुस्तक:– "Women's Safety & Security", के पेरा 1.2.1 में महिला अपराध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं :–

Meaning of violence and crime against women –

Crime against women is direct or indirect, physical or mental cruelty to a woman, crimes which are directed specifically against women and in which only women are victims are characterized as crime against women.

यूनाईटेड नेशन द्वारा वर्ष 1993 में Declaration on the Elimination of Violence against women में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं:–

Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private. अर्थात महिला अपराध में वह अपराध आयेगें जो कि किसी महिला पर उसके महिला होने की वजह से किये जाते है तथा जिनमें पीड़िता भी महिलाएं ही होती हैं।

अतः निम्न अपराधों की समीक्षा तथा पर्यवेक्षण महिला अपराध शाखा द्वारा किया जाएगा। अति० पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध द्वारा इन्हीं अपराधों का डिजिटल डायजेस्ट संधारित किया जाएगा। महिला थानों में भी मात्र निम्न अपराधों का पंजीयन एवं विवेचना की जावेगी।

1. बलात्कार (बलात्कार के साथ हत्या, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार का प्रयास सहित),
2. लैंगिक उत्पीड़न { छेड़–छाड़, लज्जा भंग, दृश्यरतिकता (Voyeurism), पीछा करना (Stalking) आदि सहित}
3. पोक्सो एक्ट के अंतर्गत समस्त अपराध
4. अपहरण तथा व्यपहरण,
5. मानव दुर्व्यापार (Trafficking)
6. एसिड अटैक (प्रयास सहित),
7. अनैतिक व्यापार अधिनियम
8. दहेज हत्या,

(1)

9. पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता,
10. दहेज अधिनियम,
11. महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना
12. बाल विवाह,
13. Female Infanticide (भ्रूण हत्या)– धारा 312 से 318 भादवि
14. मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019
15. घरेलु हिंसा अधिनियम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध के नये पद हैं जिनके कर्तव्य पुलिस रेगुलेशन में वर्णित नहीं हैं किन्तु समय–समय पर इनके कर्तव्यों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) के कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध)

(1) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) अपने जोन के जिलों के, महिला थाने तथा उर्जा महिला हेल्प डेस्क का पर्यवेक्षण व रोस्टर अनुसार निरीक्षण करेंगे।

(2) महिला/बालिकाओं सम्बन्धी सभी चिन्हित प्रकरणों की सतत् मानिटरिंग करेंगे एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से जारी करेंगे।

(3) अपने जोन के जिलों के सभी महिला संबंधी अपराधों का डिजिटल डाएजेस्ट संधारण करेगें तथा विवेचना में कमी या त्रुटि पाये जाने पर स्वयं अथवा जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

(4) जिलों की ITSSO रैंकिंग को मॉनिटर करते रहेंगे तथा जोनल पुलिस महानिरीक्षक को अवगत कराते रहेंगे। बलात्संग के जिन प्रकरणों की विवेचना 02 माह कि अवधि में पूर्ण नहीं हो पाई हो, उसकी जानकारी प्रतिमाह जोनल पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(5) जिलों में महिला अपराधों में हो रहे सजा एवं दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा करेगें। इनकी स्थिति के कारणों की समीक्षा कर जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(6) POCSO एक्ट, बलात्कार एवं कुटुम्ब न्यायालय द्वारा जारी भरण–पोषण के वसूली वारंट की तामीली की मानिटरिंग करेंगे।

(7) महिला अपराधों का विश्लेषण कर, जिलों की अपराध प्रवृत्तियों व पैटर्न का पता लगाएंगे।

(8) महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय, जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय एवं जिलों के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। महिला अपराध संबंधी जो भी जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा चाही जाती है, वह जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से प्रदाय करने के उत्तरदायी होंगे।

(9) महिला अपराध के सम्बन्ध में नये कानून, न्यायालयीन निर्णय व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये महिला अपराध से संबंधित समस्त दिशा–निर्देश व परिपत्रों की फाइल का संधारण करेंगे।

(10) अपने जोन के जिलों में महिला अपराध के संबंध में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के प्रभारी भी होंगे तथा प्रशिक्षण हेतु एक माड्यूल/प्रजेंन्टेशन हमेशा तैयार रखेंगे।

(11) समस्त महिला सम्बन्धी जागरुकता अभियानों के प्रभारी होंगे, जो जिला स्तर अथवा मुख्यालय स्तर पर समय–समय पर चलाये जाते हैं।

(12) उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध)का यह दायित्व होगा कि महिला अपराध के समस्त प्रकरणों की जानकारी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध के कार्यालय को समय पर अद्यतन कराते रहें। विशेष रुप से कायमी, आरोपियान की गिरफ्तारी, FSL माल भेजने की जानकारी, चालान, खात्मा, खारिजी व न्यायालय में प्रकरण का प्रस्तुतीकरण।

(13) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध का पद रिक्त होने पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने कार्यालय में पदस्थ अति. पुलिस अधीक्षक को अथवा अन्य अति. पुलिस अधीक्षक को इनका प्रभार सौंपेगे।

उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध)

(1) जिले के महिला थाने उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध)के पर्यवेक्षण में ही रहेगें।

(2) उर्जा महिला हेल्प डेस्क के सुचारु संचालन हेतु उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध) सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। (सीधा पर्यवेक्षण स्थानीय नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय पुलिस अधिकारी का ही रहेगा)

(3) जिले में घटित बलात्कार, 370 भा.द.वि., एसिड अटेक व अनैतिक देह व्यापार के समस्त प्रकरणों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(4) धारा 363 भादवि के समस्त प्रकरणों में सुनिश्चित करेंगे कि उनमें कायमी के उपरांत प्रथम 15 दिवस में समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक–अअवि/जेएबी/फा.न.75/12–31/डी–723/2017 दि.12.12.17 में दी गयी मानक प्रकिया (SOP) का पालन किया गया है।

(5) महिला/बालिकाओं सम्बन्धी सभी चिन्हित प्रकरणों की सतत् मानिटरिंग करेंगे एवं आवश्यक दिशा–निर्देश विवेचक को लिखित जारी करेंगे।

(6) जिले के सभी महिला संबंधी अपराधों का डिजिटल डाएजेस्ट संधारण करेगें तथा उनमें विवेचना में कमी या त्रुटि पाये जाने पर स्वयं अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगे। जिले में घटित महिला अपराधों के संबंध में हर प्रकार की जानकारी अद्यतन उपलब्ध रखेंगे।

(7) जिले की ITSSO रैंकिंग को मॉनिटर करते रहेंगे तथा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते रहेंगे। बलात्संग के जिन प्रकरणों की विवेचना 01 माह कि अवधि में पूर्ण नहीं हो पाई हो, उसकी जानकारी प्रतिमाह जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि पुलिस अधीक्षक इन प्रकरणों में अगले माह में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें, जिससे 02 माह मे विवेचना पूर्ण होने का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

(8) जिलों में महिला अपराधों में हो रहे सजा एवं दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा करेगें। इनकी स्थिति के कारणों की समीक्षा कर पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सुझाव देंगें।

(9) POCSO एक्ट, बलात्कार एवं कुटुम्ब न्यायालय द्वारा जारी भरण–पोषण के वसूली वारंट की तामीली की मॉनिटरिंग करेंगे।

(10) महिला अपराधों का विश्लेषण कर, जिले की अपराध प्रवृत्तियों व पैटर्न का पता लगाएंगे।

(11) जिले का महिला अपराधों की दृष्टि से सुरक्षा ऑडिट कर संवेदनशील स्थलों का पता लगाएंगे तथा उन्हें सुरक्षित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर पुलिस अधीक्षक को सौपेंगे।

(12) महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय एवं जिले के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। महिला संबंधी जो भी जानकारी पुलिस मुख्यालय द्वारा चाही जाती है, वह पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रदाय करने के उत्तरदायी होंगे।

(13) पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये महिला अपराध से संबंधित समस्त दिशा–निर्देश व परिपत्रों की फाइल का संधारण करेंगें तथा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उनका पालन कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे।

(14) महिला अपराध के सम्बन्ध में नये कानून, न्यायालयीन निर्णय व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देश, परिपत्र आदि की जानकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा ली जाने वाली क्राइम मीटिंग में सभी को देंगे।

(15) जिले के महिला अपराध के प्रशिक्षण के प्रभारी भी होंगे तथा प्रशिक्षण हेतु एक मॉड्यूल /प्रजेंन्टेशन हमेशा तैयार रखेंगे।

(16) जिले की अन्य एजेंसियों से, जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा/सहायता की दिशा में काम कर रहीं हों जैसे– महिला बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय, अभियोजन अधिकारी तथा एन.जी.ओ. आदि से समन्वय रखेंगे।

(17) समस्त महिला सम्बन्धी जागरुकता अभियानों के प्रभारी होंगे, जो जिला स्तर अथवा मुख्यालय स्तर पर समय–समय पर चलाये जातें हैं।

(18) सामान्यतः अपराधों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध को न दी जाए, किन्तु महिला अपराध का कोई विशेष प्रकरण, जो राजनैतिक अथवा कानून व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हो, पुलिस अधीक्षक इन्हें विवेचना हेतु आदेशित कर सकते हैं।

(19) थाना प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि महिला अपराध के समस्त प्रकरणों की जानकारी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध के कार्यालय को समय पर अद्यतन कराते रहें। विशेष रुप से कायमी, आरोपियान की गिरफ्तारी, FSL माल भेजने की जानकारी, चालान, खात्मा, खारिजी व न्यायालय में प्रकरण का प्रस्तुतीकरण।

(20) उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध, से यह अपेक्षा की जाती है कि महिला अपराधों के विश्वकोष (Encyclopedia) के रुप में जाने जाएं। अतः उन्हें न केवल महिला अपराध सम्बन्धी समस्त कानून की जानकारी होनी चाहिये, अपितु पुलिस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी समस्त दिशा–निर्देश, सर्कुलर तथा न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी होना चाहिये।

(21) माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के भ्रमण अथवा समकक्ष बडी कानून व्यवस्था ड्यूटी को छोडकर, रोजमर्रा की कानून व्यवस्था में उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध की ड्यूटी नहीं लगाई जावे।

(22) महिला उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध, जिले की पुलिस इकाई की महिलाओं हेतु, "कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" की धारा 4 के अन्तर्गत गठित "आंतरिक परिवाद समिति" की अध्यक्ष होंगी। इन पदों पर पुरुषों की पदस्थापना होने पर, पुलिस अधीक्षक, जिले में पदस्थ अन्य वरिष्ठतम महिला अधिकारी को नामांकित कर सकेंगे।

(23) जिले में उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध का पद रिक्त होने पर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पर पदस्थ, किसी अन्य उप पुलिस अधीक्षक को इनका प्रभार देंगे।

उक्त परिपत्र सभी अति0 पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों, वरिष्ठ कार्यालयों के उप पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के संज्ञान में लाया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें/कराये।

(विवेक जौहरी) 27/11/21
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:–

(1) विशेष पुलिस महानिदेशक अअवि, प्रशिक्षण पु.मु. भोपाल।
(2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, गुप्तवार्ता, महिला अपराध, अ.जा.क., शिकायत, रेल भोपाल म.प्र.
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक(रा.अ.अ.ब्यूरो) परिपत्र Mppolice की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(4) समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(5) समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।
(6) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, महिला अपराध, मध्यप्रदेश।
(7) समस्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, मध्यप्रदेश।
(8) उप संचालक अभियोजन(महिला अपराध) पु.मु. भोपाल।
(9) उप पुलिस अधीक्षक, राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 भोपाल।
(10) महिला अपराध शाखा उपखण्ड प्रभारी–3 परिपत्र पुस्तिका में प्रकाशन हेतु।
(11) महिला अपराध शाखा उपखण्ड प्रभारी–1 गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

पुलिस महानिदेशक 27/11/21
मध्यप्रदेश

पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल

परिपत्र

क्रमांक / पु0मु0 / शिका0 / समाअआ / 6462 / 2017. दिनांक- 12 / 12 / 2017

प्रति,

1 उप पुलिस महानिरीक्षक शहर (इंदौर / भोपाल)

~~2 समस्त पुलिस अधीक्षक, म0प्र0~~

3 समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल) म0प्र0

विषय –पत्रकारो के विरूद्ध कार्यवाही एवं उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन के संबंध मे।

संदर्भ –(1)म0प्र0 शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञाप क्रमांक –5811 / 6079 / 86(1)दो, दिनांक 24.09.1986

(2)पुलिस मुख्यालय का पत्र क्र0–पुमु / शिका / पत्रकार / 1799 / 97 दिनांक 23.12.1999

(3)पुलिस मुख्यालय का पत्र क्र0–पुमु / शिका / पत्रकार / 3303 / 2004 दिनांक 30.06.2004

(4)म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञाप क्रमांक –7353 / 14114 / 05 / B-1 / दो दिनांक 27.12.2005

—000—

शासन को समय–समय पर इस प्रकार की शिकायते प्राप्त होती है कि पत्रकारो पर विभिन्न पुलिस कर्मियो द्वारा ज्यादतिया की जाती है और उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दुर्भावनावश कायम किये जाते है। पत्रकारो की उपरोक्त शिकायत को ध्यान मे रखते हुए शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त निर्देश परिपत्र जारी किये गये है। उक्त निर्देशों का सारांश निम्नानुसार है –

2 पत्रकारो के विरूद्ध कायम किये गये प्रकरणो के संबध मे यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी (चाहे वह अभिस्वीकृत पत्र प्रतिनिधि या संवाददाता हो या न हो) के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है तो उन प्रकरणों के चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक करें और स्वयं को आश्वस्त कर ले कि कोई भी प्रकरण दुर्भावनावश कायम किया गया पाया जाए तो तत्काल उनको समाप्त करने के निर्देश दिये जावे और संबंधित पुलिस अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। बगैर समीक्षा किये हुए प्रकरण का चालान न्यायालय मे प्रस्तुत न किया जावे। प्रत्येक तिमाही मे क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक इस प्रकार के प्रकरणो की समीक्षा करके उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) को सूचना भेजेगे। तदोपरांत प्रकरण की समीक्षा उपरांत पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

3 अतएव शासन के उपरोक्त निर्देशो के तारतम्य मे लेख है कि समस्त पुलिस अधीक्षकगण एवं क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारो के विरूद्ध प्रकरण दुर्भावनावश कायम न किया जाए। यदि किसी पत्रकार के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है तो उन प्रकरणों पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा आप स्वयं कर ले।

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

........2

पृष्ठा0कमांक/पु0मु0/शिका0/रामाअआ/ 6462-A /2017, दिनांक-12/12/2017

प्रतिलिपि :– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) अति0 पुलिस महानिदेशक (इंदौर/उज्जैन/बालाघाट) मध्यप्रदेश।
(2) अति0 पुलिस महानिदेशक (रेल), भदभदा, भोपाल।
(3) अति0 पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पु0मु0, भोपाल।
(4) समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, मध्यप्रदेश।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 7353/[illegible] भोपाल, दिनांक 27 दिसंबर, 2003

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय:- पत्रकारों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने तथा उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन।

लोकतंत्र के चतुर्थ महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया के विरुद्ध ज्यादतियों को रोकने तथा उनके विरुद्ध दुर्भावनावश पंजीबद्ध किये जाने वाले आपराधिक प्रकरणों की निगरानी के लिये विभाग द्वारा [illegible] परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1996 जारी कर यह अपेक्षा की गई थी कि :-

- पत्रकारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के पूर्व प्रकरणों पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक स्वयं कर लें ताकि उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण दुर्भावनावश या लापरवाही स्वरूप तो स्थापित नहीं किया जाए।
- यदि उप महानिरीक्षक के मत में कोई प्रकरण दुर्भावनावश किया जाना पाया जाता है तो तत्काल उसको वापस लेने के निर्देश न केवल दिये जाएं अपितु संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाए।
- बगैर समीक्षा किए प्रकरणों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाए।
- प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पुलिस इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा करके पुलिस महानिदेशक को सूचना भेजेंगे और पुलिस महानिदेशक से यह सूचना त्रैमासिक गृह विभाग को भेजी जाएगी।

2. अवलोकनानुसार त्रैमासिक प्रतिवेदन विभाग में नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इससे स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि शासन के उक्त निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3. [illegible] राज्य लोकतंत्र के प्रेस-मीडिया की स्वायत्तता के लिये दृढ़ प्रतिबद्ध है, अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों के अनुसार पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज होने वाले प्रकरणों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाकर त्रैमासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से गृह विभाग को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

[signature] 27.12.2003

(आशीष उपाध्याय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ. क्रमांक 7354/[illegible] भोपाल, दिनांक 27 दिसंबर, 2003.

प्रतिलिपि:-

1. श्री ओ.पी. रावत, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग मंत्रालय।
2. संचालक, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]

(आशीष उपाध्याय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक-पुमु/शि शा/पत्रकार/3303 /2004 भोपाल   दिनांक 30-6-04

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक, म. प्र.
समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल) म. प्र.

विषय :- पत्रकारों के विरूद्ध कार्यवाही एवं उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्रमांक-5811/6079/86(1.) दो दिनांक 24-9-1986 द्वारा जारी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । ये निर्देश पु0मु0के पत्र क्रमांक-पुमु/शिका/पत्रकार/1799/97 दिनांक 23-12-1999 द्वारा पुनः पृष्ठांकित किये गये थे ।

शासन के उपरोक्त दिशा-निर्देश पुनः सभी अधिकारियों को ध्यान में लाने के लिये सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित किये जा रहे हैं । शासन निर्देशों का कृपया अक्षरशः पालन किया जावे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
(एस0के0 दास)
पुलिस महानिदेशक
मध्य प्रदेश

9

VR-I

प्रतिलिपि प्राप्त :- पुलिस महानिदेशक म०प्र० भोपाल द्वारा प्राप्त क्र- पु.मु./शिका/पत्रकार/3303/06 भोपाल दिनांक-30.06.06 का -प्रति/सी/6079/86 (बी), भोपाल दिनांक-25 सितम्बर 1986 ।

=0=

शासन को समय-समय पर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है कि पत्रकारों पर विभिन्न पुलिस कर्मियों द्वारा ज्यादतियां की जाती हैं, और उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दुर्भावनावश कायम किये जाते है । पत्रकारों की उपरोक्त शिकायत को ध्यान में रखते हुए शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिये है :-

(1) पत्रकारों पर ज्यादतियां होने की शिकायतों को संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग एकत्रित कर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) को भेजें। संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग से प्राप्त हुए प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के पश्चात् इसकी सूचना सीधा सूचना एवं प्रकाशन विभाग को देंगे तथा प्रतिलिपि गृह विभाग को अंकित करेंगे ।

(2) जहां तक पत्रकारों के विरुद्ध कोई प्रकरण कायम किये जाने का प्रश्न है- इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी (चाहे वह अधिमान्य ... पत्र प्रतिनिधि/ एक्रीडिट प्रेस कोरसपोण्ड हो या न हो) के विरुद्ध कोई प्रकरण ... किया जाता है तो उन प्रकरणों के चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रिय उप पुलिस महानिरीक्षक ... और स्वयं को आश्वस्त कर ले कि कोई भी प्रकरण दुर्भावनावश या कायम किया गया पाया जाए तो तत्काल उनको समाप्त करने के निर्देश दिये जावें और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावें । बगैर समीक्षा किये हुए प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत न किया जावें । प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रिय उप महानिरीक्षक इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा करके महानिदेशक पुलिस को सूचना भेजेंगे और महानिदेशक से यह सूचना गृह विभाग को भेजी जावेगी ।

(3) जहां क्षेत्रिय संयुक्त संचालक पदस्थ है वहां क्षेत्रीय संयुक्त संचालक तथा संभागों में संभागीय उप संचालक सूचना एवं प्रकाशन का यह दायित्व होगा कि क्षेत्रिय उप महानिरीक्षक से माह में कम से कम एक बार संपर्क स्थापित करे और उजागर किये गये प्रकरणों के संबंध में चर्चा करें और उपलब्ध जानकारी क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक को देवें ।

(4) कृपया उपरोक्त निर्देशों से सभी संबंधितों को अवगत करायें और जारी किये गये निर्देशों की प्रति सूचनार्थ गृह विभाग को भेजें ।

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / अअवि / विधि / 1 / विविध / 58 / 19 / 864 / 19, दिनांक 17. 05.2019

प्रति,

1.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / उगनि,जिला–भोपाल / इन्दौर,

2.समस्त पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश,

3.समस्त रेल पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश,

4.समस्त अजाक पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश,

विषय:– आपराधिक प्रकरणों में विधिक संवीक्षा (स्कूटनी) बाबत् ।

संदर्भ:– महानिदेशक / संचालक,लोक अभियोजन म0प्र0,भोपाल के पत्र क्र0 / लोक.अभि. संचा / विधि / 2099 / 2019 भोपाल,दिनांक 15.04.19

—00—

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र एवं संलग्न स्कूटनी पत्रक का अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित पत्रानुसार महानिदेशक / संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय म0प्र0 द्वारा आपराधिक प्रकरणों की विधिक संवीक्षा (स्कूटनी) हेतु एक आदर्श प्रारूप तैयार किया गया है, जो संलग्न प्रेषित है, जिसके अनुसार आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन अधिकारियों को विधिक संवीक्षा (स्कूटनी) किये जाने निर्देशित किया गया है ।

अतः संदर्भित पत्र के साथ संलग्न संवीक्षा(स्कूटनी)पत्रक अनुसार प्रकरणो में विधिक स्कूटनी कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी थाना प्रभारी / विवेचकों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं इस विषय को क्राइम मीटिंग के दौरान सभी को स्पष्ट रूप से बतायें व पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजें ।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

/

(राजीव टंड़न)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ0अ0वि0,पु.मु.,भोपाल

प्रतिलिपि:–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक / संचालक,लोक अभियोजन संचालनालय,भदभदा रोड भोपाल ।
2. समस्त अति0 पुलिस महानिदेशक,म0प्र0 ।
3. समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0, अपने भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें की इन निर्देशो का पालन हो रहा है ।
4. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0, अपने भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें की इन निर्देशो का पालन हो रहा है ।
5. समस्त जोनल कार्यालय अ0अ0वि0 ।

Rtandon

(राजीव टंड़न) 17/5/19
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ0अ0वि0,पु.मु.,भोपाल

//2//

क्रमांक/पुमु/म0अप0/W–12/03/20/ 1289/2020 दिनांक–29/06/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पु0मु0, म.प्र.।
2. प्रभारी जोनल महिला अपराध कार्यालय, जोन भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.
3. स.म.नि. (I) (II)/डी.डी.पी./समस्त उ.पु.अ.(महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
4. निज सहायक, अ.म.नि.(महिला अपराध), पु0मु0, भोपाल।
5. समस्त उपखण्ड प्रभारी, (महिला अपराध), पु0मु0 भोपाल।
6. उपखण्ड W–01, की ओर गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

29/6/20

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

लोक अभियोजन,संचालनालय,मध्यप्रदेश,
भदभदा रोड भोपाल,पिनकोड–462003

क्र/लोक अभि.संचा./विधि/2099/2019 भोपाल, दिनांक 15/4/2019

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– आपराधिक प्रकरणों में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) बाबद्।

संदर्भ :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपीलक्रमांक 1485/08 गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई निर्णय दिनांक 07.01.2014 में दिये गये निर्देश एवं पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 516 एवं 775(ख) में दिये निर्देश।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि प्रदेश में भा.द.वि. के अपराधों में लगभग 40 प्रतिशत प्रकरणों में दोषमुक्ति दर्ज की जा रही है। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय गंभीर आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्ति की दर और भी अधिक होकर लगभग 70 प्रतिशत है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्ति का एक महत्वपूर्ण कारण अनुसंधान के दौरान की गई त्रुटियां हैं। उल्लेखनीय है कि अनेक विधिक त्रुटियों को उचित विधिक परामर्श एवं विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के माध्यम से अभियोग पत्र प्रस्तुती से पूर्व ही दूर किया जा सकता है किन्तु प्रदेश में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) एवं विधिक परामर्श की निश्चित एवं एकरूपात्मक व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश मामलों में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन बिना विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं अथवा यदि विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) करवाई भी जाती है तो वह मात्र औपचारिकता के रूप में करवाई जाती है।

पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 516 एवं 775(ख) में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) के स्पष्ट प्रावधान हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी संदर्भित न्याय दृष्टांत गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई आपराधिक अपील क्रमांक 1485/08 निर्णय दिनांक 07.01.2014 के चरण क्रमांक 19 में अभियोग पत्र/अंतिम प्रतिवेदन की अभियोजन अधिकारी द्वारा विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) किये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं।

लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों की विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु एक आदर्श प्रारूप तैयार किया गया है, जो संलग्न प्रेषित है, जिसके अनुसार आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन अधिकारियों को विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अधीनस्थ पुलिस इकाईयों को उक्त प्रारूप अनुसार आपराधिक प्रकरणों में विधिक संवीक्षा (स्क्रूटनी) कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अनुसंधान के दौरान त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके तथा न्यायालय के समक्ष उचित साक्ष्य प्रस्तुत हो सके।

संलग्नः– संवीक्षा प्रारूप पी–1

महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आई.टी. शाखा की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

महानिदेशक/संचालक
लोक अभियोजन म.प्र.
भोपाल

P-1

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश,

स्क्रूटनी पत्रक

पुलिस स्टेशन ———— जिला ————
F.I.R. क्रमांक ———— दिनांक ————
घटना दिनांक व स्थान ————
अभियुक्त का नाम ————
अभियोगी/आहत का नाम .....
अधिनियम ———— धारा ————
विवेचक का नाम.....पदनाम.....
चार्जशीट / केस डायरी प्राप्त करने की तिथि और समय ——
प्राप्तकर्ता का पूरा नाम एवं पदनाम ————
परिशीलनकर्ता/स्क्रूटनीकर्ता अभियोजन अधिकारी का नाम..... पदनाम.....
दिनांक और समय जब चार्जशीट / केस डायरी स्क्रूटनी के बाद वापस की गई ————
स्क्रूटनी उपरांत चार्जशीट/ केस डायरी प्राप्तकर्ता का पूरा नाम..... पदनाम.....
स्क्रूटनी/परिशीलनपूर्ति उपरांत चार्जशीट/केस डायरी प्राप्त होने का दिनांक .....
अभियोगपत्र अन्वेषणकर्ता अधिकारी का नाम..... पदनाम.....
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का दिनांक .....
न्यायालय का नाम एवं प्रकरण क्रमांक .....
स्क्रूटनी रजिस्टर R-20 में अंकित अनुक्रमांक .....

क्र.	कार्यवाही विवरण-	विवेचक का अनुपालन	रिमार्क
1	परिशीलन का संक्षिप्त विवरण-		
2	परिशीलन के बिन्दुओं का परिपालन न होने की स्थिति में अभियोजन अधिकारी के द्वारा अंकित टीप का विवरण		
3	परिशीलन के बिन्दुओं का परिपालन न होने की स्थिति में उपसंचालक अभियोजन/ जिला अभियोजन अधिकारी/ अति. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रदत्त आदेश का विवरण		
4	पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक/ सुपरवीजन अधिकारी के द्वारा परिशीलन के बिन्दुओं की पूर्ति न होने पर अभियोगपत्र प्रस्तुति के संबंध में प्रदत्त आदेश का विवरण		

नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
परिशीलनकर्ता अभियोजन अधिकारी

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश,

स्क्रूटनी (परिशीलन) पत्रक

		अभियोजक की टिप्पणी	आईओ द्वारा अनुपालन
	मामले के तथ्य संक्षेप में (यदि आवश्यक हो तो पृथक शीट संलग्न करें)		
1	क्या एफआईआर की प्रति 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को भेजी गई है? प्रति भेजने का दिनांक और समय क्या मजिस्ट्रेट की एफ.आई.आर. प्राप्ति रसीद चार्ज शीट के साथ संलग्न है		
2	क्या सभी प्रत्यक्षदर्शी या अन्य आवश्यक साक्षी जिनके नाम एफआईआर में उल्लेख किए गए थे। के धारा 161 Cr.p.c. के तहत कथन लिये गए हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण । क्या 161 Cr.p.c के कथनों में अपराध के आवश्यक तथ्य आये हैं ? पूरक कथनों की आवश्यकता है अथवा नहीं।		
	अनुसंधान अधिकारी का मत -		
	क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी की तारीख और जमानत पर छोड़ने की तारीख।		
	अगर किसी आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, तो विवरण दें। क्या इस तरह के उद्घोषित अपराधी के बारे में धारा 174-ए आईपीसी के तहत कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो कारण दें		
	क्या सभी षड़यंत्रकारियों या अपराध के दुष्प्रेरकों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित है और उन्हे आरोपी के रूप में अभियोग पत्र में समायोजित किया गया है? अथवा नहीं		
	क्या सभी आरोपियों के विरुद्ध व्यक्तिशः आरोपित अपराध के आवश्यक तथ्य प्रमाणित है? अथवा नहीं		
	लैंगिक अपराध में अभियोत्री/ बालक / अपचारी बालक की आयु के संबंध में साक्ष्य संकलन। (A) 10 वीं कक्षा की मार्क शीट		

	(B) प्रथमबार दाखिला लिये गए स्कूल रजिस्टर (प्ले/नर्सरी स्कूल के अलावा) (C) नगर निगम/ नगर पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा जारी अन्य प्रमाणपत्र (D) चिकित्सकीय साक्ष्य		
9	क्या अपराध में प्रयुक्त आयुध चिकित्सक अथवा अन्य विशेषज्ञ साक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है?		
10	क्या हथियार की नाप आदि का सम्यक उल्लेख किया गया है? क्या हथियार की चैन ऑफ कस्टडी सुरक्षित है?		
11	क्या मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य (आर्टिकल्स) संकलित किया जाकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं ?		
12	क्या प्रकरण से संबंधित आर्टिकल्स, मुद्देमाल को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल भेजा गया है ?		
13	क्या प्रकरण से संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट/वैज्ञानिक फोरेन्सिक आदि रिपोर्ट संकलित की गई है? यदि रिपोर्ट प्राप्त नहीं है तो क्या जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजने की पावती रसीद संलग्न है यदि नहीं तो कारण।		
14	क्या प्रकरण में अभियुक्त/आर्टिकल की पहचान कार्यवाही की गई है, और उस संबंध में प्रतिवेदन सम्मिलित है ?		
15	क्या अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत पूछताछ की गई है ? क्या ऐसी पूछताछ के आधार पर किसी तथ्य का पता चला है? एवं बरामदगी हुई है, क्या ऐसी बरामदगी सूचना देने वाले व्यक्ति से ही हुई है, अथवा अन्य व्यक्ति से ? ऐसे अन्य व्यक्ति का दायित्व		
16	क्या प्रकरण में कोई मृत्युकालीन कथन संलग्न है ? ऐसे कथन में उल्लेखित तथ्यों पर पूर्ण अनुसंधान है।		
7	क्या साक्षियों के नवीनतम नाम, पते एवं मोबाईल नम्बर/ ई-मेल एड्रेस दर्ज किये गए हैं ?		
8	क्या चार्जशीट में दर्शाये गए सभी मूल दस्तावेज संलग्न है ? यदि कोई दस्तावेज मूलतः संलग्न नहीं किया गया है तो क्या ऐसे साक्षी का विशिष्टतः नाम उल्लेखित है, जिसकी अभिरक्षा में मूल दस्तावेज है और साक्ष्य के समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।		
)	क्या सुसंगत रोजनामचा सामान्य/मालखाना रजिस्टर आदि की प्रति संलग्न है ?		
)	क्या धारा 164 द.प्र.स. के तहत अभिलिखित कथनों की प्रति संलग्न है ?		
	क्या अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि संबंधी रिकॉर्ड संलग्न है ?		
	यदि अभियोजन स्वीकृति आवश्यक हो तो क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, और संलग्न है		
	क्या प्रकरण से सुसंगत आर्टिकल्स/मुद्देमाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ? अथवा नहीं		
	क्या सुसंगत विधि के सभी आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों का पालन किया गया है ?		
	अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में पीड़ित का जाति प्रमाणपत्र संलग्न है अथवा नहीं		

	क्या सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण हुआ है अथवा नहीं यदि किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है उसका उल्लेख किया गया है अथवा नहीं ?		
27	मामले प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं ?		
28	स्क्रूटनीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं विशिष्ट सुझाव	अनुसंधान अधिकारी/थाना प्रभारी की टीप/अभिमत	
29	क्या अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की जाती है अथवा नहीं । स्पष्ट अभिमत सहित		

हस्ताक्षर

अनुसंधान अधिकारी का नाम पदनाम

हस्ताक्षर

स्क्रूटनीकर्ता/अभियोजक का नाम पदनाम

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) (म.प्र.) भोपाल

क्रमांक/अअवि/विधि/1/[illegible]/55/506 /2020 दिनांक- 17 /04/2020

//:परिपत्र:://

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
इन्दौर एवं भोपाल
समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषय :- गंभीर अपराधों में खात्मा/खारजी भेजने के संदर्भ में निर्देश हेतु।
संदर्भ :- पत्र क्रमांक-अअवि/क्राईम सेल/134/241/08, दिनांक 22.05.2008 एवं
पत्र क्रमांक-अअवि/क्राईम सेल/134/2013 भोपाल दिनांक 07.08.2013

—00—

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिन अपराधों में अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है उनमें खात्मा/खारजी काट दी जाती है तथा उसे न्यायालय से स्वीकृत कराने का प्रयास नहीं किया जाता है तथा खात्मा/खारजी काट देने से ऐसे अपराध को थाने के अपराध को लंबित सूची से विलुप्त कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब तक न्यायालय द्वारा विधिवत् खात्मा/खारजी स्वीकृत नहीं की जाती है तब तक वह खात्मा की श्रेणी में नहीं आयेगा। खात्मा/खारजी के संबंध में पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 787 एवं 788 एवं दप्रसं की धारा 169 में प्रावधान है। प्रत्येक माह होने वाली "क्राईम मीटिंग" में न्यायालय में स्वीकृत न हो पाये/न्यायालय में लंबित खात्मा/खारजी प्रकरणों की समीक्षा अनिवार्यतः की जावे साथ ही थानों के पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने पर पर्यवेक्षण टीप में न्यायालय में स्वीकृत न हो पाये खात्मा/खारजी के प्रकरणों पर भी अनिवार्य रूप से टीप लेख की जावे। भविष्य में खात्मा/खारजी काटने के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें :-

1. विवेचना अधिकारी द्वारा खात्मा/खारजी काटने के पूर्व थाना प्रभारी स्वयं ऐसे अपराध में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो विवेचना अधिकारी को आगामी विवेचना के संबंध में सुझाव देते हुए विवेचना के निर्देश दे और यदि खात्मा/ खारजी योग्य प्रकरण पाया जाये तो अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी (सी.एस.पी./एस. डी.ओ.पी.) को स्वीकृति हेतु अग्रेषित करें।

2. गंभीर प्रकरणों में खात्मा काटने के पूर्व थाना प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी सी.एस.पी./एस. डी.ओ.पी. की लिखित अनुशंसा के साथ प्रकरण एस.पी. को प्रस्तुत करें।

3. गंभीर एवं चिन्हित अपराधों में खात्मा/खारजी तैयार करने के पूर्व अपराध की केस डायरी का अवलोकन जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं करें, साक्ष्य का मूल्यांकन करें और विवेचना से संतुष्ट होने के उपरांत ही खात्मा/खारजी तैयार करने का आदेश प्रदान करें।

4. यदि अपराध की विवेचना में कोई कमी हो तो अपराध की प्रत्येक बिन्दु पर विवेचना कराने के पश्चात् ही पुलिस अधीक्षक खात्मा या खारजी का कोई आदेश प्रदान करें।

5. खात्मा/खारजी तैयार होने के पश्चात् जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण करेंगे, जिसमें संबंधित खात्मा या खारजी का थाना, अप.क., धारा, खात्मा/खारजी रजिस्टर क्र.,दिनांक न्यायालय में पेश करने का दिनांक तथा न्यायालय से स्वीकृति/निर्णय तथा दिनांक एवं संबंधित न्यायालय का नाम लेख करेंगे। उक्त रजिस्टर की समीक्षा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक स्वयं कर न्यायालय से खात्मा/खारजी स्वीकृति/ निर्णित कराने के संबंध में आवश्यक पहल करें।

6. धारा 173 द.प्र.सं. में पुलिस रिपोर्ट लेख किये जाने के उपरान्त यदि प्रकरण में कोई आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तो ऐसी रिपोर्ट चालान, खात्मा, खारजी ठीक अगले Remand Date पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। अन्य समस्त प्रकरणों में एक सप्ताह के अंदर सक्षम न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।

7. जिन प्रकरणों में उक्त समय-सीमा में चालान/खात्मा/खारजी न्यायालय में प्रस्तुत करना कठिन हो, उन प्रकरणों में समय-सीमा पूर्ण होने के पूर्व थाना प्रभारी, जिला के पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त एक सप्ताह का अनुमोदन प्राप्त करें और पुलिस अधीक्षक ऐसी अनुमति का सकारण लिखित आदेश प्रदान करें। देरी के समस्त प्रकरणों की समीक्षा रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, जिला/थाना निरीक्षण/भ्रमण पर आवश्यक रूप से किया जावे। अकारण/बिना अनुमति लंबित प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। उपरोक्तानुसार तीनों स्तर पर निर्णय अधिकतम 30 दिन के अंदर लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(कैलाश मकवाणा)
अति.पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.)
हेतु- पुलिस महानिदेशक, म.प्र.
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अति0 पुलिस महानिदेशक रेल, CAW, AJK,STF, ATS, सायबर सेल, म.प्र.।
2. अति0पुलिस महानिदेशक जोन- भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल, शहडोल, म.प्र.।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, म.प्र.।
4. पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन/समन्वय (अ.अ.वि.) पु.मु. भोपाल।
5. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, म.प्र.।
6. समनि. (प्रशासन) अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल।
7. वि.स., अ.म.नि.(अ.अ.वि.), पु.मु.भोपाल।

17/4/2020

(कैलाश मकवाणा)
अति.पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.)
हेतु- पुलिस महानिदेशक, म.प्र.
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

आवश्यक

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म.प्र. भोपाल

क्रमांक/अअवि/विधि/1//[illegible] /2020 537 दिनांक- 23/05/2020

//::परिपत्र::///

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
इन्दौर एवं भोपाल

समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित केस डायरी PDF File अथवा Electronic Format में Convert कर उचित माध्यम से प्रस्तुत करने विषयक।

--00--

हाल ही में कुछ आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई (जैसे जमानत आवेदन आदि) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आहूत की गई केस डायरी/सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष नियत समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सके हैं। अतः महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाने से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ने के साथ ही निराकरण में व्यवहारिक समस्यायें आ रही हैं।

वर्तमान में Covid-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज आहूत किये जाने पर नियत समय में प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेज जैसे एफआईआर, नक्शा मौका, जप्ती पत्रक, मेमोरेण्डम, गिरफ्तारी पत्रक, गवाह कथन इत्यादि PDF File अथवा Electronic Format में न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। इस हेतु प्रकरण के सुसंगत दस्तावेज के प्रत्येक पेज को अन्वेषण अधिकारी या थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा पदमुद्रा युक्त होना चाहिए। थाने/अनु.अधि.(पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में उपलब्ध मल्टीफंक्शन प्रिंटर/फोटो कॉपियर से उनकी PDF File तैयार की जाए।

माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठों के क्षेत्राधिकार अनुसार प्रकरण के सुसंगत अभिलेख PDF format में निम्नानुसार Email addresses पर भेजी जावे :-

- मा. उच्च न्यायालय जबलपुर - policecasediary2020@gmail.com
- मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर- aagoffice.gwalior@gmail.com
- मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर - addlagind@nic.in

..2

PDF File में प्राप्त दस्तावेज के साथ आवश्यकता होने पर अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal History) भी पृथक से संलग्न की जाए। यदि किसी विशेष बिंदु को माननीय न्यायालय के ध्यान में लाना चाहें तो सुसंगत दस्तावेजों के साथ पृथक से प्रतिवेदन में उक्त बिन्दु को भी Highlight कर Email किया जा सकता है। जिन मामलों में चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है उनमें जहाँ तक विवेचना पूर्ण हुई है उस स्थिति तक के सुसंगत दस्तावेज Electronic Format के प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किये जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रारंभ करावें।

(कैलाश मकवाणा)
अति.पुलिस महानिदेशक(अ.अ.वि.)
हेतु- पुलिस महानिदेशक, म.प्र.
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, म.प्र.।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता, खण्डपीठ ग्वालियर एवं इंदौर।
   (कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि Electronic Format में प्रेषित दस्तावेज लीक न हो पाए, न ही उनका दुरुपयोग किया जा सके)
3. अति.पुलिस महानिदेशक रेल, महिला अपराध शाखा, अनुसूचित जाति कल्याण, एस.टी.एफ., ए.टी.एस (एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड), सायबर सेल, म.प्र.।
4. अति.पुलिस महानिदेशक जोन-भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,चंबल,शहडोल म.प्र.।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, म.प्र.।
6. पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन/समन्वय (अ.अ.वि.) पु.मु. भोपाल ।
7. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, म.प्र.।
8. समनि. (प्रशासन) अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल ।
9. निस., अ.म.नि.(अ.अ.वि.), पु.मु. भोपाल ।

23/5/2020

(कैलाश मकवाणा)
अति.पुलिस महानिदेशक(अ.अ.वि.)
हेतु-पुलिस महानिदेशक, म.प्र.
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक/पुमु/म0अप0/W–12/178/20/1261/2020 दिनांक–25/06/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पु0मु0, म.प्र.।
2. प्रभारी जोनल महिला अपराध कार्यालय, जोन भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.
3. स.म.नि. (I) (II)/डी.डी.पी./ समस्त उ.पु.अ.(महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
4. निज सहायक, अ.म.नि.(महिला अपराध), पु0मु0, भोपाल।
5. समस्त उपखण्ड प्रभारी, (महिला अपराध), पु0मु0 भोपाल।
6. उपखण्ड W–01, की ओर गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

25/6/20

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

आवश्यक

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म.प्र. भोपाल

क्रमांक/अअवि/विधि/1/विधि 91/ 508 /2021 दिनांक- 16/09/2021

//::परिपत्र:://

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर)
इन्दौर एवं भोपाल
समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषय :- **गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों एवं घायल व्यक्तियों का पुलिस अभिरक्षा में अनिवार्यतः चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में।**

संदर्भ:-
1. माननीय उच्चतम न्याया.द्वारा WP(Crl)539/86 डी.के.बसु वि.पश्चिम बंगाल राज्य एवं Joginder Kumar v. State Of Uttar Pradesh [(1994) 4 SCC 260 में जारी दिशा-निर्देश।
2. सी.ओ.पी. क्र.88/2000 दि. 21/03/2000
3. पुलिस महानिदेशक म.प्र.के परिपत्र क्र.पुमु/शिका/मानवाधि/विविध/1936/ 2001दि. 25/10/01
4. म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.एफ 21-97/2001/बी(1)दो, दि. 05/12/01
5. पु.म.नि.अअवि पु.मु. के पत्र क्र.अअवि/विधि(1)विविध/21/97/104/2006 दि.21.02.2006
6. अ.म.नि.अअवि पु.मु. के पत्र क्र.अमनि/अअवि/निरा/सीए/डी-73/2016 दि. 05.03.2016
7. पु.म.नि.अअवि पु.मु. के पत्र क्र.अअवि/पुमनि/प्रशा/निरा/68/16 दि. 04/04/2015
8. पुलिस महानिदेशक म.प्र. के परिपत्र क्र.पुमु/शिका/मानअधि/परिपत्र/1220/17दि.20/02/2017
9. अ.म.नि.(शिका) म.प्र. के परि.क्र.पुमु/शिका/मानअधि/14/53-20/4944-12/2020 दि.12/05/2020

—00—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के.बसु विरूद्ध पश्चिम बंगाल एवं अन्य (वर्ष 1996) तथा जोगिन्दर कुमार बनाम उ.प्र. एवं अन्य (वर्ष 1994) रिट याचिकाओं व मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों से पुलिस तथा अन्य प्रत्यावर्तक एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले व्यवहार के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है, जिनका पालन सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित परिपत्रों एवं COP 88/2000 द्वारा संसूचित किया जा चुका है। उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश में अभिरक्षा में लिये गये के दौरान उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं होने की स्थितियाँ पाई गई है, जो अनुचित होकर आपत्तिजनक है।

...2

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों एवं घायल व्यक्तियों का पुलिस अभिरक्षा में अनिवार्यतः चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने का प्रावधान द.प्र.सं. 1973 की धारा 54 में उपबंधित है।

धारा 54 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973- चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का परीक्षण :-

(1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षण करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे चिकित्सकीय परीक्षण का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन परीक्षण किया जाता है वहां ऐसे परीक्षण के रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।

म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन्स के पैरा 815,816 एवं 817 में भी चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने का प्रावधान वर्णित है।

..3

पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी यह दायित्व होगा कि जब भी किसी प्रकरण में गिरफ्तारी होती है, तब वे सुनिश्चित करें कि उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन आवश्यक रूप से हो जाऐ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 54 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के.बसु विरुद्ध पश्चिम बंगाल एवं अन्य प्रकरणों में पारित मार्गदर्शी सिद्धांतों, मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं म.प्र.पुलिस रैग्युलेशन्स के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

नोटः- इन निर्देशों की प्रतिलिपि आपके अधीनस्थ समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को वितरित कराई जाए तथा थाना/चौकी की रोलकाल के दौरान भी "विवेचकों" को इनके पालन हेतु हिदायत दी जाए।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ-22)

(विवेक जौहरी)
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक, लोक अभियोजन भोपाल।
2. SDG (Railways), Bhopal ।
3. अति.पुलिस महानिदेशक CAW, AJK,STF, ATS, Cyber, शिकायत म.प्र.।
4. अति.पुलिस महानिदेशक जोन भोपाल,ग्वालियर,होशंगाबाद,चंबल,शहडोल म.प्र.।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, म.प्र.।
6. पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन/समन्वय (अ.अ.वि.) पु.मु. भोपाल।
7. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रैंज, म.प्र.।
8. समनि. (प्रशासन) अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल।
9. नि.स., अ.म.नि.(अ.अ.वि.), पु.मु.भोपाल।

(विवेक जौहरी) 15/5/21
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रं/पुमु/म.अप./W-12/34/21/2324-/2021 दिनांक- 11 /10/2021

प्रतिलिपि:- **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पु0मु0, म.प्र.।
2. प्रभारी जोनल महिला अपराध कार्यालय, जोन भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र
3. स.म.नि. (I) (II) (III) (IV)/डी.सी.पी./समस्त स.पु.अ.(महिला अपराध), पु0मु0, म.प्र.।
4. निज सहायक, अ.म.नि./पु.म.नि (महिला अपराध), पु0मु0, भोपाल।
5. समस्त उपखण्ड प्रभारी, प्रभारी 1090 महिला अपराध (महिला अपराध), पु0मु0 भोपाल।
6. उपखण्ड W-01, की ओर गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

8/10/21

अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

यौन अपराध पीड़िता के अधिकार

पुलिस स्टेशन में

» **अपने विरुद्ध घटित यौन अपराध में FIR कराना**
(धारा 154 CrPC, धारा 19 POCSO एक्ट सहपठित धारा 166 ए IPC)

» **FIR की नि:शुल्क प्रति प्राप्त करना**
(धारा 154 (2) CrPC POCSO नियम 2020 के नियम-4(3)(अ))

» **महिला पुलिस अधिकारी/महिला अधिकारी के ही समक्ष कथन देना**
(धारा 154, 161 CrPC, धारा 24(1) POCSO एक्ट)

» **अपने निवास या पसंद के स्थान पर ही कथन देना**
(धारा 24(1) POCSO एक्ट एवं धारा 160(1) CrPC)

» **मानसिक/शारीरिक नि:शक्त, या अन्य भाषीय की सहायता के लिए द्विभाषिए (ट्रांसलेटर), अनुवादक या विशेष प्रबोधक या विशेष प्रशिक्षक प्राप्त करना**
(धारा 154, 164,(5अ) CrPC, धारा 19(4), 26(2)(3) POCSO एक्ट, नियम 5 POCSO नियम 2020)

» **विवेचना के दौरान निजता, गोपनीयता तथा सम्मान**
(धारा 23, 24(5) POCSO एक्ट, धारा 228अ IPC धारा 327 (2) व (3) CrPC)

» **चालान तथा समस्त संलग्न प्रपत्रों को प्राप्त करना**
(धारा 25(2) POCSO एक्ट एवं धारा 173(2)(ii) CrPC के अंतर्गत मप्र सरकार के नोटीफिकेशन नं. F21-56-2020-B दि. 29.6.2020)

चिकित्सीय परीक्षण के दौरान

» **सिविल अस्पताल/पीएचसी, निजी चिकित्सालय आदि में शीघ्र और नि:शुल्क चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार प्राप्त करना**
(धारा 357सी CrPC धारा 19(5) POCSO एक्ट, POCSO नियम 2020 के नियम 4(3) (ब) नियम 6, तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में यौन अपराध के पीड़िता के मेडिको-लीगल उपचार के संबंध में जारी की गई निर्देशिका)

» **चिकित्सीय परीक्षण हेतु सहमति देना या न देना**
(यदि 12 वर्ष से कम आयु है, तो यह अधिकार उसके माता-पिता का होगा।) (भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में यौन अपराध के पीड़िता के मेडिको-लीगल उपचार के संबंध में जारी की गई निर्देशिका)

» **अपने चिकित्सीय परीक्षण के समस्त प्रपत्र प्राप्त करना**
(भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में यौन अपराध के पीड़िता के मेडिको-लीगल उपचार के संबंध में जारी की गई निर्देशिका)

न्यायालय में

» **मानसिक/शारीरिक नि:शक्त, या अन्य भाषीय की सहायता के लिए द्विभाषिए (ट्रांसलेटर), अनुवादक या विशेष प्रबोधक या विशेष प्रशिक्षक या विशेष सहायक प्राप्त करना**
(धारा 154, 164,(5)(a)CrPC, धारा 26(2)(3), 38 POCSO एक्ट, नियम 5 POCSO नियम 2020)

» **ट्रायल के दौरान निजता, गोपनीयता तथा सम्मान**
(धारा 33, 37 POCSO एक्ट, धारा 228 IPC धारा 327 (2) व (3) CrPC)

यौन अपराध में 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के अधिकार

पुलिस स्टेशन में

» **FIR लिखाते समय लिखने वाले अधिकारी से उसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम, पद तथा दूरभाष प्राप्त करना** (नियम 4(1) POCSO, नियम 2020)

» **विवेचना के दौरान अपने माता-पिता या अन्य ऐसे व्यक्ति जिसमे उसे भरोसा हो साथ रखना** (धारा 26(1), POCSO एक्ट)

» **विवेचना के दौरान आरोपी के समक्ष न आना** (धारा 273 CrPC, धारा 24(3) POCSO एक्ट)

» **यदि आरोपी घर का ही हो तो किसी बाल देखरेख संस्थान में जाना** (बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार) (धारा 19(5) POCSO एक्ट, नियम 4(4) POCSO नियम 2020, साथ ही पढे नियम 69(डी) जेजे नियम 2016)

» **मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त करना** (धारा 40 POCSO एक्ट और नियम 4(3)(e)(f), नियम 07 POSCO 2020)

» **विवेचना के समस्त चरणों की जानकारी प्राप्त करना** (नियम 4(13)(15) POCSO नियम 2020)

» **विवेचना तथा ट्रायल के दौरान प्रकरण की संपूर्ण जानकारी जैसे आरोपी की गिरफ्तारी जमानत, निष्कर्ष आदि जानना** (नियम 4(13)(15) POCSO नियम 2020)

» **रात्रि में किसी भी कारण से पुलिस स्टेशन में न रुकना** (धारा 24(4) POCSO एक्ट)

» **अपने उपरोक्त सभी अधिकारों की जानकारी पुलिस अधिकारी से जानना** (नियम 4(13)(14)(15) POCSO नियम 2020)

चिकित्सीय परीक्षण के दौरान

» **चिकित्सा परीक्षण के दौरान अपने माता-पिता या अन्य ऐसे व्यक्ति जिसमें उसे भरोसा हो साथ रखना** (धारा 27(3) POCSO एक्ट)

» **शारीरिक एव मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु परामर्श पाना** (नियम 06(4)(ई) POCSO नियम 2020)

न्यायालय में

» **ट्रायल के दौरान अपने माता-पिता या अन्य ऐसे व्यक्ति जिसमें उसे भरोसा हो साथ रखना** (धारा 33(4), धारा 37 POCSO एक्ट)

» **ट्रायल के दौरान आरोपी के समक्ष न आना** (धारा 273 CrPC, धारा 36 POCSO एक्ट)

» **बचाव पक्ष के वकील पीड़िता से सीधे सवाल नहीं कर सकते** (धारा 33(2) POCSO एक्ट)

बाल कल्याण समिति के समक्ष

» **यदि आरोपी घर का ही हो तो किसी बाल देखरेख संस्थान में जाना** (बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार) (धारा 19(5) POCSO एक्ट, नियम 4(4) POCSO नियम 2020, साथ ही पढे नियम 69(डी) जेजे नियम 2016)

» **आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समीति द्वारा पीड़िता को सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराना** (नियम 4 (8-13) POCSO नियम 2020)

» **आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति से भोजन, कपड़े या परिवहन प्राप्त करना** (नियम 8 POCSO नियम 2020)

» **FIR होने के बाद पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिये अंतरिम मुआवजा/अंतिम मुआवजे** (नियम 9 POCSO नियम 2020)

यह अपराध
3 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय (354 IPC)

मध्यप्रदेश पुलिस आपके साथ

यह मज़ाक नहीं अपराध है

यह अपराध 3 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय (354 IPC)

मध्यप्रदेश पुलिस आपके साथ

यह अपराध है

यह अपराध 3 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय (354 IPC)

मध्यप्रदेश पुलिस आपके साथ

मूक दर्शक न रहें, आपत्ति करें
कुछ कहो, कुछ करो

मध्यप्रदेश पुलिस आपके साथ

महिला सुरक्षा शाखा

CONTACT US ON

0755-2443568

mpwsb@mppolice.gov.in

@MakingWomenSafe